एकादश माला, खंड 9, अंक 2

शुक्रवार, 21 फरवरी, 1997
2 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(भाग-एक)
(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खंड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वंदना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार, 21 फरवरी, 1997/ 2 फाल्गुन, 1918 (शक)

का

शुद्धि पत्र

कॉलम संख्या	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
13	नीचे से 4	खिलाड़ी	खिड़की
71	19	श्री जगवीर सिंह द्रोण	श्री जगतवीर सिंह द्रोण

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 9, चौथा सत्र, (भाग-एक) 1997/1918 (शक)]
अंक 2, शुक्रवार, 21 फरवरी, 1997/ 2 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय		कालम
निधन संबंधी उल्लेख		1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* तारांकित प्रश्न संख्या	3 से 7	3–36
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	1, 2 और 8 से 20	37–55
अतारांकित प्रश्न संख्या	1 से 167	55–202
मंत्रियों का परिचय		202
सभा पटल पर रखे गए पत्र		202–207
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति		207–208
रेल संबंधी स्थायी समिति		
चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश - *प्रस्तुत*		208
समिति के लिए निर्वाचन		
सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण		208
सभा का कार्य		209–211
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
उर्वरक मूल्य नीति		
श्री चतुरानन मिश्र		211–212
धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) निरसन विधेयक		
विचार करने का प्रस्ताव		215–239
श्री रमाकांत डी. खलप		215–216, 235–237
श्री महबूब जहेदी		216–217
श्री सुनील खान		217–218
श्री वी.वी. राघवन		218–219
श्री राम कृपाल यादव		219–220
श्री नीतीश कुमार		220–224
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही		224–228
श्री अनंत गंगाराम गीते		228–229
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह		229–230

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
श्री बृज भूषण तिवारी	230–231
कुमारी ममता बनर्जी	231–232
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	234
खंड 2 और 1	237–239
पारित करने का प्रस्ताव, यथासंशोधित	238
नाविक भविष्य-निधि (संशोधन) विधेयक	
राज्य सभा द्वारा यथापारित	240–254
विचार करने का प्रस्ताव	240
श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन	240–241, 242–246
श्री टी. गोविन्दन	241–242
श्री सामी वी. अलागिरी	242
खंड 2 से 7 और 1	254
पारित करने का प्रस्ताव, यथासंशोधित	
गैरसरकारी सदस्यों के विधयेक–*पुरःस्थापित*	
(एक) भारतीय श्रम विधेयक	
श्री सनत मेहता	255
(दो) मद्यनिषेध विधेयक	
डॉ० गिरिजा व्यास	256
(तीन) विधवाओं की संरक्षा और कल्याण विधेयक	
श्री सुव्रता मुखर्जी	256
गैर सरकारी सदस्य का विधेयक – *विचाराधीन*	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक	257–300
श्री बसुदेव आचार्य	257
विचार करने का प्रस्ताव	257–300
श्री मनोरंजन भक्त	257–270
श्री चित्त बसु	270–274
कुमारी ममता बनर्जी	274–279
श्री अजय चक्रवर्ती	279–281
श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह	281–283
श्री हन्नान मोल्लाह	283–288
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	288–294
श्री प्रमथेस मुखर्जी	295–296
श्री एम.ओ.एच. फारूख	296–298
श्री संतोष मोहन देव	298–300

लोक सभा

शुक्रवार, 21 फरवरी, 1997/ 2 फाल्गुन 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं चीन के सुविख्यात नेता श्री डेंग जियाओपिंग, जिनका निधन 93 वर्ष की आयु में 19 फरवरी, 1997 को हुआ, की दुखद सूचना देता हूँ।

श्री डेंग जियाओपिंग चीनी जनता के एक महान नेता थे जिन्हें चीन के आधुनिकीकरण में उनके योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। उनके नेतृत्व में चीन ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की और विश्व के अन्य देशों के साथ चीन के व्यापार संबंधों का रास्ता खुला। इसके कारण चीन की आम जनता का जीवन-स्तर ऊंचा उठा और चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समतुल्य हुई।

हाल के वर्षों में श्री डेंग जियाओपिंग ने भारत-चीन संबंधों में सुधार के लिए जो व्यापक योगदान दिया उसे हम कभी नहीं भुला सकते हैं। वर्ष 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के साथ जो उनकी ऐतिहासिक बैठक हुई उसने हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक नई दिशा दी। उन्होंने उस समय भारत-चीन सहयोग के महत्व पर, दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास की आवश्यकता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पंचशील सिद्धान्तों पर आधारित एक नई अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था कायम करने पर बल दिया।

श्री डेंग जियाओपिंग के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम अपनी इस इच्छा की पुनः पुष्टि करते हैं कि दोनों देशों की जनता की समृद्धि के लिए चीन के साथ एक अच्छे पड़ोसी के नाते हमारे मैत्रीपूर्ण, रचनात्मक तथा सहयोगपूर्ण संबंध और प्रगाढ़ बनें।

मैं, माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने स्थानों पर खड़े होकर दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े रहें।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

श्री जसवंत सिंह (चित्तोड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक असामान्य बात कर रहा हूँ क्योंकि स्थिति ही असामान्य है और आपके माध्यम से, मैं संक्षिप्त में पूरे सभा से एक निवेदन करता हूँ। *(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुक्तुपुजा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, प्रश्न काल के दौरान व्यवधान नहीं डाला जा सकता है। हमें परम्परा को बनाये रखना है।... *(व्यवधान)*

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : क्या माननीय सदस्य ने प्रश्न काल स्थगित करने की सूचना दी है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी थी। लेकिन मैं उनके एक-दो वाक्य सुनने क लिए तैयार था क्योंकि उन्होंने स्वतः यह कहा है कि वह एक असामान्य बात कर रहे हैं। चूंकि माननीय सदस्य ने स्वतः यह स्वीकार किया है कि वह एक असामान्य बात कर रहे हैं अतः मैं उनके एक-दो वाक्य सुनना चाहूंगा।

श्री जसवन्त सिंह : मैं प्रश्न काल और प्रश्न काल के महत्व के प्रति सदस्यों की चिंता से पूरी तरह अवगत हूँ। मैं संक्षिप्त में पूरे सभा से निवेदन करूंगा। सम्पूर्ण सभा से मेरा यही कहना है आज हमारी पार्टी के सदस्य सभा से अनुपस्थित रहेंगे और यह बात उत्तर प्रदेश राज्य में स्थिति की गम्भीरता दर्शाती है। मैं विशेष रूप से यह बताना चाहता हूँ कि जब से उत्तर प्रदेश में गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि आपने अपनी बात कह दी है।

... (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मैं विगत छः या सात महीनों में उत्तर प्रदेश राज्य में हुई हत्याओं की घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। हमारी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता, जिन्होंने चार दशकों से लोक सेवा की है, की हत्या कर दी गई।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्नों को लेंगे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

विदेशी निवेश हेतु दिशा निर्देश

+

***3. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री येल्लैया नंदी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतः अनुमोदित सूची के अंतर्गत न आनेवाले क्षेत्रों में विदेशी निवेश हेतु कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन नए दिशा निर्देशों से कहां तक सहायता मिली है; और

(घ) अब तक विदेशी निवेश संबंधी कुल कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हाँ।

(ख) एक अनुबंध सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) इस अवस्था में यह बताना बहुत कठिन है कि नये दिशा-निर्देश विदेशी निवेश बढ़ाने में किस सीमा तक सहायक होंगे। तथापि, वर्ष 1996 के दौरान 35150.01 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है।

अनुबंध

उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने के बारे में दिशा निर्देश।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने तथा अपनी सिफारिशें तैयार करने के बारे में निर्धारित दिशानिर्देश इस प्रकार हैं :

1. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के समक्ष सभी आवेदन एस. आई.ए. (औद्योगिक सहायता सचिवालय) द्वारा 15 दिनों के भीतर रखे जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रशासनिक मंत्रालयों की टिप्पणियों को बोर्ड के सम्मुख बैठक से पूर्व/अथवा बैठक के समय रखा जाए।

2. बोर्ड द्वारा प्रस्तावों पर विचार सरकारी निर्णय को प्रेषित करने के 6 सप्ताह की समय सीमा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए (अर्थात् उद्योग मंत्री/सी.सी.एफ.आई. की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो)।

3. ऐसे मामलों को जिन्हें या तो स्वीकार नहीं किया जाता है या और कोई सूचना मांगी जाती है, विलम्ब से बचने के लिए आवेदक द्वारा एफ.आई.पी.बी. की बैठक में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने का उपाय किया जाना चाहिए।

4. मामलों पर विचार तथा सिफारिश करते समय एफ.आई. पी.बी. को प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय आवश्यकताओं और क्षेत्रीय नीतियों को ध्यान में रखना चाहिए।

5. एफ.आई.पी.बी. प्रत्येक प्रस्ताव पर समेकित स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान करने के लिए पूर्णरूपेण (अर्थात् क्या इसमें विदेशी निवेश के अलावा तकनीकी सहयोग/औद्योगिक लाइसेंस भी शामिल है) विचार करेगी। तथापि, एफ.आई.पी.बी. की सिफारिशें विदेशी वित्त तथा तकनीकी सहयोग की स्वीकृति तक ही सीमित होंगी और विदेशी निवेशक को अन्य अपेक्षित स्वीकृतियां अलग से लेनी होंगी।

6. बोर्ड को उसके विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करते समय निम्नलिखित तथ्यों की भी जांच करनी होगी :

(1) क्या क्रियागत मद औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है अथवा नहीं और यदि है तो औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए;

(2) क्या प्रस्ताव में तकनीकी सहयोग अपेक्षित है और यदि हां तो (क) हस्तांतरित किये जाने वाली प्रौद्योगिकी का स्रोत और प्रकृति क्या है (ख) भुगतान की शर्त (100% अनुषंगी कंपनियों द्वारा रायल्टी के भुगतान की अनुमति नहीं है)।

(3) क्या प्रस्ताव निर्यात के लिए अनिवार्य अपेक्षाओं से सम्बद्ध है। यदि हां, तो क्या संबंधित आवेदक ऐसे दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार है (यह लघु उद्योग की इकाइयों तथा लाभांश संतुलन और 100% निर्यातोन्मुख एककों/ई.पी.जेड एककों के लिए हैं)।

(4) क्या प्रस्ताव में कोई निर्यात की व्यवस्था है। यदि ऐसा है तो निर्यात की मदों और परिकल्पित ठिकानों का उल्लेख होना चाहिए।

(5) क्या प्रस्ताव में अन्य योजनाओं जैसे कि ई.पी.सी.जी. योजना आदि के तहत कोई समवर्ती बचनबद्धता की गई है?

(6) निर्यातोन्मुख एककों के मामले में क्या अपेक्षित न्यूनतम मूल्य वर्धन मानदंडों और निर्यात के लिए न्यूनतम कारोबार की शर्तों को पूरा किया गया है या नहीं;

(7) क्या प्रस्ताव औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति में दी गयी स्थापनास्थल संबंधी शर्तों में छूट से संबंधित है; और

(8) क्या प्रस्ताव में कोई सामरिक महत्व अथवा सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है।

7. प्रस्तावों पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों को प्राथमिकता दी जाएः

(क) नयी औद्योगिक नीति की अनुबंध-3 के अंदर आने वाले मद (अर्थात् वे मद जिन पर स्वतः अनुमोदन लागू नहीं होता है)।

(ख) आधारभूत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मदें।

(ग) निर्यात की गुंजाइश वाली मदें।

(घ) बड़े पैमाने पर और विशेषकर ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार की संभावना वाली मदें।

(ङ) कृषि व्यवसाय/फार्म से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़ी मदें।

(च) समाज के लिए अधिक उपयोगी मदें जैसे अस्पताल, मानव संसाधन विकास, जीवन रक्षक दवाएं और उपकरण।

(छ) ऐसे प्रस्ताव जिनके परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी अथवा पूंजी का प्रवेश होता है।

8. प्रस्तावों की जांच तथा उन पर विचार करते समय निम्नलिखित मुद्दों पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिएः

(क) धारणयोग्य प्रस्तावित विदेशी इक्विटी की सीमा (क्षेत्रगत निर्धारित सीमा को ध्यान में रखकर, यदि कोई हो उदाहरणार्थ लघु एककों के लिए 24%, एयर टैक्सी/एयरलाइन्स आपरेटरों के लिए 40%, दूर-संचार क्षेत्र में मूल/सेल्लुलर/पेजिंग आदि में 49%)।

(ख) विदेशी/एन.आर.आई. (जिसमें ओ.सी.बी. भी शामिल है) निवासी भारतीय की मिली-जुली इक्विटी की मात्रा।

(ग) इस दृष्टि से ईक्विटी की मात्रा कि क्या प्रस्तावित परियोजना नियत्रंक कंपनी/पूर्ण व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी/एक अधिकतम विदेशी निवेश वाली कंपनी (अर्थात् 76% या उससे अधिक) संयुक्त उद्यम है।

(घ) क्या प्रस्ताक्ति विदेशी ईक्विटी नयी परियोजना (संयुक्त उद्यम अथवा कोई और) स्थापित करने के लिए है अथवा क्या यह विदेशी/एन.आर.आई. इक्विटी का विस्तार करने के लिए है अथवा क्या यह किसी मौजूदा भारतीय कंपनी में विदेशी इक्विटी/एन.आर.ई. इक्विटी लगाने के लिए है।

(ङ) नये सिरे से विदेशी/एन.आर.आई. इक्विटी लगाने के मामले में और/आथवा मौजूदा भारतीय कंपनियों में विदेशी/एन.आर.आई. इक्विटी का विस्तार करने के मामलों में क्या निदेशक मंडल द्वारा उस विदेशी/एन.आर.आई. इक्विटी लगाने/विस्तार करने के पक्ष में प्रस्ताव किया गया है और क्या कोई शेयरधारकों की सहमति है या नहीं, पर विचार किया जाना चाहिए।

(च) वर्तमान भारतीय कंपनियों में नई इक्विटी लगाने और/अथवा वर्तमान भारतीय कंपनियों में विदेशी इक्विटी बढ़ाने के मामले में प्रस्ताव करने के कारणों पर और पूंजी लगाने/बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना चाहिए अर्थात् क्या यह चुकता पूंजी/प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर, शेयरों का हस्तांतरण करके (प्रतिपक्षी या कोई और), राइट इश्यू द्वारा अथवा किस तरीके से।

(छ) शेयर जारी करने, हस्तांतरण/मूल्य निर्धारण कार्य, सेबी/भार.रि. बैंक की दिशा निर्देशों के अनुसार होने चाहिए।

(ज) क्या कार्यकलाप औद्योगिक अथवा सेवा संबंधी अथवा संयुक्त किस्म का है।

(झ) क्या क्रियागत मद लघु क्षेत्र के लिए आरक्षण के रूप में कोई प्रतिबंधित मद है।

(ञ) क्या संबंधित गतिविधि पर कोई क्षेत्रीय प्रतिबंध लागू है (उदाहरणार्थ अचल संपत्ति में विदेशी निवेश करने पर प्रतिबंध है जबकि एन.आर.आई./ओ.सी.बी. निवेश के मामले में ऐसा नहीं है)।

(ट) क्या मद में सिर्फ व्यापार के कार्यकलाप ही शामिल हैं और यदि ऐसा है तो क्या इसमें निर्यात अथवा निर्यात और आयात दोनों शामिल हैं, अथवा इसमें घरेलू व्यापार भी शामिल है और यदि घरेलू व्यापार है तो क्या इसमें फुटकर व्यापार भी शामिल है।

(ठ) क्या प्रस्ताव में ऐसी मदें शामिल हैं जो पर्यावरण के लिए खतरनाक प्रतिबंधित अथवा हानिकारक हैं। (उदाहरणार्थ प्लास्टिक की कतरन अथवा पुनः उपयोग किये गये प्लास्टिकों का आयात)।

9. नयी औद्योगिक नीति के अनुबंध 3 में सूचीबद्ध उद्योगों/कार्यकलापों के संबंध में अधिकांश इक्विटी स्वामित्व (50/51/74 प्रतिशत) के लिए स्वतः अनुमोदन भारतीय रिजर्व बैंक

द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रत्येक मामले की विशेष आवश्यकताओं और खूबियों को ध्यान में रखते हुए इन कार्यकलापों के बारे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड विदेशी इक्विटी के ऊंचे स्तर की सिफारिश करने पर विचार कर सकता है।

10. अन्य उद्योगों/कार्यकलापों के संबंध में प्रत्येक प्रस्ताव की जांच करने पर बोर्ड 51 प्रतिशत की विदेशी इक्विटी की सिफारिश करने पर विचार कर सकता है। 74 प्रतिशत तक के अधिक ऊंचे स्तर के लिए बोर्ड कुछ बातों जैसे परियोजना के लिए आवश्यक पूंजी की सीमा, प्रौद्योगिकी के स्वरूप और गुणवत्ता, विपणन और प्रबंधन/कौशल की आवश्यकताओं तथा निर्यात दायित्वों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर सकता है।

11. निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, 100 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व के/सहायक कपंनी के लिए प्रस्तावों पर विचार और उनकी सिफारिश कर सकता है:

(क) जहां केवल "धारिता" की क्रिया ही शामिल हो और किये जाने वाले सभी अनुवर्ती/अधोप्रवाही निवेशों के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक हो,

(ख) जहां स्वामित्व प्रौद्योगिकी के संरक्षण की मांग की जाए अथवा परिष्कृत प्रौद्योगिकी को लाना प्रस्तावित हो,

(ग) जहां उत्पादन का न्यूनतम 50% निर्यात किया जाना हो,

(घ) परामर्श हेतु प्रस्ताव, तथा

(ङ) बिजली सड़कों, पत्तनों तथा औद्योगिक आदर्श कस्बों/औद्योगिक पार्को अथवा ऐस्टेट के लिए प्रस्ताव।

12. विशेष मामलों में जहां आरंभ में विदेशी निवेशक किसी भारतीय सहयोगी की पहचान करने में असमर्थ हो, बोर्ड अस्थायी तौर पर 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के प्रस्तावों पर इस शर्त पर विचार और सिफारिश कर सकता है कि विदेशी निवेशक 3-5 वर्षों की अवधि के भीतर भारतीय पार्टियों (व्यक्तिगत, संयुक्त उद्यम सहयोगकर्ता अथवा सामान्य जनता अथवा दोनों) में अपनी इक्विटी का न्यूनतम 26 प्रतिशत विनिवेश कर देगा।

13. इसी प्रकार ऐसे संयुक्त उद्यम के मामले में, जहां भारतीय भागीदार विद्यमान औद्योगिक कार्यकलापों के विस्तार/प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए साधन जुटाने की स्थिति में न हो, बोर्ड उद्यम में विदेशी इक्विटी अनुपात/प्रतिशत में वृद्धि (100 प्रतिशत तक) करने की सिफारिश पर विचार कर सकता है।

14. व्यापारिक कंपनियों के मामले में, निम्नलिखित कार्यकलापों के शामिल होने की दशा में, 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति दी जा सकती है:

(1) निर्यात,

(2) निर्यात/विस्तारित वेयरहाउस बिक्रियों सहित बड़े पैमाने के आयात,

(3) कैश एंड कैरी थोक व्यापार,

(4) माल तथा सेवाओं का अन्य आयात, बशर्ते 75% उसी समूह की कंपनियों में सामान और सेवाओं का प्राप्ति और बिक्री के लिए हो।

15. आधारभूत सुविधा/सेवा क्षेत्र की कंपनियों के मामले में जहां विदेशी निवेश हेतु पूंजी निर्धारित हो, निर्धारित पूंजी हेतु केवल प्रत्यक्ष निवेश पर ही विचार किया जाना चाहिए और निवेशक कंपनी में विदेशी निवेश को इस क्षमता से अलग नहीं किया जाना चाहिए, बशर्ते ऐसी निवेशक कंपनी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49 प्रतिशत से अधिक न हो और निवेशक कंपनी का प्रबंधन भारतीय मालिकों के पास हो।

16. किसी अनुमोदन पत्र के जारी होने के पश्चात विदेशी निवेशक को जारी किये गये अनुमोदन पत्र को किसी भी विशिष्ट शर्त में परिवर्तन नहीं किया जायेगा अथवा कोई अतिरिक्त शर्त नहीं जोड़ी जायेगी। इससे औद्योगिक क्षेत्र पर लागू सामान्य नीतियों और विनियमों में परिवर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा।

17. जहां किसी प्रस्ताव के मामले में (जो 100% सहायक कंपनी न हो) संयुक्त उद्यम कंपनी में विदेशी इक्विटी की निर्धारित प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदित किया गया हो, बाद में अतिरिक्त पूंजी शामिल करते समय इस प्रतिशत को घटाया नहीं जायेगा। इसके अलावा अनुमोदित कार्यकलापों के मामले में, यदि बाद में संबंधित विदेशी निवेश को अनुमोदित कार्यकलापों तक सीमित रखते हुए अतिरिक्त पूंजी लाना चाहता है, तो विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ऐसे मामलों को स्वतः आधार पर अनुमोदनार्थ सिफारिश करेगा।

18. जहां तक निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रश्न है आवेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक से "सिद्धांततः" अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही विचार किया जायेगा।

19. विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त प्रस्तावों के लिए प्रतिबंध अनुबंध में दिये गये हैं और प्रस्तावों पर विचार करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ये मार्गदर्शी सिद्धांत प्रस्तावों पर वस्तुपरक और पारदर्शी तरीके से विचार करने में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की सहायता के लिए हैं। ये किसी भी प्रकार से लचीलेपन को प्रतिबंधित नहीं करेंगे अथवा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को प्रस्तावों पर समग्र तौर पर विचार

करने अथवा ऐसे अन्य मानदंडों अथवा विशेष परिस्थितियों अथवा गुणों के आधार पर सिफारिश देने में आड़े नहीं आयेगें जिन्हें बोर्ड प्रासंगिक समझता हो। इसके अलावा ये प्रशासनिक मार्गदर्शक सिद्धांतों की प्रकृति के हैं और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से जुड़े मामलों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों अथवा सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों के मामले में किसी भी तरह से सांविधिक बंधन नहीं होंगे।

ये मार्गदर्शी सिद्धांत, आवश्यकता पड़ने पर नये दिशा निर्देश जारी करने अथवा सांविधिक प्रावधानों और नीतियों में परिवर्तन करने के सरकार के अधिकार से अलग बिना किसी पूर्वाग्रह के जारी किये जा रहे हैं।

अनुबंध

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिये क्षेत्र विशिष्ट मार्ग-निर्देशन

क्र.स.	क्षेत्र	मार्ग निर्देशन
1.	बैंकिंग	अनिवासी भारतीय 40%, 20% तक विदेशी निवेश अनुमेय है।
2.	गैर बैंकिंग वित्तीय सेवायें	(1) 51% तक विदेशी इक्विटी, कोई विशेष शर्तें नहीं हैं सिवाय उन मामलों के जिनके लिए "सेबी"/भारतीय रिजर्व बैंक आदि की अनुमोदन अपेक्षित है। (2) 51% से अधिक लेकिन 75% तक विदेशी इक्विटी के लिए यह आवश्यक है कि विदेशी निवेश कम से कम 5 मिलियन अमेरिका डालर होना चाहिए तथा यह एक मुश्त होना चाहिए। (3) 75% से अधिक विदेशी निवेश के लिए न्यूनतम विदेशी निवेश 50 मिलियन अमेरिकी डालर होना चाहिए।
3.	घरेलू हवाई टैक्सी परिचालन/एयरलाइन्स	(1) 40% तक विदेशी इक्विटी मामला दर मामला आधार पर अनुमेय हो सकता है। (2) अनिवासी भारतीयों द्वारा 100%
4.	विद्युत	विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश या तो भारतीय साझेदारी के संयुक्त उद्यम के रूप में या 100% विदेशी इक्विटी सहित पूर्ण स्वामित्व वाले परिचालन के रूप में हो सकता है।
5.	दूर संचार (मूलभूत, मूल्यवर्धित)	मूल-भूत, सैल्यूलर मोबाइल तथा पेंजिंग सेवाओं में विदेशी निवेश को दूर संचार विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने की शर्त पर 49% तक सीमित किया जाता है।
6.	औषध या भेषज उद्योग	प्रमुख औषध उनके इंटरमीडियेट्स तथा फार्मूलेशंस के मामले में 51% तक विदेशी निवेश के लिए (रिकम्बीनैन्ट डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पादन करने वालों को छोड़कर) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः अनुमोदन प्रदान किया जाता है। अन्य प्रस्तावों पर सरकार द्वारा गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है, 51% से अधिक एफ.डी.आई. के लिए आवश्यक विनिर्माण गतिविधि औषध नीति के अनुसार।
7.	पेट्रोलियम	विदेशी कंपनियां पेट्रोलियम के क्षेत्र में किसी उद्यम में इक्विटी का 100% तक निवेश कर सकती है।
8.	अचल संपत्ति	इस क्षेत्र में कोई विदेशी निवेश अनुमेय नहीं है। अनिवासी भारतीय/ओ.सी.बी. को अनुमति है।
9.	सड़क तथा राजमार्ग	राजमार्ग में 100% तक विदेशी इक्विटी सहभागिता सहित निजी क्षेत्र में बनाने, चलाने तथा अंतरण की संकल्पना है। पता लगाये गये राजमार्ग परियोजनाओं में निवेशक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मार्ग कर के रूप में अपना निवेश वसूल करने के लिए अनुमेय है। सहमति हुई रियायती अवधि के अंत में सुविधाएं सरकार के पास आ जायेगी। बाइपास, पुल का निर्माण तथा उच्च सघनता के मार्गों को चौड़ा करना, राष्ट्रीय राजमार्ग का बी.ओ.टी. मार्ग के माध्यम से चार लेन के लिए पता लगा लिया है। सरकार ने बजट सत्र 1995 में मार्ग कर वसूलने के लिए आवश्यक कानून पास कर लिया है।

1	2	3
		मार्ग प्रभार की दर तथा रियायत की अवधि प्रतियोगिता/बोली के आधार पर तथा निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता तथा परिचालन के लिए सुविधायें सरकार द्वारा किसी गतिरोध के बिना उपलब्ध करायी जायेगी। निजी पार्टियों को विकास सेवायें भी अनुमेय हैं तथा रोड़ के साथ शेष क्षेत्र उन्हें दिया जाता है।
10.	बन्दरगाह	भारतीय बंदरगाहों में प्रमुख परिचालन तथा अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों के लिए विनिर्दिष्ट संभावना की पेशकश करते हैं। निजी क्षेत्रों द्वारा सहभागिता/निवेश के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है:
		(1) बन्दरगाह की विद्यमान परिसंपत्तियों को पट्टे पर देना।
		(2) निर्माण/अतिरिक्त परिसंपत्तियों का सृजन, जैसे:
		(क) कंटेनर टर्मिनल का निर्माण तथा परिचालन
		(ख) बल्क, ब्रीक बल्क, बहुआयामी तथा विशिष्ट कार्गो बर्थ का निर्माण तथा परिचालन
		(ग) वेयर हाउसिंग, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, भंडारण सुविधा तथा टैंक फार्म
		(घ) क्रैनेज/हैंडलिंग उपकरण
		(ङ) ग्रहीत विद्युत संयंत्रों की स्थापना
		(च) शुष्क डाकिंग तथा जहाज मरम्मत सुविधा
		(3) बन्दरगाह रख-रखाव के लिए उपकरण पट्टे पर लेना तथा निजी क्षेत्र से फ्लोरिंग क्राफ्ट पट्टे पर लेना।
		(4) बंदरगाह आधारित उद्योगों के लिए ग्रहीत सुविधायें। ये क्षेत्र संकेतात्मक स्वरूप के हैं। विदेशी निवेशकों द्वारा सहभागिता संबंधी और विवरण संबंधित बंदरगाह प्राधिकरण तथा भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के पास उपलब्ध हैं।
11.	पर्यटन	इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की अत्यधिक संभावनायें हैं। इस क्षेत्र में 100% विदेशी इक्विटी अनुमेय है तथा 51% तक विदेशी इक्विटी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः अनुमोदन भी दिया जाता है लेकिन, विशिष्ट मानदंडों की शर्त पर।
12.	खनन	(1) खनन क्षेत्र में 50% तक विदेशी इक्विटी सहभागिता स्वतः होगी, लेकिन सोना, चांदी, हीरा तथा मूल्यवान पत्थरों को छोड़कर।
		(2) सोना, चांदी, हीरा तथा मूल्यवान पत्थरों के लिए निम्नलिखित पैरामीटर को ध्यान में रखकर अनुमोदन दिया जायेगा
		(क) परियोजना का आधार
		(ख) परियोजना लागत को पूरा करने के लिए वाह्य स्रोतों की वचनबद्धता
		(ग) खनन क्षेत्र में कंपनी का ट्रेक रिकार्ड
		(घ) परियोजना में लगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी का स्तर।
		(ङ) कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता
		(च) संयुक्त उद्यम साझेदार/भारतीय साझेदार के लिए खनन चरण में संयुक्त उद्यम में भारतीय इक्विटी का स्तर।

1	2	3
		इन कंपनियों के लिए जो 100% पूर्ण स्वामित्व की सहयोगी कंपनी की स्थापना करना चाहती है इस शर्त पर अनुमति दी जा सकती है कि यदि कंपनी खनन में संयुक्त उद्यम के रूप में प्रवेश करना चाहती है जहां विदेशी इक्विटी 50% से अधिक का विचार किया गया है, वहां एफ.डी.पी.वी. का पूर्वानुमोदन लिया जायेगा।
13.	कोयला	जबकि यह सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित है फिर भी निजी तथा विदेशी निवेश केवल ग्रहीत खपत (विद्युत उत्पादन) तथा वाशरियों आदि के लिए कोयला में अनुमेय है।
14.	उद्यम पूंजी निधि	एक आफशोर उद्यम पूंजी कंपनी एक घरेलू उद्यम पूंजी निधि की पूंजी का 100% अंशदान कर सकती है तथा निधि के प्रबंधन के लिए घरेलू परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी भी स्थापित कर सकती है। वी.सी.एफ. तथा वी.सी.सी. घरेलू वी.सी.एफ./वी.सी.सी. के प्रदत्त निधि का 40% तक अनुमेय किया जाता है।

डा॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं, मात्र दो प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको मात्र दो प्रश्न पूछने की अनुमति है, तीन नहीं।

डा॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी : प्रश्न पूछने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस बात से बेहद खुशी है कि उद्योग मंत्रालय ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड में एकल खिलाड़ी निकासी प्रणाली की शुरूआत की है। लेकिन साथ ही, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारे देश में निवेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तैयार नहीं है। वास्तव में अनेक देश सीधे विदेशी निवेश हेतु खुला आमंत्रण दे रहे हैं। 1996 में चीन में 40 बिलियन डालर का निवेश किया गया जबकि हमारे यहां मात्र 3 बिलियन डालर का निवेश हुआ। इस स्थिति में सुधार के लिए हम क्या करने जा रहे हैं ? निःसंदेह, हमने अनेक परिवर्तन किये हैं लेकिन अभी चीन और अन्य देशों की तुलना में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। माननीय मंत्री जी से क्या मैं यह जान सकता हूं कि और अधिक विदेशी निवेश के लिए भविष्य में हम क्या करने जा रहे हैं जिससे हम 12 प्रतिशत का औद्योगिक विकास दर और सात प्रतिशत का समग्र विकास दर प्राप्त कर सकें ?

श्री मुरासोली मारन : मैं माननीय सदस्य की चिंता का पूरा समर्थन करता हूं। विदेशी निवेशक भारत में आने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि भारत उनका स्वागत नहीं करता तो वे वियतनाम या चीन या किसी अन्य देश चले जाएंगे जो उनके स्वागत के लिए तैयार हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : हमारे देश में वे क्यों नहीं आते ?

श्री मुरासोली मारन : इसमें एक समस्या है। हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। विदेशी निवेश हेतु हमें भारत को एक आकर्षण गंतव्य बनाना होगा।

श्री बीजू पटनायक : आप प्रभारी मंत्री जी से बात करें।

श्री मुरासोली मारन : मैं, उस पर बाद में चर्चा करूंगा। हम इस संबंध में अभी भी सैद्धान्तिक मतभेदों में उलझे हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप इनमें कुछ दिक्कतें हैं।

इसीलिए, यदि हम सात प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद दर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें विदेशी निवेश चाहिए। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः, हमें इन कठिनाइयों को दूर करना होगा। यही कारण है कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसीलिए हमने दिशानिर्देश जारी किया। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

डा॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यद्यपि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने देश में घरेलू विमान सेवा स्थापित किए जाने के लिए सिंगापुर-टाटा एयरलाइंस की 708 मिलियन डालर के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन क्या आप यहां फुटबॉल मैच करवा रहे हैं ? एक ओर तो उद्योग मंत्रालय का कहना है कि उसने इसकी स्वीकृति दी है जबकि अन्य मंत्रालय का विचार कुछ और है। ऐसा कैसे हो सकता है ? मैं इससे होने वाले लाभ और हानि के बारे में जानना चाहता हूं। हम इस प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में राय नहीं जानना चाहते। हम वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं। माननीय सदस्यगण यह जानना चाहेंगे, कि हमारी स्थिति क्या है। यह विवाद क्यों चल रहा है ? आप कब इस पर निर्णय लेंगे। हमारी स्थिति क्या है ? मैं इस बारे में जानना चाहता हूं।

श्री मुरासोली मारन : सिंगापुर-टाटा एयरलांइस संबंधी आवेदन पिछले दो वर्षों से लम्बित पड़ा है। बाद में यह विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के समक्ष आया। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड कोई स्वीकृति देने वाला प्राधिकारण नही है। यह मात्र एक अनुशंसा करने वाला निकाय है। बोर्ड ने कहा कि वह विदेशी निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के विचार के लिए इस प्रस्ताव की सिफारिश करेगा। इसलिए मैं इस मामले को सी.सी.एफ.आई. में ले गया। सी.सी.एफ.आई. ने इस पर विचार स्थगित कर दिया। वर्तमान स्थिति यही है। अतः इस पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए।

डा॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी : इसके लाभ-हानि क्या हैं ? आपने इसके बारे में नहीं बताया। मैं इसके लाभ और हानि के बारे में जानना चाहता हूँ अन्यथा इसका क्या फायदा ? आप हमें इसके बारे में बतायें।

श्री मुरासोली मारन : किस बारे में ?

डा॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी : यह इससे होने वाले लाभ या हानि के बारे में है। निवेश से होने वाले लाभ और हानि के बारे में है। अन्यथा हमारा विश्वास कौन करेगा।

श्री मुरासोली मारन : यह वर्तमान नीति के अध्यधीन आता है। विमान सेवा में 40 प्रतिशत विदेशी निवेश की स्वीकृति दी गई है। वह पिछली सरकार की नीति है। अब, प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात नागर विमानन मंत्रालय इस नीति को बदलना चाहता है। इस मंत्रालय ने यह अनुरोध किया है कि इसे तब तक स्वीकृति न दी जाए जब तक कि इसके बारे में एक विस्तृत नीति नहीं बनाई जाती। अतः इस विषय को लम्बित रखा गया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने इस जवाब के साथ दो दस्तावेज जोड़े हैं, उनमें से एक दस्तावेज है,

[अनुवाद]

"सीधे विदेशी निवेश के लिए क्षेत्र विशिष्ट दिशा निर्देश"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मुझे इनमें से कई चीजों के बारे में मंत्री जी से सफाई मांगनी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रश्न-काल में आप पूरा नहीं छोड़ेंगे। मगर यहां उन्होंने बन्दरगाह के बारे में लिखा है। बन्दरगाह में कितने प्रतिशत वह उनको देना चाहते हैं, भले उन्होंने नहीं लिखा हो लेकिन मैं जानता हूं कि शत-प्रतिशत बन्दरगाह विदेशियों के हाथों में देने के लिए नरसिंह राव की सरकार ने कदम उठाया था। अमेरिका की सबसे बड़ी निजी बहुराष्ट्रीय कम्पनी कारगिल को कांडला का बन्दरगाह उन्होनें दे दिया था, लेकिन वहां के लोगों ने और अनेक लोगों ने लड़कर उसको रोक दिया। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के बन्दरगाह में कोई भी व्यक्ति कैमरा लेकर नहीं जा सकता है। इस बारे में मुझे मालूम है, क्योंकि मैं बन्दरगाह के मजदूरों के साथ जीवन भर रहा हूँ। बन्दरगार में अगर कोई भी डिजाइन, ड्राइंग कोई बाहर किसी को भी देता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है और इसीलिए कि देश की सुरक्षा के साथ हर बन्दरगाह जुड़ा है। कब, कहां, किसके साथ हमारा विवाद होगा, झगड़ा होगा और हमारी युद्ध नौकाएं और हमारी व्यापार के साथ जुड़ी नौकाएं कहां रहेंगी, उनका क्या होगा, यह बन्दरगाह के साथ जुड़ा है। मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखकर मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या देश की सुरक्षा को, केवल चूंकि हमको पैसा विदेश से चाहिए, लेकिन हमारे देश का पैसा घूसखोरी में चला जाता है। अभी स्विस एम्बेसडर ने नागपुर में जाकर कहा कि खरबों रुपया स्विस बैंकों में आपके देश का पड़ा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह स्विस एम्बेसडर ने 10 दिन पहले कहा, तो हम लोगों को पैसा चूंकि इस तरह से जाता है तो क्या इस देश की सुरक्षा को भी और विशेषकर बन्दरगाह और हवाई-अड्डे, जहाज से उतरते समय बाहर जाता हूं तो देखता हूं, 'फोटोग्राफी नॉट एलाउड' और आप अभी विदेशियों से कहते हो कि तुम आकर बनाओ, तुम आकर चलाओ, तो देश की सुरक्षा का क्या होगा ? क्या इन क्षेत्रों को आप विदेशी लोगों के हाथों से निकालने का, उनके हाथों में नहीं देने का फैसला लेंगे ? और नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे ?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन मेरे समझ में यह नहीं आता कि माननीय सदस्य पत्तन को सुरक्षा के साथ कैसे जोड़ रहे हैं। आजकल किसी कैमरामैन को अनुमति नहीं दी जा सकती लेकिन उपग्रह के माध्यम से आप पूरा चित्र ले सकते हैं। अतः हमें पुरानी दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अब चीजें आधुनिक होती जा रही हैं। मेरा यही कहना है कि पत्तन इस देश के मुख्य अवसंरचनात्मक स्वरूप हैं।

मुम्बई का उदाहरण लें। बंदरगाह में प्रवेश के लिए जहाज को अनेक घंटे, अनेक दिन, अनेक सप्ताह लग जाते हैं। इसके परिणाम

स्वरूप जहाजों का रुख बदल दिया जाता है। इसकी तुलना में जब हम ऐन्टवर्थ जैसे कुछ अन्य अच्छे पत्तनों पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि वहां जहाजों को कुछ ही घंटों में अनुमति दे दी जाती है।

अतः हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। हमें इसे आधुनिक बनाना है। लेकिन यहां प्रोद्योगिकी उपलब्ध नहीं है और धन का भी अभाव है। अतः हमें इसका निजीकरण करना होगा। हम मामला-दर-मामला इसका अध्ययन करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे उत्तर सुनकर आघात पहुंचा है। मैं एकदम स्तब्ध हूँ।

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

*4. **श्री एन. डेनिस** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी हाँ। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हुई है। अप्रैल-दिसम्बर, 96 की उपलब्धियां दर्शाती हैं कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में अप्रैल - दिसम्बर, 96 के दौरान निर्यात में रुपयों में 17.14 प्रतिशत तथा डालर में 15.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) भारत सरकार द्वारा हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि के लिए किए गए उपायों में विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना, अन्तर्राष्ट्रीय मेले तथा उत्सवों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, भारत में वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला तथा अन्तर्राष्ट्रीय कालीन मेला आयोजित करना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार निर्यातकों को वित्तीय लाभ प्रदान करती हैं, जिसमें निर्यात-आय पर आयकर की छूट, शुल्क वापिसी तथा रियायती शुल्क दरों पर कच्ची ऊन का आयात शामिल है।

श्री एन. डेनिस : महोदय, यह देखा गया है कि हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में काफी वृद्धि हुई है और लक्ष्य को भी पूरा कर लिया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री एन. डेनिस : यद्यपि हमारे निर्यात ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है लेकिन इससे ही हमें अपने आपको पूर्ण संतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत का उत्पादन की दिशा में इतना मजबूत आधार और काफी संख्या में शिल्पकार होने के बावजूद भी अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारे देश का हिस्सा अभी भी कम है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे ऐसी मदों के निर्यात को बढ़ाने और उत्पादन को और ऊपर उठाने के लिए क्या विशेष तथा नई नीतियां अपनायेंगे।

श्री बोला बुल्ली रमैया : अध्यक्ष महोदय, हमने अपना उत्पादन बढ़ा लिया है और हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात का विस्तार किया है। अप्रैल, 1996 से दिसम्बर 1996 तक (रुपयों में) 17.14 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है और (डॉलरों में) 15.49 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। इस संबंध में हमने बरमिंघम, बर्लिन, टोकियो, हानोवर, बुनस आपरस (अर्जेंटिना) और साओ पालो (ब्राजील) में अनेक प्रदर्शनियां तथा मेले भी आयोजित किए हैं। हमने क्रेता-विक्रेता सम्मेलन भी आयोजित किए हैं ताकि वे महत्त्वपूर्ण स्थानों पर विनिमेय कर सकें। इस संबंध में हमने शुल्क दर कम की है, करों में छूट प्रदान की है तथा आयात में 10 प्रतिशत अथवा विशेष दरों पर रियायत प्रदान की है।

हमने कुछ अन्य प्रावधान भी किए हैं। जब उन्होंने मुरादाबाद में विद्युत आपूर्ति के बारे में कहा तो वाणिज्य मंत्रालय ने विशेष विद्युत की लाइन के लिए 8 करोड़ रु० भी दिए हैं ताकि वहां विद्युत संबंधी गतिरोध उत्पन्न न हों।

इस उद्योग में काफी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हम इन कुछ मुद्दों पर उनका समर्थन करते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रेताओं का आपस में अधिक से अधिक मेल हो, हमने अज़रबैजान में हस्तशिल्प पर कुछ विशेष प्रदर्शनियां भी आयोजित की हैं।

श्री एन. डेनिस : 2000 ई० तक विश्व निर्यात में हस्तशिल्प का 10,000 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या सरकार ने हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात के लिए नए बाजार के रूप में नए लक्ष्य स्थानों अथवा देशों के गैर परम्परागत क्षेत्रों का पता लगाया है ? यदि हाँ, तो मैं इन देशों की रुचि के अनुसार तथा इन देशों को आकर्षित करने वाले सरकार द्वारा आरंभ किए गए प्रोत्साहन संबंधी कार्यों तथा कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री बोला बुल्ली रमैया : महोदय, चिक जैसी कुछ गैर परम्परागत मदें न केवल यूरोप में बल्कि अर्जेंटिना ब्यूनस आयरस

में भी और ब्राज़ील में साओ पालो में और दक्षिण अफ्रीका में भी हैं। यह सब और गैर परम्परागत बाज़ार है। हम इन क्षेत्रों को निर्यात के लिए दोगुनी छूट प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि कुछ और प्रदर्शनियाँ आयोजित की जानी चाहिएं। हम एक व्यक्ति की एक व्यक्ति से चर्चा का प्रबंध भी कर रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों में हमारे निर्यात को बढ़ावा मिले और उत्पादकता भी बढ़े।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या यह सत्य है कि उनकी निर्यात नीति के कारण कपड़ा उद्योग और कपास उद्योग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? क्या यह सच है कि सरकारी नीति में लापरवाही तथा कमी होने के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों और देश की सभी मिलों के कर्मचारियों को उनकी मजदूरी और वेतन नहीं मिल रहा है?

अध्यक्ष महोदय : ममता जी यह प्रश्न हस्तशिल्प के संबंध में है इसका राष्ट्रीय कपड़ा निगम के साथ कोई संबंध नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, लेकिन उन्होंने राज सहायता देना बन्द कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास हस्तशिल्प के बारे में पूछने के लिए कोई प्रश्न है क्योंकि यह हस्तशिल्प के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न है न कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के बारे में?

कुमारी ममता बनर्जी : हस्तशिल्प कपड़ा मंत्रालय में है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कपड़ा मंत्रालय से संबंधित भी हो सकता है, लेकिन यहां यह प्रश्न विशेष रूप से हस्तशिल्प का निर्यात करने के संबंध में है।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैं कपड़े के निर्यात के बारे में पूछ रही हूँ।

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, आप प्रश्न क्यों नहीं पढ़ रही हैं?

कुमारी ममता बनर्जी : क्योंकि वे हस्तशिल्प निर्यात करने जा रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : आप पूछ सकती हैं कि पश्चिम बंगाल से हस्तशिल्प की क्या-क्या मदें निर्यात की जा रही हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं केवल पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। यदि मैंने यह पूछा होता तो यह बेहतर होता। मैं यह कह रही हूँ एक ओर मंत्रालय कपड़ों का निर्यात करने जा रहा है। और दूसरी ओर उन्होंने देहाती लोगों के लिए और देहात के लोगों के हाथ से बने कपड़ों के लिए राज सहायता देनी बंद कर दी है। इसीलिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम और अन्य कपड़ा मिलें बंद होने जा रही हैं और उनमें से अनेक मिलें पहले ही बंद हो चुकी हैं। यहां तक कि कर्मचारियों को उनका वेतन तथा मज़दूरी भी नहीं मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे माफ करना ममता जी। अब मैं प्रश्न संख्या 5 ले रहा हूँ। श्री बी.एल. शंकर।

पांचवां वेतन आयोग

*5. **श्री बी.एल. शंकर** :
डा. बलि राम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों में भारी असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने से पहले क्या सरकार का विभिन्न वर्गों के विचार जानने का इरादा है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए सेवा-निवृत्ति की आयु आदि बढ़ाने जैसी इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें को तत्काल कार्यान्वित करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि रिपोर्ट पहले ही बहुत विलम्ब से प्रस्तुत की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पांचवे वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुछ एसोसिएशनों और यूनियनों ने सरकार को प्रतिवेदन दिया है।

(ख) और (ग) कर्मचारियों के विचारों का अभिनिश्चय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे.सी.एम.) की राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से किया जाएगा।

(घ) से (च) इस प्रायोजन के लिए गठित सचिवों की समिति

द्वारा वेतन आयोग की रिपोर्ट की जांच की जा रही है तथा उनके द्वारा दिए जाने वाले सुझावों और राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) के कर्मचारी पक्ष की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे।

श्री बी.एन. शंकर : पांचवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों में कुछ उम्मीदें उत्पन्न कर दी हैं और लोगों में कुछ आशंकाएं उत्पन्न कर दी हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में कोई असहमति टिप्पणी भी दी गई है अथवा यह रिपोर्ट सर्वसम्मति से दी गई है। यदि पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित किया जाता है तो भारत सरकार पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा और क्या पांचवें वेतन आयोग से संबंधित अन्तिम निर्णय लिए जाने से पहले राज्य सरकारों को भी विश्वास में लिया जाएगा।

श्री पी. चिदम्बरम : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए तीन प्रश्नों के बारे में मेरा उत्तर निम्न प्रकार है :

जी हाँ, वेतन आयोग के एक सदस्य ने रिपोर्ट के कुछ पहलुओं पर असहमति प्रकट की है। दूसरा, वेतन आयोग द्वारा एक वर्ष अर्थात बारह महीनों के लिए 1.1.1996 से 31.3.1997 तक दिए जाने वाले बकाया सहित केन्द्र सरकार पर पड़ने वाले व्यय का अनुमान लगभग 11,250 करोड़ रु० लगाया गया है। तीसरा, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही यह बात कह दी है कि वे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लिए जाने से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार-विमर्श करेंगे।

श्री बी.एन. शंकर : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सचिवों की एक समिति गठित की गई है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस समिति को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष समय सीमा निर्धारित की गई है। क्या पाँचवें वेतन आयोग के संबंध में रक्षा मंत्री तथा रक्षा कार्मिकों द्वारा कोई गंभीर आपत्ति उठाई गई है और क्या यह तथ्य है कि यह रिपोर्ट सेवा के अन्य कार्मिकों के एवज में आई.ए.एस. के पक्ष में है। क्या सरकार सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ा दिए जाने संबंधी सिफारिश को स्वीकार करने जा रही है अथवा क्या यह सचिवों की समिति की सिफारिशों पर निर्भर करेगा, मुझे इस संबंध में मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहिए। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि सचिवों की समिति में स्वयं सचिव भविष्य में अपने सेवानिवृत्त होने के बारे में निर्णय लेंगे। मैं सेवानिवृत्ति की आयु से संबंध में सरकार के विचार तथा वचनबद्धता के बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, सचिवों की समिति कोई निर्णय नहीं लेगी। सचिवों की समिति सरकार की सामान्य प्रणाली है जो इन सिफारिशों पर कार्यवाही करती है और सरकार के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करती है। निर्णय सरकार ही लेगी।

मैं वेतन आयोग की किसी भी सिफारिश पर वचन देने की स्थिति में नहीं हूँ और न ही इस समय किसी भी सिफारिश पर कोई भी टिप्पणी देने की स्थिति में हूँ। संस्थापित प्रणाली को कार्य करने के लिए तैयार कर दिया गया है। सचिवों की समिति की अपनी प्रथम बैठक 17 फरवरी, 1997 की हुई है। जे.सी.एम. की स्थायी परिषद को 3 मार्च, 1997 को मिलने के लिए बुलाया गया है। सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

डॉ० बलि राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूँगा, क्या यह सच है कि संचार मंत्रालय के अधीन आने वाले फोन-मैकेनिक व टी.टी.ए. के पद आधुनिक टैक्नोलोजी को देखते हुए अभी हाल के वर्षों में सृजित किए गए थे; यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि पांचवें वेतन आयोग ने इन के कार्य को देखते हुए वेतनमान में कोई संशोधन नहीं किया और टैक्नीकल व नॉन-टैक्नीकल कैडर को एक समान वेतन देने की सिफारिश कर दी, जबकि दोनों के कार्यों में बहुत अन्तर है? क्या सरकार फोन मैकेनिक व टी.टी.ए. जैसे टैक्नीकल पदों को नॉन टैक्नीकल पदों से अलग वेतनमान देने पर विचार करेगी?

दूसरा प्रश्न, चौथे वेतन आयोग ने गृह मंत्रालय के अधीनस्थ विभिन्न बलों जैसे सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा-बल, सचिवालय सुरक्षा बल, आई.टी.बी.पी. व केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के वेतन व भत्तों में भिन्नता की थी और पांचवें वेतन आयोग ने भी उस अन्तर को बरकरार रखा; यदि हाँ, तो कारण क्या है? क्या सरकार गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभिन्न बलों के जवानों के वेतन वे भत्तों में समानता लाने पर विचार करेगी; यदि हाँ, तो कब तक?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, वेतन आयोग की रिपोर्ट तीन संस्करणों में हजारो पृष्ठों में है। मुझे विश्वास है कि वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के विचारों को ध्यान में रखा है। मैं इस समय वेतन आयोग की किसी भी सिफारिश पर अपने विचार रखने की स्थिति में नहीं हूँ।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बड़ी सरलता से कह दिया कि वे कमैंट करने की पोजीशन में नही हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से इनका ध्यान ज़रूर आकर्षित करूंगा, जब आप इस पोजीशन में हो जायें कि कमैंट कर सकें तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि डिफेंस फोर्सेज में पिछले 8-10 सालों से लोगों ने आना बन्द कर दिया है,

[अनुवाद]

विशेषकर कमीशन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में एक दिन ऐसा था जब इन अधिकारियों के चयन के दिन लाइन लगा करती थी। मैंने इस सभा में उल्लेख किया था कि जब सन् 1960 में श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं तो लोग समाचार-पत्रों में विज्ञापन देते थे, "अमुक के लिए मेल चाहिए सेना के अधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी" और अब एक दिन ऐसा आएगा जब वे कहेंगे कि सेना अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस बात का उल्लेख 1982 में किया था। आकर्षण इस बात में था कि उनका स्तर तथा अन्य सब बातें भी देखी जाती थी।

धीरे-धीरे पतन होता गया। सेवा में रोष है कि उनके मामले को सही तरीके से नहीं उठाया गया है। उनमें रोष है। मैं एक साधारण सा तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। एयर फोर्स के पायलटों के लिए पांचवें वेतन आयोग में उड़ान के लिए दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि को तीन गुना बढ़ा दिया गया है। इसी सरकार में, सीमा सुरक्षा दल का पायलट जो इसी सरकार के लिए इसी तरह से उड़ान भरता है, वह उनसे कहीं अधिक परिलब्धियां प्राप्त करता है, मेरे विचार में लगभग 30,000 रु० अथवा 600 रु० प्रति घंटा। लेकिन एयर फोर्स के पायलटों के उड़ान के लिए 3500 रु० की राशि दी जाती है। आप इण्डियन एयर लाइन्स के पायलटों के मामलों को ही लीजिए। जिन पायलटों ने एयरफोर्स की सेवा छोड़कर एयर इंडिया की सेवा ग्रहण कर ली है वे 1,20,000 रु० प्रति माह वेतन प्राप्त करते हैं। इन असमानताओं से एयर फोर्स और रक्षा सेवाओं का मनोबल नीचे गिरेगा।

ऐसा ही अर्ध सैन्य बल के मामले भी हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी। दो सैनिक है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, पायलट जी, हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेश पायलट : एक ही बैरक में दो सैनिक रह रहे हैं, एक सेना का है और दूसरा सीमा सुरक्षा बल का है। सीमा सुरक्षा बल का सैनिक बिजली के बिल और बल्ब के मूल्य का भुगतान करता है जबकि सेना का सैनिक इसका भुगतान नहीं करता है। ऐसी अनियमितताओं को दूर किया जाना चाहिए। मेरे विचार से जब कभी माननीय मंत्री कोई निर्णय लेने की स्थिति में हों, तब वह इसे ध्यान में रखें और इस बात का ध्यान रखें कि सुरक्षा बलों की देखरेख भलीभांति हो।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही अच्छा परामर्श है।

श्री संतोष मोहन देव : लोग सुरक्षा सेवाओं से इस्तीफा दे रहे हैं और राजनीति में आ रहे हैं, यहां तक कि इस सभा में भी आ रहे हैं। क्या आप इन सारी बातों पर ध्यान देंगे। यही सब कुछ हो रहा है।

श्री रूप चन्द पाल : वर्तमान सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने या अधिक रोजगार के सृजन के प्रति वचनबद्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाँचवें वेतन आयोग द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों का परिणाम अंततः देश में रोजगार के अवसरों को कम करना ही होगा, विभिन्न वर्गों के लोगों के मस्तिष्क में यह आंशका है, विशेषकर प्रशासन में कार्य कर हरे वर्ग 'घ' के कर्मचारियों में, कि इससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें संतुलन नहीं होगा पूरे प्रशासनिक ढाँचे में अव्यवस्था और भेदभाव की भावना उत्पन्न होगी और अन्ततः यह देश के प्रशासन में कार्य बल में कटौती की ओर ले जाएगी जो इस सरकार को वचनबद्धता के विरुद्ध होगी।

क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जान सकता हूँ कि क्या यह सरकार निम्न वर्ग, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और सबसे गरीब वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की अपनी वचनबद्धता को दोहरायेगी। यदि हाँ तो वह किस प्रकार अपनी रोजगार की सुरक्षा और रोज़गार सृजन सम्बन्धी वचनबद्धता को पूरा करें।

श्री पी. चिदम्बरम : यह सरकार अभी भी उत्पादक रोजगार को बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। वेतन आयोग की सिफारिशों को सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करना होगा। हम किसी भी तरह से समाज के गरीब तबकों, जिनके मध्य एक निश्चित संख्या के लोगों की सरकारी सेवा में नियुक्त होने की वैध उत्कट अभिलाषा है, के हितों को हानि नहीं पहुंचने देंगे। कोई निर्णय लेते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा, और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य और उनकी पार्टी को पहले सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने से पहले अपने विचार रखने का मौका मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि वेतन आयोग का जब गठन होता है तो उसकी रिपोर्ट आने में वर्षों क्यों लग जाते हैं। जो समितियां बनती हैं, उनका कार्य कब पूरा होगा, क्या आपने उनकी कोई कार्य सीमा निर्धारित की है? आप पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक लागू करेंगे? क्या इसकी कोई कार्य सीमा है और कार्यबद्ध कार्यक्रम है? महंगाई दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। वेतनभोगियों की रोटी का टुकड़ा-टुकड़ा होता जा रहा है। सरकार कितने दिनों तक उस पर विचार करके अंतिम निर्णय लेना चाहेगी ताकि कर्मचारियों में जो असंतोष हो रहा है, वह समाप्त किया जा सके।

कुमारी ममता बनर्जी : इस पर फुल फ्लैज्ड डिस्कशन होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : हम इस पर इस समय चर्चा कैसे कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : बजट आ रहा है, हम इसकी चर्चा बजट पर चर्चा करते समय करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : तीसरे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने में दो वर्ष और ग्यारह महीनों का समय लिया। चौथे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने में दो वर्ष और ग्यारह महीनों का समय लगाया। पाँचवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने में दो वर्ष और दस महीनों का समय लगाया। मेरे विचार से यह कहना सही नहीं है कि पांचवें वेतन आयोग ने असाधारण रूप से लम्बा समय लिया।

दूसरी बात, तीसरे वेतन आयोग पर सरकार ने लगभग ग्यारह महीनों में निर्णय लिया था। चौथे वेतन आयोग के सम्बन्ध में, यह मेरा सौभाग्य था कि मैं उस समय कार्मिक विभाग का मंत्री था - हमने आठ महीनों और तेरह दिनों में निर्णय लिया था। हम इस समय और ज्यादा तेजी से निर्णय लेने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह तो बताया ही नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा ?....*(व्यवधान)*

श्री पी. नामग्याल : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तीसरे और चौथे वेतन आयोगों ने सदैव.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो लोग वेतन आयोग के बारे में जानते हैं, उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर मिलने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी. नामग्याल : श्रीमान, कठिन इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात सरकारी कर्मचारी, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र लद्दाख और कुछ अन्य ऐसे क्षेत्रों में तैनात सरकारी कर्मचारियों की तीसरे और चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों द्वारा सदैव उपेक्षा की जाती रही है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों में उनके वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में फिर से इस बात को दोहराया गया है। इन क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को देश में नगरों में और उनके आसपास तैनात कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन मिलता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या कठिन क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को और अधिक भत्ते और वेतन देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा या नहीं।

आगे, आपके उत्तर के भाग (ख) में, यह बताया गया है कि ज्वाइन्ट कन्सल्टेटिव मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से कर्मचारियों के विचारों को निश्चित रूप से जाना जाएगा। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या इस विषय को इस समिति को सौंपा जाएगा और साथ ही साथ उनकी तकलीफों के निवारण के लिए सचिवों की समिति को सौंपा जाएगा या नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया मुझे इस वाक्य में प्रक्रिया को समझाने दें। यह एक सुस्थापित प्रक्रिया है। ज्वाइन्ट कन्सल्टेटिव मशीनरी की एक स्थायी परिषद है। वेतन आयोग की पूरी रिपोर्ट जे.सी.एम. को दे दी गई है। जे.सी.एम. में, कर्मचारी सरकार के सचिवों से चर्चा करते हैं और तत्पश्चात सचिवों की समिति सरकार को अपनी सिफारिशें देगीं। मुझे इस बारे में कोई शंका नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों का प्रत्येक वर्ग जे.सी.एम. की मशीनरी को माध्यम से वेतन आयोग की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां देने का अवसर प्राप्त करेगा।

श्रीमान, इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वेतन आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय होने तक सरकार ने सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतरिम राहत की तीन किस्तें जारी की हैं और सभी पेंशनभोगियों के लिए भी अंतरिम राहत की तीन किस्तें जारी की हैं और महंगाई भत्ते को मंहगाई वेतन माने जाने के लिए भी आदेश पारित कर चुकी है। अब तक का कुल पैकेज रु0 3,656 करोड़ का है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के लिये वेतन की बात की जा रही है लेकिन हम लोगों के वेतन का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपने असली सवाल उठाया है।

सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु उठाए गए कदम

*6. **श्री विश्वेश्वर भगत**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सहकारी बैंकों के पूंजी आधार को वाणिज्यिक तथा ग्रामीण बैंकों की तरह ही सुदृढ़ करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त योजना को कब तक तैयार किये जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री.पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भिन्न, जहां केन्द्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से शेयर पूंजी में अंशदान करती है, राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों की शेयरपूंजी में अंशदान उनके सदस्यों और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), जिला और राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए कुछ सीमा तक राज्य सरकार की सहायता करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा मंजूर और संवितरित किए गए ऋण निम्नानुसार थे:

(रुपए करोड़ में)

	मंजूर ऋण	संवितरित ऋण
1993-94	39.81	30.51
1994-95	73.03	74.91 *
1995-96	100.14	107.78 *

* इसमें पिछले वर्ष के लिए मंजूर ऋण शामिल हैं।

वर्ष 1996-97 के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कुल 17 करोड़ रुपए की राशि के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा नाबार्ड द्वारा उनकी संवीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत : अध्यक्ष महोदय, देश के 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सहकारी बैंकों की स्थापना की गयी थी लेकिन आज सहकारी बैंक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सहकारी बैंकों की राज्यवार स्थिति क्या है और सहकारी बैंकों का जो अंशदान है, सैंट्रल गवर्नमैंट उसको मजबूत करने के लिये क्या क्या कर सकती है? हम देख सकते हैं कि पिछले तीन वर्षों 1993-94, 1994-95 और 1995-96 में नाबार्ड द्वारा जो डिमांड किया जाता रहा है, आवश्यकता के अनुरूप बहुत कम राशि उपलब्ध की गई है। इसीलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि सहकारी बैंक, जिनके ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास का दायित्व है, को और मजबूत करने के लिये सरकार की ओर से क्या उपाय किये जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : श्रीमान, सहकारी बैंक राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन बैंकों का स्वामित्व सहकारी बैंकों जिला सहकारी बैंकों के सदस्यों और कुछ हद तक राज्य सरकारों के बीच बंटा होता है। केन्द्र सरकार के पास सहकारी बैंकों के कोई शेयर नहीं होते हैं। परन्तु केन्द्र सरकार सहकारी बैंकों की दो तरह से सहायता करती है। एक इस प्रश्न का विषय है अर्थात सहकारी बैंकों के पूंजीगत आधार को सुदृढ़ बनाना।

'नाबार्ड' जिला और राज्य स्तर के सहकारी बैंकों के पूंजीगत आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है। 1993-94 में नाबार्ड ने विभिन्न राज्य सरकारों को 39.81 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी और वस्तुतः 30.51 करोड़ रुपये का वितरण हुआ था।

1994-95 में, 73.03 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और 74.91 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। 1995-96 में 100.14 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और 107.78 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। 1996-97 के लिए कुल मिलाकर 174 करोड़ रुपये मूल्ये के विभिन्न राज्य सरकारों से आवेदन प्राप्त किए गए थे और इनकी 'नाबार्ड' द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत : क्या सभी राज्य सरकारों के जो सहकारी बैंक हैं, इनकों एकरूपता देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना करने की कोई योजना है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

डॉ॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं क्या मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या उन्हें किसी सहकारी संगठन या भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समान भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक के गठन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है। यदि हाँ तो सरकार की उस पर प्रतिक्रिया क्या है।

श्री पी. चिदम्बरम : एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। मेरे विचार से यह अनुरोध कुछ समय पहले प्राप्त हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर कुछ विचार व्यक्त किये हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मेरा इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं है परन्तु एक अनुरोध है।

श्री ए.सी. जोस : सहकारी बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं। मुख्य बात यह है, सरकार

द्वारा सहकारी बैंकों के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान व्यवहार किया जा रहा है और उन पर एक कर आरोपित किया जा रहा है। माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न है कि सहकारी बैंकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार कर प्रस्ताव को हटाने पर विचार करेगी, जो सहकारी बैंकों पर आरोपित किया जा रहा है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इस प्रश्न का उत्तर इसी समय देने की स्थिति में नहीं हूं। मेरी याद्दाश्त के अनुसार सहकारी बैंकों को कर से छूट प्राप्त है परन्तु यदि आप एक विशिष्ट प्रश्न पूछें, मैं विशिष्ट उत्तर दे सकूंगा।

श्री ए.सी. जोस : कोई कर छूट प्राप्त नहीं हैं। उन पर कर आरोपित किया जा रहा है। वे कर छूट के लिए आवेदन दे चुके हैं परन्तु सहकारी बैंकों के लिए कोई कर छूट सरकार ने मंजूर नहीं की है।

श्री पी. चिदम्बरम : श्रीमान, यह बात मुख्य प्रश्न से नहीं उठती है।

श्री ए.सी. जोस : मेरा प्रश्न है, क्या सरकार सहकारी बैकों को कर से छूट देने पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव के रूप में है। इसलिए आप इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस मामले पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सहकारी बैंक खोलने का एक उद्देश्य यह था कि हम सूदखोरों से किसानों और मजदूरों को बचा लें और इसी उद्देश्य से सहकारी बैंक हर जिले में, हर राज्य में खोले गए थे। आज सहकारी बैंकों से हमें जो फायदा मिलना चाहिए वह इसलिए नहीं मिल रहा है/ कि उनकी पूंजी कम हो जाने के कारण वह सही समय पर ऋण नहीं दे पाते हैं। मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि सहकारी बैंक जो किसानों की रीढ़ है, क्या उनकी पूंजी बढ़ाने के लिए आप कुछ सोच रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : वास्तव में मैंने इसका उत्तर दिया है। हम सहकारी बैकों के पूंजीगत आधार को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में प्रति वर्ष नाबार्ड द्वारा दी जा रही सहायता बढ़ती जा रही है और इस वर्ष, जैसा कि मैंने कहा है कि हमें कुल मिलाकर 174 करोड़ रु० की सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं और इस पर उदारतापूर्वक विचार किया जाएगा।

श्री सनत मेहता : सहकारी बैंकों पर कर लगाए जाने से संबंधित प्रश्न के बारे में माननीय मंत्रीजी ने उत्तर दिया कि यदि कोई विशिष्ट मामला होगा, तो वे उस पर गौर करेंगे। गुजरात कोओपरेटिव बैंक द्वारा कई वर्षों से एक मामला रखा गया है लेकिन उस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। स्थानीय आय कर प्राधिकरणों द्वारा जिला सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों पर कर की अदायगी के लिए जोर दिया जा रहा है। यह पूर्व वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मैंने यह मामला वर्तमान वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया था। मुझे इस संबंध में स्पष्ट उत्तर चाहिए। क्या इस प्रश्न का उत्तर निश्चित समय में दे दिया जाएगा अथवा नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम : जैसा कि मैंने कहा है, यह कराधान संबंधी प्रश्न है। जब तक कि पूरी सूचना मुझे प्राप्त नहीं हो जाती, मैं उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन मैं निश्चय ही इस विशिष्ट मामले पर विचार करूंगा जिसका उल्लेख माननीय सदस्य श्री सनत मेहता ने किया है और मैं उन्हें एक सप्ताह के भीतर इस प्रस्ताव की स्थिति के बारे में उत्तर दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : वर्ष 1990 में, कुछ लोगों द्वारा लिए गए ऋण को माफ कर देने की बात थी। कुछ सहकारी बैंकों द्वारा उस राशि की अदायगी न होने के कारण उनकी इक्विटी समाप्त कर दी गई थी। मुझे ऐसे ही एक जिला स्तर के सहकारी बैंक का उदाहरण मालूम है वह है बांकुरा केन्द्रीय सहकारी बैंक। उस बैंक ने माफ किए गए ऋणों के लिए प्रतिस्थापित राशि प्राप्त नहीं की। अतः विशेष रूप से उस सहकारी बैंक में इक्विटी बेस को समाप्त कर दिया गया। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वह राशि प्रदान कर अपनी वचनबद्धता को निभाएगी।

अध्यक्ष महोदय : एक बार फिर यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका स्पष्ट उत्तर चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : यदि माननीय सदस्य वर्ष 1990 में आरम्भ की गई ऋण माफी की योजना का उल्लेख कर रहे हैं तो वह योजना समाप्त हो चुकी है और मेरे पास धनराशि को मंजूरी देनें संबंधी कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं नई ऋण माफी की योजना आरम्भ करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैंन उन केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बात कर रहा हूं जिनको माफ किए गए ऋणों की प्रतिस्थापित राशि प्राप्त नहीं हुई है।

श्री पी. चिदम्बरम् : यदि उस अवधि के दौरान उस योजना को लागू करने में कोई कमी बरती गई है, और यदि उस कमी को मेरे ध्यान में लाया जाता है तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा कि

वास्तव में कोई गलती हुई है। लेकिन उस योजना को पुनः लागू करने अथवा और धनराशि की स्वीकृति दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि 1995-96 में नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को जो 107 करोड़ रुपये का डिसबर्समेंट किया गया है, उसका राज्यवार विवरण क्या है ?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मेरे पास 107 करोड़ रु० के आबंटन का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं उसे एक दो दिन में माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा।

आर्थिक विकास

*7. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 फरवरी, 1997 के "दि हिन्दु" में "इकोमी टू स्लप डिस्सपाईट टर्न एराउंड बाइ फार्म सेक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कृषि क्षेत्र में प्रगति के बावजूद वित्तीय वर्ष के दौरान देश के आर्थिक विकास में कमी आने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1995-96 में हुई 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की तुलना में कृषि, वानिकी तथा मत्स्यन क्षेत्र में हुई 3.7 प्रतिशत की अच्छी खासी वृद्धि के बावजूद अनुमानित समग्र सकल घरेलू उत्पाद के 7.1 प्रतिशत से घटकर 6.8 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है; और

(घ) इसके मुख्य कारण क्या हैं और सरकार द्वारा आर्थिक विकास में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार, उत्पादन लागत पर वास्तविक अर्थों में (1980-81 की कीमतों पर) सकल घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि 1995-96 (त्वरित अनुमान) में 7.1 प्रतिशत की तुलना में 1996-97 के लिए 6.8 प्रतिशत ठहरती है। 1995-96 और 1996-97 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का तुलनात्मक क्षेत्रीय वृद्धि परिदृश्य नीचे दिया गया है :

वृद्धि दर प्रतिशत में

क्षेत्र	95-96(त्व)	96-97(अ.)
1. कृषि, वानिकी तथा मात्स्यिकी	0.1	3.7
2. खनन तथा उत्खनन	7.0	1.7
3. विनिर्माण	13.6	10.6
4. बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति	9.1	4.2
5. निर्माण 5.3	4.6	
6. व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार	13.3	9.4
7. वित्तीय, सथावर सम्पदा और व्यापार सेवाएं	4.0	6.3
8. सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं	6.2	4.9
जोड़ उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	7.1	6.8

त्व. - त्वरित अनुमान अ. - अग्रिम अनुमान

(घ) तीव्रतर वृद्धि का संवर्द्धन करने के लिए जून, 1996 से आर्थिक सुधारों की गति को फिर से बढ़ाया गया है। उद्योगों में लाइसेंस समाप्त करने, आधारभूत क्षेत्रों, विदेशी निवेश, व्यापार नीति, पूंजी बाजार तथा वित्तीय क्षेत्र में बहुत से सुधार उपाय अपनाए गए हैं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, ऐसे भूतपूर्व सहयोगी से प्रश्न पूछना बहुत ही कठिन काम है जिसके साथ मैंने एक ही मंत्रालय में कार्य किया हो। उनके उत्तर से ऐसा लगता है कि वे अपनी पिछली निष्ठाएं भूल गए हैं। सबसे पहले मैं उनके द्वारा दिए गए उत्तर के भाग (घ) का उल्लेख करना चाहूँगा। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि मुझे श्री चिदम्बरम से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। यह इस प्रकार है :

> "जून 1996 से आर्थिक सुधारों में तेजी आई है। औद्योगिक क्षेत्र में लाइसेंस मुक्त करना, अवसंरचनात्मक क्षेत्र, विदेशी निवेश, व्यापार नीति, पूंजी बाजार और वित्तीय बाजार के क्षेत्र में विभिन्न सुधारात्मक उपाय किए गए हैं।"

अर्थात्, पिछली सरकार, जिसमें वे भी थे, ने कुछ नहीं किया जबकि उत्तर में बताई गई सभी बातें पिछली सरकार के समय की गई थी और एक भी बात उनके समय नहीं की गई थी। यह बहुत ही स्पष्ट है। अब वे एक नए चक्र में हैं। उनके लिए 13 सहभागियों

के साथ मुक्तरूप से काम करना कठिन है। हमें ऐसा पेपरों से लगता है।

देश की आर्थिक स्थिति प्रत्येक के लिए चिंता की बात है, केवल उन्हीं के लिए नहीं। इस विषय पर हमें राजनीति से अलग होकर सोचना चाहिए। यह सच है कि उनकी दांई ओर बैठे हुए सज्जन ने अभी कहा है कि उनका एक सहयोगी, नागर विमानन मंत्री, वह नहीं कर रहा है जो उसे कहा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि क्यों लोग आगे नहीं आ रहे हैं। हम सभी देश का आर्थिक विकास चाहते हैं।

उत्तर में उल्लिखित वर्ष 1980-81 के मूल्यों पर आधारित आर्थिक विकास के चार्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि, वन और मत्स्य के क्षेत्र के अलावा गुणक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत विकास दर स्पष्ट रूप से सभी क्षेत्रों में नीचे आई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि आपने काफी स्पष्ट कर दिया है। अब आप प्रश्न पूछिए।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैंने मंत्री जी को निजी रूप से यह कहते हुए सुना है कि गत तीन वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर सात प्रतिशत रही है। इस बात की पुष्टि वह किस प्रकार करेंगे ? क्या वह संक्षेप में बताना चाहेंगे ? वहां छोटे-छोटे उत्तर देने में सिद्धहस्त हैं। यह मैं जानता हूँ। मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें।

श्री पी. चिदम्बरम : मेरे मित्र यह क्यों कहते हैं कि मैं निजी रूप से कुछ तथा सार्वजनिक रूप से कुछ और कहता हूँ।

भारत के राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि गत तीन वर्षों की औसत विकास दर 7 प्रतिशत है। यह सरकार का कहना है। गत वर्ष इसी समय सी.एस.ओ. ने 1995-96 में 6.2 प्रतिशत विकास का अनुमान लगाया था। इस साल के अंत तक यह दर 7.1 प्रतिशत रही और मैं सरकार को 7.1 प्रतिशत विकास प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूँ। आज सी.एस.ओ. वर्ष 1996-97 के लिए पूर्वानुमान की घोषणा करता है। कि विकास दर 6.8 प्रतिशत हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास दर 6.8 प्रतिशत या सम्भवतः 6.8 प्रतिशत से अधिक होगी। इसीलिए, हम यह कहने का साहस कर सकते हैं कि सम्भवतः भारत - इसकी नीतियों के कारण चाहे उनमें कमियों रहीं हों - ऐसे स्थान पर पहुंच गया है जहा सात प्रतिशत विकास संभव है और यदि हम समय के अनुसार नई नीतियों को अपनाते हुए प्रभावी नीतियों को भी अपनाते रहें तो हर साल सात प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना संभव हो सकेगा। परन्तु मैं सात प्रतिशत से संतुष्ट नहीं हूँ। इस देश के लिए सात प्रतिशत विकास पर्याप्त नहीं है। हमें आठ प्रतिशत विकास दर की तरफ बढ़ना चाहिए। आज हमें आठ प्रतिशत विकास दर पाने में जो अड़चन आ रही है, जैसा कि मैंने कई बार कहा है, वह आधारभूत संरचना है। मैंने कहा है कि आधारभूत संरचना से भारत में विकास जिसके बारे मेरे विद्वान मित्र ने कुछ मिनट पहले कहा था - एक दो प्रतिशत तक रुक सकता है। जबसे हम सत्ता में आए हैं हमने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को तेज किया है और कई क्षेत्रों के बारे में निर्णय लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे स्पष्ट करूँ तो मैं यह भी कर सकता हूँ, परन्तु वह एक भाषण बन जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण का इन्तजार कीजिए। बजट भाषण का इंतजार कीजिए। मैं नहीं समझता कि आर्थिक विकास एक एकतरफा मुद्दा है। वास्तव में मेरी अपील यह है कि हमें आर्थिक-विकास को एक ऐसा मुद्दा बनाना चाहिए जिस पर हम नीतियों के आधार पर एकमत हो सकें जिससे कम से कम सात प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त हो सके तथा अगले तीन वर्षों में आठ प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित कर सकें। इस सदी के अंत तक हमें नौ प्रतिशत विकास दर प्राप्त करनी चाहिए। जैसा कि चीन और कोरिया ने किया है और इन्डोनेशिया कर रहा है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत आठ प्रतिशत या उससे अधिक विकास का लक्ष्य प्राप्त न कर सके।

श्री संतोष मोहन देव : उनके शब्दज्ञान का कोई जवाब नहीं है। वे अपनी सरकार के लिए कार्य करने में सक्षम हैं। अगर श्री चिदम्बरम सात प्रतिशत से संतुष्ट हों तो.....

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने कहा है कि मैं सात प्रतिशत से संतुष्ठ नहीं हूँ।

श्री संतोष मोहन देव : आगामी बजट को देखते हुए और जैसा हम आपकी संचालन समिति में सुनने आ रहे हैं, आज आप एक चीज की मांग कर रहे हैं और 'वे' इसका विरोध कर रहे हैं। आप जानते हैं कि किनको में 'वे' कह रहा हूँ। मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि यह राजनीति से परे है। इसलिए यदि आप अपनी संचालन समिति की मांग को मानते हैं तो आने वाले बजट को ध्यान में रखते हुए तथा यह सात प्रतिशत विकास या 6.8 प्रतिशत औसत विकास बनाए रखना संभव होगा ? *...(व्यवधान)*

राशन के दाम कम हो गए हैं। अब माहौल गर्म है। आपने इसे पूरी तरह से बढ़ाने और फिर इसमें कटौती करने की कोशिश की थी। एक हार्वर्ड स्नातक के रूप में अपने यह करने की कोशिश की थी परन्तु संचालन समिति इस पर सहमत नहीं हुई। जहां तक ईंधन के मूल्य का संबंध है इसका भार हमारे ऊपर ही है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी : कम दाम की बात सुनकर आपको खुशी होगी ?

श्री संतोष मोहन देव : आप महिला विधेयक पर बोलिए, इस पर नहीं। ...*(व्यवधान)*

इसलिए इसे देखते हुए मैं क्या एक प्रश्न पूछ सकता हूं। उदाहरण के लिए खनन और विनिर्माण। विनिर्माण का प्रतिशत 13.6 से घटकर 10.6 हो गया है। विद्युत, गैस और जल आपूर्ति का प्रतिशत 9.1 से घटकर 4.2 हो गया है। मैं यह केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। उन्होंने बार-बार बिजली और विद्युत के महत्व दिया है। उन्होंने विभिन्न नीतियों की भी घोषणा की है। मैं नहीं चाहता कि आप अपना बजट बताएं। इसे देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि किस तरह से 'क' के अनुसार उपेक्षित क्षेत्रों में सुधार हो सके। आपको यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आप इस देश के लोगों पर बोझ न डालें।

श्री पी. चिदम्बरम : ये आंकड़े पत्थरों पर खुदे हुए नहीं हैं। ये सी.एस.ओ. द्वारा किए गए अनुमान हैं। कृपया कालम 1 की तुलना कालम 2 से कीजिए। कालम 1 सी.एस.ओ. द्वारा एक वर्ष बाद किये गऐ शीघ्र अनुमान से संबंधित हैं। कालम 2 सी.एस. ओ. द्वारा चालू वर्ष के दौरान किए गए अग्रिम पूर्वानुमान से संबंधित हैं। इस दृष्टि से इसमें वास्तव में तुलना नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने कहा कि यह ऐसा इसलिए है कि गत वर्ष इस समय सी.एस.ओ. ने 6.2 प्रतिशत कहा था परन्तु इस वर्ष के अंत तक 7.1 प्रतिशत रहा। परन्तु मैं समझता हूं कि हमें धैर्य रखना चाहिए। मैं सरकार की तरफ से उत्तर दे रहा हूं। महोदय संचालन समितियों और कार्यकारी समितियों के अपने-अपने आंतरिक सिद्धान्त हैं। मैं सरकार की तरफ से जबाब दे रहा हूं।

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को देखते हुए पूरे देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था की हालत के बारे में बताती है। जिसके बारे में मेरा अपना अनुमान है कि यह अव्यवस्थित है। संयुक्त मोर्चा सरकार के गरीबों, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष ताकतों के पूर्ण समर्थन के लिए किये गये राजनीतिक और सामाजिक अनुमानों को देखते हुए तथा मंत्री महोदय, जिन्होंने अभी-अभी यह स्वीकार किया है कि देश के लिए आधारभूत संरचना की कमी मूल समस्या है, के संदर्भ में हमें यह देखना है कि सभी विदेशी निवेशक जिन्होंने भारत में आर्थिक नीति के अंतर्गत प्रवेश किया था उनका पहला प्रयास भारत के प्रमुख क्षेत्रों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, विशेषकर आधारभूत संरचना क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए उपभोक्ता बाजार में आना था। यदि वे इस क्षेत्र में आते तो भारत को काफी लाभ होता। परन्तु अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है।

इन सभी बातों को पृष्ठभूमि में रखते हुए, क्या वित्त मंत्री का यह विचार है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के लिए समय आ गया है कि वे अपनी राजनैतिक और सामाजिक नीति के संदर्भ में संपूर्ण आर्थिक नीति की समीक्षा करके इसको नया रूप प्रदान करें तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दें न कि केवल उदारीकरण के नाम पर विदेशी निवेशकों को आने दें और देश के स्वआर्थिक नियोजन की कीमत पर हमारे घरेलू बाजार को लूटने दें?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यह माननीय कांग्रेस (आई) सदस्य द्वारा दिया गया अजीब ही वक्तव्य है। परन्तु कुछ और ही हैं। वित्त मंत्री और कांग्रेस (आई) के उद्योग मंत्री ने ये आंकड़े उस समय दिए थे जब उनकी सरकार थी। मुझे याद है कि कार्यकाल के अंत में यह कहा गया था कि सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों का लगभग 82 प्रतिशत निवेश प्राथमिकता वाले, महत्वपूर्ण और अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में किया गया है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि अधिकांश निवेश उपभोक्ता क्षेत्र में हो रहा है। इस सरकार ने जो किया है वह यह है। इस सरकार द्वारा अनुमोदित नई एफ. डी.आई.का केवल 6 प्रतिशत ही उपभोक्ता क्षेत्र को गया है। मैं क्षेत्रवार बता सकता हूं कि किस प्रकार निवेश हुआ है। दूर-संचार 23.7 प्रतिशत, ईंधन 18.5, धातु उद्योग 6.7, रसायन (उर्वरक के अलावा) 6.6 प्रतिशत। मैं आगे भी बता सकता हूं। इसलिए हमने जो कुछ किया है उसका गलत अर्थ नहीं प्रकट करना चाहिए। हमें गलत तथ्य नहीं देने चाहिएं। यह संभव है कि यदि आप देखते हैं कि कोई उपभोक्ता उद्योग किसी शहर या गाँव में लग रहा है तो आप समझते हैं कि सभी उद्योग उसी प्रकार हैं। पर ऐसा नहीं है। एफ.डी.आई. का अधिकांश निवेश पहले पांच वर्षों और अंतिम आठ महीनों में महत्वपूर्ण, वरीयता और अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में हुआ है।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री पी.सी. थामस : महोदय, परिकल्पित की गई वृद्धि पाने के लिए हमें कृषि पर अधिक जोर देना होगा। इस समय जब बजट आने वाला है, ग्रामीण लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं। हमें देखना है कि किस प्रकार यह सरकार इस कृषि क्षेत्र के मामले को किस तरह से निपटाती है जो कि एक प्रमुख मुद्दा है। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आयात नीति के कारण, साधारणतयः कृषि क्षेत्र को भारी कठिनाई और किसानों को बड़े दुःख का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार यह देखेगी कि आयात नीति इस प्रकार बनाई जाए कि, इस समय जब आप बजट पेश करने वाले हैं कृषि क्षेत्र किसी भी तरह से प्रभावित न हो।

श्री पी. चिदम्बरम : काफी वर्षों से भारत सरकार की यह नीति रही है कि आयात से कृषि क्षेत्र किसी भी तरह से प्रभावित न होने दिया जाए। उस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बजट को आने दो, हम इन चिंताओं में से कुछ को दूर करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं के लिए "नाबार्ड" से ऋण

*1. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी:***
श्री अनन्त कुमार हेगड़े:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान अब तक राज्यवार कितनी ऋण राशि मंजूर की है; और

(ख) मंजूर किए गये ऋण की शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) - I और II से सिंचाई परियोजनाओं के लिए वर्ष 1995-96 और 1996-97 (31.12.1996 तक) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा मंजूर किए गए ऋण की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड बैंकों को लघु सिंचाई कार्यों के लिए उनके द्वारा दिए गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है। वर्ष 1995-96 और 1996-97 (31.1.1997 तक) के दौरान नाबार्ड द्वारा दी गई ऐसी पुनर्वित्त सुविधा का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ, आई.आर.डी.एफ. I और II के अंतर्गत राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ऋणों को नियंत्रित करने वाली शर्तें, निम्नानुसार हैं :

(i) आई.आर.डी.एफ.-I के अंतर्गत ऋण की प्रमात्रा परियोजना के अद्यतन संशोधित लागत के 50 प्रतिशत या परियोजना की शेष लागत, जो भी कम हो, के बराबर हो। आई.आर.डी.एफ.-II के अंतर्गत अद्यतन/संशोधित लागत या शेष लागत, जो भी कम हो, के 90 प्रतिशत तक ऋण दिए जा सकते हैं।

(ii) आई.आर.डी.एफ.-I के अंतर्गत ऋण चालू परियोजनाओं के लिए उपलब्ध थे। आई.आर.डी.एफ.-II के अंतर्गत चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त, नई परियोजनाएं भी चयनात्मक आधार पर पात्र हैं।

(iii) आई.आर.डी.एफ.-I के अंतर्गत राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर 13 प्रतिशत वार्षिक है जबकि आई.आर.डी.एफ.-II के अंतर्गत यह 12 प्रतिशत वार्षिक है।

(iv) आई.आर.डी.एफ. के अंतर्गत प्रत्येक आहरण को एक अलग ऋण के रूप में माना जाना है और तीन वार्षिक किश्तों में 36वें, 48वें और 60वें महीने के अन्त में इसकी वापसी अदायगी की जानी है।

(v) आई.आर.डी.एफ. के अंतर्गत भारतीय रिवर्ज बैंक के पक्ष में राज्य सरकार के अधिदेश के बदले ऋण मंजूर/जारी किए जाते हैं। राज्य स्वाधिकृत निगमों को दिए जाने वाले ऋणों के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में अधिदेश के अतिरिक्त सरकारी गारंटी भी प्राप्त की जाती है।

विवरण-I

ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि आई.आर.डी.एफ.-I (1995-96) और II (1996-97) के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा मंजूर राशि का राज्यवार ब्यौरा-31.12.1996 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रु0)

राज्य	आई.आर.डी.एफ.-I		आई.आर.डी.एफ.-II	
	कुल मंजूरियां	सिंचाई परि० के लिए	कुल मंजूरियां	सिंचाई परि० के लिए
1. आन्ध्र प्रदेश	206.94	206.94	194.53 122.49*	179.40
2. अरुणाचल प्रदेश	3.36	3.36	—	—
3. असम	11.46	11.46	86.87	—
4. बिहार	180.98	180.98	—	—
5. गोवा	36.84	36.84	—	—
6. गुजरात	141.48	141.48	129.68	73.38
7. हरियाणा	18.28	18.28	61.06	45.30
8. हिमाचल प्रदेश	14.23	14.23	49.50	25.08
9. जम्मू व कश्मीर	6.22	6.22	8.06	—
10. कर्नाटक	143.93	143.93	88.63	51.14
11. केरल	99.72	94.71	42.23	42.23
12. मध्य प्रदेश	199.63	199.63	207.60	207.60
13. महाराष्ट्र	207.22	207.22	231.66	231.66
14. मणिपुर	1.75	1.75	—	—
15. मेघालय	3.39	—	—	—

1	2	3	4	5	6
16.	मिजोरम	2.35	2.35	—	—
17.	नागालैंड	1.38	1.38	—	—
18.	उड़ीसा	152.69	129.58	125.14	70.57
19.	पंजाब	60.50	—	62.50	—
20.	राजस्थान	110.16	110.16	179.29	85.34
21.	तमिलनाडु	—	—	190.01	—
22.	त्रिपुरा	1.82	1.82	—	—
23.	उ0 प्र0	292.35	284.79	491.65	142.67
24.	प0 बंगाल	113.37	98.51	24.82	18.21
	कुल	2010.05	1895.62	2295.72	1172.66

*आन्ध्र प्रदेश में तूफान/बाढ़ पीड़ितों से संबंधित 122.49 करोड़ रु0।

विवरण–II

वर्ष 1995-96 और 1996-97 (31.1.97 तक) के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लिए पुनर्वित्त के रूप में नाबार्ड द्वारा संवितरित राशि का राज्यवार ब्यौरा

(रु0 लाख में)

राज्य	1995-96	1996-97 (31.1.97 तक)
1. आन्ध्र प्रदेश	9615	6371
2. असम	–	–
3. बिहार	619	441
4. गोवा	5	4
5. गुजरात	2073	194
6. हरियाणा	2793	3112
7. हिमाचल प्रदेश	35	40
8. जम्मू व कश्मीर	8	1
9. कर्नाटक	7362	3946
10. केरल	2299	1605
11. मध्य प्रदेश	1992	945
12. महाराष्ट्र	9190	4188
13. उड़ीसा	616	651
14. पांडिचेरी	45	10
15. पंजाब	1742	2149
16. राजस्थान	4410	2792
17. तमिलनाडु	1708	227
18. उत्तर प्रदेश	15499	6307
19. प0 बंगाल	665	267
कुल	60659	33250

भारत कोकिंग कोल लि0 द्वारा पर्यावरण संबंधी मानदंडों का उल्लंघन

*2. **श्री विनेश चंद्र यादव :**
प्रो0 अजित कुमार मेहता :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि झरिया तथा उसके आस-पास के कोयला क्षेत्रों में भा.को.को.लि. द्वारा पर्यावरण संबंधी मानदंडों का उल्लघंन कर अंधाधुंध खनन किये जाने के संबंध में बिहार विधान परिषद की पर्यावरण संबंधी समिति द्वारा हाल ही में चिन्ता व्यक्त की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ। समिति ने यह टिप्पणी की है कि भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) द्वारा खनन संबंधी क्रियाकलाप इस तरह से किए जाने चाहिएं कि क्षेत्र के पर्यावरण को बनाये रखा जा सके। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को नीचे दर्शाया गया है :

(i) ऐसे व्यक्ति, जिनके आवास दिनांक 27.10.1996 के धंसाव के कारण प्रभावित हुए थे, उक्त व्यक्तियों का तत्काल 3 महीने के अंदर पुनर्वास किया जाना चाहिए।

(ii) जिला प्रशासन को भविष्य में धंसाव होने के कारण किसी तरह की अप्रिय दुर्घटनाओं से निपटने हेतु सतर्क रहना चाहिए और इस प्रयोजन से जिला प्रशासन को प्रयाप्त निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिएं।

(iii) खान-सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें धंसाव होने संबंधी खतरा है, उन्हें प्रत्येक 15 दिन की अवधि में स्थानीय भाषा में अखबारों के तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए।

(iv) भा.को.को.लि. का व्यक्तियों के विस्थापन तथा पुनर्वास के संबंध में अभिगम मानवीय तथा संविधान के अनुसार होना चाहिए।

(v) पुनर्वास के संबंध में व्यक्तियों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु कंपनी तथा सरकार की इमारतों को प्रथमतः गिराए जाने तथा स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित है।

(vi) पुनर्वास हेतु चयन किए गए स्थल, जहां तक व्यवहार्य हो, बंजर तथा गैर-कृषि होने चाहिएं तथा यह स्थल प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार, व्यापार तथा परिवहन की सुविधा की दृष्टि से स्वीकार्य भी होने चाहिएं।

(vii) कोयले के बढ़े उत्पादन से प्राप्त हुए लाभ की 50% राशि को पुनर्वास संबंधी कार्य के पूरा होने तक पुनर्वास हेतु नियोजित किया जाना चाहिए।

(ग) भारत सरकार द्वारा कोयला मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है, जोकि झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्रों में धंसाव तथा बागों की समस्याओं की जांच करेगी और इन समस्याओं से निपटने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेगी। इस समिति द्वारा विचार-विमर्श शुरू कर दिया गया है।

अमरीका को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बीजक को कम/अधिक करके दिखाना

*8. **श्री बृजभूषण तिवारी :**
श्री अनिल बसु :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तीन अमरीकी अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए उस अध्ययन के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि वर्ष 1994 और 1995 में ही कम से कम 3.875 मिलियन डालर से लेकर अधिक से अधिक 11.300 मिलियन डालर की पूंजी भारत से अमरीका चली गई;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयात की जाने वाली वस्तुओं के बीजक को कम दिखाकर और अमरीका को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बीजक को अधिक दिखाकर देश से पूंजी पलायन को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में डाक्टर जॉन एस. डानविक्ज और दो अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी है, जो कि उनके द्वारा वर्ष 1994 में किए गए पूर्ववर्ती विश्लेषण का अद्यतन रूप है। उनके अध्ययन के अनुसार वर्ष 1994 के दौरान भारत से बाहर भेजी गई पूंजी की अनुमानित राशि 5893.5 मिलियन डालर से लेकर 411.5 मिलियन डालर और वर्ष 1995 के दौरान 5584.3 मिलियन डालर से लेकर 610.9 मिलियन डालर के बीच है जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका से और संयुक्त राज्य अमेरिका को किए गए भारत के आयात और निर्यात मूल्यों की संयुक्त राज्य अमेरिकी-विश्व आयात और निर्यात मूल्यों के औसत और समायोजित औसत से तुलना करके हिसाब निकाला गया है। मौजूदा अध्ययन से संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच व्यापार की गई सभी वस्तुओं के औसत मूल्यों और संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व के बीच व्यापार की गई सभी वस्तुओं के औसत मूल्यों का चयन विश्व मूल्य को आधार मानकर किया गया है।

अध्ययन में भारत से किए गए आयातों और भारत को किए गए निर्यातों के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों का ही उपयोग किया गया है और इनकी या तो भारत के संयुक्त राज्य अमेरिकी आयात/निर्यात मूल्यों अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका-विश्व आयात/निर्यात मूल्यों के साथ तुलना की गई है। ऐसी पद्धति पूंजी-पलायन का अनुमान लगाने के प्रयोजन के लिए त्रुटि रहित नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण बहुत से कारकों (गुणवत्ता और विनिर्देशनों में अंतर सहित) पर निर्भर करता है और ऐसी परिस्थितियों में औसतों का उपयोग करने से अत्यधिक भ्रांतिपूर्ण निष्कर्ष निकल सकते हैं।

यद्यपि अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि निर्यातों के कम मूल्य के बीजक बनाने और आयातों के अधिक मूल्य के बीजक बनाने के कारण पूंजी देश से बाहर भेजी गई है तथापि सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने भी आयातों के कम मूल्य के बीजक बनाने और निर्यात के अधिक मूल्य के बीजक बनाने के मामलों का पता लगाया है। आम धारणा यह है कि आयातों के कम मूल्य के बीजक इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उन पर आयात शुल्क की उच्च दरें न देनी पड़ें और निर्यातों के अधिक मूल्य के बीजक इसलिए बनाए जाते हैं ताकि निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभ उठाए जा सकें। सरकार ने प्रमुख सीमा शुल्क गृहों में सीमा शुल्क संकायों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया है। सीमा शुल्क गृहों के कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य एक आंकड़ा तैयार करना है ताकि घोषित मूल्यों की जांच पड़ताल की जा सके। जांच और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया गया है ताकि मूल्य की गलत घोषणा वाले मामलों को हल किया जा सके।

जूट पैकेजिंग सामग्री

*9. प्रो० जितेन्द्र नाथ दास :
डॉ० असीम बाला :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ उद्योगों द्वारा जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए इन उद्योगों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) उन उद्योगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस अधिनियम को कड़ाई से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री. आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख) सरकार को जानकारी है कि विशेषकर सीमेंट उद्योग विभिन्न बहानों से पटसन पैकेजिंग सामग्रियां अधिनियम 1987 के उपबन्धों का निरंतर उल्लंघन कर रहा है। सितम्बर/अक्टूबर 1996 तक उर्वरक (यूरिया) उद्योग ने भी इस अधिनियम के उपबन्धें का काफी हद तक उल्लघंन किया है। तथापि, इनमें से अधिकांश ने बाद में यूरिया पैकेजिंग के लिए सांविधिक आरक्षण आदेश का पालन करना शुरू कर दिया है। निम्नलिखित विवरण-पत्र सीमेंट तथा उर्वरक (यूरिया) क्षेत्रों द्वारा पटसन पैकेजिंग सामग्रियों के प्रयोग की तुलना में वर्ष 1993-94 से 1996-97 (अक्टूबर, 96 तक) सांविधिक आरक्षण आदेश के संबंध में परिवलित आवश्यकता दर्शाता है:

अप्रैल/मार्च	बड़े संयंत्रों द्वारा सीमेंट का उत्पादन	निवार्य आदेश के पूर्ण अनुपालन के लिए पटसन बोरों की आवश्यकता	वास्तविक कुल खरीद (1000 मी.टन)	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1. सीमेंट				
1993-94	54.1	340.7	9.2	97.3
1994-95	58.4	367.8	1.0	99.7
1995-96	64.2	288.9	0.3	99.9
1996-97	39.3	176.8	0.0	100.0
2. उर्वरक (यूरिया)				
1993-94	13.15	118.4	80.2	32.3
1994-95	14.13	127.1	85.5	32.7
1995-96	15.79	71.1	56.2	20.9
1996-97 (अक्टूबर तक)	8.61	38.7	18.9	51.2

नोटः - सीमेंट तथा यूरिया दोनों के लिए पटसन बोरों की आवश्यकता के निर्धारण को आधार, पटसन बोरों के प्रयोग की अनिवार्य प्रतिशतता के अनुसार निम्नलिखित हैं:

(1) सीमेंट : 50 कि.ग्रा. क्षमता के 450 ग्राम के बोरों को हिसाब में लिया जाता है।

(2) यूरिया : 450 ग्राम डी.डब्ल्यू.टी. कपड़ा प्रति बोरा।

सर्वोच्च न्यायालय में मामला न्यायाधीन होने के कारण उपर्युक्त अधिनियम के उल्लघंन के लिए किसी भी चूककर्ता एकक के विरुद्ध अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सका है।

(ग) और (घ) सभी यूरिया विनिर्माता एककों को उन्हें वण्डनीय कार्यवाही के भय से उक्त आदेशों का पालन करने की सलाह सहित आरक्षण आदेश की वैधता की अवधि 30-6-96 के बाद समय-समय पर बढ़ाने के विषय में केन्द्र सरकार के निर्णय के बारे में सूचित करते हुए अनुदेश जारी किए गए हैं। इन पत्रों के प्रत्युत्तर में उनमें से अधिकांश ने कानून के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार अक्टूबर 1996 की तिमाही के दौरान तथा उसके पश्चात विनिर्धारित प्रतिशतता तक पटसन बोरों का प्रयोग करने का आश्वासन दिया है। हाल ही के महीनों में उनसे प्राप्त मासिक विवरणियों से पटसन के बोरों के प्रयोग में उत्साहवर्धक सुधार प्रकट होता है।

देश में सभी सीमेंट तथा यूरिया विनिर्माता एककों को पटसन के बोरों के प्रयोग तथा साथ ही सांविधिक आरक्षण आदेश की सूक्ष्मता से मानीटरी करने के उद्देश्य से बिना कोई भूल चूक किए नियमित रूप से विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विनिर्धारित प्रपत्र में मासिक विवरणियां प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया है।

ऐसे अनेक यूरिया कम्पनियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है जो इस आरक्षण आदेश के निरंतर उल्लंघन करती पाई गई है। जबकि यूरिया एककों ने पूर्ण अनुपालन का आश्वासन दिया है, फिर भी सीमेंट एककों ने कुछ कानूनी तथा व्यावहारिक

समस्या उठाई है। जो उन्हें इस आदेश का अनुपालन करने से रोकती हैं। दोषी सीमेंट एककों से प्राप्त कारण बताओं नोटिसों के प्रत्युत्तरों के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में हमने विधि मंत्रालय से सुविचारित मत देने का आग्रह किया है। सरकार इन पर शीघ्र ही विचार करेगी।

थोक मूल्य तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

*10. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की साप्ताहिक दर क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ''प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट'' आधार पर मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर क्या है;

(ग) थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा मुद्रास्फीति की दर में अनवरत वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने तथा मुद्रास्फीति-दर को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक की संख्याए (डब्ल्यू.पी.आई.) साप्ताहिक आधार पर तैयार की जाती है जबकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.आई.डब्ल्यू.) मासिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। पिछले छह महीनों के लिए आवश्यक वस्तुओं के संबंध में दोनों सूचकांक उनकी तदनुरूपी मुद्रास्फीति की वार्षिक दरों सहित नीचे सूचीबद्ध हैं:

को समाप्त सप्ताह/महीना	आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल्य सूचकांक संख्या		मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (प्रतिशत) (सभी वस्तुएं)	
	डब्ल्यू.पी.आई. (आधार 81-82=100)	सी.पी.आई.आई. डब्ल्यू (1982=100)	थोक मूल्य सूचकांक	सी.पी.आई. आई.डब्ल्यू
1	2	3	4	5
03.08.1996	318.9		6.0	
10.08.1996	320.5		6.1	
17.08.1996	320.8		6.2	
24.08.1996	322.8		6.2	
31.08.1996	323.8	339	6.3	8.9
07.09.1996	325.6		6.4	
14.09.1996	327.2		6.4	
21.09.1996	329.1		6.6	
28.09.1996	328.2	342	6.4	8.5
05.10.1996	329.3		6.5	
12.10.1996	330.0		6.5	
19.10.1996	330.7		6.4	
26.10.1996	331.0	343	6.8	8.5
02.11.1996	331.8		6.7	
09.11.1996	333.2		6.5	
16.11.1996	334.7		6.4	
23.11.1996	332.8		6.8	
30.11.1996	333.6	348	6.7	8.7
07.12.1996	333.7		7.2	
14.12.1996	333.3		7.1	
21.12.1996	334.5		7.6	
28.12.1996	333.1	लागू नहीं	7.7	8.7
04.01.1997	333.2		7.8	
11.01.1997	332.6		7.6	
18.01.1997	335.4		7.5	
25.01.1997	335.0	लागू नहीं	7.7	लागू नहीं
01.02.1997	335.2		7.7	लागू नहीं

(ग) जुलाई, 1996 में पैट्रोलियम उत्पादों की प्रशासित कीमतों में लम्बे समय से प्रतीक्षित लगभग 18 प्रतिशत समायोजन तथा 1996-97 में खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट के कारण अनाजों और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि से मुद्रास्फीति भारी दबावों का कारण रहे हैं।

(घ) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने तथा मुद्रास्फीति को सीमित रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:

(i) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं की खुले बाजार में बिक्री को जारी रखना;

(ii) खाद्यान्नों के सरकारी भंडार को बढ़ाने के लिए गेहूं का आयात करना;

(iii) खाद्य तेलों और दालों का घटे शुल्क पर आयात करना;

(iv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, चीनी, खाद्य तेलों, मलाई उतरे दूध के पाउडर और दालों जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए उदार आयात नीति को बनाए रखना;

(v) चालू वर्ष के लिए बजट प्रस्तावों में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत तक कम करना;

(vi) 1996-97 में विवेकपूर्ण मौद्रिक नीतियों के जरिए मौद्रिक वृद्धि को लगभग 16.0 प्रतिशत पर नियंत्रित रखना।

[हिन्दी]

नेशनल हैंडलूम क्रेडिट फंड

*11. **श्री सोडनबीर** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए गठित की गई मीरा सेठ समिति ने हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हैंडलूम क्रेडिट फंड स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी हाँ।

(ख) समिति की सिफारिशें अभी हाल ही में प्राप्त हुई हैं। और उन पर अध्ययन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कॉफी का आयात

*12. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कॉफी के आयात की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी कॉफी का आयात किया गया और उसका मूल्य कितना है;

(ग) क्या काफी के आयात से छोटे और सीमांत किसानों के हितों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उनके हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोजा दुल्ली रमैया): (क) से (घ) उपभोक्ता सामानों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को धीरे-धीरे समाप्त करने के एक भाग के रूप में मौजूदा एग्जिम नीति के तहत रोस्टेड कॉफी और डिकेफिनेटेड कॉफी अथवा बड़ी-मात्रा में पैकिंग की गई गैर-डिकेफिनेटेड कॉफी का आयात, और उपभोक्ता पैकों में डिकेफिनेटेड इन्सटैंट कॉफी समेत इन्स्टैंट कॉफी अथवा उपभोक्ता पैकों की कॉफी को छोड़कर अन्य कॉफी का स्वतंत्र रूप से आयात करने की अनुमति है। किन्तु हरी कॉफी का आयात प्रतिबंधित है।

कॉफी के आयात से संबंधित आंकड़ों का ब्यौरा वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "फारेन ट्रेड स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया" में दिए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। चूंकि हरी कॉफी के आयात पर प्रतिबंध जारी है, इसलिए रोस्टेड और डिकेफिनेटेड काफी का अल्प मात्रा में आयात होने से लघु एवं सीमांत कृषकों पर कुप्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

स्टॉक निवेश योजना

*13. **श्री मोडन रावले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकार है कि "स्टॉक" निवेश योजना उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफलत रही है, जिनके लिये वह शुरू की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब सरकार का विचार उक्त "स्टॉक" निवेश योजना की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 56 वाणिज्यिक बैंकों ने स्टाक निवेश योजना शुरू की है। आर.बी.आई. द्वारा स्टाक निवेश योजना के परिचालनों की, इसके शुरू करने के उद्देश्यों के संदर्भ में, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड के परामर्श से समीक्षा की जाती है और आर.बी.आई. द्वारा समय-समय पर वाणिज्यिक बैंकों को उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाते हैं। तथा स्टॉक निवेश की सुविधा को अब व्यक्तियों और म्यूचुअल फंड तथा वह भी मीयादी जमा पर ग्रहणाधिकार के बदले, निवेशकों के बचत खाते/चालू खाते में उपलब्ध जमा शेष तक सीमित कर दिया गया है। बैंकों को स्टाक निवेश जारी करने के लिए आर.बी.आई. द्वारा प्रति पूंजी निर्गम पर प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपये की उच्चतम सीमा भी निर्धारित

की गई है। आर.बी.आई. ने यह विचार व्यक्त किया है कि इस समय योजना को बन्द करना वांछनीय नहीं होगा।

बल्गारिया के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करना

*14. **डॉ० कृपा सिंधु भोई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचर बल्गारिया के सहयोग से कोई संयुक्त उद्यम परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1997 के दौरान प्रारम्भ किए जाने वाले संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (घ) भारत सरकार के पास इस समय बुल्गारिया सरकार के सहयोग से किसी संयुक्त परियोजना को स्थापित करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने व्यापार और आर्थिक सहयोग पर बुल्गारिया गणराज्य सरकार के साथ 4 दिसम्बर, 1996 को करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया (अनुच्छेद-9) है कि भारत सरकार गणराज्य तथा बुल्गारिया-गणराज्य सरकार अपने-अपने देशों में लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार एक दूसरे के क्षेत्र में निवेश तथा प्रोद्योगिकीय सहयोग को तृतीय देशों के बाजारों सहित संयुक्त उद्यमों की स्थापना के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे। दोनों पक्ष 3-6 दिसम्बर, 1996 के बीच नई दिल्ली में हुई आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग से संबंधित भारत बुल्गारिया संयुक्त आयोग के 11वें सत्र में सहमत कार्यवृत्त के माध्यम से कृषि, शराब तथा स्पिरिट उद्योग, मांस प्रसंस्करण तथा कुक्कट विकास, रेल, रसायन, पेट्रो-रसायन तथा भेषजीय, दूरसंचार, इंजीनियरी, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में सहभागी साझेदारी तथा संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावना का पता लगाने पर सहमत हैं।

भारत सरकार को ऐसे किसी विशिष्ट संयुक्त उद्यम की जानकारी नहीं है जिसको 1997 के दौरान कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

कम्पनी अधिनियम में संशोधन

*15. **श्री ए.सी. जोस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 को पुनः तैयार करने हेतु किसी कार्य-दल का गठन किया है;

(ख) क्या उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हाँ, तो इस दल द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 का नया ड्राफ्ट तैयार करने हेतु, विधि, अर्थशास्त्र तथा कंपनी कार्यों के विशेषज्ञों का एक कार्य दल गठित किया है।

कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट 12-2-1997 को सरकार को प्रस्तुत कर दी है। कंपनी अधिनियम को दोबारा लिखने में कुछ और समय लगने की सम्भावना है। सरकार का कार्य दल की रिपोर्ट तथा कार्य दल द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ड्राफ्ट् विधेयक को भी सार्वजनिक चर्चा के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव है।

सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में रिक्त उच्च पद

*16. **श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार को सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की संख्या कितनी है जिनमें स्थायी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त नहीं किये गए हैं;

(ख) ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं तथा ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति के उपचारार्थ क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 31 दिसम्बर, 1996 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 27 उपक्रमों में नियमित अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नहीं थे।

(ख) उन उपक्रमों के नाम तथा पदों के रिक्त होने की तारीख संलन **विवरण** में दर्शाए गए हैं।

(ग) सरकारी उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों के पदों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने सरकारी उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों के पदों को भरे जाने में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में नियमित आधार पर रिक्तियों का परिवीक्षण, प्रत्याशित रिक्तियों के संबंध में चयन हेतु सरकारी उद्यम चयन मंडल द्वारा अग्रिम कार्रवाई किया जाना तथा संबंधित विभागों द्वारा औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु समय निर्धारित किया जाना आदि शामिल हैं।

विवरण

क्र.सं.	सरकारी उपक्रम का नाम	रिक्ति की तारीख
1.	ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि.	1.6.91
2.	हिंदुस्तान फोटो फिल्म मैन्यु. क. लि.	1.10.92
3.	भारत भारी उद्योग निगम लि.	1.5.93
4.	रेरपेल बर्न लि.	22.12.93
5.	हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन	9.11.94
6.	भारत एल्युमीनियम कं. लि.	1.4.95
7.	पावर ग्रिड कारपोरेशन	31.7.95
8.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	21.8.95
9.	हिंदुस्तान कॉपर लि.	31.8.95
10.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपो. लि.	1.9.95
11.	रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकानामिक सर्विस	1.11.95
12.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि.	1.12.95
13.	नेण लिमिटेड	22.12.95
14.	अंडमान एंड निकोबार आईलैंड फोरेस्ट एंड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन	6.5.96
15.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	24.5.96
16.	नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कोरपो.	27.6.96
17.	इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	1.7.96
18.	कोचीन शिपयार्ड लि.	1.7.96
19.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट लि.	1.7.96
20.	फेरा स्क्रेप निगम लि.	9.7.96
21.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बस लि.	31.7.96
22.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लि.	1.10.96
23.	एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया	15.10.96
24.	मझगांव डॉक लि.	1.12.06
25.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	1.12.96
26.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	1.12.96
27.	स्पंज आयरन इंडिया लि.	6.12.96

मुक्त व्यापार क्षेत्र

*17. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी क्षेत्र में बंगलादेश, भूटान, नेपाल और भारत को शामिल करके "मुक्त व्यापार क्षेत्र" स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कॉफी उत्पादकों की ऋण माफ करने संबंधी मांग

*18. **श्री पी.सी. थामस**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने उत्पादन को कॉफी बोर्ड को पहुंचाने वाले कॉफी उत्पादकों ने बोर्ड से यह मांग की है कि चूंकि उन्होंने बोर्ड के कॉफी पूल फंड में बहुत धनराशि जमा की हुई है जिसे अभी तक लौटाया नहीं गया है, इसलिए उनके बकाया ऋण को माफ कर दिया जाए;

(ख) क्या उनके अंशदान के परिणामस्वरूप संचित हुई धनराशि में से कुछेक कर्मचारियों को भुगतान कर लिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो बोर्ड द्वारा इसके प्रारंभ से आज तक इस प्रकार से कितनी धनराशि का उपयोग कर लिया गया;

(घ) क्या अब बोर्ड ने अभी तक अप्रयुक्त धन को खर्च करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस संबंध में कॉफी किसानों या उनके संगठनों से परामर्श किया गया था;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो इस संबंध में बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ज) कॉफी उत्पादकों ने अपने बकाया ऋण को माफ करने की मांग की है। किन्तु, ऋण माफ करने की उनकी मांग इसलिए नहीं है कि वे पूल फण्ड में अंशदान करते आ रहे हैं चूंकि कॉफी बोर्ड ने पूल में दी गई कॉफी की प्रकार, किस्म, गुणवत्ता, तथा मात्रा के अनुसार, पूल फण्ड द्वारा वसूल की गई कॉफी की बिक्री में से उत्पादकों को भुगतान किया है। यह पूल फण्ड बोर्ड द्वारा बेशी पूल से की गई कॉफी की बिक्री के कारण अस्तित्व में आया। इस पूल फण्ड के धन का उपयोग बोर्ड की स्वीकृति से, बोर्ड के विपणन निदेशालय के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1994 में किया गया था। वर्ष 1995 में स्वीकृत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के लिए पूल फण्ड से इस तारीख तक खर्च की गई कुल राशि अनुग्रह राशि और छुट्टी नकदीकरण के लिए 35.18 करोड़ रु0 एवं पेंशन संबंधी लाभ के लिए 5.22 करोड़ रु0 हैं। कॉफी विपणन के उदारीकरण से पूल फण्ड में उपलब्ध बकाया धन का उपयोग कॉफी उत्पादकों को देय राशि भुगतान करने के बाद विपणन निदेशालय के बाकी कर्मचारियों के अनुग्रह पेंशन और पेंशन सम्बन्धी लाभ के लिए किया जाएगा।

पूल फण्ड से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को लागू करने से संबंधित भुगतान के बारे में सभी निर्णय बोर्ड की संबंधित समितियों द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार-विमर्श तथा बोर्ड द्वारा विधिवत स्वीकृति देने के बाद लिए गए थे।

विश्व आर्थिक मंच

*19. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री नामदेव दिवाथे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व आर्थिक मंच की दावोस में हाल में ही हुई 26वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो उद्योगपतियों सहित भारतीय शिष्टमण्डल में कौन-कौन लोग सम्मिलित थे;

(ग) अनेक क्षेत्रों में निवेश के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दिए गए आश्वासनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्रवाई हेतु पता लगाए गए समस्याग्रस्त क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी हां।

(ख) दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की 26वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने गए सरकारी प्रतिनिधिमंडल की सदस्य-सूची संलग्न विवरण में दी गई है। दावोस बैठक में भारतीय उद्योगपतियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। उद्योगपतियों का सरकारी तौर पर अनुमोदित कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं था।

(ग) "21वीं शताब्दी की विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति के रूप में उभरती अर्थव्यवस्थाएं" पर 2 फरवरी, 1997 को हुए पूर्णाधिवेशन में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने प्रौद्योगिकी और पूंजी के स्त्रोतों के रूप में विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें मेजबान देश के साथ निर्वहनीय संबंध में भागीदारियां बनाकर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

(घ) "भारतः उच्च वृद्धि हेतु चुनौती स्वीकारना" के संबंध में 1 फरवरी, 1997 को आयोजित "भारत सत्र" में दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने विदेशी निवेश हेतु भारत की शक्ति और लाभों का जिक्र किया। इनमें ये शमिल हैं - विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका और प्रेस, कुशल और अंग्रेजी भाषी श्रमशक्ति का विशाल भंडार, नैतिक कारोबारी व्यवहार और एक विशाल तथा गतिशील निजी क्षेत्र। आर्थिक सुधारों की रफ्तार और दिशा के बारे में अन्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता तथा राजनीतिक अस्थिरता की आशंकाओं के संबंध में, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बात से ही अपेक्षाकृत कम अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई है, ऐसी सब आशंकाएं समाप्त हो जानी चाहिएं।

विवरण

दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 26वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले सरकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सदस्य सूची

1. प्रधानमंत्री
2. श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री
3. श्री टी.आर. सतीश चन्द्रन, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव
4. श्री एम.एल. अहलूवालिया, वित्त सचिव
5. श्री ए.एन. राम, सचिव, विदेश मंत्रालय
6. श्री ए.वी. गौकक, सचिव, दूर संचार विभाग
7. श्री एस. नरेन्द्र, प्रधान सूचना अधिकारी
8. श्री के.पी. बालाकृष्णन्, बर्न में भारत के राजदूत
9. श्री एस.एस. मीनाक्षीसुंदरम, संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री
10. कुमारी मंजुला सुब्रहमणियम, संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री
11. श्री पी.पी. शुक्ला, संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री

(श्रीमती चैनम्मा देवगौड़ा, वैयक्तिक चिकित्सा और सुरक्षा कर्मचारीगण तथा मीडिया प्रतिनिधि, प्रतिनिधिमंडल के साथ थे)।

ऋण सेवा दायित्व

*20. डॉ0 रमेश चन्द्र तोमर :
श्री देवी बक्श सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में ऋण सेवा दायित्व का अनुपात क्या है;

(ख) क्या निकट भविष्य में ऋण सेवा दायित्व संबंधी अनुपात में कमी आने की संभावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1996-97 के लिए देश के विदेशी ऋण-सेवा अनुपात (जो कि चालू प्राप्तियों के प्रति ऋण सेवा के अनुपात हैं) लगभग 25 प्रतिशत होने की संभावना है।

(ख) और (ग) ऋण-सेवा अनुपात में हाल के वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति बनी रही है। 1990-91 में 35.3 प्रतिशत की उच्चता पर पहुंचने के बाद, अनुपात 1995-96 में गिर कर 25.7 प्रतिशत पर पहुंच गया। गिरावट की इस प्रवृत्ति के भविष्य में जारी रहने की संभावना है।

सिगरेट का उत्पादन

1. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगरेटों का उत्पादन इसके पीने वालों से अधिक नुकसानदायक इसे बनाने वाले कारीगरों के लिए है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में किये गये अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और अधिक लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि सिगरेट के विनिर्माण में लगे कामगारों में स्वास्थ्य जोखिमों पर किसी रिपोर्ट की उसे जानकारी नहीं है।

(ग) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत सिगरेट विनिर्माण अनिवार्य लाइसेंसीकरण के तहत आता है और नीति के अनुसार औद्योगिक लाइसेंसी के लिए प्राप्त आवेदनों पर पात्रता के आधार पर विचार किया जाता है चाहे आवदेनकर्त्ता बहुराष्ट्रीय कंपनी हो अथवा कोई भारतीय कंपनी। विगत 4 वर्षों के दौरान सिर्फ मैं. आर.जे.रेनोल्ड टोबैको इंटरनेशलन एस.ए. स्विटजरलैंड को ही सिगरेटों के विनिर्माण हेतु भारत में एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए विदेशी सहयोग का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

[हिन्दी]

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा मध्य प्रदेश से लौह अयस्क की खरीद

2. **श्री बुद्धसेन पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा मध्य प्रदेश में अपनी खानों से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खान-वार, वर्ष-वार खरीदे गए लौह अयस्क की कुल मात्रा क्या है;

(ख) क्या निर्यात के उद्देश्य से इन खानों से और अधिक लौह अयस्क खरीदने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) एम.एम.टी.सी. द्वारा मध्य प्रदेश में खानों से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान-खान-वार, वर्ष-वार खरीदे गऐ लौह अयस्क की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

लाख टनों में

	किरनदुल		बचेली		योग
	ढेले	परिष्कृत	ढेले	परिष्कृत	
1992-93	19.77	1.08	13.41	7.99	42.25
1993-94	19.14	3.21	10.32	10.33	43.00
1994-95	21.56	2.07	4.95	12.52	41.10
1995-96	18.60	1.30	7.15	10.35	37.40
1996-97 (जनवरी, 97 तक)	12.56	1.78	5.28	11.06	30.68

(ख) बेलाडिला खानों से निकलने वाले लौह अयस्क की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है, लेकिन घरेलू मांग के दबाव के कारण इस अयस्क का निर्यात सरकार द्वारा तय की गई मात्रात्मक सीमा के जरिए नियंत्रित किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सोने की तस्करी

3. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने राजधानी में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के उल्लंघन में पकड़े गए दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी से स्वतंत्र राष्ट्रकुल देशों से सोने की तस्करी के नए मार्ग का पता लगाने का दावा किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में की गई जांच के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या-क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) जांच प्रारंभिक चरण में है।

(ग) इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने हेतु सतत् निगरानी रखी जाती है।

रेशम उत्पादक उद्योगों को सहायता

4. **श्री बीजू बन रियान** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में रेशम उत्पादक उद्योगों का विकास करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए सहायता के रूप में कितनी धनराशि दिए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख) जी नहीं, तथापि, रेशम उत्पादन के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) द्वारा क्रियान्वित की जा रही कार्ययोजना में शामिल राज्यों में त्रिपुरा राज्य भी है। कार्ययोजना के तहत, त्रिपुरा के लिए 6.33 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है जिसमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान 1.81 करोड़ रु० है जबकि अधिशेष की पूर्ति राज्य द्वारा की जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 0.73 करोड़ रु० का प्रावधान है।

एच.डी.एफ.सी. बैंक का "पब्लिक इश्यू"

5. **श्री जय प्रकाश (हरदोई)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने एच.डी.एफ.सी. बैंक के पब्लिक इश्यू जो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए थे तथा जिनके लिए अधिकतर आवेदन स्टाफ इन्वेस्ट के माध्यम से आये थे जबकि वे आवेदन केवल व्यक्तिगत तौर पर आने थे, के आवंटन के संबंध में कोई जांच की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आयकर विभाग ने अब तक इसकी जांच पूरी कर ली है और यदि हाँ तो इसमें पायी गयी अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या स्टॉक इन्वेस्ट सुविधा के उपयोग में कोई अनियमितता पायी गयी है और यदि हाँ, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने स्टॉक इन्वेस्ट जारी किए हैं और जिन्हें स्टाफ इन्वेस्ट जारी किए गए थे, उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। आयकर विभाग को इस बारे में सूचना प्राप्त हुई है कि एच.डी. एफ.सी. बैंक के पब्लिक इश्यू में स्टॉक इन्वेस्ट के माध्यम से किए गए अंशदान में कुछेक अनियमितताएं की गई हैं। इनके बारे में जांच की जा रही है। जांच कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं।

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने कुछेक पब्लिक इश्यु में नकली/जाली स्टॉक इन्वेस्ट के जरिए अशंदान किए जाने के मामले पाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंक ऑफ राजस्थान, इंन्डुस इन्ड बैंक लि. वैश्य बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक लि., बैंक आफ मदुरै लि., ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और इडियंन बैंक द्वारा स्टॉक इन्वेस्ट सुविधाओं के उपयोग में कुछेक अनियमितताएं पाई हैं। कुछेक बैंकों द्वारा मैसर्स ट्रेन्डलाइन फाइनेंस लि., प्राची लीजिंग एंड फाइनेंस लि., हरिहर कैमिकल्स लि., स्वरशिल्प प्रॉपर्टीज लि., इल फैशन्ज लि., द्वारबेश फाइनेंस लि, वीनस फ्लोरीवल्चर लि., डिलीसियल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लि, विकास स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि. को जारी किए गए स्टॉक इन्वेस्ट जाली पाए गए थे।

सिक्किम में लघु और मध्यम उद्योग

6. **श्री भीम प्रसाद दाहाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत गणराज्य में सिक्किम का विलय हो जाने के बाद अब तक कितने लघु और मध्यम उद्योगों को स्थापित किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने लघु उद्योगें की मदद करने और उनका पुनरुद्धार करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निकट भविष्य में सरकार का विचार सिक्किम में लघु अथवा मध्यम उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) भारत गणराज्य में सिक्किम का विलय हो जाने के पश्चात् इसमें 294 लघु उद्योग तथा 6 मध्यम उद्योगों को स्थापित किया गया है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

ग्राहकों के लिए बैंक सेवाएं

7. **श्री ए.जी.एस. रामबाबू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक ग्राहकों को विदेशी बैंकों के समान सेवा प्रदान करते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के ग्राहकों की और संख्या बढ़ाने तथा उनको लाभोन्मुख बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) ग्राहक सेवा में सुधार एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर राष्ट्रीयकृत बैंक निरंतर ध्यान दे रहे हैं। महानगरीय क्षेत्रों में विदेशी बैंकों की सीमित संख्या से देश भर में फैली हुई शाखाओं के राष्ट्रीयकृत बैंकों को नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए तुलना करना, साथ ही इन दोनों श्रेणियों के बैंकों की कार्य प्रणाली में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी को देखते हुए इनकी तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा। इनके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक सभी प्रकार के ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित गाइपोरिया समिति ने बैंकिंग उद्योग में ग्राहक सेवा में सुधार लाने हेतु बहुत सी सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों के सतत कार्यान्वयन का उद्देश्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा में और सुधार लाना है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभप्रदता में बढ़ोतरी करने के लिए किए गए उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है बेहतर ऋण मूल्यांकन के साथ-साथ उधार पूर्व पर्यवेक्षण में सुधार के द्वारा अनिष्पादित आस्तियों को कम करने के लिए संगठित प्रयास करना।

[हिन्दी]

दुग्ध धोवनशाला संयंत्र संख्या - I

8. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दुग्ध धोवनशाला संयंत्र संख्या-I के अचानक बंद हो जाने से हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। यह बात सत्य नहीं है कि भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) के दुग्दा-I संयंत्र के बंद होने के कारण हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। उक्त संयंत्र के बंद होने के परिणामस्वरूप केवल 320 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, जिन्हें वर्तमान में भा.को.को.लि. के ही दुग्दा-II संयंत्र में वैकल्पिक रूप से पुनः नियोजित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

हथकरघा बुनकरों को सहायता राशि

9. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चक्रवात से प्रभावित हथकरघा बुनकरों को राहत प्रदान करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें से अब तक कितनी राशि दे दी गई है; और

(ग) बुनकरों को शेष सहायता राशि कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा): (क) से (ग) चक्रवात से प्रभावित हथकरघा बुनकरों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत

राहत देने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को जारी की गई राशि का एक विवरणः

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	योजना का नाम	मंजूर की गई राशि	जारी की गई राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	(3-4)
1.	कार्यशाला-सह-आवास योजना	333.92	333.92	-
2.	विपणन विकास सहायता योजना	300.00	300.00	-
3.	हथकरघा विकास केन्द्र और उत्कर्ष रंगाई इकाई योजना	177.12	177.12	-
4.	प्रोजेक्ट पैकेज योजना	392.87	196.80	196.07*
5.	एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना	463.00	228.50	234.50*

* आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को शेष राशि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र और राज्य का अंश जारी करने, उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी कर दी जाएगी।

रेशम उत्पादन पर राजसहायता

10. **डॉ॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने रेशम उत्पादन पर राज सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी; और

(ग) असम में रेशम उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) ने राज्य में रेशम उत्पादन के विकास के लिए अनिवार्य अनुसंधान, विस्तार, अवसंरचनात्मक तथा प्रशिक्षण सहायता देने के लिए अपने एककों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त असम विश्व बैंक एस.डी.सी. सहायित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत शामिल किए गए 12 गैर परम्परागत प्रायोगिक राज्यों में से एक है। असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में रेशम उद्योग के विकास के लिए एक कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सहायता भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड की अनुमानित सतत योजनाओं के अन्तर्गत सहायता का भी लाभ उठा सकता है।

रुपए का मूल्य

11. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रहीः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रुपए के मूल्य में औसतन 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से गिरावट आ रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का इस गिरावट को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जनवरी, 1997 तक, भारतीय रुपए का, औसतन, अमरीकी डालर की तुलना में लगभग 0.41 प्रतिशत प्रतिमाह और पौंड स्टर्लिंग की तुलना में लगभग 1.22 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ। दूसरी तरफ इसी अवधि के दौरान रुपए का जापानी येन, ड्यूश मार्क और फ्रेंच मार्क की तुलना में क्रमशः लगभग 0.66 प्रतिशत, 0.37 प्रतिशत और 0.26 प्रतिशत अधिमूल्यन हुआ।

(ख) रुपए की विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है। विदेशी मुद्रा बाजार की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नजदीकी मानिटरिंग की जाती है और रुपए के मुकाबले सट्टेबाजी के दबावों का सामाना करने और व्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार दशाओं को बनाए रखने के लिए, जब कभी आवश्यक हो, उपाय किए जाते हैं। वर्ष 1996-97 में अभी तक विदेशी मुद्रा बाजार ने व्यवस्थित ढंग से व्यवहार किया है।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

12. **श्री रामसागर** : क्या वित्त मंत्री संसद सदस्यों के पत्रों के जवाब के बारे में 22 नवम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 507 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगी गयी सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंकों के मामलों के संबंध में 22 नवम्बर, 1996 से आज तक संसद सदस्यों के कितने पत्र और प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इनमें से कितने पत्रों के उत्तर अभी तक नहीं दिए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 जनवरी, 1996 से 22 नवम्बर, 1996 तक की अवधि के दौरान माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की संख्या निम्नलिखित है:

	प्राप्त पत्रों की संख्या	निपटान किये पत्रों की संख्या	लंबित पत्रों की संख्या
भारत सरकार	1728	1237	491
भारतीय रिजर्व बैंक	39	32	7

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कच्ची रबड़ का आयात

13. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997 के दौरान देश में कच्ची रबड़ के उत्पादन तथा मांग का अनुमान क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1997 के दौरान कच्ची रबड़ के आयात का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) 1997-98 के दौरान देश में कच्ची रबड़ का अनुमानित घरेलू उत्पादन और मांग क्रमशः 5,85,000 मी. टन और 6,19,000 मी. टन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों में धोखाधड़ी

14. **श्री मंगल राम प्रेमी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं जिनमें प्राइवेट तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों ने जाली हस्ताक्षरों वाले चैकों को स्वीकृत किया है और नकली/जाली दस्तावेजों के आधार पर चैक बुक भी जारी की हैं तथा निर्धारित बैंकिंग मानदंडों का उल्लघंन किया है; और

(ख) बैंक-वार ऐसे लेनदेन में अंतर्ग्रस्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक में मौजूदा आंकड़ा संग्रह प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए तरीके से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्य बैंक लि. से उनके दिल्ली शाखाओं में जाली हस्ताक्षर वाले चैकों को भुगतान के लिए पास करने और नकली/जाली दस्तावेजों पर चैक-बुक जारी करने के संबंध में जानकारी एकत्र की है। यह बताया गया था कि दिनांक 1.6.1994 से 16.1.1996 तक की अवधि के दौरान, जेरौक्स प्रति/जाली मांग पर्चियों के आधार पर पांच चैक बुक जारी किए गये थे। दिनांक 2.6.1994 से 14.6.1996 तक की अवधि के दौरान जाली हस्ताक्षरों वाले 23 चैक भुगतान/अन्तरण के लिए पास किए गए थे। तीन अधिकारियों को एक वेतनवृद्धि रोक कर दण्ड दिया गया था। बैंक ने अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

वित्तीय संस्थान

15. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की वित्तीय संस्थानों को हो रही समस्याओं से अवगत है;

(ख) क्या वित्तीय संस्थानों ने सरकार से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तरह धनराशि जमा करने के बारे में अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने कुछ चुने हुए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सावधि मुद्रा उधारों, जमाराशि प्रमाण-पत्रों और सावधि जमाराशियों के प्रर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए अनुमति प्रदान की है। हालांकि कुछ वित्तीय संस्थाएं इन लिखतों के मार्फत संसाधन जुटाने की सीमा में वृद्धि की मांग हेतु समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक को लिखती रही हैं, तथापि, वित्तीय संस्थाओं के ऐसे अनुरोधों को भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यवहारिक नहीं पाया है।

उड़ीसा में ऋण हेतु प्राप्त आवेदन

16. **श्री भक्त चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लघु उद्योगों से ऋण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(ख) क्या बैंकों द्वारा आवेदकों का समय पर ऋण प्रदान नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप ये उद्योग रुग्ण हो गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) की आंकड़ा सूचना प्रणाली से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आर.बी.आई. को प्रस्तुत की गई विवरणियों के आधार पर मार्च 1993, मार्च 1994 और मार्च 1995 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में रूग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या और इन एककों का बकाया ऋण इस प्रकार था :

(करोड़ रुपए)

	रुग्ण एस.एस.आई. एककों की संख्या	बकाया राशि
31 मार्च, 1993 की स्थिति	13930	70.79
31 मार्च, 1994 की स्थिति	17235	74.50
31 मार्च, 1995 की स्थिति	20498	68.99

(ख) और (ग) आर.बी.आई. ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश दिए हैं कि 25,000/- रु0 तक की ऋण सीमा के आवेदनों को आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख के 15 दिन के अन्दर-अन्दर और 25,000 रु0 से अधिक के आवेदनों को 8-9 सप्ताह के अन्दर-अन्दर निपटा दिया जाना चाहिए। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि ऋण-सीमा बढ़ाने के अनुरोधों पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए और निर्णय तत्काल या हर हालत में 6 सप्ताह के अन्दर लिए जाने चाहिए।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम पर बकाया राशि

17. **श्री राम नाईक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1997 की तिथि के अनुसार राज्यवार राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा सभी राज्य सरकारों को कितनी बकाया राशि देय है;

(ख) पूरी बकाया राशि न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूरी बकाया राशि के भुगतान हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत आयात संबंधी प्रतिबंधों को हटाना

18. **श्री शान्ति लाल पुरषोत्तम दास पटेल**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के साथ हुए करार की एक शर्त के अनुसार हाल ही में अनेक वस्तुओं को आयात प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उदारीकृत वस्तुओं का व्यापार करने वाली स्वदेशी कंपनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) निर्यात और आयात नीति 1992-97 के तहत आयात व्यवस्था के उदारीकरण की निरन्तर प्रक्रिया के एक भाग के रूप में वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 10 फरवरी, 1997 की अधिसूचना सं0 23 (आर.ई.96)/92-97 के जरिए 70 आठ अंकीय टैरिफ लाइनों तक फैले उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। और आठ अंकीय टैरिफ लाइनों तक फैले 98 उत्पादों के संबंध में आयात प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इन्हें विशेष आयात लाइसेंस सूची के तहत ला दिया गया है। इन मदों में शामिल हैं कार्यालय मशीनें और उपकरण, वातानुकूलित एकक, प्रसाधन सामग्री, इत्र, और शीशे का सामान और विनिर्दिष्ट उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में काम आने वाले पुर्जे और संघटक। इन उपायों का देशी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात का अभी आकलन करना जल्दबाजी होगा।

विशेष आयात लाइसेंस सूची में मदों को खुली सामान्य लाइसेंस सूची के अंतर्गत लाना

19. **श्री विनशा पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी संख्या में मदों को विशेष आयात लाइसेंस सूची से हटाकर खुली लाइसेंस में तथा प्रतिबंधित सूची से हटाकर विशेष आयात लाइसेंस सूची में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मदवार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर लगभग कितना वार्षिक शुल्क निर्धारित किए जाने की संभावना है: और

(ग) इस परिवर्तन का स्वदेशी उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) जी, हां। निर्यात एवं आयात नीति की निरन्तर समीक्षा

प्रक्रिया के एक भाग के रूप में वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 10.2.97 की अधिसूचना संख्या 23 (सं.अ.-96) के अनुसार कुछ मदों की आयात-नीति में परिवर्तन किए गए हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उलब्ध हैं। चूंकि यह अधिसूचना हाल ही में जारी की गयी है अतः इन मदों के आयात के कारण सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाले संभावित वार्षिक शुल्क का अथवा इनके घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना कठिन होगा।

काजू के उत्पादन और निर्यात में कमी

20. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में काजू के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु काजू उत्पादकों को सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो काजू की खेती के लिए केरल में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी राज सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या काजू के निर्यात में कमी आई है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) वर्ष 1997 के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोजा बुल्ली रमैया): (क) और (ख) काजू के एकीकृत विकास कार्यक्रम में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत रोपण, पुनर्रोपण/पुनर्नवीकरण; व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं पौधे की सुरक्षा को अपनाने से संबंधित क्रियाकलापों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 3,728 करोड़ रु० की राशि जारी की गई।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू का निर्यात निम्नानुसार था :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
1993-94	1045.31
1994-95	1241.97
1995-96	1231.07
1996-97 (अप्रैल-नवम्बर)	932.22
1995-96 (अप्रैल नवम्बर)	818.20

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी एवं हमारे विदेशी प्रतिस्पर्धियों से कठिन प्रतिस्पर्द्धा के कारण 1995-96 के दौरान काजू के निर्यात में मामूली गिरावट आई। तथापि, चालू वर्ष के दौरान काजू के निर्यात में उर्ध्वगामी रुख प्रदर्शित हुआ है।

(ङ) काजू के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं: विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, विदेशी बाजारों में प्रचार अभियान तथा भारतीय निर्यातकों को विदेशी क्रेताओं की गुणवत्ता आवश्यकताओं के बारे में सूचना का प्रसार।

झरिया कोयला क्षेत्र में आग लगना

21. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र में भूमिगत खानों में आग लगने के खतरे को दूर करने के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र में अग्नि-शमन पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने स्थानों पर आग बुझाई गई; और

(घ) कितने स्थानों पर अभी भी आग लगी हुई है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) कोककर कोयला खानों का 1972 में राष्ट्रीयकरण किए जाने के समय बिहार राज्य के झरिया कोयला क्षेत्र में विनिर्दिष्ट 70 आगों में से 10 आगों को पूरी तरह से बुझा लिया गया है। शेष आगें लगभग नियंत्रणाधीन हैं।

झरिया कोयला क्षेत्र की आगों से संबंधित समस्या के दीर्घावधि स्वरूप के निवान की प्राप्ति के उद्देश्य से विश्व बैंक के सहयोग से झरिया खान अग्नि नियंत्रण तकनीकी सहायता के अंतर्गत एक विस्तृत नैदानिक अध्ययन संबंधी क्रियाकलाप शुरू किये गए अध्ययन पूरा कर लिया गया है तथा रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत कर दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अग्नि-शमन पर किए गए वर्ष-वार व्यय, जिसमें नैदानिक अध्ययन संबंधी व्यय भी शामिल है, को नीचे दर्शाया गया है:

(आंकड़े करोड़ रु० में)

वर्ष	कुल व्यय
1993-94	1.79
1994-95	6.02
1995-96	14.36

(ग) वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान झरिया कोयला क्षेत्र में लगी पांच आगों को बुझा लिया गया है।

(घ) यद्यपि आगें नियंत्रणाधीन हैं, लेकिन अभी भी 60 स्थलों पर विद्यमान हैं।

चाय का उत्पादन

22. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के उत्तरी दीनाजपुर, कूच-बिहार, जलपाईगुडी और दार्जिलिंग जिलों में कुल कितने चाय बागान हैं; और

(ख) उक्त जिलों में अधिकृत तथा अनाधिकृत चाय बागानों द्वारा कुल कितनी मात्रा में चाय का उत्पादन किया जा रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) चाय बोर्ड द्वारा पंजीकृत चाय एस्टेट्स के संबंध में मांगी गई सूचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	बागान जिला	चाय एस्टेटों की संख्या*	उत्पादन (मिलियन कि.ग्रा में)*
1.	उत्तरी दीनाजपुर	17	1.02
2.	कूच बिहार	01	0.44
3.	दूअर्स (जलपाईगुडी सहित)	167	127.55
4.	दार्जिलिंग	88	11.29

* वर्ष 1996 के लिए अनुमानित।

वस्त्र उद्योग को ऋण का प्रावधान

23. **श्री छीतूभाई गामीत**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वस्त्र उद्योग के कार्यबल को औचित्यपूर्ण बनाने तथा इसका आधुनिकीकरण करने हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु भुगतान किए जाने के लिए कुछ वस्त्र मिलों को ऋण प्रदान किए जाने का निर्देश किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अपनायी गयी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, हाँ।

(ख) वित्तीय संस्थाएं इस मुद्दे की जांच कर रही हैं और इन हिदायतों के कार्यान्वयन के संबंध में अभी निर्णय लेना है।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक, जबलपुर

24. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में धरना दिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि कर्मकार कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में जनवरी 1997 में जबलपुर में कुछ दिनों के लिए मध्याह्न भोजनावकाश के दौरान धरना दिया था। अन्य बातों के साथ-साथ मांगें कर्मचारियों की विभिन्न सेवा शर्तों से संबंधित थीं। तथापि, बैंक के कर्मचारी परिसंघ के साथ हुए समझौते के फलस्वरूप आंदोलन समाप्त कर दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति

25. **श्री कचरु भाऊ राउत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान तथा आज तक देश में विशेषकर महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति की गयी है; और

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इन व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु क्या योजना तैयार की गयी है और इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

निजी बैंकिंग कंपनियां/बैंक

26. **श्री मुनव्वर हसन** :
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री आई.डी. स्वामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कार्यरत निजी बैंकिंग कंपनियों/बैंकों की सख्या कितनी है;

(ख) निजी क्षेत्र की बैंकिग कंपनियों/बैंकों की संख्या कितनी है जिन्होंने भारत में निवेश करने अथवा बैंकों की स्थापना करने के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे बैंकों को अनुमति और मान्यता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन बैंकों के कार्यकरण को नियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या-क्या मार्ग निदेश जारी किए गए हैं; और

(च) सरकार का इन बैंकों पर किस प्रकार निगरानी रखने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) देश में कार्य कर रहे भारत में निगमित 37 निजी क्षेत्र के बैंक हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक को निजी क्षेत्र की बैंकिग कंपनियों/बैंकों से भारत में निवेश करने अथवा निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में कताई मिलें

27. **श्री बची सिंह रावत "बचदा" :**
श्री जगबीर सिंह द्रोण :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश विशेष रूप से उत्तरांचल क्षेत्र में कताई मिलें सुचारु रूप से काम नहीं कर रहीं हैं और उन्हें रुग्ण घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन मिलों के पुनरुद्धार के लिये और इन मिलों में काम करने वाले कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.1.97 तक उत्तर प्रदेश राज्य में 35 वस्त्र मिलें बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत थीं। इनमें से मिलों के 7 मामलों को कायम न रखने योग्य के रूप में खारिज कर दिया गया है, 3 मिलों को अब रुग्ण नहीं घोषित किया गया है, 18 मिलों को बन्द करने की सिफारिश की गई है तथा 2 मिलों के मामलों में पुनर्वासन योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ख) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा मिलों के पुनरुद्धार की यथोचित योजनाएं तैयार करने तथा स्वीकृत करने के लिए बी.आई.एफ.आर. की स्थापना की है। सरकार ने मिलों के पूर्णतः/आंशिक रूप से बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अन्तरिम राहत देने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस.) की स्थापना की है।

[अनुवाद]

न्यूनतम बुनियादी सेवाएं

28. **श्री के. प्रधानी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा घोषित तथा अनुमोदित न्यूनतम बुनियादी सेवाएं क्या हैं;

(ख) इस कार्यक्रम पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गयी;

(ग) क्या सरकार का विचार इन न्यूनतम बुनियादी सेवाओं से संबद्ध कार्यक्रम को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) 4-5 जुलाई, 1996 को मुख्यमंत्री सम्मेलन में चिन्हित और सरकार द्वारा अनुमोदित सात न्यूनतम बुनियादी सेवाएं निम्नलिखित हैं:

(i) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का शत-प्रतिशत विस्तार।

(ii) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का शत-प्रतिशत विस्तार।

(iii) प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण।

(iv) सभी आश्रय विहीन निर्धन परिवारों को लोक आवासीय सहायता।

(v) सभी ग्रामीण विकास खंडों और शहरी गंदी बस्तियों तथा अलाभप्राप्त वर्गों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का विस्तार।

(vi) सभी असम्बद्ध गांवों तथा निवास स्थानों की सम्बद्धता का प्रावधान।

(vii) गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु और कारगर बनाना।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक 1690.42 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) इन सात चिन्हित आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं में पहले से किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त, 1996-97 के बजट में राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के 2466 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसमें से 250 करोड़ रुपए गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम के लिए आवंटित किए गए हैं।

स्वर्ण आयात योजना का उदारीकरण

29. **श्री कृष्णलाल शर्मा :**
श्री के.एच. मुनियप्पा :
श्री भक्त चरण दास :
श्री नन्द कुमार साय :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में स्वर्ण आयात नीति को और उदार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उदारीकरण का सोने की घरेलू कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) नई योजना कार्यान्वित किये जाने के बाद कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का सोना देश में आयात किया गया?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 1.1.1997 की अधिसूचना सं0 1/97-सी.शु. जारी करके किसी अनिवासी भारतीय द्वारा आयात किए जा सकने वाले सोने की सीमा को 5 कि.ग्रा. से बढ़ा कर 10 कि.ग्रा. कर दिया है बशर्ते कि उस पर विदेशी मुद्रा में 220 रु0 प्रति 10 ग्राम के हिसाब से सीमा शुल्क अदा किया जाए।

(ग) यह सूचित किया गया है कि अधिकतम सीमा में वृद्धि के बार घरेलू बाजार में सोने के मूल्य में प्रति 10 ग्राम 120 रु0 तक की कमी आई है।

(घ) 1.1.1997 से 15.2.97 तक 1908.34 करोड़ रु0 के मूल्य का 49.86 टन सोना आयात किया गया है।

राज्यों को प्रति व्यक्ति अनुदान

30. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रति व्यक्ति कितना केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराया गया है;

(ख) केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं, और

(ग) वर्ष 1995-96 के अंत तक प्रत्येक राज्य पर केन्द्रीय ऋण की कितनी राशि बकाया है तथा वर्ष 1996-97 के अंत तक कितनी राशि बकाया होने का अनुमान है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ग) विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित मापदण्ड और तुल्यमान गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला के अंतर्गत हैं, जोकि इस प्रकार से है :

माप दण्ड	तुल्यमान प्रतिशत
क. विशेष श्रेणी	
राज्य (10)*	30 प्रतिशत शेयर
ख. गैर-विशेष श्रेणी	
राज्य (15)**	70 प्रतिशत शेयर
I जनसंख्या (1971)	60.00
II प्रति व्यक्ति आय (क+ख)	25.00

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-97) के दौरान दी गई सकल/प्रति व्यक्ति सहायता और 31.3.96 के अनुसार वित्त मंत्रालय के बकाया ऋण और 31.3.97 को अनुमानतः बकाया

क्र.सं	राज्य	जनसंख्या 1971 (लाख) रु०	1992-93 सकल आवंटन (करोड़ रु० में)	1992-93 प्रति व्यक्ति (रु०)	1993-94 स०आ० (करोड़ रु० में)	1993-94 प्र०व्यक्ति (रु०)	1994-95 स० आ० (करोड़ रु० में)	1994-95 प्र० व्यक्ति (रु०)	1995-96 स० आ० (करोड़ रु० में)	1995-96 प्र० व्यक्ति (रु०)	1996-97 स० आ० (करोड़ रु० में)	1996-97 प्र० व्यक्ति (रु०)	31.3.96 को बकाया ऋण (करोड़ रु० में)	31.3.97 को अनुमानित बकाया ऋण (करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
क.	**विशेष श्रेणी**													
1.	अरुणाचल प्रदेश	4.68	247.60	5291	277.49	5929	306.87	6557	413.80	9842	445.46	9518	195.91	234.68
2.	असम	146.25	756.41	517	846.99	579	898.87	614	984.24	673	1137.35	778	3518.88	3695.81
3.	हिमाचल प्रदेश	134.60	277.99	803	333.07	963	386.37	1117	501.50	1449	549.95	1589	1371.34	1628.94
4.	जम्मू और कश्मीर	46.17	730.64	1582	790.44	1712	839.83	1819	1042.25	2257	1202.78	2605	2541.92	2757.89
5.	मणिपुर	10.73	193.70	1805	207.70	1936	248.37	2315	293.33	2734	337.68	3147	178.30	199.74
6.	मेघालय	10.12	172.86	1708	183.50	1813	236.85	2340	244.20	2413	281.06	2777	216.63	245.30
7.	मिजोरम	3.32	161.49	4864	177.48	5346	216.58	6527	258.48	7786	273.69	8144	126.30	152.28
8.	नागालैण्ड	5.16	164.48	3188	187.05	3625	252.90	4901	285.90	5541	305.72	5925	227.24	247.46
9.	सिक्किम	2.10	98.41	4686	107.96	5141	134.96	6427	173.51	8262	188.36	8970	119.09	135.06
10.	त्रिपुरा	15.56	211.01	1356	224.58	1443	251.10	1614	295.22	1897	336.98	2166	317.61	354.23
	जोड़ - क	278.69	3014.59	1082	3336.26	1197	3772.60	1354	4492.43	1612	5059.03	1815	8813.22	9651.39
ख.	**गैर विशेष श्रेणी**													
1.	आंध्र प्रदेश	435.03	552.50+	127	607.50	140	747.50	172	777.50	179	940.97	216	9560.69	10771.92
2.	बिहार	563.53	776.31	138	870.31	154	957.31	170	1055.11	187	276.98	227	8551.39	9869.34
3.	गोवा	7.95	42.00*	528	43.00	541	50.34	633	58.34	134	61.33	771	756.70	802.02
4.	गुजरात	266.97	245.72	92	255.22	96	281.55	105	331.08	124	397.93	149	8635.85	9608.49
5.	हरियाणा	100.37	121.37	121	158.37	158	198.71	198	215.37	215	231.01	230	3228.83	3705.24
6.	कर्नाटक	292.99	265.34	91	280.34	96	308.15	105	379.15	129	655.88	156	5941.03	6713.22
7.	केरल	213.47	324.33	152	369.28	173	384.88	180	428.08	201	492.35	231	4178.54	4767.74
8.	मध्य प्रदेश	416.54	493.30	118	536.03	129	567.03	136	670.03	161	838.13	201	5664.38	6361.42
9.	महाराष्ट्र	504.12	434.24	86	438.24	87	460.24	91	570.24	113	702.69	139	13413.63	14984.78
10.	उड़ीसा	219.45	339.90	155	339.90	155	379.90	173	438.34	200	520.01	237	4204.75	4797.34
11.	पंजाब	135.51	162.92	120	162.92	120	169.26	125	217.92	161	245.56	181	9610.91	10707.56
12.	राजस्थान	257.66	385.76	150	396.51	154	438.51	170	484.56	188	582.68	226	6101.01	6979.06
13.	तमिलनाडु	411.99	515.92	125	550.92	134	654.14	159	670.14	163	771.55	187	7441.11	8541.78
14.	उत्तर प्रदेश	883.41	1142.71	129	1192.80	135	1293.80	146	1511.93	171	1841.41	208	18831.22	21294.51
15.	पश्चिम बंगाल	443.12	425.72	96	463.54	105	524.64	118	618.78	140	883.94	199	11102.73	13211.17
	जोड़	5152.11	6228.04	121	6664.88	1297	415.96	144	8426.67	164	10242.60	199	117222.77	133114.59
	जोड़ (क+ख)	5430.80	9242.63	170	10001.14	184	11188.56	206	2919.00	238	15301.63	282	126035.99	142765.98

+ वर्ष 1991-92 के लिए बकाया 21 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं।

* एक बार सहायता के रूप में सभा भवन के लिए 10 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं।

नोट : प्रति व्यक्ति आंकड़ों को 1971 जनगणना के आधार पर निकाला गया है, जैसे कि जनगणना नीति विवरण 1977 के अनुसार फार्मूला प्रयोग में लाया गया था।

≠ मूलभूत न्यूनतम सेवाओं और ग्राम विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सहित।

तमिलनाडु में उद्योगों को ऋण

31. **श्री एन.एस.वी. चित्तन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में अब तक वित्तीय और निवेश संस्थान द्वारा उद्योगों को कितनी सहायता राशि मंजूर तथा जारी की गई;

(ख) इन ऋणों हेतु प्रति वर्ष कितनी इकाइयां आवेदन करती हैं; और

(ग) आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिये अपनाए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चुनाव आयुक्त का पद

32. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
श्रीमती रत्नमाला डी. सवान्नूर:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त का पद लम्बे समय से रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त पद पर यथाशीघ्र भर्ती करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त पद पर नियुक्ति कब तक किये जाने की संभावना है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी हाँ।

(ख) डॉ॰ एम.एस. गिल ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर प्रोन्नत होने के परिणामस्वरूप निर्वाचन आयुक्त का पद 12 दिसम्बर, 1996 को रिक्त हुआ है।

(ग) और (घ) निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और नियुक्ति शीघ्र ही कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक का पर्यवेक्षण विभाग

33. **श्री आई.डी. स्वामी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभूति घोटाले के बाद भारतीय रिजर्व बैंक में पर्यवेक्षण विभाग स्थापित करने से वाणिज्यिक बैंकों के कार्यकरण में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पिछले तीन वर्षों के दौरान, बैंक-वार कितनी बार निरीक्षण किये गये;

(घ) निरीक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) पर्यवेक्षण विभाग ने कई उपाय किए हैं जिनकी वजह से बैंककारी/वित्तीय प्रणाली में सुधार हुए हैं। इसके आधार पर नई "अविरत" निरीक्षण पर्यवेक्षी नीति शुरू की गई है जिनके अंतर्गत स्थल पर आवधिक निरीक्षण, विवेकपूर्ण पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्धारण जिसमें बैंकों द्वारा, मौके पर जाकर निरीक्षण करने के स्थान पर पर्यवेक्षण विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं, संस्थानों की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को मजबूत करना और पर्यवेक्षी तंत्र के रूप में बाह्य लेखा परीक्षा के बढ़ते हुए उपयोग का समर्थन शामिल है। इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों और कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों के निरीक्षण की अवधि को वार्षिक किया जाए। स्थलतर निगरानी प्रणाली भी शुरू की गई और बैंकों के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया और कुछ कमजोर बैंकों के लिए निगरानी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस प्रकार, निरीक्षणात्मक पहल के परिणामस्वरूप, जैसा कि बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षाओं से जाहिर है, बैंकों के जिन कार्यनिष्पादनों में सुधार आया है, वे हैं - पूंजी पर्याप्तता अनुपात, अनिष्पादित आस्तियों में कमी, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और आंतरिक लेखा क्षेत्रों में सुधार आदि।

(ग) आर.बी.आई. द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के बैंकों में हुए निरीक्षणों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) बैंकों की निर्धारित कार्य-प्रणालियों और आर.बी.आई. के अनुदेशों से संबंधित अनियमितताएँ मुख्य रूप से बैंकों के

आवधिक निरीक्षण के दौरान उजागर होती हैं। ये अनियमितताएं, मुख्यतः जमाराशियों (जमाराशि प्रमाण-पत्रों सहित) आंतरिक नियंत्रण निवेशों, बाह्य अलंकरण, स्टाक-निवेश योजना, ऋण प्रबंधन, विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन न करने, चुनींदा वस्तुओं के बदले में अग्रिमों, शेयरों के बदले अग्रिम, ऋण सीमाओं का पुनरीक्षण/नवीकरण, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने आदि जैसे क्षेत्रों में होती है।

(ङ) निरीक्षण पर आधारित जांच-परिणामों के आधार पर आर.बी.आई. अनुवर्ती कार्रवाई करता है। आर.बी.आई. निरीक्षण रिपोर्ट पर बैंक की टिप्पणियां प्राप्त करता है। तत्पश्चात आर. बी.आई. बैंक के मुख्य कार्यपालकों को विचार-विमर्श के लिए बुलाता है ताकि कमियों को दूर करने के लिए जाने वाले उपायों का पता लगया जा सके। सम्मत अनुवर्ती कार्रवाई के कार्यान्वयन कर आर.बी.आई. निगरानी रखता है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंक

क्रम संख्या	बैंक का नाम	गत तीन वर्षों (अप्रैल 1994-95, 95-96, 96-97) के दौरान हुये निरीक्षणों की संख्या
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1*
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	3
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3
4.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	3
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	3
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	3
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	3
9.	इलाहाबाद बैंक	3
10.	आन्ध्र बैंक	3
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	3
12.	बैंक ऑफ इण्डिया	3
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3
14.	केनरा बैंक	3
15.	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	3
16.	कार्पोरेशन बैंक	3
17.	देना बैंक	3
18.	इंडियन बैंक	3
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	3
20.	ओरियेंटल बैंक आफ कामर्स	3
21.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	3
22.	पंजाब नैशनल बैंक	3
23.	सिंडिकेट बैंक	3
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	3
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3
26.	यूको बैंक	3
27.	विजया बैंक	3

* पहले जुलाई 1993 में निरीक्षण किया गया था। अगला निरीक्षण शीघ्र करने का प्रस्ताव है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

1	2	3
1.	बैंक ऑफ मदूरा लि०	2
2.	बैंक ऑफ राजस्थान	2
3.	बरेली कार्पोरेशन बैंक लि०	2
4.	बनारस स्टेट बैंक लि०	3
5.	भारत ओवरसीज बैंक लि०	2
6.	कैथोलिक सीरियन बैंक लि०.	3
7.	फेडरल बैंक लि०	1
8.	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि०	1
9.	कर्नाटक बैंक लि०	3
10.	करूर वैश्य बैंक लि०	1
11.	सिटी यूनियन बैंक लि०	1
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि०	1
13.	लार्ड कृष्ण बैंक लि०	2
14.	नेदूनगड़ी बैंक लि०	2
15.	पंजाब कापरेटिव बैंक लि०	2
16.	रत्नाकर बैंक लि०	2

1	2	3
17.	सांगली बैंक लि०	2
18.	साउथ इंडियन बैंक लि०	2
19.	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि०	2
20.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि०	2
21.	वैश्य बैंक लि०	2
22.	धनलक्ष्मी बैंक लि०	2
23.	नैनीताल बैंक लि०	2
24.	गणेश बैंक ऑफ कुरून्दवाड लि०	2
25.	बारी दोआब बैंक लि०	2
26.	सिक्किम बैंक लि०	2
27.	काशीनाथ सै० बैंक लि०	2
28.	इंड्स इंड बैंक लि०	2
29.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि०	2
30.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि०	2
31.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि०	2
32.	सेंचूरीयन बैंक लि०	2
33.	बैंक ऑफ पंजाब लि०	2
34.	टाइम्स बैंक लि०	2
35.	एस.बी.आई. कामर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि०	2
36.	आई.डी.बी.आई. बैंक लि०	2
37.	डैवलपमैंट क्रेडिट बैंक लि०	2
38.	यू.टी.आई. बैंक लि०	2

प्राकृतिक रबड़ का मूल्य

34. **श्री पी.सी. थामस:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में जनवरी-फरवरी, 1996 के दौरान प्रचलित मूल्य दर की तुलना में चालू वर्ष के मूल्य में गिरावट आई है;

(ख) क्या इस प्रकार से मूल्यों में गिरावट होने के कारण किसान अत्यधिक परेशान हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और जनवरी, 1996 से फरवरी, 1997 तक मूल्यों का माह-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों को लाभकारी अथवा उचित मूल्य दिलाने के लिये सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गये हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या राज्य व्यापार निगम ने प्राकृतिक रबड़ खरीदना आरम्भ कर दिया है;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राकृतिक रबड़ की खरीद कब से आरम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं। कीमतें अलाभकारी स्तर तक कम नहीं हुई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (ङ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ज) अपने वाणिज्यिक प्रचालनों के एक भाग के रूप में एस.टी.सी. ने केरल स्टेट कोआपरेशन रबड़ मार्केटिंग फैडरेशन, कोचीन के साथ सुयंक्त रूप से अभी तक 510 मी. टन के दिए गए आर्डर में से 374 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की मात्रा खरीदी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता

35. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय नवीकरण कोष में सहायता के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में स्वीकृत, अस्वीकृत और विचाराधीन प्रस्तावों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) जी, हाँ। गुजरात स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लि०, की पुर्नसंरचना तथा परिसमापन अधीन बंद पड़ी कपड़ा मिलों के लिए क्षेत्रीय पुनर्सृजन योजना के लिए गुजरात सरकार से राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता के लिए 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता के लिए उपरोक्त 2 प्रस्तावों में निहित राशि क्रमशः 96.83 करोड़ रु० तथा 168.37 करोड़ रु० है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता केवल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाओं के लिए युक्तिकृत कर्मचारियों के परामर्श, पुनःप्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए है।

[अनुवाद]

बैंक धोखाधड़ियों से निपटने के लिए केन्द्रीय बोर्ड

36. **श्री प्रमोद महाजन :**
श्री बीर सिंह महतो :
श्री टी. गोपाल कृष्ण :
डॉ० एम. जगन्नाथ :
श्री नीतिश कुमार :
श्री सुरेन्द्र यादव :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :
प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री के. प्रधानी :
श्री चित्त बसु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंक धोखाधड़ियों से निपटने और राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए तौर-तरीके सुझाने हेतु एक बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंक धोखाधड़ियों की जांच में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और इस बोर्ड की क्या भूमिका है; और

(घ) बैंक धोखाधड़ियों से निपटने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) वर्ष 1992 में संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सरकार बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में गंभीर धोखाधड़ियों से निपटने के लिए पृथक धोखाधड़ियों से संबंधित एक विशेष ब्यूरो स्थापित करने पर विचार कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विशेष ब्यूरो कार्यक्षेत्र की जांच की जा रही थी। इस मामले की बाद में जांच करने पर यह महसूस किया गया था कि चूंकि बैंक ऋण देने के व्यवसाय में लगीं वाणिज्यिक संस्थाएं हैं जिनमें संबद्ध वाणिज्यिक जोखिक स्वाभाविक रूप से अंतर्ग्रस्त होते हैं और चूकि ऐसे वास्तविक वाणिज्यिक निर्णय के मामलों में भेद करना आवश्यक है, जिनसे हानि और भ्रष्टाचार/आपराधिक उपेक्षा होती है, अतः केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के क्षेत्राधिकार को नकारा नहीं जा सकता, बल्कि बैंकिंग लेन-देनों में केवल अपराधिता एवं भ्रष्टाचार के मामलों के लिए एक उपयुक्त तंत्र बनाया जा सकता है, ताकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटा सके एवं उनकी छानबीन कर सके। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक धोखाधड़ियों के संबंध में एक सलाहकार बोर्ड स्थापित किया है जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा महाप्रबंधक एवं इससे ऊपर के ओहदे के बैंक अधिकारियों के विरुद्ध जांच/मामलों के पंजीकरण के लिए सीधे या वित्त मंत्रालय के जरिए भेजे गए मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह दे सके।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ियों एवं अनियमितताओं को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण एवं लेखा-परीक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए गये हैं। बोर्ड स्तर की प्रबंध समितियां एवं लेखा परीक्षा समितियां स्थापित की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह भी कहा है कि वे अपनी बड़ी और अत्यधिक बड़ी शाखाओं में समवर्ती लेखा-परीक्षक नियुक्त करें, ताकि निर्धारित क्रियाविधियों का अनुपालन न करने का अविलम्ब पता लगाया जा सके और अनियमितताओं और धोखाधड़ियों को रोका जा सके। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में सतर्कता तंत्र हैं, जो निवारक एवं पता लगाने संबंधी उपाय करने के लिए उत्तरदायी हैं, ताकि बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ियों एवं भ्रष्टाचार को रोका जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के आन्तरिक निरीक्षण एवं सतर्कता तंत्र के कार्यसंचालन की सतत समीक्षा करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक मार्गनिर्देश भी जारी किए हैं। वह धोखाधड़ी के मामलों की भी लगातार पुनरीक्षा करता है और बैंकों को विशिष्ट मामलों में कार्यप्रणाली तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपेक्षित सुरक्षा, संचालन कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण और धोखाधड़ियों के बड़े मामलों में जांच एवं छानबीन की सलाह देता है। भारतीय रिजर्व बैंक धोखाधड़ी बहुल क्षेत्रों में प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं एवं नियंत्रण व्यवस्थाओं का अचानक निरीक्षण भी करता है। निर्धारित समय-अन्तरालों पर किए जाने वाले स्थल पर निरीक्षणों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्नत पर्यवेक्षण हेतु स्थलेतर निगरानी प्रणाली भी बनाई है। वित्तीय प्रणाली का एकीकृत पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से, सलाहकार परिषद् सहित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बी. एफ.एस.) का वर्ष 1994 में गठन किया गया था।

हथकरघा सामान का निर्यात

37. **श्री जार्ज फर्नान्डीज:**
श्री मडेश कुमार एम. कनोडिया:
डॉ॰ रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री ए.जी.एस. राम बाबू :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने मूल्य के वस्त्रों, विशेषकर कपास और बुने हुए वस्त्रों का निर्यात किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कुल कितने मूल्य के हथकरघा सामान का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको यह सामान निर्यात किया गया; और

(घ) वस्त्रों, विशेषतया हथकरघा वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती वस्त्रों के निर्यात निम्न अनुसार रहे हैं:

मूल्य (करोड़ रु0 में)

	1993-94	1994-95	1995-96
सूती वस्त्र (फैब्रिक्स, मेड-अप्स तथा यार्न)	6300.92	8738.66	10390.04
जिसमें से:			
(1) सूती फैब्रिक्स (मिल-निर्मित तथा विद्युत करघा)	2104.60	2890.30	3415.77
(2) सूती फैब्रिक्स	281.59	320.22	254.82

(ग) भारत के हथकरघा उत्पादों के निर्यात सौ से भी अधिक देशों को किए जा रहे हैं। तथापि, संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य, जापान, आस्ट्रेलिया तथा कनाड़ा भारतीय हथकरघा उत्पादों के प्रमुख बाजार हैं।

(घ) सरकार देश से हथकरघा के सामान सहित वस्त्र मदों के निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है, जैसे कि क्रेता-विक्रेता बैठकों को प्रयोजित करना, प्रमुख बाजारों में मेलों में भाग लेना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना, उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उत्पाद विकास तथा गुणवत्ता उन्नयन करना।

जम्मू और कश्मीर में लघु और बड़े उद्योगों को राजसहायता

38. **श्री गुलाम रसूल कार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और चालू वर्ष में जनवरी 1997 तक जम्मू और कश्मीर में लघु और बड़े उद्योगों को कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(ख) किन-किन उद्योगों को राजसहायता प्रदान की गई और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या राजसहायता केवल कच्चा माल परिवहन और विद्युत जैसी मदों के लिए ही प्रदान की गई; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) स्वीकृत किए गए मामलों की संख्या के साथ लघु तथा बड़े उद्योगों को जारी की गई राजसहायता की वर्ष वार राशि निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत किए गए मामलों की संख्या	(लाख रुपये)
	1993-94	210	534.18
	1994-95	214	379.40
	1995-96	313	816.66
	1996-97 (जनवरी, 97 के अन्त तक)	424	825.92

(ख) जिलेवार एककों को स्वीकृत राजसहायता नीचे दी गई है:

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत किए गए मामलों की वर्षवार संख्या 93-94	94-95	95-जनवरी, 97 तक	
1.	जम्मू	130	131	190	321
2.	कठुआ	4	12	49	46
3.	उधमपुर	6	4	2	2
4.	राजौरी	–	1	–	–
5.	श्रीनगर	18	26	30	9
6.	बड़गाम	16	13	13	17
7.	पुलवामा	22	10	8	10
8.	अनंतनाग	5	2	8	2
9.	बारामुला	7	10	9	12
10.	कुपवाड़ा	1	2	2	3
11.	लेह	1	2	2	1
12.	कारगिल	–	1	–	1
	कुल	310	214	313	424

परिवहन राजसहायता तथा निवेश राजसहायता के संबंध में नाम, तथा स्थापना स्थल संलग्न विवरण I और II में दिये हैं।

(ग) जी, नहीं। इसके अलावा अन्य राजसहायता निम्न प्रकार प्रदान की गई :

1. कच्चे माल पर सी.एस.टी. वापसी
2. मशीनरी पर सी.एस.टी. वापसी
3. डी.जी. सेटों पर 100 प्रतिशत राजसहायता। सेटों के वास्तव में अधिष्ठापित हो जाने के बाद ही उपलब्ध होगी।
4. कार्यशील पूंजी पर 5 प्रतिशत ब्याज की छूट उपलब्ध होगी जिसकी अधिकतम सीमा 10.00 लाख रुपय प्रतिवर्ष एकक होगी।
5. परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने की लागत पर 100 प्रतिशत राजसहायता।
6. आई.एस.आई.मार्क शुल्क पर राजसहायता।
7. टेक्नोक्रेट के लिए पारिश्रमिक।
8. पूंजी निवेश राजसहायता।

(क) स्थापित किये गए तथा वाणिज्य उत्पादन शुरू करने वाले नए औद्योगिक एकक अपने अचल पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश प्रोत्साहन पाने के पात्र होंगे जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये तक होगी।

(ख) 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का अचल पूंजी निवेश करने वाली नई एकक को प्रतिष्ठित एकक के रूप में माना जायेगा। उनके मामले में निर्धारित पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा 60 लाख रुपये होगी।

(ग) कच्चे माल के लिए रेल शीर्ष से फैक्टरी स्थल तक तथा वहां से तैयार सामानों के लिए 90 प्रतिशत परिवहन राजसहायता।

(घ) राजसहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार दिए गए हैं:

क्र. सं.	मद	दी गई राजसहायता की राशि			
		93-94	94-95	95-96	96-97
1.	सी.एस.टी. वापसी				
	(क) एकक	95	126	115	1
	(ख) राशि (रु. लाख में)	244.96	200.74	154.24	0.66
2.	ब्याज राजसहायता				
	(क) एकक	20	9	141	252
	(ख) राशि (रु. लाख में)	5.03	1.49	424.71	186.41
3.	डी.जी.सेट इत्यादि पर राजसहायता				
	(क) एकक	21	21	9	64
	(ख) राशि (रु0 लाख में)	19.40	27.24	16.89	297.91

विवरण - I

जम्मू तथा कश्मीर सरकार परिवहन राजसहायता

वर्ष वार वितरित परिवहन राजसहायता दर्शाने वाला विवरण 1994-95

क्र. सं.	एकक का नाम	रुपये लाख में वितरित राशि
1	2	3
1.	मैं. के.बी. रोलर फ्लोर मिल्स गुलशन नगर बडगाम	2.58
2.	मै. चिनार रोलर फ्लोर सोपोर बारामूला	7.52
3.	मैं. ट्राम्बू रोलर मिल्स सोपोर बारामूला	15.71
4.	मै. जे.के. रोलर फ्लोर मिल्स अनन्तनाग	9.12
5.	मै. पन्ना केटल फीड इण्ड बारामूला	0.50
6.	मै. कमल नैन एण्ड कं. हुमहामा बडगाम	14.10
7.	मैं. गुलमर्ग रोलर फ्लोर मिल्स बडगाम	15.62
8.	मै. त्रिकुटा रोलर फ्लोर मिल्स उधमपुर	2.31
9.	मै. देहखान केटल फीड इण्ड श्रीनगर	1.56
10.	मै. सुपर फीड इण्ड बड़गाम	2.50
11.	मै. आर.सी. फ्लोर मिल्स उधमपुर	3.80
12.	मै. मारुति टाइल इण्ड बड़गाम	2.47
13.	मै. सैफको रोलर फलोर मिल्स पम्पोरे पुलवामा	9.98
14.	मै. कूल अप बोटलिंग कं. श्रीनगर	1.84
15.	मै. चांद रोलर फ्लोर मिल्स श्रीनगर	13.52
16.	मै. थ्री स्टार केटल/पौलटरी फीड बड़गाम	4.46
17.	मै. सनसन प्रॉडक्ट बारामूला	1.58
18.	मै. सानर अग्रो इण्ड. कुपावाड़ा	3.14
19.	मै. वाणी कैटल फीड इण्ड. फुलवामा	2.88
20.	मैं. जे.के. फीड इण्ड बडगाम	1.02
21.	मै. डबल वन ट्रेडर्स श्रीनगर	0.37
22.	मै. एडो फीड्स पुलवामा	0.93
23.	मै. स्टैन्डर्ड रोलिंग शटर्स पुलवामा	0.62
24.	मैं अप्पा चक्की फ्लोर मिल्स पुलवामा	1.50
25.	मैं. बोडर टाउन केटल/पोल्टरी फीड बारामूला	0.50
26.	मैं गोदारी केटल बीड बैटरन बारामूला	0.50
27.	मै. एश. आर. प्रोडक्ट बारामूला	0.50
28.	मै. कश्मीर फीड्स बड़गाम	1.50
29.	मै. झेलम फीड्स बड़गाम	0.50
30.	मै. शान पोल्टरी श्रीनगर	0.50
31.	मै. चिनार फीड्स कुपवाड़ा	0.50
32.	मै. स्टार फीड्स पुलवामा	0.50
33.	मै. फैलकोन फीड इण्ड. चन्पोरा बडगाम	0.50
34.	मै. कृष्णा फ्लोर एण्ड आयल मिल्स श्रीनगर	7.06
35.	मै. प्रताव टाइल इण्ड बडगाम	0.50

1	2	3
36.	मै. सन्नी टाइल इण्ड बड़गाम	0.50
37.	मै. देर सीमेंट टाइल्स एण्ड जेलीज पम्पोरे पुल.	0.22
38.	मै. सुशील स्टील इण्ड बारामूला	0.28
39.	मै. डायमण्ड स्टील इण्ड बारामूला	0.37
40.	मै. कुच्वी ट्रेडर्स श्रीनगर	0.30
41.	मै. स्टेन्डर्ड सा मिल्स श्रीनगर	0.35

जम्मू तथा कश्मीर सरकार परिवहन राज सहायता

1995-96 *(रू० लाख में)*

क्र. सं.	एकक् का नाम	वितरित राशि
1	2	3
1.	मै० चिनार रॉलर फ्लोर मिल सोपोर बारामूला	7.13
2.	मै० ट्राम्बू रॉलर फ्लोर मिल सोपोर बारामूला	10.58
3.	मै० के.बी. रॉलर फ्लोर मिल गुलशन नगर बड़गाम	8.43
4.	मै० जे.के. रॉलर फलोर मिल अनन्तनाग	6.40
5.	मै० कश्मीर एन्टरप्राइजेज श्रीनगर	0.55
6.	मै० पन्ना कैटल फिल इन्डस्ट्रीज बारामूला	10.07
7.	मै० सुन्दरी डायमण्ड कटर बड़गाम	1.64
8.	मै० गुलमर्ग रॉलर फ्लोर मिल बड़गाम	32.00
9.	मै० त्रिकुटा रॉलर फ्लोर मिल उधमपुर	5.30
10.	मै० देखन कैटल फीड इन्डस्ट्रीज श्रीनगर	1.30
11.	मै० सुपर फीड इन्डस्ट्रीज बड़गाम	14.08
12.	मै० आर.सी. फलोर मिल उधमपुर	4.31
13.	मै० मारूति टाइल इन्डस्ट्री बड़गाम	2.13
14.	मै० सैफको रॉलर फ्लोर मिल पाम्पोर/पुलवामा	10.37
15.	मै० कूल अप बॉटलिंग कं. श्रीनगर	7.75
16.	मै० थ्री स्टार कॉटल/पॉट्री फिड बड़गाम	3.20
17.	मै० चाँद रॉलर फलोर मिल श्रीनगर	6.80
18.	मै० सैन्सन प्रोडक्ट्स बारामूला	5.70
19.	मै० सनर एग्रो इन्डस्ट्रीज कुपवाड़ा	8.74
20.	मै० वाणी कॅटल फीड इन्डस्ट्रीज पुलवामा	0.65
21.	मै० जे.के. फीड इन्डस्ट्रीज बड़गाम	5.26
22.	मै० कश्मीरी लाल जैन एण्ड कं. आई.ई.बुर्जुला बड़गाम	[illegible]8
23.	मै० गुड स्टॉक फर्निशिंग लेह	0.45
24.	मै० आप्पा चक्की फ्लोर मिल पुलवामा	0.48
25.	मै० बोर्डर टाउन कॅटल/पाल्ट्री फिड बारामूला	3.29
26.	मै० गोजरे कॅटल फीड पट्टन बारामूला	2.10
27.	मै० एस.आर. प्रोडक्ट्स बारामूला	9.59
28.	मै० काश्मीर फीड्स बड़गाम	11.35
29.	मै० झेलम फीडस बड़गाम	4.77
30.	मै० फॉलकन फीड इन्डस्ट्रीज चानपोरा बड़गाम	4.85
31.	मै० शान पॉल्ट्री श्रीनगर	4.05

1	2	3
32.	मै० स्टार फीड्स पुलवामा	0.50
33.	मै० चिनार फीड्स कुपवाड़ा	3.76
34.	मै० प्रताप टाइल इन्डस्ट्री बड़गाम	4.84
35.	मै० सन्नी टाइल इन्डस्ट्रीज बारामूला	1.00
36.	मै० सुशील स्टील इन्डस्ट्रीज बारामूला	0.94
37.	मै० डायमण्ड स्टील इन्डस्ट्रीज बारामूला	0.83
38.	मै० कच्वे ट्रेडर्स श्रीनगर	0.66
39.	मै० स्टैण्डर्ड शॉ मिल श्रीनगर	0.34
40.	मै० एग्रो इन्टरप्राइजेज श्रीनगर	1.10
41.	मै० स्टील स्टॉक फर्नीचर लेह	0.28

जम्मू तथा कश्मीर सरकार परिवहन राजसहायता

1996-97 *(रुपये लाख में)*

क्र.सं.	एकक का नाम	वितरित राशि
1	2	3
1.	मैसर्स चिनार रोलर फ्लोर मिल्स, बारामूला	2.01
2.	मै० चांद रोलर फलोर मिल्स, श्रीनगर	2.80
3.	मै० जे.के. रोलर फलोर मिल्स, अनंतनाग	6.88
4.	मै० के.बी. रोलर फ्लोर मिल्स, बड़गाम	1.00
5.	मै० मारूती टाईल इंडस्ट्री, बड़गाम	0.65
6.	मै० सैंसन प्रोडक्ट्स, बारामूला	2.00
7.	मै० पंजाब ऑयल मिल्स एंड एलायड इंडस्ट्रीज, बारामूला	[illegible]
8.	मै० सैफको रोलर फ्लोर मिल्स, पुलवामा	3.12
9.	मै० सनार एग्रो इंडस्ट्रीज, कुपवाड़ा	10.33
10.	मै० देहखन कैसल फीड इंडस्ट्रीज, श्रीनगर	0.42
11.	मै० सुपर फीड इन्डस्ट्रीज, बड़गाम	[illegible]26
12.	मै० कूल अप बॉटलिंग कारपोरेशन, श्रीनगर	4.16
13.	मै० थ्री स्टार कैसल/पॉल्ट्री फीड, बड़गाम	1.25
14.	मै० ट्राम्बू रोलर फ्लोर मिल्स, बारामूला	3.23
15.	मै० गुलमर्ग रोलर फ्लोर मिल्स, बड़गाम	10.77
16.	मै० सुंदरी डायमंड कटर, बड़गाम	0.90
17.	मै० वानी कैसल फीड इन्डस्ट्रीज, पुलवामा	8.22
18.	मै० जे.के. फीड इन्डस्ट्रीज, बड़गाम	2.23
19.	मै० काश्मीरी लाल जैन एंड कम्पनी, बड़गाम	0.76
20.	मै० त्रिकुट रोलर फ्लोर मिल्स, उधमपुर	1.86
21.	मै० जैफ्रान आयल मिल्स, पुलवामा	2.18
22.	मै० कश्मीर फ्लोर व ऑयल मिल्स ''ख'' एकक, श्रीनगर	[illegible]
23.	मै० कमल नैन एंड कंपनी, बड़गाम	6.00
24.	मै० अम्मा चाकी फ्लोर मिल्स, पुलवामा	3.44
25.	मै० बोर्डर टाउन कैसल/पॉल्ट्री फीड, बारामूला	0.88
26.	मै० पन्ना कैसल फीड इंडस्ट्रीज, बारामूला	3.51
27.	मै० गोरजी कैसल फीड, बारामूला	1.63

1	2	3
28.	मै० एस.आर. प्रोडक्ट्स, बारामूला	4.86
29.	मै० कश्मीर फीड्स, बड़गाम	3.55
30.	मै० झेलम फीड्स, बड़गाम	4.48
31.	मै० फाल्कन फीड इंडस्ट्रीज, बड़गाम	3.34
32.	मै० शान पॉल्ट्री, श्रीनगर	2.57
33.	मै० चिनार फीड्स, कुपवाड़ा	1.33
34.	मै० स्टार फीड्स, पुलवामा	1.39
35.	मै० प्रताप टाईल इंडस्ट्रीज, बड़गाम	3.56
36.	मै० सन्नी टाईल इंडस्ट्रीज, बड़गाम	0.48
37.	मै० डार सीमेंट टाईल्स एण्ड जे ली ज, पुलवामा	0.86
38.	मै० सुशील स्टील इंडस्ट्रीज, बारामूला	0.61
39.	मै० कुचे ट्रेडर्स, श्रीनगर	0.53
40.	मै० एग्रो इंटरप्राइजेज, श्रीनगर	1.46
41.	मै० यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया, श्रीनगर	10.27
42.	मै० आमीन एसासिएट्स, श्रीनगर	1.04
43.	मै० चिनार मिनरल्स प्रोडक्ट्स, पुलवामा	0.67
44.	मै० खामील फीड्स, कुपवाड़ा	3.09
45.	मै० न्यू रोयल फीड्स, बड़गाम	0.88
46.	मै० दरगार कैसल फीड, बारामूला	3.57
47.	मै० अमीर कैसल फीड, पुलवामा	5.54
48.	मै० कश्मीर कैसल/पॉल्ट्री फीड, बड़गाम	1.01
49.	मै० डिलाईट फीड, बड़गाम	3.49
50.	मै० न्यू कश्मीर कैसल/पॉल्ट्री फीड, पुलवामा	2.64
51.	मै० कोहीनूर कैसल फीड, पुलवामा	2.19
52.	मै० रोज इंडस्ट्रीज, बारामूला	4.94
53.	मै० जैनगीर सीमेंट वर्क्स सोपोर, बारामूला	6.04
54.	मै० शुबुल रोलर फ्लोर मिल्स, अनंतनाग	9.74

विवरण -II

जम्मू तथा कश्मीर सकिआई.एस.

विगत तीन वर्षों के दौरान जनवरी 97 तक स्वीकृत पूंजी निवेश राजसहायता का विवरण

1994-95........ शून्य.........

(रु० लाख में)

क्र.	संस्थान सहित एकक का नाम	स्वीकृत राशि 1995-96
1	2	3
	1995-96	
1.	मैसर्स त्रिकुटा बेकर्स, उधमपुर	3.24
2.	मै० नायर इलैक्ट्रोड्स प्रा० लि०, जम्मू	7.58
3.	मै० कौल प्लास्टिक ऐड्स (इंडिया) प्रा. लि., जम्मू	2.82
4.	मै० फन-एन-फीस्ट सिडको, कॉम्पलेक्स, जम्मू	0.87
5.	मै० वन्दना इन्टरप्राइजेज, उधमपुर	2.11
6.	मै० आर.एस. इन्डस्ट्रीज, जम्मू	4.56
7.	मै० मोहित इंडस्ट्रीज, कथुआ	2.84
8.	मै० जे.के. प्रोफिंग कं०, जम्मू	7.86
9.	मै० त्रिशूल इन्टरप्राइजेज प्रा. लि., जम्मू	8.52
10.	मै० ओसी पेंट्स, जम्मू	0.77
11.	मै० एस.एस. प्लास्टिक, जम्मू	3.27
12.	मै० त्रिशूल सिल्क इन्टरनेशनल, जम्मू	7.67
13.	मै० एस.पी. लैम्प, जम्मू	1.97
14.	मै० जम्मू मिल्क प्रोडक्टस, जम्मू	1.78
15.	मै० शर्मा बॉ कॉनसरेट वर्क्स, उधमपुर	2.27
16.	मै० ए.सी.एम. स्पोर्ट्स, कथुआ	0.06
17.	मै० धनवाल प्लास्टिक, कथुआ	1.02
18.	मै० देशराज एंड सन्स, कथुआ	4.54
19.	मै० जय दुर्गा इन्टरप्राइजेज, कथुआ	0.42
20.	मै० शिवा रोलर फ्लोर मिल्स, कथुआ	19.45
21.	मै० न्यू कुल फ्रेम आइस फैक्ट्री, श्रीनगर	3.00
22.	मै० यूनिवर्सल इलैक्ट्रिक वर्क्स, जम्मू	2.42
23.	मै० कॉम्फी गारमेंन्टस, जम्मू	8.49
24.	मै० शिवा ऑयल मिल्स, जम्मू	0.80
25.	मै० राहुल इंडस्ट्रीज, जम्मू	0.16
26.	मै० वर्मा इंडस्ट्रीज, जम्मू	2.45
27.	मै० न्यू अमर रोलर फ्लोर मिल्स, जम्मू	25.01
28	मै० स्टार प्लास्टिक, जम्मू	8.47
29.	मै० आर.के. राइस एंड जनरल मिल्स, जम्मू	7.93
30.	मै० एस.के. वायर नैल्स, जम्मू	4.11
31.	मै० जैक पैक इंडस्ट्रीज, जम्मू	2.13
32.	मै० चहल फीड इंडस्ट्रीज, कथुआ	3.02
33.	मै० चिनार वायर्स, जम्मू	1.40
34.	मै० जे.के. सुपर इनेमल्ड वायर, जम्मू	8.97
35.	मै० किशान मिल्क फूड, जम्मू	11.54
36.	मै० फ्लेवर इंडिया, जम्मू	15.92
37.	मै० स्टार्क ब्रीडिंग फार्म, जम्मू	8.62
38.	मै० अशोक राइस मिल्स, कथुआ	2.59
39.	मै० गुप्ता जनरल मिल्स, जम्मू	1.49
	कुल योग (लाख रु०)	202.05

टिप्पणी :-भारत सरकार ने सितम्बर 1988 से केन्द्रीय प्रत्यक्ष निवेश राजसहायता को बंद कर दिया है, तत्पश्चात राज्य सरकार ने एक कार्य योजना जारी की है जिसके तहत उन एककों को 30% पूंजी निवेश राजसहायता की अनुमति दी गई है जो 1.1.1995 को अथवा उसके बाद स्थापित हुए हैं। इस प्रकार वांछित सूचना तैयार कर दी गई है और उपर्युक्त एककों को स्वीकृति राजसहायता 1.1.1995 से है।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत रियायत

39. **श्री शिवराज सिंह :**
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत कुछ रियायतों की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में इस अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 8 की उपधारा (1) और धारा 73 की उप-धारा (3) के अनुसरण में विनियम नियंत्रण विनियमों को समय-समय पर संशोधित/उदार बनाता रहता है। अभी हाल ही के दौरान अर्थात सितम्बर, 1996 से आज की तारीख तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई रियायतों का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वास्तव में, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों में निर्दिष्ट है वर्ष 1996 के दौरान, इससे पूर्ववर्ती वर्षों 1994-95 की तुलना में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए लिये गए मामलों की संख्या में गिरावट आई है :

वर्ष	मामलों की संख्या
1994	6601
1995	5633
1996	5486

विवरण

अभी हाल ही के दौरान अर्थात् सितम्बर, 1996 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित रियायतों की घोषणा की गई है

1. अनिवासी भारतीयों के निवेशों के लिए मानदंडों को और उदार बनाया गया है।
2. अनिवासी भारतीयों को निवेशों पर मिलने वाले लाभांश/ब्याज को उनके खातों में अविलम्ब जमा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना।
3. विदेशों में संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में विदेशी निवेश के लिए स्कीम में और उदारीकरण।
4. निवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा रखी जाना।
5. कतिपय व्यापार से सम्बद्ध और चालू लेखा के लेनदेनों से होने वाली प्रेषणाओं के लिए विद्यमान उच्चतम मौद्रिक सीमाओं को हटा दिया है।
6. 3 मिलियन अमरीकी डालर स्कीम के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा ऋणें के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा।
7. विदेशी सहयोग/तकनीकी जानकारी शुल्क के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्वतः अनुमोदन के लिए रियायतें।
8. भारतीय समाचारपत्रों आदि के लिए आरक्षित विज्ञापनों के लिए विदेशी एजेंटों को कमीशन की प्रेषण के लिए रियायतें, विविध प्रेषणाओं आदि के लिए मौद्रिक सीमा में बढ़ोत्तरी।

[अनुवाद]

सोने की खपत

40. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री नन्द कुमार साय :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सोने की खपत में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1995 की तुलना में वर्ष 1996 में साने की कुल खपत कितनी है; और

(ग) विश्व स्वर्ण परिषद् में सोने की खपत के संदर्भ में देश का कौन सा स्थान है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) विश्व स्वर्ण परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में सोने की खपत निम्नानुसार है:

	वर्ष		
	1994	1995	1996*
विश्व खपत	3272	3550	3656
भारत में खपत (मीट्रिक टन में)	415	477	507

*अनुमान।

(ग) विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत में खपत (जिसमें आयात और पुनः ढलाई किया गया स्वर्ण भी शामिल है) 1995 और 1996 दोनों में सर्वाधिक है।

[हिन्दी]

पेंशनधारियों से क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्राप्त करना

41. **श्री मनोज कुमार सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंकों से पैंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियो से क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत हैं;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र के बगैर पेंशन का भुगतान करने से मना कर दिया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या मानदंड तैयार किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा केन्द्र सरकार के सिविल पेंशनरों को पेंशन भुगतान की योजना के अंतर्गत, पेंशनर, से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जिस बैंक से अपना पेंशन प्राप्त करना चाहता है उसे एक शपथ पत्र दे। यह शपथ-पत्र पेंशनर द्वारा किया गया है इस आशय का समझौता है कि किसी ठोस सूचना की प्राप्ति में देरी के कारण या किसी निष्कपट चूक के कारण यदि उसे खाते में अतिरिक्त अदायगी, यदि कोई हो गई हो, तो उसके खाते से या बैंक के पास उसके किसी अन्य खाते या जमाराशियों में से ना डालकर वसूल किया जा सकता है। इस शपथ-पत्र में यह भी व्यवस्था है कि पेंशनर इस योजना के अंतर्गत उसके खाते में उसके पेंशन को इस प्रकार जमा करने में बैंक को हुई अथवा उसके द्वारा उठायी गई किसी हानि के लिए और उसके बदले बैंक को क्षति-पूर्ति प्रदान करने और स्वंय/अपने वारिसों/उत्तराधिकारियों/निष्पादकों और प्रशासकों को आबद्ध करने का वचन देता है। सहमति प्रदान करता है।

(ख) इस आशय की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है कि निर्धारित शपथ-पत्र के अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा द्वारा कोई बंध-पत्र मांगा गया है। भारतीय स्टेट बैंक से कहा गया है कि अपनी शाखाओं को यह अनुदेश दे कि इस योजना में निर्धारित शपथ-पत्र के अलावा कोई बंध-पत्र प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है।

विदेशी निवेश हेतु एकल खिड़की प्रणाली

42. **श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल**:
श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी निवेश संबंधी योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु एकल खिड़की प्रणाली पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी प्रस्तावों के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए एकल खिड़की केन्द्रीय अभिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

[अनुवाद]

बीमा की प्रीमियम दरें

43. **श्री एल. रमना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : और

(क) बीमा की प्रीमियम दरों और शर्तों पर निर्णय लेने वाले अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में शुल्क सलाहकार समिति (टैरिफ एडवाइजरी कमेटी) की शक्तियां क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यू. के अन्तर्गत गठित शुल्क सलाहकार समिति उन दरों, लाभों, निबंधन और शर्तों को नियंत्रित तथा विनियमित करने के लिए प्राधिकृत है जिन्हें साधारण बीमा कारबार के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाए।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यू.सी. के अनुसार शुल्क सलाहकार समिति समय-समय पर और जहां तक वह व्यावहारिक समझे, किसी भी जोखिम अथवा जोखिमों की श्रेणियों या वर्गों के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली उन दरों, लाभों, शर्तों और निबंधनों को नियंत्रित और विनियमित कर सकती है जिन्हें, उसकी राय में नियंत्रित और विनियमित किया जाना उपयुक्त है और इस प्रकार नियंत्रित एवं विनियमित दरें, लाभ और शर्तें तथा निबंधन सभी बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होंगी।

विदेशी व्यापार में गिरावट

44. **श्रीमती रत्नमाला डी. सवान्नूर** :
श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री कचरू भाउ राउत :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996 के दौरान आयात और निर्यात में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और 1996 के दौरान आयात व निर्यात में आई गिरावट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी व्यापार क्षेत्र में निराशाजनक निष्पादन के कारणों का क्षेत्रवार मूल्यांकन करके तथा विचार-विमर्श करने के पश्चात् कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 1996 के लिये आयात व निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उसमें कितनी कमी आई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) डी.जी.सी.आई. एंड एस. के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 1996 के दौरान 24204.83 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात होने का अनुमान लगाया गया है, इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हुए 22757.31 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 6.36% की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-दिसम्बर, 1996 में 27452.39 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 26292.17 मिलियन अमरीकी डालर के आयात से 4.41% अधिक है।

(ग) और (घ) निर्यात निष्पादन अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थितियों, अवस्थापना तथा नीतिगत ढांचे आदि से प्रभावित होता है। निर्यात संवर्धन सरकार द्वारा की जाने वाली सतत् प्रक्रिया है। इसके लिए सरकार निर्यात के अनुकूल वातावरण प्रदान करने हेतु नीति तथा कार्यविधि को सरल बनाती है, निर्यात संवर्धन में राज्यों की सहभागिता, निर्यात संगठनों, व्यापार और उद्योग के साथ विचार-विमर्श करती है ताकि समय-समय पर उपयुक्त उपायों की शुरूआत के लिए सामान्य तथा विशेष समस्याओं को सुलझाया जा सके।

वर्ष 1996-97 के शुरू में यह परिकल्पना की गई थी कि पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में 18-20% की वृद्धि होगी। वर्ष के निष्गदन को देखते हुए यह महसूस किया गया है कि पूरे वर्ष में निर्यात प्रत्याशित लक्ष्य की तुलना में कम हो सकते हैं। आयातों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

हथकरघा सहकारी सोसायटियों के लिए धनराशि

45. **श्री डी.पी. यादव :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कितनी हथकरघा सोसायटियां कार्यरत हैं;

(ख) गत वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इन सोसायटियों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ग) किन-किन योजनाओं के अंतर्गत उन्हें यह सहायता दी जा रही है और इस संबंध में जारी मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस समय 4817 हथकरघा सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सहकारी समितियों सहित सभी हथकरघा संगठनों को केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार को विभिन्न वर्तमान कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी की गई राशि और योजनाओं की मार्गदर्शिका इस प्रकार है:

1. *हथकरघा विकास केन्द्र/उत्कर्ष रंगाई इकाई :* इस योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों की महत्वपूर्ण कठिनाईयों को दूर करने के लिए सहायता दी जाती है जैसे अपेक्षित कांउट के धागे की आपूर्ति, उत्कर्ष रंगाई सुविधा में कमी, रंगाई प्रणाली में प्रशिक्षण, विपणन सुविधाएं, कार्यशील पूंजी, डिजायन विकास आदि। वर्ष 1995-96 के दौरान 7 हथकरघा विकास केन्दों और 8 उत्कर्ष रंगाई इकाइयों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 140.13 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

2. *प्रोजैक्ट पैकेज योजना :* बुनकरों को उनकी आवश्यकता के अनुसार घटवाकर सहायता देने और वास्तव में बुनकरों को लाभ पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजैक्ट पैकेज योजना आरम्भ की जिसके अंतर्गत 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश को 5 परियोजनाओं हेतु 42.35 लाख रु0 दिए गए।

3. *एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना :* बुनकरों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने जैसे कार्यकुशलता, उत्पादकता, अवस्थापना बढ़ाने और इस परम्परागत शिल्प की ओर विशेष देने के लिए 1991-92 में यह योजना आरम्भ की गई जिसके अंतर्गत 2 ग्रामों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश को 24.35 लाख रुपये दिय गए।

4. *विपणन विकास सहायता :* इस योजना के अंतर्गत हथकरघा निगमों/शीर्ष समितियों सहित प्राथमिक समितियों को ब्याज सब्सिडी, रिबेट/डिस्काउंट और गैर जनता हथकरघा कपड़े पर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देने, शोरूम की स्थापना के लिए केपीटल/मार्जिन मनी देने और राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी और अन्य कार्यों के लिए सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार को 415.56 लाख रुपये की राशि

जारी की गई है जिसमें से 15.87 लाख रुपये की राशि प्राथमिक समितियों को दी।

5. *राष्ट्रीय डिजायन संग्रह कार्यक्रम* : राष्ट्रीय डिजायन संग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत अच्छे डिजायन बनवाने और विशेष प्रदर्शनियों तथा प्रचार के प्रयत्नों के माध्यम से उनकी बिक्री करवाने के लिए 1995-96 में उत्तर प्रदेश को 1.75 लाख रु0 की राशि दी गई।

6. *निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी* : इस योजना के अंतर्गत उन सहकारी समितियों को सहायता दी जाती है जिनमें कम से कम 50% निस्सहाय बुनकर हों और समित गत दो वर्षों से लाभ कमा रही हो और उनकी कुल बिक्री का 10 प्रतिशत से अधिक मार्जिनल हानि न हो। इस योजना में प्रत्येक निस्सहाय बुनकर को 2000 रुपये की दर से सहायता दी जाती है और प्रत्येक समिति को दी जाने वाली सहायता की अधिकतम राशि 1.00 लाख रुपये है। वर्ष 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को 47.53 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

7. *समूह बीमा योजना* : भारत सरकार ने हथकरघा बुनकरों के लिए यह योजना वर्ष 1992-93 में आरम्भ की थी ताकि वे अपने परिवार की समाजार्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और वृद्धावस्था में अनिश्चितता को दूर कर सकें। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बुनकर का 10 हजार रुपये का बीमा किया जाता है जिसके 120 रुपये की वार्षिक किस्त दी जाती है जिसे बुनकर, केन्द्र/राज्य सरकारें बराबर-बराबर वहन करती हैं 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को 10.00 लाख रुपये की राशि दी गई।

8. *थ्रिफ्ट फंड योजना* : इस योजना में भविष्य निधि के प्रकार की राशि सृजन करके बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस राशि में बुनकरों को अपने कुल भत्तों का 8 प्रतिशत जमा कराना होता है और केन्द्र और राज्य सरकारें 4-4 प्रतिशत योगदान देती हैं। वर्ष 1995-96 में उत्तर प्रदेश सरकार को 22.50 लाख रुपये दिये गए।

9. *कार्यशाला-सह-आवास योजना* : इस योजना का उद्देश्य बुनकरों को उचित कार्य व आवास स्थान उपलब्ध करवाना है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। ग्रामीण आवास-सह-कार्यशाला का अनुमानित मूल्य 20 हजार रुपये हैं जिसमें 14 हजार रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा शहरी आवास-सह-कार्यशाला का अनुमानित मूल्य 30 हजार रुपये है और इतनी राशि ही केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाती है। कार्यशाला के लिए प्रति को इकाई मूल्य 5 हजार रुपये है जिसमें 4 हजार रुपये केन्द्र सरकार द्वारा दिए जोते हैं। 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को 100.00 लाख रुपये दिए गए।

10. *जनता कपड़ा योजना* : इस योजना के अंतर्गत जनता कपड़ा के उत्पादन और उसके वितरण के लिए 3.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सब्सिडी दी जाती है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम और यूपिका को सहायता दी जाती है। यूपिका को 425.47 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

11. *हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना* : धागे के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण इस योजना को आरम्भ किया गया जिसके अंतर्गत हथकरघा संगठनों को 20 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से सब्सिडी दी गई। वर्ष 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को 229.86 लाख रुपये दिए गए जिनमें से 108.55 लाख रुपये यूपिका को जारी किए गए।

विदेशी निवेश

46. **श्री बत्ता मेघे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी निवेश के किये जाने हेतु खुला आमन्त्रण दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अन्य देश ने भी भारत अथवा भारतीय विदेशी उद्योगपतियों से अपने देश में निवेश के लिए कहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) उच्च स्तर के आर्थिक विकास के लिए स्वदेशी निवेश को सहायता देने में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भूमिका व्यापक रूप से स्वीकार की गई है। देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह बढ़ाना आर्थिक सुधार कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है जिसका उद्देश्य भारत को सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे ले जाना, भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाना, मानव तथा प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना और भारत को विकसित तथा विकासशील देशों के एक बड़े भागीदार के रूप में परिवर्तित करना है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देती है। इसी प्रकार अन्य देशों के भी अपने कार्यक्रम हैं और वे अपने देशों में विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहन देते हैं जहां भारत के उद्योगपतियों सहित अन्य उद्योगपति उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

बीमा दावों में जालसाजी

47. **श्री पवन दीवान :**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994 और 1995 के दौरान बीमा दावों में जालसाजी के मामलों में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई अतः उन्हें दण्डित नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक मामले के संबंध में कारण क्या हैं;

(ग) उनमें से केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कितने मामले सौंपे गये हैं; और

(घ) बीमा दावों में जालसाजी को रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम ने यह सूचित किया है कि वर्ष 1994 और 1995 के दौरान पता लगाए गए फर्जी बीमा दावों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठ मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिए गए हैं।

(घ) जब भी फर्जी बीमा दावों के उदाहरण सामने आते हैं, तो संबंधित कम्पनियों/निगमों के सतर्कता विभागों के साथ परामर्श करके संबंधित विभागों द्वारा जांच की जाती है ओर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। इस प्रकार की धोखेबाजी पर निगाह रखने हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नियमित लेखा परीक्षा की जाती है और यदि इसमें बाहर की पार्टी शामिल हो तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सूचित किया जाता है। यदि बीमा कर्मचारियों की किसी साठ-गांठ का पता चलता है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाती हैं। बीमा निगमों/कम्पनियों की सतर्कता गतिविधियों की मॉनीटरिंग निगमों/कम्पनियों के बोर्ड स्तर पर तथा साथ ही साथ मंत्रालय स्तर पर भी की जाती हैं। ये उपाय बीमा कम्पनियों/निगमों में भ्रष्टाचार को रोकने में काफी हद तक सहायता प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

केनरा बैंक में धोखाधड़ी

48. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 दिसम्बर, 1996 को ''टाइम्स ऑफ इंडिया'' में ''बेदी ब्रादर्स फाइन्ड लैक्स मिसिंग फ्राम बैंक एकाउन्ट'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो केनरा बैंक की दिल्ली में राजौरी गार्डन में स्थित शाखा से किसी व्यक्ति द्वारा पांच चैकों से 9 लाख रुपये की राशि निकाली गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो किस प्रकार जाली हस्ताक्षरों से एक के बाद एक, पांच चैकों से धनराशि निकाली गयी और बैंक प्राधिकारी इस धोखाधड़ी को रोकने में असफल रहे;

(घ) क्या बैंक प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई विभागीय जांच कराई गई है अथवा पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) से (च) कैनरा बैंक ने सूचित किया है कि पांच चेक, खाताधारक को जारी चेक बुक में से थे तथा चेक पर किए गए हस्ताक्षर, बैंक में दर्ज किए गए नमूना हस्ताक्षर से मेल खाते प्रतीत होते थे। सभी पांच चेकों का भुगतान बैंक द्वारा नेकनियत से, बिना किसी उपेक्षा के, कांउटर पर किया गया था। बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि खाताधारक को नियमित रूप से खाता विवरण उपलब्ध कराया गया था, कथित धोखाधड़ी बैंक के नोटिस में उस समय लाई गई जब बैंक ने यह बताया कि एक पश्चातवर्ती चेक में खाताधारक की मोहर नहीं लगी है। बैंक द्वारा की गई आंतरिक जांच में किसी कर्मचारी के शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उसने हस्तलेख विशेषज्ञ से हस्ताक्षर की जांच कराई है जिसने इन हस्ताक्षरों में चित्रीय समानता की पुष्टि की है अर्थात कोई आम आदमी आवर्धक लेंस की सहायता से वैज्ञानिक विश्लेषण के बिना, हस्ताक्षरों की धोखाधड़ी का पता नहीं लगा सकता है।

चूंकि पार्टी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले ही दर्ज की जा चुकी है, अतः बैंक ने इस मामले में अलग से पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज कराई है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम

49. **श्री जी.ए. चरण रेड्डी :**
श्री सुधीर गिरि :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उदारीकरण को ध्यान में रखते हुये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के स्थान पर मनी लांडरिंग के सभी पहलुओं को शामिल करने वाले एक व्यापक और प्रगतिशील कानून लाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कानून को कब तक लाये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 29) द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में बुहत परिवर्तन किए गए थे। तथापि, इस समय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की व्यापक समीक्षा की जा रही है और अगर आवश्यक हुआ तो उसमें और परिवर्तन करने पर भी विचार किया जा सकता है।

जहां तक मनीलॉडरिंग के सम्बन्ध में विधान बनाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में आगामी बजट सत्र में संसद में एक विधेयक लाया जाएगा।

गुजरात राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण

50. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :**
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड ने अपनी दो विद्युत परियोजनाओं के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से 600 करोड़ रुपए ऋण देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्री (श्री, पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि गुजरात राज्य बिजली बोर्ड ने कोयले से चलने वाले दो विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए सावधि ऋण हेतु उससे सम्पर्क किया था। आई.डी.बी.आई. प्रस्ताव की जांच कर रहा है।

लघु उद्योग

51. **श्री अय्यन्ना पटरुडु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जनवरी 1997 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "एस.एस.आईज डीमान्ड पैरीटी विद लार्ज यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो लघु उद्योगों की बड़ी इकाइयों के समकक्ष लाने संबंधी इनकी मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) उक्त समाचार में मांगी गई समानता मुख्यतः सस्ते ऋणें की उपलब्धता से संबंधित है क्योंकि लघु एकक अब ब्याज दर के अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत दर पर गारंटी कमीशन अधिभार देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार लघु एककों के संबंध में गारंटी कवच प्राप्त किया जाता है क्योंकि उनके संबंध में कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए बैंक डी.आई.सी.जी.सी. कवच लेकर अपने हितों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा यह बैंकों को लघु एककों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। इसके अलावा, समानान्तर सुरक्षा के बिना ऋण प्रदान करने की मांग की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों/मानदंडों के अनुसार 25,000 रुपये तक के ऋण के लिए समानान्तर सुरक्षा/थर्ड पार्टी गारंटी नहीं ली जानी चाहिए।

विदेशी निवेश पर अनिवार्य निर्यात शर्तें लगाना

52. **श्री चित्त बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कुछ दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशियाई देशों की तरह विदेशी निवेश के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में अनिवार्य निर्यात शर्त लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी निवेशक देश में निर्मित की जाने वाली वस्तुओं को अपनी निर्यात संबंधी वचनबद्धताओं के अनुरूप निर्यात नहीं करते हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, नहीं। मौजूदा नीति के अनुसार जो विदेशी निवेशक उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र के 22 विशिष्ट उद्योगों में भारत में विनिर्माण शुरू करना चाहते हैं, उन्हें लाभांश को संतुलित करने की शर्त पूरी करनी होगी। इसके अतिरिक्त जहां लघु उद्योग इकाई में विदेशी इक्विटी सहभागिता 24% से अधिक हो या जो गैर-लघु क्षेत्र एकक लघु उद्योग इकाई के लिए आरक्षित मद का विनिर्माण करने का इच्छुक हो तो उस पर निर्यात दायित्व भी लागू किया जाता है। विदेशी निवेश वाले निर्यात-उन्मुख एककों पर एक्सिम नीति के तहत दी गई अनुमति के अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र में दी जाने वली बिक्री को छोड़कर सम्पूर्ण उत्पादन का निर्यात करने का दायित्व है।

(ग) से (ङ) विदेशी निवेशकों को संबंधीत योजना के तहत निर्यात दायित्वों के अनुसार अपने विनिर्मित उत्पादों का निर्यात करना जरूरी है। उनके निर्यात निष्पादन की मॉनीटरी भारत सरकार के संबंधित विभाग/अभिकरण करते हैं और दोषी पाए गए मामलों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

मंहगाई भत्ता

53. **श्री के. एच. मुनियप्पा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण 1 जनवरी, 1997 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किश्त देय हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा मंहगाई भत्ते की घोषणा/मंजूरी कब तक की जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिए जाने संबंधी मौजूदा फार्मूले के अनुसार मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें, औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (1960=100) के 12 महीनों के औसत में 608 के आधार पर सूचकांक में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी तथा पहली जुलाई से देय होती है। पहली जनवरी से बकाया किस्त सामान्यता मार्च के वेतन के साथ देय होती है जिसका भुगतान अप्रैल में किया जाता है।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का परिवर्तन

54. **लैफ्टि. जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी** :
डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को कंपनी में परिवर्तित कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक सरकार तथा अन्य शेयर धारकों को क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के उपक्रमों का कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कंपनी के रूप में बनाई और रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कंपनी को अंतरण और उसमें निहित होने का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 का निरसन करने का भी उपबंध करने के लिए अध्यादेश 24 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित किया गया था। संसद के चालू सत्र में इस आशय का विधेयक लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

विद्युत संयंत्रों के लिए सीधे कोयला आपूर्ति

55. **श्री के.पी. सिंह देव** :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कोयला आधारित विद्युत संयंत्र हैं;

(ख) क्या कुछ विद्युत संयंत्रों को सीधे कोयला पूर्ति हेतु प्रस्ताव सरकार के अनुमोदन हेतु लम्बित हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष राज्य-वार ऐसे कितने प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) देश में कोयला पर आधारित विद्यमान विद्युत गृहों की संख्या 74 है।

(ख) और (ग) कोयले के संयोजन के विचारार्थ 8 प्रस्ताव हैं, जिनके संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रस्तावों की संख्या, जिनके संबंध में पिछले तीन वर्षों में कोयले का संयोजन अनुमोदित किया गया है, उनके संबंध में राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	1996	1995	1994
पश्चिम बंगाल	1	–	2
उड़ीसा	1	1	–
उत्तर प्रदेश	1	1	–
बिहार	–	–	1
मध्य प्रदेश	2	6	–
तमिलनाडु	–	–	1
मिजोरम	1	–	–
महाराष्ट्र	–	–	3
गुजरात	1	–	2
आंध्र प्रदेश	3	–	–
	10	8	9

(घ) इस संबंध में प्रस्तावों को अनुमोदन दिया जाना समय-समय पर आयोजित होने वाली स्थायी संयोजन समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों, जो कि कोयला कंपनियों, रेल मंत्रालय के साथ परामर्श करके संयोजन की व्यवहार्यता की समीक्षा किए जाने तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए तापीय विद्युत गृहों के संबंध में अन्य ब्यौरों में प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर करेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

56. **श्री तारीक अनवर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को श्रेणीबद्ध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 4 अनुसूचियों अर्थात अनुसूची "क", अनुसूची "ख" अनुसूची "ग" और अनुसूची "घ" श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें निवेश (चुकता पूँजी + दीर्घावधि ऋण), निवेश की गई पूंजी, निवल बिक्री, लाभकारिता, कर्मचारियों की संख्या, इकाइयों की संख्या, राष्ट्रीय महत्व, समस्याओं की जटिलताएं, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का स्तर, विस्तार/विविधिकरण के लिए संभावनाएं, अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा जैसे विभिन्न मात्रात्मक तथा गुणवत्तात्मक बातों पर विचार किया जाता है। आजकल, अनुसूची "क" की 42, अनुसूची "ख" की 89, अनुसूची "ग" की 64 और अनुसूची "घ" की 13 कम्पनियाँ हैं।

विदेशी निवेश

57. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी इक्विटी की स्वतः स्वीकृति की अनुमति वाले उद्योगें की सूची में विस्तार करने के सरकार के निर्णय का देश में विदेशी निवेश की गति पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) चूँकि विदेशी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन हेतु उद्योगों की सूची का विस्तार दिनांक 17.1.97 के प्रेस नोट संख्या 2 के तहत हाल ही में किया गया है इसलिए विदेशी निवेश के अन्तःप्रवाह पर इसके तत्काल प्रभाव पर टिप्पणी करना अभी संभव नहीं होगा।

रेलवे साइडिंग पर तुला सेतु (वे-ब्रिज्स)

58. **प्रो॰ रीता वर्मा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि. में रेलवे साइडिंग का ब्यौरा क्या है जहां तुला सेतु (वे-ब्रिज्स) की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) इनमें से कितने इलैक्ट्रानिक तुला सेतु (वे-ब्रिज्स) हैं और कितने इलेक्ट्रानिक तुला सेतु (वे-ब्रिज्स) चालू हालत में हैं;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि इन तुला सेतु (वे-ब्रिज्स) से बिना तोल के कोयला बेचे जाने के मामले आए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) द्वारा यह सूचित किया गया है कि भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) की किसी साइडिंग में वे-ब्रिज विद्यमान नहीं है। अधिकांश वैगनों को रेलवे यार्ड में भारित किया जा रहा है, जोकि उक्त यार्ड के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न साइडिंगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। किन्तु, भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा या तो रेलवे यार्डों में अथवा विभिन्न साइडिंगों में 23 वे-ब्रिजों की स्थापना की गई है। इसमें से 22 वे-ब्रिज इलैक्ट्रानिक हैं। ये सभी वे-ब्रिज वर्तमान में कार्यरत हैं।

(ग) जब कभी वे-ब्रिजों में खराबी होती है उस स्थिति को छोड़कर, सभी कोयला रेकों को, जो कि भा.को.को.लि. के वे-ब्रिजों के माध्यम से जाते हैं, उन्हें प्रेषण किए जाने से पूर्व भारित किया जाता है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

विशेष न्यायालय

59. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**
श्री शिवराज सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में भ्रष्टाचार संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु विशेष न्यायालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन न्यायालयों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायाधीश जिन्हें उस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए आवश्यक हों, नियुक्त कर सकेगी। अब तक 9 राज्यों में और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में 18 विशेष न्यायाधीश न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

भारतीय ऊनी वस्त्रों के आयात के विरुद्ध अमेरिका द्वारा लगाये गये प्रतिबंध

60. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऊनी वस्त्रों के आयात के विरुद्ध अमेरिका द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की असहमति प्राप्त करने में भारत को सफलता मिली है; और

(ख) यदि हाँ, तो लगाये गये प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है तथा उन प्रतिबंधों के कारण अब तक भारतीय ऊनी वस्त्रों के निर्यात में कितना घाटा हुआ है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने वस्त्र एवं कपड़ा उत्पादों की 3 श्रेणियों के बारे में 18 अप्रैल 1995 को हुए वस्त्र एवं कपड़ा करार के अनुच्छेद 6 में पारगमन सुरक्षा तंत्र के अंतर्गत भारत के साथ परामर्श करने का अनुरोध-पत्र जारी किया था। परामर्शों से मामले पर पारस्परिक संहमति नहीं हुई और 14 जुलाई, 1995 को अमरीकी प्राधिकारियों ने भारत को सूचित किया कि भारत से होने वले 3 श्रेणी के उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध 18 अप्रैल, 1995 से 17 अप्रैल, 1996 तक लागू रहेगा। प्रथम 12 महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध की सीमा पुरुष एवं बालकों के ऊनी कोटों (4324 श्रेणी) की 45,750 दर्जन पीस, महिलाओं और बालिकाओं के ऊनी कोट (435 श्रेणी) 37,487 दर्जन पीस और बुने हुए ऊनी शर्ट और ब्लाउजों के 76,698 दर्जन पीस निर्धारित की गई थी।

वस्त्र निगरानी निकाय (टी.एम.बी.) द्वारा यह निर्णय लेने के बाद ही यह प्रतिबंध लगाना तर्कसंगत नहीं है, 434 श्रेणी पर लगे प्रतिबंध को यू.एस.ए. द्वारा स्वेच्छा से हटा लिया गया। 435 श्रेणी पर लगा प्रतिबंध यू.एस.ए. द्वारा स्वेच्छा से अप्रैल 1996 में तब हटाया गया जब भारत ने इस मामले को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के विवाद निपटान प्रक्रियाओं के अन्तर्गत उठाया।

440 श्रेणियों पर लगे प्रतिबंधों के बारे में डब्ल्यूटीओ करारों के तहत अमरीकी दायित्वों के साथ अमरीका द्वारा लगाए गए एकपक्षीय प्रतिबंध की सीमा की एकरूपता की जांच करने के लिए भारत के अनुरोध पर गठित एक डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान पैनल ने अपने निर्णय में व्यवस्था दी है कि बुने ऊनी शर्टों और ब्लाउजों का भारत से होने वाले आयात पर लगे अमरीकी प्रतिबंध से एटीसी के प्रावधानों का उल्लघंन हुआ है और अमरीका की इस कार्रवाई से डब्ल्यूटीओ करार के अन्तर्गत, विशेषकर एटीसी के तहत भारत को मिलने वाले लाभों से वंचित होकर हानि उठानी पड़ी है। पैनल ने संतुति की है कि विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) इस प्रकार का निर्णय दे। इस संतुति पर विचार करने के लिए डीएसबी की अभी तक बैठक नहीं हुई है। इसी बीच, यू.एस.ए. ने स्वेच्छा से इस प्रतिबंध को 4 दिसम्बर, 96 से खत्म कर दिया है। अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण हमारे ऊनी निर्यात को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हुए नुकसान की राशि बताना कठिन है।

विदेशी ऋण

61. **श्री ललित उरांव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत द्वारा वित्तीय घाटे को कम न करने और मंजूर किए गए ऋणों को पूरी तरह प्रयुक्त न किए जाने पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) क्या विकास परियोजनाओं के मन्द कार्यान्वयन के कारण देश को 940 मिलियन डालर का ऋण नहीं दिया गय है; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक बोर्ड की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत को अत्यधिक वित्तीय घाटे का "निश्चयात्मक रूप से सामना करना" चाहिए तथा यह भी सुझाव दिया गया कि किसी भी राजकोषीय कमियों से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

विश्व बैंक के कन्ट्री इकनोमिक मेमोरण्डम, 1996 में यह संकेत दिया गया है कि वर्तमान वृद्धि दरों को बनाए रखने के लिए राजकोषीय घाटे को कम करना, मानव संसाधन विकास को तीव्र करना, कृषि नीतियों में सुधार, शहरी सेवाओं में सुधार के लिए प्राथमिकता से कार्रवाई करना, और आधारभूत क्षेत्रों में सुधार जैसे संरचनात्मक सुधारों की चुनौतीपूर्ण कार्यसूची पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

ऋणों की उपयोगिता पर कन्ट्री इकानोमिक मेमोरेण्डम में कहा गया है कि "पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने ओ.डी.ए. से प्राप्त राशि के उपयोग में सुधार लाने हेतु अनेक विशेष उपाय किए हैं। हालांकि इन उपायों से सहायता के संवितरण में तीव्रता आई है, फिर भी इसमें और अधिक सुधार की गुंजाइश है।

(ख) जी नहीं। ऐसा कोई ऋण प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई स्टॉक एक्सचेंज

62. **श्री उत्तम सिंह पवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में अपना विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को कुछ समय पूर्व मुम्बई स्टाक एक्सचेंज से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें इसके "ऑन लाइन ट्रेडिंग टर्मिनलों" को राष्ट्रीय स्तर पर मुम्बई से बाहर अन्य स्थानों पर विस्तृत करने की अनुमति मांगी गई थी। इस प्रस्ताव के उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा इस प्रकार थे - प्रतिभूतियों में लेन-देन की मात्रा में वृद्धि करना, मुम्बई से बाहर के निवेशकों को एक्सचेंज की "ऑन लाइन ट्रेडिंग" सुविधा से सीधे और पारदर्शी रूप से लाभ उठाने की व्यवस्था करना और प्रति-भूतियों में लेन-देन की लागत को कम करना।

(ग) सेबी के बोर्ड ने 29 अक्टूबर, 1996 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि मुम्बई स्टाक एक्सचेंज और अन्य एक्सचेंजों को, कुछ शर्तों का पालन करने पर, उन स्थानों से बाहर, जहां संबंधित एक्सचेंज स्थित हैं, अपने ऑन लाइन स्क्रीन-आधारित ट्रेडिंग टर्मिनलों का विस्तार करने की अनुमति दी जाए। यह निर्णय सेबी द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 1996 के पत्र द्वारा सभी स्टाक एक्सचेंजों को सूचित कर दिया गया।

[हिन्दी]

कम्पनियों के विरुद्ध शेयर धारकों की शिकायतें

63. **श्री रामकृपाल यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शेयर धारकों के हितों की रक्षा के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों की जांच कर लिए जाने के बाद भी कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और जिन कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है उनके नाम क्या हैं और किस तरह की कार्यवाही की गई है; और

(ग) उपुयक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) कम्पनी कार्य विभाग का एक निवेशक संरक्षण सेल है जो मुख्यालय आवेदन धन की गैर वापसी, आबंटन/अन्तरण के बाद शेयरों के प्राप्त न होने, लाभांश अधिपत्रों के प्राप्त न होने आदि से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करता है। इस प्रकार की सभी शिकायतों की पावती भेजी जाती है तथा शीघ्र निवारण हेतु संबंधित कम्पनियों के साथ पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त कंपनी रजिस्ट्रारों को भी ये शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनके बारे में समय-समय पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती हैं।

सैल ने कंपनी रजिस्ट्रारों को वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 73 (शेयरों तथा ऋण पत्रों का आबंटन) तथा 113 (सर्टिफिकेटों को जारी करने के लिए समय सीमा) के अंतर्गत सोलह दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इन कंपनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. मैसर्स मोदी ग्रेड्स लि.
2. मैसर्स नोवा उद्योग लि.
3. मैसर्स बरमानी स्टील स्ट्रिप्स लि.

4. मैसर्स नोएडा मैडीकेयर सैन्टर लि.

5. मैसर्स स्वाम सौफ्टवेयर लि.

6. मैसर्स इन्डो जापान फोटो फिल्म कं. लि.

7. मैसर्स सेलोस्ट इंटरनेशनल लि.

8. मैसर्स प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स (1935) लि.

9. मैसर्स अरिहन्द कोटसिन लि.

10. मैसर्स हिन्दुस्तान टूल्स एंड फोरजिंग्स लि.

11. मैसर्स यूविफोर्ट मैटालाइजर्स लि.

12. मैसर्स अम्बिका प्रोटीन्स लि.

13. मैसर्स गुजरात परस्ट्रोप इलैक्ट्रानिक्स लि.

14. मैसर्स गुजरात राफिंया इंडस्ट्रीज लि.

15. मैसर्स भावना स्टील कास्ट लि.

16. मैसर्स डी. मैक्स स्टील लि.

[अनुवाद]

करेंसी नोट प्रेस, नासिक को आधुनिक बनाना

64. **श्री वी. प्रदीप देव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक स्थित करेंसी नोट प्रेस को आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई मशीनरी लगाने की व्यवस्था सहित आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कब तक पूरी होने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) स्वीकृत लागत अनुमान 372.32 करोड़ रुपए है (जिसमें मशीनरी और उपस्करों के आयात की मद पर 340.68 करोड़ रुपए का एफ.ई. संघटक शामिल है) इन मशीनों को प्रचालन हेतु तैयार करने का कार्य दिसम्बर, 1998 तक पूरा कर लिया जाएगा और नियमित उत्पादक मार्च, 1999 से शुरू हो जाएगा। आधुनिकीकरण परियोजना के पूरा होने के बाद, करेंसी नोट प्रेस, नासिक का वर्तमान उत्पादन 3850 मिलियन अदद से बढ़कर 5400 मिलियन अदद प्रति वर्ष (11 घंटों के कार्य की दो पालियों में) हो जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

65. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के सरकारी क्षेत्र के एककों में हाल के वर्षों में केन्द्रीय निवेश में तेजी से कमी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा विद्यमान सरकारी क्षेत्र के एककों में केन्द्रीय निवेश को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) हाल ही के वर्षों में कर्नाटक राज्य में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय निवेश में कुल मिलाकर किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आयकर कानून

66. **डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर कानून के दायरे के विस्तार के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना कब से प्रभावी होगी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) चूंकि, वित्त विधेयक, 1997 को शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाना है, अतः इस समय कुछ बता पाना संभव नहीं होगा।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

कर संग्रहण

67. **श्री टी. गोपाल कृष्ण** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के वित्तीय वर्ष के दौरान मोटे तौर पर अलग-अलग कर की कुल कितनी वसूली की गयी;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान कर की वसूली में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है;

(ग) क्या यह वसूली अब तक संतोषजनक रही है तथा लक्ष्य को प्राप्त किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 1995-96 के दौरान मुख्य केन्द्रीय करों से वसूली और वर्ष 1996-97 के लिए बजट प्राक्लन (बी.ई.) में अनुमानित वृद्धि निम्नानुसार है :

(रुपए करोड़ों में)

कर का नाम	वर्ष 95-96 के दौरान वसूलियां	वर्ष 96-97 के लिए बजट अनुमान में अनुमानित वृद्धि
1. सीमा शुल्क	35,500.00	25.16%
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	40,784.81	14.24%
3. निगम कर	16,487.00	18.90%
4. आयकर	15,587.00	14.50%

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 के लिए संशोधित अनुमान (आर.ई.) तैयार किए जा रहे हैं और केवल बजट में दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

68. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गयी; और

(ख) आज तक वसूल की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) मार्च, 1994, 1995 और 1996 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्य/संघ राज्य वार क्षेत्र वार बकाया बैंक ऋण संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(ख) सितम्बर, 1994 के अन्त की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से अद्यतन उपलब्ध अतिदेय अग्रिमों का श्रेणी-वार विवरण और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तदनुरूपी बकाया अग्रिमों की तुलना में ऐसे अतिदेय राशियों की प्रतिशतता, नीचे दी गई है:

श्रेणी	अतिदेय अग्रिम (लाख रुपए)	बकाया अग्रिमों की तुलना में अतिदेय राशियों की प्रतिशतता
1	2	3
बड़े और मझौले उद्योग	815312	15.76
लघु उद्योग	541985	24.46
कृषि	532123	24.95
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	397766	36.05
अन्य सभी	580581	13.52
योग	2867767	19.22

विवरण

मार्च, 1994, 1995 और 1996 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को राज्यवार/संघ राज्य-क्षेत्र-वार सकल बकाया बैंक ऋण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मार्च 1994	मार्च 1995	मार्च 1996
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	1185370	1511498	1746052
2. अरुणाचल प्रदेश	2960	3646	3743
3. असम	131103	149487	172613
4. बिहार	453450	501233	573159
5. गोवा	59759	72672	84192
6. गुजरात	886792	1093807	1339306
7. हरियाणा	299086	339929	410782
8. हिमाचल प्रदेश	62456	70578	81004
9. जम्मू एवं कश्मीर	124504	149366	154012
10. कर्नाटक	1072811	1333004	1620536
11. केरल	641287	765885	898457
12. मध्य प्रदेश	614229	710541	893428
13. महाराष्ट्र	4370491	5634735	6751864
14. मणिपुर	9097	9865	12406
15. मेघालय	8395	10302	10503
16. मिजोरम	2411	2765	3385
17. नागालैंड	9762	10567	10348
18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	2298972	2913129	3174467
19. उड़ीसा	243618	282066	329182
20. पंजाब	624476	730085	840690
21. राजस्थान	424671	477205	560187
22. सिक्किम	2798	3591	3968
23. तमिलनाडु	1839312	2293494	2940978
24. त्रिपुरा	19719	22383	24461
25. उत्तर प्रदेश	1103307	1233193	1419491
26. पश्चिम बंगाल	1296136	1524871	1735155

1	2	3	4
27. अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1769	2132	2520
28. चंड़ीगढ़	188587	369477	520455
29. दादर एवं नगर हवेली	787	929	1240
30. दमन और दीव	1636	1967	3925
31. लक्षद्वीप	143	200	237
32. पांडिचेरी	21750	26053	30574
अखिल भारत	18001659	22250656	26353322

[अनुवाद]

रेशमी धागे का उत्पादन

69. **श्री पी. तीर्थरामन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेशमी धागे और रेशमी साड़ियों के उत्पादन हेतु आधुनिक प्रोद्योगिकी लाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (घ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड कच्चे रेशम के उत्पादन और रेशम उद्योग के विकास के लिए प्रोद्योगिकियों के संवर्द्धन के लिए योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

स्वर्ण व्यापार

70. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण के वायदा-व्यापार को आरम्भ करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या स्वर्ण प्रबन्ध बोर्ड के समान एक अलग बोर्ड स्थापित किए जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि हाँ, तो बोर्ड की संरचना क्या होगी; और

(घ) नए बोर्ड के मुख्य कार्य क्या होंगे ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मतदाता सूची में विदेशियों को शामिल किया जाना

71. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मतदाता सूची में विदेशियों के नाम शामिल किये जाने के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग) संविधान का अनुच्छेद 324, निर्वाचन आयोग में अधीक्षण, निदेशन और निर्वाचक नामावलियों को तैयार कराने पर नियंत्रण निहित करता है और तदनुसार मतदाता सूची में विदेशियों के नामों पर सम्मिलित किए जाने संबंध में शिकायत निर्वाचन आयोग और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को की जानी अपेक्षित है न कि सरकार को। अतः निर्वाचक नामावलियों के संबंध में यदि कोई शिकायत सरकार को प्राप्त होती है तो उसे निर्वाचन आयोग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश के शाहबाद में मुंसिफ अदालत

72. **श्री इलियास आजमी** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के शाहबाद में मुंसिफ अदालत खोलने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस आदेश को अब तक क्रियान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मुसिंफ अदालत के कब तक खोले जाने की संभावना है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

73. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना कब से लागू की गई; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत किस श्रेणी के कर्मचारियों को लाया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) यह योजना साधारण बीमा निगम के सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दिनांक 1.11.1993 से लागू की गई थी जिसमें दिनांक 1.1.86 से 1.11.93 के बीच सेवा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए यह विकल्प था कि वे ब्याज सहित चुकता लाभों को लौटाने के बाद इस योजना में शामिल हों। इस योजना का ब्यौरा साधारण बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन योजना, 1995 में समाविष्ट है जिसे सदन के सभा पटल पर दिनांक 8.12.95 को रख दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में पुष्प कृषि

74. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश स्थित आगरा में पुष्प कृषि योजना चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु किसी विदेशी परामर्शदाता का पता लगाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुज्जी रमैया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

75. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में कुछ अस्पष्टताओं को देखते हुए इसमें संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये अस्पष्टताएं किस प्रकार की हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वित्तीय संस्थानों के मनोनीत निदेशक

76. **श्री रूपचन्द पाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वित्तीय संस्थाओं के मनोनीत निदेशकों द्वारा निदेशक मंडल के कार्य-कलापों में की जा रही त्रुटियों की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सहायता प्राप्त कंपनियों के बोर्डों में नामित निदेशकों की नियुक्ति वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती है, न कि सरकार द्वारा। वित्तीय संस्थाएं अपने नामित निदेशकों के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा स्वयं करती हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है वहां उपयुक्त कार्रवाई भी करती हैं।

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

77. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान कर्नाटक को विदेशी वाणिज्यिक ऋण की कितनी राशि जारी की गयी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को विदेशों से सीधे ही ऋण लेने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का राज्यों को विदेशों से

सीधे ही ऋण लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु संविधान में संशोधन करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार केवल भारतीय क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक है। राज्य सरकार सीधे विदेश से ऋण नहीं ले सकती हैं। तथापि, राज्य सरकार के उपक्रम विदेशी वाणिज्यिक उधारों के लिए भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार विदेश से ऋण ले सकते हैं।

(घ) जी नहीं।

नोटरी एक्ट, 1952 में संशोधन

78. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का नोटरी एक्ट, 1952 में संशोधन किए जाने के संबंध में कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कोयले की कमी

79. **डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कोल लिंकेज" समिति ने आंध्र प्रदेश में रामगुंडम स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयंत्र को प्रतिदिन 32,000 से 40,000 टन कोयले का आवंटन किया था परन्तु यह कोयला संयंत्र को प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो कोयले की कम आपूर्ति के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त संयंत्र को कोयले की आपूर्ति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) अप्रैल, 1996 से जनवरी, 1997 के दौरान रामागुंडम एस.टी.पी.एस. के 75.75 लाख टन के स्वीकृत संयोजन के एवज् में उक्त अवधि के दौरान कोयले का वास्तविक प्रेषण 78.75 लाख टन हुआ है। क्रियान्वयन की प्रतिशतता 104% है।

(ग) आपूर्ति को बढ़ाने के लिए रामागुंडम एस.टी.पी.एस. को यह सुझाव दिया गया है कि वे सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. के समीपस्थ खान से कोयले की उठान को सड़क द्वारा परिचालन करके बढ़ाएं। पुनः चालू तिमाही के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से संचालन हेतु 50,000 टन के एक अतिरिक्त संयोजन की व्यवस्था की गई थी।

[हिन्दी]

सूती हथकरघा उद्योग

80. **श्री बुद्धसेन पटेल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सूती हथकरघा उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में संभावनाओं का पता लगाने और राज्य में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता दी जाऐगी?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी, हाँ।

(ख) हथकरघा उद्योग के संवर्धन के लिए कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर मध्य प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। विपणन विकास सहायता योजना, जनता कपड़ा योजना, प्रोजेक्ट पैकेज योजना, एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना, हथकरघा परियोजनाओं के लिए ऋण आदि के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष (1996-97) के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सरकार को 182.35 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वर्ण का व्यापार

81. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वर्ण परिषद् ने भारत में स्वर्ण के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वर्ण का व्यापार करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

तमिलनाडु में वस्त्र उद्योग

82. **श्री ए.जी.एस. रामबाबू** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में वस्त्र उद्योग किन-किन स्थानों पर स्थित हैं। तथा इन वस्त्र उद्योगों द्वारा किन-किन मदों का उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या वस्त्रों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य की वस्त्र मिलों को सहायता देने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) तमिलनाडु में स्थित वस्त्र उद्योगों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र. सं.	मिल/क्षेत्र की किस्म	एककों की संख्या	31.12.96 की स्थिति अनुसार स्थापित क्षमता तकुए (000 सं)	रोटर	करघे (000 सं)
1.	सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिल(गैर-एस.एस.आई.)	725	10,900.7	75.6	6366
2.	सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें (एस.एस.आई.)	597	1,190*	6.2	-
3.	बुनाई एकक (गैर-एस.एस.आई.)	14	-	-	932
4.	ऊनी एकक	1	680	-	-
5.	हथकरघा	-	-	-	4,29,000**
6.	विद्युत करघा	57101	-	-	2,36,038***
7.	मानव निर्मित फाईबर विनिर्माण संयंत्र	2	58950 (टन प्रति वर्ष)		
8.	मानव-निर्मित फिलामेंट यार्न विनिर्माण एकक	2	15,675 (टन प्रति वर्ष)		

नोट : *अनुमानित

** 1987-88 की हथकरघा गणना के अनुसार ।

*** दिनांक 30.6.96 तक की स्थिति अनुसार।

तमिलनाडु में वस्त्र उद्योग द्वारा विनिर्मित मदों में यार्न और सूती कपड़ा, मानव निर्मित फाईबर और मिश्रित वस्त्र, मानव निर्मित फाईबर (पोलीस्टर और विस्कोस) और विस्कोस फिलामेंट यार्न तथा पोलीस्टर फिलामेंट यार्न, फैब्रिक परिधान शामिल हैं।

(ख) से (ग) सरकार ने विगत में देश में वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जो कि तमिलनाडु पर भी लागू हैं। इनमें शामिल हैं :

1. केवल अवस्थिति संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्त पर क्षमता के सृजन तथा विस्तार पर लगे प्रतिबंध समाप्त करना।

2. शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों तथा 1991 की गणना के अनुसार एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर की 25 कि.मी. की सीमाओं के भीतर स्थित एकक यदि 24.7.91 से पूर्व औद्योगिक क्षेत्र के रूप में राज्य सरकार द्वारा घोषित क्षेत्र में स्थित नहीं है, तथा ऐसे एकक जिनमें विदेशी सहयोग शामिल है, एकक जो एस.एस.आई. के लिए आरक्षित मदों का उत्पादन करते हैं परन्तु जिनमें निवेश एस.एस.आई. की उच्चतम सीमा से अधिक है, के मामलों को छोड़कर लाइसेंसिक की आवश्यकता को समाप्त करना।

3. ओ.जी.एल. के अन्तर्गत वस्त्र मशीनरी के आयात की अनुमति देना तथा ऐसी मशीनरी के निर्यातों पर आयात शुल्क में कटौती करना।

4. जब कभी आवश्यक हो, नीति के हस्तक्षेप के माध्यम से उद्योग को अपरिष्कृत सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय करना;

राहत परियोजनाएं

83. **डॉ॰ प्रधीन चंद्र शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि दी गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : संभवतः, माननीय सदस्य कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अंतर्गत पात्र हिताधिकारियों को उपलब्ध कराई गई राहत धनराशि का उल्लेख कर रहे हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ए.आर.डी.आर.योजना, 1990 के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई राहत राशि का राज्य/संघ राज्य वार विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय/ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	योग (करोड़ रुपये में)
1 2	3	4	5	6
1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.85	-	0.09	0.94
2. आन्ध्र प्रदेश	415.62	100.15	334.43	850.20
3. अरुणाचल प्रदेश	0.63	0.22	1.30	2.15

1	2	3	4	5	6
4.	असम	71.53	24.16	34.43	130.12
5.	बिहार	207.14	95.53	521.62	824.29
6.	चंडीगढ़	0.69	-	0.31	1.00
7.	दादर एवं नागर हवेली	0.13	-	-	0.13
8.	दमन एवं दीव	0.10	-	-	0.10
9.	गोवा	2.84	-	1.29	4.13
10.	गुजरात	136.84	7.72	334.08	478.64
11.	हरियाणा	80.69	18.14	126.08	224.82
12.	हिमाचल प्रदेश	20.92	3.44	30.32	54.68
13.	जम्मू एवं कश्मीर	4.26	5.07	31.45	40.78
14.	कर्नाटक	283.14	70.30	126.21	479.65
15.	केरल	84.19	9.44	75.65	169.28
16.	लक्षद्वीप	0.03	-	-	0.03
17.	मध्य प्रदेश	159.28	38.08	229.22	426.58
18.	महाराष्ट्र	252.62	17.06	464.50	734.18
19.	मणिपुर	6.08	0.47	7.64	14.19
20.	मेघालय	6.40	0.47	9.81	16.68
21.	मिजोरम	0.96	1.46	0.09	2.51
22.	नागालैंड	6.94	0.30	3.82	11.06
23.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4.80	-	0.10	4.90
24.	उड़ीसा	123.01	68.64	150.76	342.41
25.	पांडिचेरी	8.25	-	1.80	10.05
26.	पंजाब	72.96	1.04	108.79	182.79
27.	राजस्थान	153.00	74.33	311.45	538.78
28.	सिक्किम	2.68	-	-	2.68
29.	तमिलनाडु	217.20	11.56	272.15	500.91
30.	त्रिपुरा	12.91	13.14	12.41	38.46
31.	उत्तर प्रदेश	283.91	100.13	638.01	1022.05
32.	पश्चिम बंगाल	212.51	58.98	133.73	405.22
	योग	2833.02	719.03	3961.54	7514.39

काजू का आयात

84. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल अपने काजू संसाधित एककों के लिए कच्चे काजू का आयात कर रहा है;

(ख) क्या यह आयात राज्य व्यापार निगम अथवा अन्य किसी एजेन्सी के माध्यम से किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किस देश में काजू का आयात किया जा रहा है; और

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान कुल कितनी मात्रा में काजू का आयात किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोजा दुल्ली रमैया): (क) जी, हाँ। केरल सरकार का एक उपक्रम केरल राज्य काजू विकास निगम लि॰ अपने काजू प्रसंस्करण एककों के लिए कच्चे काजू का आयात कर रहा है।

(ख) और (ग) यह निर्यात केरल राज्य काजू विकास निगम लि. द्वारा सीधे ही इस सन्दर्भ में केरल सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार विश्व स्तर पर आमन्त्रित टेन्डरों के आधार पर किया जाता है।

(घ) कच्चे काजू का आयात मुख्यतः अफ्रीकी देशों से किया जा रहा है।

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान केरल राज्य काजू विकास निगम ने 4430.067 मैट्रिक टन काजू का आयात किया।

भारत और यू.के. का संयुक्त उद्यम

85. **श्रीमती वसुधंरा राजे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के दौरान भारत यू.के. के कुछ संयुक्त उद्यमों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयुक्त उद्यमों की शर्तें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोजा दुल्ली रमैया): (क) से (ग) यू. के. और भारत की कुछ निजी कम्पनियों के बीच कुछ संयुक्त उद्यमों और समझौतों पर हस्ताक्षर ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा यू.के. के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष के जनवरी, 1997 के दौरे के दौरान किए गए। भारत और यू.के. की फर्मों के बीच संयुक्त उद्यमों और समझौतों में बीमा, दूरसंचार, साफ्टवेयर, इंजीनियरी वस्तुएं, भूसम्पत्ति, विकास का विपणन इत्यादि शामिल थे। संयुक्त उद्यमों की स्थापना के नियम और शर्तें, नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

कोयला खनन क्षेत्र

86. **श्री राम नाईक :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खनन के निजी क्षेत्र को अनुमति देने हेतु खनन क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के खनन क्षेत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) खनन हेतु निजी क्षेत्र को अब तक कितने क्षेत्र आवंटित किए गए हैं;

(घ) कोयला खनन क्षेत्रों के आवंटन हेतु निजी क्षेत्र से प्राप्त आज तक कितने प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए पहचान किए गए सभी खनन क्षेत्र इच्छुक व्यक्तियों को आवंटित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) जी, हाँ। इस संबंध में अभी तक 69 खनन ब्लाकों को प्रहीत खनन के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ग) अभी तक खनन किए जाने हेतु निजी पार्टियों को 28 ब्लाकों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(घ) और (ङ) निजी पार्टियों से प्राप्त कोयले के खनन ब्लाकों का आवंटन किये जाने हेतु सरकार के पास 29 प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं। जांच समिति की बैठकें समय-समय पर की जाती हैं और सभी प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों पर अन्य मंत्रालयों से परामर्श करके ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है ताकि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि दिलचस्पी रखने वाली तथा पात्र पार्टियों को ही ब्लाक को विनिर्दिष्ट किया जा सके।

कैप्टिव कोयला खान

87. **श्री सुशील चन्द्र :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कैप्टिव कोयला खानों की संख्या कितनी है और इनमें से कितनी कोयला खानें भूमिगत हैं और कितनी खानें "ओपनकास्ट" हैं;

(ख) इन कोयला खानों की खान-वार उत्पादन क्षमता क्या है; और

(ग) इन कोयला खानों को किन उद्योगों/कंपनियों को आंवटित किया गया है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) से (ग) प्रहीत खनन के लिए पेशकश किए गए 28 खनन ब्लाकों में से, स्थायी समिति द्वारा एम.एम.आर.डी. अधिनियम, 1957 के अंतगर्त 4 पार्टियों की खनन योजनाओं को अनुमोदन दे दिया गया है। उपरोक्त 4 मामलों के संबंध में उद्योगों, खनन के स्वरूप, प्रक्षिप्त उत्पादन क्षमताओं का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

उद्योगों का नाम	ब्लाकों का नाम	वार्षिक प्रक्षिप्त उत्पादन
1. मैसर्स बंगाल ऐमता (मैसर्स डब्लू.बी.एस.ई.बी.वेस्ट) तथा डब्लू.बी.पी.डी.कार.लि. के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी)	1. तारा (ईस्ट एंड	3. मि.ट. ओ.का. और भू.ग.
2. मैसर्स आर.पी.जी. इंडस्ट्रीज/सी.ई.एस.सी.	2. सरिसातोली	3.5 मि.ट. ओ.का.
3. मैसर्स निप्पोन डेनरो	3. बारंज	4.0 मि.ट.ओ.का.
4. मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट	4. लोडारा (ईस्ट)	0.80 मि.ट. भू.ग.

मि.ट. - मिलियन टन
ओ.का. - ओपनकास्ट
भू.ग. - भूमिगत

विश्व व्यापार में भारत का शेयर

88. **श्री मुख्तार अनीस :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने विश्व व्यापार संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्यातक, आयातकर्त्ता तथा व्यापारी के तौर पर विश्व व्यापार में तुलनात्मक रूप से भारत का स्थान क्या है;

(ग) सेवा व्यापार संबंध संगत आंकड़े क्या हैं;

(घ) उपरोक्त भाग (ख) तथा (ग) के संबंध में पिछले वर्ष की तुलना में भारत के व्यापार में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चोला चुज्जी रमैया): (क) से (ग) डब्ल्यू.टी.ओ. के प्रकाशन में निहित सूचना के अनुसार

देश की स्थिति नीचे दी गयी है:

	1995	1994
निर्यात		
(1) **पण्य व्यापार**		
श्रेणी	**1995**	**1994**
श्रेणी	31	32
शेयर %	0.61	0.60
सेवाएं		
श्रेणी	उपलब्ध नहीं	31
शेयर %	उपलब्ध नहीं	0.63
आयात	1995	1994
(2) **पण्य व्यापार**		
श्रेणी	28	29
शेयर %	0.67	0.62
सेवाएं		
श्रेणी	उपलब्ध नहीं	31
शेयर %	उपलब्धन हीं	0.73

(घ) वर्ष 1995 के दौरान भारत का निर्यात (पण्य व्यापार) 30.5 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर रहा जिससे वर्ष 1994 के दौरान हुए 25.1 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात स्तर की तुलना में 21.5% की वृद्धि प्रदर्शित हुई। वर्ष 1995 के दौरान भारत का आयात (पण्य व्यापार) 34.4 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर रहा जिससे वर्ष 1994 में हुए 26.8 बिलियन अमरीकी डालर के आयात की तुलना में 28.4% की वृद्धि हुई।

(ङ) निर्यात निष्पादन पर, अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार परिस्थितियों, बुनियादी सुविधाओं और व्यापार नीति ढांचे इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। ऐग्जिम नीति 1997-2000 में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात के अधिक अनुकूल वातावरण बनाने की व्यवस्था होगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद

89. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय विकास परिषद की 47वीं बैठक में दसवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश की तुलना में और अधिक धनराशि देने की मांग की थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् की 47वीं बैठक में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान ने सूचित किया था कि दसवें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार सिफारिश किए गए कुल अंतरण में से उनके राज्य की भागीदारी को कम किया गया है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु चाहते हैं कि दसवें वित्त आयोग की अंतरण की वैकल्पिक स्कीम को कार्यान्वित किया जाए। केरल निगम कर राजस्व की भागीदारी चाहता था। इसी भांति हिमाचल प्रदेश करों के भागीदारी पूल में निगम कर को मिला देना चाहता है। त्रिपुरा चाहता था कि ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की सहायता के लिए उसे अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

(ग) 1995-2000 की अवधि के लिए दसवें वित्त आयोग के निर्णयों के अनुसार राज्यों के कुल अंतरण को सरकार द्वारा पहले ही मान लिया गया है तथा इसे कार्यान्वित किया गया है। दसवें वित्त आयोग द्वारा पहले से की गई सिफारिशों के अतिरिक्त राज्यों को अतिरिक्त गैर-योजनागत अनुदान प्रदान करने अथवा राज्यों के बीच आपस में भागीदारियों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

90. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 1997 के ''दी हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''एन.आर.आई. इन्वेस्टमेंट ए न्यू हवाला चैनल'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय कंपनियों में किए गए निवेश की जांच कराने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1997 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने बम्बई और हैदराबाद में मैसर्स क्वाईनोन आर्गेनिक्स लि0 से सम्बन्धित परिसरों की तलाशी ली। तलाशी के परिणामस्वरूप अभिशंसी कागजात जब्त किए गए। अब तक की गई जांच से पता चलता है कि वर्ष 1995 के दौरान उक्त कम्पनी ने हवाला चैनलों के माध्यम से 1.25 करोड़ रुपए की राशि का संदाय करने के पश्चात् विदेशी स्रोतों से साधारण भागीदारी से के रूप में दुबई से 3.25 लाख अमरीकी डालर की रकम भारत में वापिस भेजने की व्यवस्था की।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा स्वतः अनुमोदन प्रक्रिया के अंतर्गत या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के प्रस्तावों की संवीक्षा और अनुमोदन इस आधार पर किया जाता है कि किन क्षेत्रों/सेक्टरों में निवेश किया जाना प्रस्तावित है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति के पश्चात् वास्तविक पूंजी लाने की अनुमति दी जाती है।

घाटे की वित्त व्यवस्था

91. **श्री येल्लैया नंदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि सरकार वित्तीय घाटे को कम करेगी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वित्तीय घाटे को कम करने संबंधी प्रस्ताव को पूरे वर्ष के दौरान प्राप्त नही किया गया हैं;

(ग) यदि हाँ, तो वित्तीय घाटे से निपटने में विफलता के मुख्य क्या कारण हैं;

(घ) क्या घाटा कम होने की अपेक्षा अधिक हुआ है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके मुख्य क्या कारण हैं तथा घाटे की वित्त व्यवस्था के लक्ष्य को पाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) सरकार कुल व्यय और इसकी ऋण-भिन्न प्राप्तियों के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उधार का सहारा लेती है। यह संघटक राजकोषीय घाटा दर्शाता है। वर्ष 1996-97 (बजट अनुमान) में राजकोषीय घाटे को 62266 करोड़ रुपये रखा गया है जो सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत बैठता है। वित्त मंत्री ने 1996-97 के अपने बजट भाषण में यह संकेत दिया था कि उन्हें आशा है कि वह अगले बजट में कुछ बेहतर करेंगे और एक समयावधि में राजकोषीय घाटे को 4 प्रतिशत से कम करने का प्रयास करेंगे।

यदि चालू वित्तीय वर्ष में कोई उतार-चढ़ाव है तो उन्हें आगामी बजट में दर्शाया जाएगा।

प्रतिभूति घोटाले को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश

92. **श्री बी.एल. शंकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक/केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित और राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रतिभूति घोटाले जैसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जारी किए गए मार्गनिर्देशों/अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1996 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उक्त मार्गनिर्देश जारी होने के बाद ऐसे कितने बैंक घोटाले हुए जिनमें 10 लाख रुपये से अधिक राशि अन्तर्ग्रस्त थी;

(ग) इन मामलों में कितनी राशि अन्तर्गस्त थी; और

(घ) इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ियों और अनियमितताओं को रोकने हेतु, आंतरिक नियंत्रण और लेखा-परीक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। बोर्ड स्तर की प्रबंध समितियों और लेखा-परीक्षा समितियां गठित की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से उनकी बड़ी और अधिक बड़ी शाखाओं में समवर्ती लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करने के लिए कहा है ताकि अविलम्ब निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन न किए जाने का पता लगाया जा सके और अनियमितताओं और धोखाधड़ियों, यदि कोई हों, को रोका जा सके। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रति सतर्कता तंत्र है जो निरोधी और पता लगाने वाले उपायों के लिए उत्तरदायी है ताकि धोखाधड़ियों को रोका जा सके।

बैंकों के अतिरिकत निरीक्षण और सतर्कता तंत्र के कार्यकरण की भारतीय रिजर्व बैंक निरंतर पुनरीक्षा करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए व्यापक मार्गनिर्देश भी जारी किये है; यह एक निरंतर आधार पर धोखाधड़ियों के मामलों की भी पुनरीक्षा करता है और बैंकों को विशिष्ट मामलों /इनजीनयस केसेज में कार्य प्रणाली तथा साथ ही उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों, परिचालनात्मक कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण और बड़ी धोखाधड़ियों के सूचित किए गए मामलों की जांच और संवीक्षा के बारे में सुझाव देता है। भारतीय रिजर्व बैंक धोखा-धड़ी बहुल क्षेत्रों में प्रणालियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रण व्यवस्थाओं का तात्कालिक निरीक्षण भी करता है। स्थल पर निरीक्षण, जिसे निर्धारित अंतरालों पर आयोजित किया जाता है, के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने विकसित पर्यवेक्षण के लिए स्थलेतर निगरानी प्रणाली वाले तंत्र की भी व्यवस्था की है। वित्तीय प्रणाली का समन्वित पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से वर्ष 1994 में सलाहकार परिषद सहित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) का गठन किया गया था।

(ख) से (घ) वर्ष 1993, 1994 1995 और 1996 (मार्च तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पता लगाई गई धोखाधड़ियों

की कुल संख्या, अन्तर्ग्रस्त राशि और धोखाधड़ी के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित विद्यमान उपलब्ध जानकारी नीचे दी गई है :

	1993	1994	1995	1996
1. धोखाधड़ियों की संख्या	2213	2266	1890	454
2. अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रु० में)	320.32	200.08	115.51	23.73
		+उगांडा शेलिंग 9844000		
3. दोष सिद्ध कर्मचारियों की संख्या	57	50	33	05
4. बड़े/छोटे दंड प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	[illegible]7	[illegible]248	1160	307
5. बर्खास्त/सेवा मुक्त/हटाये गए कर्मचारियों की संख्या	3[illegible]	[illegible]	[illegible]01	78

[हिन्दी]

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

93. **श्री विश्वेश्वर भगत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न जिलों में जल आपूर्ति एवं मल व्ययन योजनाओं के लिए ऋण मंजूर करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के कारण स्वीकृत ऋण उनकी लागत के 50 प्रतिशत से भी कम होती है;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उक्त योजनाओं की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 20 हजार से अधिक जनसंख्या वाले शहर में जलापूर्ति एवं मल व्ययन योजनाओं के लिए स्वीकृत लागत की 70 प्रतिशत धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय बीमा जीवन बीमा निगम योजनाओं की लागत के आधार पर जलापूर्ति और मल व्ययन योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्गीकृत पैटर्न का उपयोग करता है। 5 करोड़ रुपये तक की लागत वाली योजना के लिए जीवन बीमा निगम लागत का 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक निधि प्रदान करता है और 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम के ऋण भाग को वर्गीकृत आधार पर कम कर दिया जाएगा ओर यह 50 प्रतिशत से कम होगा। अधिक संख्या में योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करने को ध्यान में रखते हुए इस पैटर्न को अपनाया गया है।

(ख) जीवन बीमा निगम की नीति मूल और संशोधित अनुमानित लागत के बीच के अन्तर की केवल 25 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता पर विचार करना है। किसी भी चल रही परियोजना के लिए इस प्रकार की सहायता निम्नलिखित शर्तों में केवल एक बार प्रदान की जाती है :

(i) राज्य सरकार को लागत में बढ़ोतरी को संतुलित करने के लिए आवश्यक निधि प्रदान/व्यवस्था करने की वचनबद्धता देनी चाहिए।

(ii) संशोधित अनुमानित लागत राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक रूप से स्वीकृत हो।

(ग) और (घ) 20,000 से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में जलापूर्ति और मल व्ययन योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम के ऋण की मात्रा उपर्युक्तानुसार वित्तीय सहायता के पैटर्न पर आधारित होगी। एक करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए अधिकतम ग्राह्य ऋण (शहरी क्षेत्रों में) 67 प्रतिशत और (ग्रामीण क्षेत्रों में) 50 प्रतिशत तथा एक करोड़ रु० से अधिक की योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम की ऋण मात्रा कम होगी।

[अनुवाद]

आर्थिक सुधार

94. **श्री सन्तोष मोहन देव :**
श्री कचरू भाऊ राउत :
श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में यह बताया है कि यहां आर्थिक सुधार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रधान मंत्री ने यह संकेत किया है कि 30 जनवरी, 1997 से पहले आर्थिक उपायों की एकमुश्त घोषणा कर दी जाएगी;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उनके द्वारा हाल में दिए गए वक्तव्य से उद्योग क्षेत्र और बाजार में भारी असंतोष उत्पन्न हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का इन आर्थिक सुधारों में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) 31 दिसम्बर, 1996 को प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था पर

विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए विभिन्न उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों के साथ भेंट की। वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री, वाणिज्य मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष वहां उपस्थित थे। बैठक में प्रधान मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार दीर्घावधिक नीतिगत मामलों पर शीघ्र निर्णय लेगी और जनवरी, 1977 के माह में उपयुक्त नीतिगत उपायों की घोषणा करेगी।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) सरकार द्वारा हाल ही में विदेशी निवेश और आधारभूत ढांचे के विकास के क्षेत्र में बहुत से नीतिगत उपायों की घोषणा की गई है। इनमें 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की स्वयंमेव अनुमति के लिए पात्र उद्योगों की सूची का विस्तार करना, 74 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की स्वयमेंय अनुमति के लिए 9 उद्योग समूहों की घोषणा और विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड द्वारा उन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों, जो स्वयंमेव मार्ग के अन्तर्गत नहीं आते, पर विचार के लिए सर्वप्रथम मार्गदर्शिकाओं की घोषणा करना शामिल है, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) को निगमित और ऋण निधियों में निवेश करने की अनुमति दी गई है तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए मार्गदर्शिकाओं को और अधिक उदार बनाया गया है।

अन्य नीतिगत उपायों में, उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक सामानों पर लाइसेंस को खत्म करना, लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा को बढ़ाना, "घ" ग्रेड के गैर-कुकिंग कोयला, हार्ड कोक और साफ्ट कोक के मूल्यों और संवितरण को विनियंत्रित करना, दूर संचार परियोजनाओं को कर मुक्ति और रियायती आयात शुल्क प्राप्त करने की अनुमति देना, पत्तनों और राजमार्गों में निजी सहभागिता के लिए उदारीकृत मार्ग-दर्शिकाओं की घोषणा करना और विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम कार्यवाही योजना की घोषणा करना शामिल है।

आयकर अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करना

95. **श्री बृज भूषण तिवारी :**
श्री कुवंर सर्वराज सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने आयकर अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने की मांग की है, ताकि वे आयकर संबंधी मामलों में छापों के दौरान उपयुक्त कार्रवाई कर सकें;

(ख) यदि हाँ तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार आयकर अधिकारियों को अपनी रक्षा के लिए सर्विस रिवाल्वर प्रदान करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस मामले की गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई थी जिन्होंने यह राय दी है कि क्योंकि कानून और व्यवस्था एक राज्य विषय है; अतः इस संवैधानिक बाध्यता को देखते हुए आयकर अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान नहीं की जा सकती हैं।

(ग) और (घ) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सामान की जब्ती

96. **डॉ॰ बलीराम :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीने के दौरान महानगरों में और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उत्पाद और सीमा शुल्क द्वारा जब्त किए गए सामान का ब्यौरा क्या है;

(ख) जब्त किए गए सामान का मूल्य कितना है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सरकार जब्त किए गए सामान का निपटान किस तरीके से करती है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) नवम्बर, 1996 से जनवरी, 1997 की तीन महीने की अवधि के दौरान सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महानगरीय शहरों और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर 4800.57 लाख रुपये मूल्य का सोना, मूल्यवान रत्न, इलैक्ट्रानिक सामान, भारतीय तथा विदेशी करेंसी, सिंथेटिक फैब्रिक और अन्य विविध वस्तुओं जैसा निषिद्ध माल पकड़ा गया। इस संबंध में 135 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(घ) निपटान के लिए तैयार होने पर पकड़े गए माल को बेच दिया जाता है। सीमा शुल्क काउन्टरों पर अथवा एन.सी.सी.एफ. तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों के जरिए उपभोक्ता माल को खुदरा बिक्री के आधार पर बेचा जाता है। थोक अथवा व्यापारिक माल को नीलामी करके अथवा निविदा आमंत्रित करके बेचा जाता है, जबकि जोखिमपूर्ण अथवा खतरनाक माल और नार्कोटिक्स को सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नष्ट कर दिया जाता है।

सोने और चांदी को चार प्रमुख सीमाशुल्क गृहों अर्थात मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई में खुदरा काउन्टरों के जरिए बेचा जा रहा है।

[अनुवाद]

देशभक्तों के चित्र

97. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों में देशभक्तों के चित्र लगाए जाने हेतु उनका चयन कार्य करने वाले सक्षम अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में अपनायी गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आर्थिक उदारीकरण

98. **श्री सोडन वीर :**
कुमारी उमा भारती :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :
प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर" :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण तथा आर्थिक सुधारों की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की गति तेज करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक सुधारों से समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचे, क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) 1 जून, 1996 से सरकार ने विदेशी निवेश और आधार ढांचा विकास के क्षेत्र में अनेक उपाय किए हैं। विदेशी निवेश संवर्धन परिषद् (एफ.आई.पी.सी.) गठित की गई है, निदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को सुप्रवाही तथा अधिक पारदर्शी बनाया गया है और उन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में पहली बार दिशानिर्देशों की घोषणा की गई है जो स्वतः अनुमोदन के तहत नहीं आते। 51 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी के स्वतः अनुमोदन हेतु पात्र उद्योगों की सूची बढ़ाई गई है और 74 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी के स्वतः अनुमोदन संबंधी नई सूची घोषित की गई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों को असूचीबद्ध कंपनियों में तथा कार्पोरेट और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी गई है और विदेशी वाणिज्यिक उधारों से संबंधित दिशानिर्देशों को उदार बनाया गया है।

अन्य सुधारों में ये शामिल हैं : विनिवेश आयोग, स्वतंत्र टैरिफ आयोग की स्थापना, लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमाओं में वृद्धि करना, उपभोक्ता-इलैक्ट्रानिक्स की लाइसेंसिंग को समाप्त करना, चीनी संबंधी नीति में परिवर्तन, कोयले की कुछ श्रेणियों के मूल्यों और वितरण का विनियमन समाप्त करना तथा कोयला खान अधिनियम में संशोधन करना।

दिसम्बर, 1996 से सरकार ने प्रमुख आधार ढांचा उद्योगों, जैसे बिजली उत्पादन और पोषण, गैर-परम्परागत ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, सड़कों, पुलों, रेल-पटरियों, पत्तनों और पोताश्रयों के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों, में 74 प्रतिशत तक विदेशी, इक्विटी हेतु स्वतः अनुमोदन की अनुमति दे दी है। करावकाश और रियायती आयात शुल्क वाले क्षेत्र विशिष्ट सुधार टेलीकॉम और विद्युत क्षेत्र के लिए भी आरंभ कर दिए गए हैं। सरकार ने हाल ही में बनाओ-चलाओ-अन्तरण करो (बी.ओ.टी.) साधन के जरिए राजमार्ग विकास में निजी भागीदारी हेतु दिशानिर्देशों की घोषणा की है।

ये सभी सुधार सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिनमें वितरण न्याय हासिल करने के लिए निर्धनता उपशमन तथा रोजगार सृजन और सामाजिक क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

[अनुवाद]

केरल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन दिए गए ऋण

99. **श्री सुरेश कोडीकुनील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "प्रधानमंत्री रोजगार योजना" के अधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वरोजगार हेतु अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) केरल में इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) केरल में इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास कितने आवेदन लम्बित हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (अखिल भारत एवं केरल राज्य में) मंजूरी एवं संवितरण के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(लाख रु०)

कार्यक्रम	मंजूर की गई धनराशि		संवितरित धनराशि	
वर्ष	अखिल भारत	केरल	अखिल भारत	केरल
1994-95	66390-79	2518.33	41537.75	1868.55
1995-96	101412.33	2980.35	67715.49	2498.63
1996-97 (दिसम्बर 1996 तक)	44599.75	1911.95	19949.46	1024.11

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1996 के अंत तक पी.एम.आर.वाई. के तहत केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास लम्बित आवदेन पत्रों की संख्या 2268 थी।

एन.टी.सी. शोरूम

100. **श्री मोडन रावले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.टी.सी. (एस.एम.) तथा एन.टी.सी. (एन.एम) लि. के शोरूम में कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न शोरूम/मिल पर स्थित दुकानों में भिन्न-भिन्न वेतनमान दिया जाता है;

(ख) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. के निदेशक मंडल द्वारा उक्त मुद्दे पर चर्चा की गयी थी;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिये गए;

(घ) क्या एन.टी.सी. (एस.एम.) लि. के मुख्य प्रबन्ध निदेशक ने इस मुद्दे के समाधान हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिये गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला नीति

101. **डॉ॰ असीम बाला** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित नई कोयला नीति विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) समेकित कोयला नीति से संबंधित ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:

(i) "डी" ग्रेड के अकोक कर कोयले, हार्ड कोक तथा साफ्ट कोक की कीमतों तथा उनके वितरण का विनियमन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

(ii) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) को "ई", "एफ" तथा "जी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों का निर्धारण 1 जनवरी, 2000 तक प्रत्येक छः महीनों की अवधि में करने की अनुमति दी जाए। उक्त कीमतों का निर्धारण औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के 1987 की रिपोर्ट में निर्दिष्ट वृद्धिआत्मक फार्मूले के अनुसार लागत सूचकांक को अद्यतन करके की जाए।

(iii) को.इं.लि. तथा सिं.को.कं.लि. को "ई", "एफ" तथा "जी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों का निर्धारण बाजार की कीमतों के संबंध में किए जाने तथा उक्त ग्रेडों के कोयले को 1 जनवरी, 2000 के बाद वितरित किए जाने की अनुमति दी जाए।

(iv) देश में कोयला तथा लिग्नाइट के संसाधनों का विस्तृत तथा क्षेत्रीय अन्वेषण संबंधी प्रबोधन किए जाने के लिए एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया जाए।

(v) एक प्रतियोगी संविदात्मक प्रक्रिया के आधार पर नए ब्लाकों का आवंटन किया जाए, जिसमें राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों के साथ भारतीय कंपनियां भी हिस्सा ले सकती हैं।

चीन के साथ आर्थिक सहयोग

102. **डॉ॰ कृपा सिंह भोई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन के साथ आर्थिक सहयोग बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दोनो देशों ने भारत-चीन आर्थिक संबंध स्थापित करने के लिए नये तरीकों तथा क्षेत्रों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) से (ग) भारत-चीन आर्थिक संबंधों में सुधार करने के लिए किए गए उपायों में एक संयुक्त आर्थिक दल की स्थापना करना शामिल है जिसमें भारतीय पक्ष की अध्यक्षता विदेश मंत्री द्वारा तथा चीनी पक्ष की अध्यक्षता विदेश व्यापार और आर्थिक सहयोग मंत्री द्वारा की जाती है। संयुक्त आर्थिक दल (जे.ई.जी.) 1988 से कार्यरत है तथा जे.ई.जी. का छठा सत्र 1997 के आरंभ में होना निर्धारित है।

दोनों देश एक दूसरे को एम.एफ.एन. स्तर प्रदान करते हैं, द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को सुसाध्य बनाने के लिए दोनों देशों के बीच बड़ी संख्या में करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें दुहरे कराधाना से बचने के संबंध में करार, हवाई सेवा करार, जहाजरानी करार, बैंकिंग संबंधों पर एक समझौता ज्ञापन और वानिकी, पर्यावरण, कोयला, कृषि, विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करने वाले कार्यकारी सहयोग पर विभिन्न समझौता ज्ञापन शामिल हैं।

एफ.सी.सी.आई. और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्द्धन के लिए चीनी परिषद् सी.सी.पी.आई.टी. के साथ एक संयुक्त व्यापार परिषद् स्थापित की गई है। सी.आई.आई. ने भी आल-चाइना फेंडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कामर्स तथा सी.सी.पी.आई.टी. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के रास्ते सीमा व्यापार में प्रगति हो रही है।

चीन के साथ व्यापार बढ़ रहा है तथा 1995-96 में यह 1097 करोड़ (निर्यात) और 2732 करोड़ रुपए (आयात) था।

[हिन्दी]

रिमोट कम्प्यूटर लॉक-इन टर्मिनल फेसिलिटी

103. **श्री कचरू भाऊ राउत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है जहां "रिमोट कम्प्यूटर लॉक-इन टर्मिनल फेसिलिटी" शुरू की गई है;

(ख) क्या उक्त सुविधा के परिणामस्वरूप बैंकों में रोजगार के अवसरों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री. पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बैंक कर्मचारी संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदन

104. **श्री अजय चक्रवर्ती** :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंकिंग उद्योग से संबंधित मामलों पर अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें निम्नलिखित मामलों पर सुझाव दिए गए हैं :

(i) बैंकों का पुनर्गठन।

(ii) बैंक ऋणों में जानबूझकर चूक।

(iii) सभी बैंक चूककर्ताओं की सूची का पूर्ण प्रकटन।

(iv) बैंकों के तुलन-पत्र पूर्णतः पारदर्शी हों।

(v) स्वतंत्र लेखा-परीक्षा आयोग की स्थापना।

(vi) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना।

(vii) बैंकिंग सेवा आयोग के माध्यम से बैंकों के अध्यक्षों और कार्यपालकों की नियुक्ति।

(viii) राष्ट्रीकृत बैंकों के कार्यनिष्पादन की जांच करने के लिए स्थायी संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

(ix) कर्मचारियों और अधिकारियों की यूनियनों के साथ आवधिक परामर्श।

(x) गैर-सरकारी स्थानीय बैंक स्थापित न करना।

(ग) बैंकिंग उद्योग में सुधार किया जाना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों को सभी संगत पहलुओं के आलोक में ध्यान में रखा जाता है।

इलायची का आयात और तस्करी

105. **श्री पी.सी. थामस :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवामाला में उत्पादित इलायची भारत के बाजार में वैध/अवैध रूप से लाई जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत में कुल कितनी मात्रा में इलायची लाई गई और उसका मूल्य क्या था;

(ग) क्या गुवामाला से कम मूल्य की इलायची के आने की वजह से घरेलू मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान गुवामाला और भारतीय इलायची का तुलनात्मक मूल्य क्या था;

(ङ) क्या नेपाल कलकत्ता पत्तन के मार्ग से इलायची का आयात कर रहा है;

(च) यदि हाँ, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान कलकत्ता पत्तन में कुल कितनी मात्रा में इलायची का आयात किया गया;

(छ) क्या यह इलायची भारत में शुल्क रहित अथवा निम्न शुल्क पर आयातित की गई;

(ज) यदि हाँ, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान नेपाल से भारत में कुल कितनी मात्रा में इलायची का आयात किया गया; और

(झ) नेपाल से अथवा रास्ते में किसी अन्य स्थान से इलायची की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोजा बुज्जी रमैया): (क), (छ) और (ज) इलायची के उपभोक्ता वस्तु होने के कारण लाइसेंस के बिना आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि इलायची के उपजकर्त्ताओं ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि नेपाल द्वारा गुवामाला से आयात की जाने वाली इलायची गैर-कानूनी ढंग से भारत में प्रवेश पा रही है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इलायची (छोटी) के आयात से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (लाख रु0)
1994-95	20.00	32.82
1995-96	26.41	20.75

स्रोत :- डी.जी.सी.आई.एण्ड एस., कलकत्ता

(ग) जी, नहीं। अगस्त-जनवरी (1996-97) के दौरान छोटी इलायची की भारित औसत घरेलू कीमत प्रति कि. ग्राम. 398.46 रु0 थी जबकि अगस्त-जुलाई (1995-96) के दौरान 201.50 रु0 प्रति कि. ग्रा. थी।

(घ) पिछले 2 वर्षों के दौरान, मध्यपूर्व बाजारों में भारतीय तथा गुवाभाला की छोटी इलायची की कीमत निम्नानुसार थी:

वर्ष	किस्म	कीमत (अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा.)
1994-95	गुवामाला की छोटी इलायची (मोटी हरी/मोटी)	7.00-8.50
	भारतीय (अधिक मोटी/मोटी)	16.81-20.30
1995-96	गुवामाला छोटी इलायची (मोटी हरी/मोटी)	5.70-7.00
	भारतीय (अधिक मोटी/मोटी)	9.00-10.50

(ङ) और (च) नेपाल द्वारा छोटी इलायची के कुछेक आयात कलकत्ता पत्तन के माध्यम से किए जाते हैं। तथापि, ऐसे आयातों के सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(झ) सभी सम्बन्धित सीमाशुल्क प्राधिकारियों तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क कर दिया गया है तथा वे नेपाल से भारत को इलायची की किसी भी प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए चौकस हैं।

[हिन्दी]

बैंकों की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली

106. **श्री प्रमोद महाजन :**
श्री नन्द कुमार साय :
श्री रामसागर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रशीद जालानी समिति ने बैंकों की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए बैंकों को निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सभी बैंकों ने इन निर्देशों का अनुपालन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है और ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस ग्रुप ने कुल 79 सिफारिशें की हैं जिसमें से बैंकों ने 25 का कार्यान्वयन करना है। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के अनुसार, समिति की कुछ विशेष सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(I) जटिलताओं को दूर करने और विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों/लेखा-परीक्षाओं की बारम्बारता को कम करने के साथ-साथ अतिव्याप्ति (ओवरलैपिंग) दूर करने के लिए प्रभावी उपाय प्रारम्भ किए जाने चाहिए।

(II) बैंकों को निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर शाखा रेटिंग प्रणाली लागू करनी चाहिए और शाखाओं के उचित कार्यकरण के लिए निर्धारित परिवर्तित प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आवधिक रूप से उसकी पुनरीक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक बैंक को शाखा के विशेष दबाव वाले क्षेत्रों, जैसे लेखा-परीक्षा रेटिंग परिसंपत्ति की कोटि अनिष्पादित आस्ति (एन.पी.ए.) स्तर, राजस्व क्षरण, लाभप्रदता आदि का हिसाब किताब रखने के लिए कम्प्यूटर-प्रोफाइल रखना चाहिए। शाखाओं में धोखाधड़ी के मामलों आदि पर दृष्टि रखने के लिए ट्रैक रिकार्ड रखा जाना है।

(III) सभी कमजोर कार्यनिष्पादन क्षमता वाली शाखाओं का 12 महीने के अन्दर तथा अन्यों का पिछले निरीक्षण से 12 और 16 महीने के बीच निरीक्षण किया जाना है।

(IV) शाखाओं का संपूर्ण कप्यूटरीकरण शीघ्रता से किया जाना चाहिए। निरीक्षण लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाई गई अनियमितताओं को सुधारने के लिए बैंकों को शाखाओं के पिछले कार्य-निष्पादन रिकार्ड को भी कम्प्यूटरीकृत करना चाहिए।

(V) सतर्कता एवं निरीक्षण विभागों को दो विभिन्न कार्यपालकों के अन्तर्गत रखा जाना चाहिये।

(VI) बैंकों में निरीक्षकों/लेखा परीक्षकों द्वारा गम्भीर अनियमितताओं का पता लगाने/रिपोर्ट करने में असफल रहने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने की प्रणाली होनी चाहिए।

(VII) बड़ी शाखाओं के निरीक्षण के लिए खण्डीकरण की प्रवृत्ति अपनाई जानी चाहिए तथा निरीक्षण/लेखा परीक्षा में विलम्ब को दूर करने के लिए विभाग-वार निरीक्षण लेखा परीक्षा की जानी चाहिए।

(VIII) उन शाखाओं को अनुवर्ती लेखा-परीक्षा प्रणाली में शामिल करना अधिक लाभप्रद होगा जो कि बैंक के कुल अग्रिमों के 50% के लिए उत्तरदायी होगी न कि उनका जो कुल व्यवसाय के 50% के लिए उत्तरदायी हैं।

(IX) समिति ने, अन्यों के साथ-साथ कम्प्यूटर लेखा परीक्षा और इलेक्ट्रानिक आंकड़ा संसाधन (ई.डी.पी.) पहलुओं की भी सिफारिश की है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 1 नवम्बर, 96 के पत्र के माध्यम से बैंकों से सिफारिशों को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा है।

(घ) अधिकांश बैंकों ने अनुदेशों की प्राप्ति और सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उपायों को शुरू करने की सूचना दे दी है।

(ङ) बैंकों को 31 दिसम्बर, 1996 को समाप्त तिमाही से सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में, आर.बी.आई. को प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। बैंकों ने अब अपनी रिपोर्ट भेजना शुरू कर दिया है। सभी रिपोर्टों की प्राप्ति तथा सत्यापन होने तक अनुदेशों का पालन न करने वाले बैंकों के नाम बता पाना संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्रीनगर से कार्यालयों को अन्यत्र ले जाना

107. **श्री गुलाम रसूल कार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर में आतंकवाद की अवधि के दौरान बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों के कितने क्षेत्रीय कार्यालय बंद किए गए थे; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन क्षेत्रीय कार्यालयों को पुनः श्रीनगर जाने का निर्देश दिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि आतंकवाद की अवधि के दौरान श्रीनगर में किसी बैंकिंग कंपनी का कोई क्षेत्रीय कार्यालय बन्द नहीं किया गया। बीमा कंपनियों का कोई कार्यालय श्रीनगर में नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चुनाव खर्च व्यय

108. **श्री पंकज चौधरी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चुनाव आयोग से दल के खर्च को उम्मीदवार के खर्च में शामिल करने तथा चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अधीन स्पष्टीकरण 1 को हटाए जाने और साथ ही निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा का पुनरीक्षण करके उसे बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया है।

(ग) फिलहाल वह वास्तविक समय सीमा बताना संभव नहीं है कि जिस तक इस संबंध में कोई अंतिम विनिश्चय किया जाना संभाव्य हो।

[अनुवाद]

विदेशी संस्थागत निवेश

109. **श्री एल. रमना :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय स्टाक मार्केट में पूंजी निवेश करने की अनुमति दी गई है;

(ख) इन विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय स्टाक मार्केट में वर्ष 1994-95 और 1995-96 के प्रथम नौ महीनों के दौरान कितना निवेश किया गया है;

(ग) क्या इन निवेशों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में कोई विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वे विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रभुत्व के कारण स्टाक एक्सचेंजों में नियामक निकाय के रूप में भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय जीवन-बीमा निगम जैसी भारतीय वित्तीय संस्थाओं की भूमिका अप्रभावी हो गई है; और

(च) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 13.1.1997 तक, सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों की संख्या 427 थी। सेबी से इन विदेशी संस्थागत निवेशकों के नाम प्राप्त किए जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान तथा 1995-96 के पहले नौ महीनों के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवल निवेशों की राशि निम्नानुसार है:

मिलियन अमरीकी डालर

1994-95	1995-96
	दिसम्बर, 1995 तक
1528.3	1016.8

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों द्वारा की जाने वाली भागीदारी देशीय पूंजी बाज़ारों की गहनता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है तथा भारतीय उद्योग द्वारा पूंजी जुटाने की गुंजाइश में वृद्धि करती है। इसके अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों के परिणामस्वरूप होने वाली विदेशी मुद्रा अंतर्प्रवाह देश की भुगतान-शेष की स्थिति के प्रबन्ध में सुविधाकारी भूमिका निभाते हैं।

(ङ) और (च) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं भारतीय पूंजी बाज़ारों में प्रमुख निवेशकों के रूप में मुख्य भूमिका निभाती आ रही है। निवेशकों की एक श्रेणी के रूप में, विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय पूंजी बाज़ारों में सक्रिय मुख्य निवेशक हैं। तथापि, सेबी के विनियमों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पोर्टफोलियो साधन के अन्तर्गत किसी एक भारतीय कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 24 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होते हैं।

[हिन्दी]

परियोजनाओं और नहरों के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण

110. **श्री डी.पी. यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं और नहरों के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1996-97 के दौरान एशियाई विकास बैंक की सहायता से कुछ निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) शेष कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). एशियाई विकास बैंक द्वारा दूसरी सड़क सुधार परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को 30 अक्टूबर, 1990 को 31.318 मिलियन अमरीकी डालर ऋण स्वीकृत किया गया था। वर्ष 1996-97 के दौरान, 31 दिसम्बर, 1996 तक 150.1 मिलियन रुपये की राशि खर्च की गई है। शेष कार्य के 30 जून, 1998 तक पूरा होने की संभावना है।

उपर्युक्त परियोजना के अतिरिक्त. सड़क सुधार परियोजना, दूसरी रेलवे परियोजना, ऊंचाहार तापीय विद्युत परियोजना जिसमें उत्तर प्रदेश लाभभोगी राज्य है, जैसी एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त केन्द्र/सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाएं भी हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

111. **श्री वत्ता मेघे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग अन्य उद्देश्यों में किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विनिवेश आयोग

112. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनिवेश आयोग विगत में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से सम्बन्धित आलोचना को किस प्रकार दूर करने में सहायक हुआ है;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान विनिवेश हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और विनिवेश के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि विनिवेश बाज़ार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) विनिवेश आयोग की स्थापना 23-8-1996 को की गई थी। हालांकि, तब से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का विनिवेश नहीं किया गया है। 1992-93 से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर कोई आलोचना नहीं हुई है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष (1996-97) के लिए 5000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किन्तु वर्ष 1996-97 में अभी तक कोई विनिवेश नहीं हुआ है।

(ग) विनिवेश प्रक्रिया में हमेशा बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है।

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग

113. **श्री पवन दीवान** :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) किन-किन जिलों में खादी ग्रामोद्योग आयोग के रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग की रोजगार योजनाओं के लिए जिलों को अपनाने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम हेतु पूरे देश में 71 जिले चुने गये थे। सूची विवरण के तौर पर संलग्न है।

इन 71 जिलों में से खादी और ग्रामोद्योग आयोग 25 जिलों में ही कार्यक्रम को क्रियान्वित कर सका, जो इस प्रकार हैं:- मऊ, जौनपुर, झाबुआ, सरगुजा, रायपुर, चंबा, चन्द्रपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, आदिलाबाद, कुरनूल, पूर्वी गोदावरी, कोलार, बनासकांठा, कालाहांडी, अनंतनाग, सहरसा, एल्लेपी, श्रीसर, पथनमथिट्टा, कोजिकोडि, रामनाथपुरम्, तिकोवेल्लि तथा अंबाला।

शेष जिलों के लिए तथा कार्यक्रम को आगे जारी रखने हेतु राज्यों द्वारा सीधे कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य खादी और

ग्रामोद्योग बोर्डों को अब धन जारी किया गया है और त्वरित कार्यान्वयन हेतु उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(ख) विशेष रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु जिलों का चुनाव वहां के पिछड़ेपन, मजदूरी स्तर तथा खादी और ग्रामोद्योगों के विकास हेतु वहां अन्य ढांचागत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

विवरण

उन जिलों के नाम जहां खादी और ग्रामोद्योग आयोग के रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों को स्वीकृति दी गयी है

राज्य	लघु राज्य सेवा संस्थान	जिला
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	कुरनूल
		अदिलाबाद
		महबूब नगर
		प्रकाशम
		करीमनगर
		ईस्ट गोदावरी
		श्रीकाकुलम
अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी	चांगलैग
असम	गुवाहाटी	मैरिगॉन
		लखीमपुर
बिहार		सहरसा
		गोड्डा
		मधुबनी
		गया
गुजरात	अहमदाबाद	बनासंकठा
		पंचमहल
		कच्छ
हिमाचल प्रदेश	सोलन	चम्बा
		कुल्लू और
		मनाली
हरियाणा	करनाल	रिवाड़ी
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	अनंतनाग
		जम्मू
कर्नाटक		कोलार
		रायचूर
		धारवाड़
		चित्रदुर्ग
केरल	त्रिचूर	अलेप्पी
		पाथनामथिट्टा
		थ्रीस्सुर
		कोजीकोड़े
मध्य प्रदेश	इंदौर	सरगुजा
		भिण्ड
		गुना
		रायपुर
		झबुआ
		बेतूल
महाराष्ट्र	बंबई	चन्द्रपुर
		यवतमल
		बीड
		नादेड़
		रायगढ़ और
		रत्नागिरि
मणिपुर	इम्फाल	इम्फाल
मेघालय	गुवाहाटी	ईस्ट गारो हिल्स
		वेस्ट गारो हिल्स
		साउथ गारो हिल्स
मिजोरम	इम्फाल	लुगलाय और
		एजवाल
नागालैंड	इम्फाल	दीमापुर और
		कोहिमा
उड़ीसा	कटक	कालाहाण्डी
		फुलबनी
		कोरापुट
		धनकनाल
पंजाब	लुधियाना	होशियारपुर
राजस्थान	जयपुर	दौसा
		टोंक
		उदयपुर
		जयपुर
त्रिपुरा	अगरतला	त्रिपुरा (वेस्ट)
तमिलनाडु	मद्रास	रामानाथापुरम
		तिरूनेलवेली
		धर्मपुरी
		नार्थ एरकोट
		साउथ एरकोट
उत्तर प्रदेश		माऊ
		अल्मोड़ा और
		पिथौरागढ़
		चमोली और
		उत्तरकाशी
		मथुरा
		शाहजहांपुर
		झांसी
		जौनपुर

1	2	3
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	बिरभूम, नार्थ, 24 परगना और साउथ 24 परगना और मालदा
सिक्किम	गंगटोक	सिक्किम

कार निर्माण संबंधी संयुक्त उद्यम परियोजना

114. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार निर्माण संबंधी कुछ संयुक्त उद्यम इकाइयां अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) कार परियोजनाओं में सयुंक्त उद्यमों के सामने आ रहे वित्तीय संकट के बारे में उद्योग मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारत कोकिंग कोल लि. के अधीन खानों को बंद किया जाना

115. **प्रो॰ रीता वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि. का उन कोयला खानों को बंद करने का कोई प्रस्ताव है जहां इसकी उत्पादन लागत ज्यादा है;

(ख) यदि हाँ, तो उन कोयला, खानों में क्या नाम हैं जिन्हें बंद किया जाना है;

(ग) ऐसी कोयला खानों मे कोयले की उत्पादन लागत कितनी है;

(घ) ऐसी कोयला खानों में कितने मजदूर नियोजित हैं;

(ङ) इन खानों से किस श्रेणी के कोयले का उत्खनन किया जाता है; और

(च) बंद करने की स्थिति में उन खानों में काम करने वाले मजदूरों का पुनर्वास करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) भारत कोकिंग कोल लि. में वर्तमान में किसी भी कोयला खान को बंद किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (च) उपर्युक्त उत्तर के (क) भाग को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित तीसरा भागीदारी सम्मेलन

116. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1997 में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा कलकत्ता में आयोजित तीसरे भागीदारी सम्मेलन में आधारभूत ढांचे के लिऐ प्रमुख क्षेत्रों तथा विदेशों से सीधे निवेश प्राप्त करने हेतु संक्षिप्त निष्कर्ष क्या रहे; और

(ख) सरकार द्वारा मध्यस्थों को हटाने, प्रक्रिया संबंधी विलम्बों को कम करने तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश संबंधी मामलों में पारदर्शिता लाने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 9 से 11 जनवरी, 1997 तक कलकत्ता में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित भागीदारी सम्मेलन अनुसंधानात्मक प्रकृति का था और इसमें भारत तथा ब्रिटेन के उद्योग प्रतिनिधियों के बीच परस्पर विचार-विमर्श करने का अवसर उपलब्ध हुआ था। सम्मेलन के दौरान दोनों देशों की कंपनियों के बीच सहयोग के कई करारों पर हस्ताक्षर किये गये और इस आशय की घोषणा की गई। इस प्रकार के निवेश सम्मेलनों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्तविक प्रवाह में कुछ समय लग जाना स्वाभाविक होता है।

(ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को सरल तथा निवेशक के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इसकी निरंतर समीक्षा की जाती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विदेशी निवेश संबर्धन बोर्ड द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों पर विचार करने के लिए हाल ही में कुछ दिशा-निर्देशों तथा स्वतः अनुमोदन के लिए कुछ उद्योगों की सूची के विस्तार की घोषणा की है।

सिले-सिलाए वस्त्रों और कालीनों का निर्यात

117. **श्री उत्तम सिंह पवार :**
श्रीमती केतकी देवी सिंह :
श्री ए.जी.एस. राम बाबू :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान सिले-सिलाए वस्त्रों तथा कालीनों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इसे कहां तक प्राप्त किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिले-सिलाए वस्त्रों के अधिकांश निर्यातक संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का पालन नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वरूप इस संबंध में विदेशों से वस्त्रों की पर्याप्त मांग नहीं होती है; और

(ग) यदि हाँ, तो अच्छे किस्म के माल का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान सिलेसिलाए परिधानों के निर्यातों के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्न अनुसार हैं :

	मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में	
वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1995-96	4,800	4453.31
1996-97 (दिसम्बर, 96 तक)	4,750	3389.54

कालीनों के निर्यातों के लिए कोई पृथक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 दिसम्बर, 96 तक के दौरान कालीनों के निर्यात निम्न अनुसार हैं :

वर्ष	मूल्य/ मिलियन अमरीकी डालर में
1995-96	589.44
1996-97 (दिसम्बर, 96 तक)	411.21

(ख) और (ग) सरकार को इस बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि अनेक परिधान निर्यातक गुणवत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय मानक कायम नहीं रखते हैं। तथापि, सरकार ने वस्त्र समिति के विविध प्रचार उपायों के माध्यम से परिधान निर्यातकों सहित हमारे सभी वस्त्र निर्यातकों में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य शुरू किया है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भूमि अधिग्रहण

118. **श्री शिवराज सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद कोल इंडिया लि. ने कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने परिवार विस्थापित हुए और कोयला कंपनियों द्वारा अब तक कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है; और

(ग) शेष विस्थापित परिवारों का पुनर्वास कब तक किये जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण किए जाने से पूर्व को.इं.लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा 1,13,550 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

(ख) नवम्बर, 1996 तक, 6649 परिवारों को विस्थापित किया गया है तथा उन सभी परिवारों को पुनर्वासित कर दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर के भाग (ख) को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

शार्क मछली के पंख/मांस/खाल का निर्यात

119. **श्री वी. प्रदीप देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान और 1996-97 की अवधि में 31 दिसम्बर, 1996 तक सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया और एशिया के सुदूर-पूर्व देशों को शार्क मछली के पंख, मांस और खाल के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) प्रतिवर्ष कितनी शार्क मछलियों को पकड़ कर मारा जाता है; और

(ग) इस व्यापार का भविष्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 (31 दिसम्बर, 1996 तक) के दौरान शार्क फिन्स और मांस के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ख) वर्ष 1994 और 1995 के दौरान क्रमशः 35,361 और 45,371 एम. टी. शार्क पकड़ी गई। किन्तु, शार्क को मारने के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) शार्क फिन्स और शार्क मांस का बाजार बहुत सीमित है और वृद्धि की ज्यादा संभावना नहीं दिखाई पड़ी है।

विवरण

देश	शार्क फिन्स विदेशी मुद्रा प्राप्ति		शार्क मांस विदेशी मुद्रा प्राप्ति		शार्क चमड़ा विदेशी मुद्रा प्राप्ति	
	1995-96 (31 दिसम्बर, 1996 तक)	1996-97	1995-96 (31 दिसम्बर, 1996 तक)	1996-97	1995-96 (31 दिसम्बर, 1996 तक)	1996-97
सिंगापुर	892.49	227.98	000.18	—	—	—
हांगकांग	292.80	111.23	000.10	—	—	—
मलयेशिया	—	0.78	—	—	—	—
ताइवान	—	—	118.71	—	—	—
अन्य (यू.एस.ए., यू.ए.ई. ताईवान)	7.85	1.25	—	—	—	—
अन्य (चीन, जापान आस्ट्रेलिया और स्पेन)	—	—	63.70	—	—	—
कुल	1193.14	391.24	182.69			

मूल्य - लाख रु० स्रोत - एम्पीडा

भारतीय निवेशकों को प्रोत्साहन

120. **श्री भक्त चरण दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेशकों की बजाए भारतीय निवेशकों के प्रस्तावों को उच्च प्राथमिकता देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) (क) और (ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भूमिका स्वदेशी निवेश में सहायता पहुँचाने और स्वदेशी बचत व अपेक्षित निवेश दर के बीच अन्तर को पूरा करने की है ताकि निर्धारित विकास दर प्राप्त की जा सके। साथ ही, भारतीय उद्योग ने अपनी पुनरुत्थान की क्षमता व शक्ति प्राप्त कर ली है और यह विदेशी उद्योग के साथ अधिक गतिशील संबंध बनाने के लिए तैयार हैं ताकि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनने के उद्देश्य से सार्वभौमिक विपणन, निर्यात अवसरों तथा नई-नई प्रौद्योगिकियों का पता लगा सके। दायर किए गए बड़ी संख्या में निवेश के आशयों से यह संकेत मिलता है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कुल अनुमोदन दायर किये गये स्वदेशी निवेश के आशयों के केवल 13.6 प्रतिशत के लगभग ही हैं। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किये हैं। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद शुल्क में कमी करना, जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रतिशुल्क लगाना, निगम कर में कमी करना आदि शामिल हैं।

केरल में वाणिज्यिक बैंकों में ऋण जमा अनुपात

121. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वाणिज्यिक बैंकों के ऋण जमा अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1996 में केरल में वाणिज्यिक बैंकों में कुल कितनी राशि जमा की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान केरल में लोगों को ऋण के रूप में कितनी राशि वितरित की गई; और

(घ) केरल में वाणिज्यिक बैंकों के ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार गत चार वर्षों के लिए केरल में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात नीचे दिया गया है :

अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)
मार्च, 1993	48.7
मार्च, 1994	44.3
मार्च, 1995	44.9
मार्च, 1996	45.4

(ख) और (ग) मार्च, 1996 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, केरल में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में जमा राशियां और बकाया अग्रिम नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए)

जमा	ऋण
19792.8	8984.6

(घ) केरल में ऋण जमा अनुपात में सामान्य गिरावट के रुख के संदर्भ में, मुद्दे की जांच करने और सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु कृतक बल का गठन किया गया था। कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1994 में प्रस्तुत की जिसमें उसने केरल राज्य में ऋण के प्रसार में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का उल्लेख किया और सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार एजेंसियों के लिए कई उपाय सुझाए। सिफारिशों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव, केरल सरकार की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित की गई है। समिति विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय-समय पर प्रारम्भ किए गए उपायों की जांच कर रही है।

एन.टी.सी. के मिलों के ऋण को माफ किया जाना

122. **श्री विनशा पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) के अंतर्गत 43 रुग्ण मिलों के ऋणों को बट्टे खाते में डालने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) बी.आई.एफ.आर. ने एन.टी.सी. के चार सहायक निगमों, नामतः एन.टी.सी. (उ०प्र०) लि., एन.टी.सी. (म०प्र०) लि., एन.टी.सी. (गुजरात) लि. तथा एन.टी.सी. (डब्ल्यू बी.ए.बी.एड.ओ.) लि. को इस आधार पर बंद करने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किये हैं कि इन चार सहायक निगमों की निवल पूंजी पुनर्वासन योजना के कार्यान्वयन के 10 वर्षों में भी तब तक सकारात्मक नहीं होगी जब तक कि सरकारी बकाये तथा उस पर ब्याज को माफ नहीं किया जाता। मामला सरकार के विचाराधीन है।

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार

123. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चीन, नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी देशों के साथ कुल कितने रुपये का व्यापार किया गया; और

(ख) इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के चीन, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ हुए व्यापार के आंकड़े सलंग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, उसकी जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

विवरण-I

भारत का पड़ौसी देशों के साथ व्यापार

(मूल्य करोड़ रु० में)

देश	1993-94			1994-95			1995-96		
	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	नियात	आयात	कुल व्यापार
चीन	875.33	946.97	1822.30	798.24	2388.90	3187.14	1097.44	2732.84	3827.28
नेपाल	304.87	85.62	390.49	377.00	114.89	491.89	156.45	166.95	703.40
श्रीलंका	897.47	62.19	959.66	1151.08	96.40	1247.48	1335.62	145.83	1481.45
बंगलादेश	1349.69	56.09	1405.78	2024.13	119.85	2143.98	3469.91	252.14	3752.05
पाकिस्तान	200.66	136.48	337.14	179.71	165.61	345.32	256.80	150.80	407.60
भूटान	31.10	9.34	40.44	34.83	57.40	92.23	57.56	107.20	164.76
मालद्वीप	24.63	1.02	25.65	48.28	0.73	49.01	52.52	0.55	53.07
अफगानिस्तान	67.63	11.32	78.95	49.05	20.52	69.57	64.60	28.57	93.37
म्यांमार	67.56	379.62	447.16	71.10	398.02	469.12	84.51	527.58	612.09

स्रोत : डी. जी. सी. आई. एण्ड एस.

विवरण-II

भारत और इसके पड़ोसी देशों, अर्थात नेपाल, भूटान बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एवं पाकिस्तान ने अपने आपको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के रूप में संगठित किया है जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने बीच व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करना है। सार्क सदस्य देशों के बीच सन् 1993 में एक अधिमानी व्यापार व्यवस्था करार (साप्ता) पर हस्ताक्षर हुए। यह करार 7-12-95 से प्रभावी हुआ जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्तरक्षेत्रीय व्यापार के लिए टैरिफ प्रभार को धीरे-धीरे कम करना है। ऐसा प्रस्ताव है कि अधिमानतः सन् 2000 ईसवी तक, किन्तु सन् 2005 ईसवी बाद नहीं, इस क्षेत्र में एक समग्र मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया जाए व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारत और इसके पड़ौसी देशों द्वारा जो कुछ उपाय किए गए हैं, उनमें शामिल हैं - टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम/समाप्त करना, सरकारी अभिकरणों द्वारा बड़ी मात्रा में आयात करने के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना, परिवहन एवं पारगमन सुविधाओं में सुधार करना, क्षेत्र के भीतर से सदस्य देशों की आयात अपेक्षाओं की पूर्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सदस्य देशों की वर्तमान व्यापार क्षमता का प्रदर्शन करना, सरकार और व्यवसाय/व्यापार संवर्धन अभिकरणों के बीच और अधिक अन्तःक्रिया के लिए बीजा सुविधाओं का सरलीकरण, व्यावसायिक स्तर पर सेमीनार और कार्यशालाओं का आयोजन करना और क्षेत्र के भीतर आर्थिक अन्तर्क्रिया को बढ़ाने के लिए सार्क वाणिज्य एंव उद्योग मण्डल द्वारा प्रयास करना।

2. चीन के साथ व्यापार बढ़ाने लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल हैं-दोनों देशों की सीमा के साथ-साथ रहने वाले निवासियों के बीच पारम्परिक व्यापार को पुनः शुरू करना, दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ाना, चीन के सहयोग से कोयला परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए संयुक्त कार्य दल का गठन करना, भारत और चीन संयुक्त व्यापार परिषद द्वारा आयोजित व्यापार मेलों में भागीदारी और भारत-चीन व्यापारिक समुदायों के बीच पारस्परिक क्रिया करना।

3. म्यांमार के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल हैं - म्यांमार और भारत के बीच सीमा व्यापार का प्रचालन, व्यापार मेलों का आयोजन और व्यापारिक शिष्टमंडलों और सरकारी शिष्टमण्डलों का 'आदान-प्रदान करना।

[हिन्दी]

कंपनियों द्वारा कंपनी (जमा और मंजूरी) नियम, 1975 का उल्लंघन

124. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी (जमा और मंजूरी) नियम, 1975 के खंड 58 क में आम व्यक्तियों से सावधि जमा एकत्र करने के कार्य में लगी कंपनियों हेतु पद्धति तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सावधि जमाकर्ताओं द्वारा दोषी कंपनियों के खिलाफ ''कंपनी विधि बोर्ड'' में शिकायत की जा सकती है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान कुछ कंपनियों द्वारा उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए सावधि जमा के रूप में भारी धनराशि एकत्र की गयी है;

(ङ) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान कम्पनी ला बोर्ड द्वारा प्राप्त ऐसी शिकायतों, विशेषकर उन कंपनियों के संबंध में जो कंपनी रजिस्ट्रार (दिल्ली और हरियाणा) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(च) कम्पनी ला बोर्ड द्वारा इस संबंध में कंपनीवार क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क में निक्षेपों के आमंत्रण और स्वीकृति के नियमन का प्रावधान है। कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियम, 1975 उक्त अधिनियम की धारा 642 के साथ पठित धारा 58क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किए गए थे। इन नियमों में अन्य बातों के साथ निक्षेप की अवधि, ब्याज दर की अधिकतम सीमा और दलाली की दर, निक्षेपों की स्वीकृति के लिए स्वीकार्य सीमाओं और निक्षेपों की स्वीकृति पर अन्य प्रतिबन्धों का प्रावधान है। कम्पनी को विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले निक्षेपों का 15% जमा करना होता है। प्रत्येक कम्पनी निर्धारित पद्धति में विज्ञापन जारी करेगी/विज्ञापन के स्थान पर एक विवरण देगी।

(ग) जहाँ कोई कम्पनी ऐसे निक्षेप के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार किसी निक्षेप या उसके अंश का भुगतान करने में असफल हो गई हो, तो निक्षेपकर्ता धारा 58क (9) के उपबन्धें के तहत कम्पनी विधि बोर्ड को आवेदन कर सकते हैं।

(घ) कुछ ऐसे मामले सरकार की जानकारी में आए हैं, जहां कम्पनियां निक्षेपों से संबंधित कानून और नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रही हैं।

(ङ) और (च) वर्ष 1995-96 के दौरान कम्पनी विधि बोर्ड को धारा 58क (9) के अन्तर्गत 1,000 आवेदन प्राप्त हुए। कम्पनी रजिस्ट्रार (दिल्ली और हरियाणा) के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों से संबंधित (कम्पनी विधि बोर्ड) (उत्तरी पीठ) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों और कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.स.	कम्पनी का नाम	आवेदन करने वाले जमाकर्ताओं की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4
1994 अनुवर्ती वर्षों में प्राप्त आवेदनों को सम्मिलित करते हुए			
1.	स्कोर्ट्स ट्रान्समिशन लि.	2	कम्पनी को नोटिस जारी किया - सुनवाई तय की जानी है।
2.	मेगनाविजन इलैक्ट्रानिक्स लि.	1	- यथोपरि -
3.	भारत ओवरसीज कन्स्ट्रक्शन लि.	176	कम्पनी को अनन्तिम रूप से बन्द किया गया। संशोधित कर दिया गया है।
4.	इनकेप हाउसिंग डवलपमेंट कार्पो. लि.	9	कम्पनी को नोटिस भेजा गया - सुनवाई तय करनी है।
5.	क्यूरवैल (इंडिया) लि.	1	- यथोपरि -
6.	प्योर ड्रिक्स (एनडी) लि.	9941	दिनांक 9.11.90, 20.2.91, 21.3.91, 26.6.91, 2.7.91, 25.7.91 एवं 20.10.91 को जमाकर्ताओं के संबंध में आदेश जारी किये गये। आदेश के अनुपालन के लिए समय बढ़ाने के लिए कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष आई हैं। सुनवाई के लिए 18.2.97 को तय किया गया है।
7.	इन्डाना स्पाइसन एंड फूड इन्डस्ट्रीज लि.	265	अन्तिम आदेश जारी किया गया। परिसमापन आदेश माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित किये गये हैं। मामले में सुनवाई विभिन्न तारीखों में हुई। अन्तिम सुनवाई 3.2.97 को हुई। आदेश तीन सप्ताह के लिए आरक्षित रखे गये।
8.	थापर एग्रो मिल्स लि.	968	विभिन्न तारीखों में मामले की सुनवाई हुई। अन्तिम सुनवाई 3.2.97 को हुई आदेश तीन सप्ताह के लिए सुरक्षित रखे गए।
9.	यूनिप्लास इंडिया लि.	27	17.1.97 को सुनवाई हुई, 17.3.97 तक स्थगित रखी गई।

कम्पनियों की कुल संख्या-9

1	2	3	4
1995 अनुवर्ती वर्षों में प्राप्त आवेदनों सहित			
10.	न्यूवेयर इंडिया लि.	2	कम्पनी को नोटिस जारी किया गया - सुनवाई तय की जानी है।
11.	जी.एम. एसोशियेट्स प्रा.लि.	1	- यथोपरि -
12.	एल्फा टोयो लि.	1	- यथोपरि -
13.	मुरादाबाद सिन्टैक्स लि.	1	कम्पनी को नोटिस जारी किया गया है। "बिना पते के छोड़ा" टिप्पणी सहित वापस प्राप्त।
14.	ओरियन्ट एबरासिव्स लि.	2	कम्पनी को नोटिस जारी किया गया - सुनवाई तय की जानी है।
15.	एम.एस. शूज ईस्ट लि.	4	कम्पनी ने दो जमाकर्ताओं को अदायगी कर दी है, शेष दो के लिए वार्ता चल रही है।
कम्पनियों की कुल संख्या -6			
1996			
16.	हिल्टन रबर्स लि.	1	अदायगी कर दी गई, मामला निबटाया गया।
17.	ई.एम.जय. विडियो प्रा. लि.	1	कम्पनी को नोटिस जारी किया गया, "छोड़ा" टिप्पणी सहित वापस।
18.	पेरूटेक सर्विसेज लि.	1	कम्पनी को नोटिस जारी किया गया, सुनवाई तय की जानी है।
19.	वेस्टन इलैक्ट्रोनिक्स	2	कम्पनी को नोटिस जारी किया गया, सुनवाई तय की जानी है।
20.	न्यूकेम लि.	102	सुनवाई के लिए 7.3.1997 तय किया गया।
21.	मोनतारी इन्डस्ट्रीज लि.	24	14.2.1997 को सुनवाई हुई तथा कम्पनी ने 17.2.1997 तक निक्षेपों को वापिस करने संबंधी अनुसूची को निर्दिष्ट करते हुए एक हलफनामा दायर करने का वायदा किया है। इसके बाद अन्तिम आदेश जारी किया जाएगा।
22.	एस.आर.जी. इनफोटेक (इंडिया) लि.	3	कम्पनी को नोटिस जारी किया गया-सुनवाई तय की जानी है।
23.	सिमेन्ट कापो. आफ इंडिया लि.	1	सुनवाई 13.3.1997 को तय हुई है।

1	2	3	4
24.	ग्रिन हिल्स प्लान्टेशन्स लि.	1	मामला निपटाया गया।
25.	कियोनिक्स मैग्नाविजन कम्प्यूटर्स लि.	1	कम्पनी को नोटिस जारी किया गया - सुनवाई की जानी है।
26.	इन्टरनेशनल हाउसिंग डवलपमेंट कार्पो. लि.	1	- यथोपरि -
27.	वेस्टर्न पेक्यूस (आई) लि.	1	- यथोपरि -
28.	विलाई इंडिया लि.	1	कम्पनी को नोटिस जारी किया गया - कम्पनी ने 10.2.1997 के अपने उत्तर में कहा है कि अदायगी अगले तीन माह में कर दी जाएगी।

खेलकूद के सामान का निर्यात

125. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए खेलकूद के सामान और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) खेलकूद के सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) चालू वर्ष के दौरान निर्यात की गई क्रीडा-सामग्री की प्रमुख वस्तुओं में ये शामिल हैं: फुलाई जा सकने वाली गेंदें तथा ब्लैडर्स, क्रिकेट के लिए संरक्षी उपकरण, क्रिकेट के बल्ले, बाक्सिंग उपकरण, इण्डोर गैम्स इक्विपमेंट्स क्रिकेट तथा हाकी के बाल तथा हाकी स्टिक्स। अप्रैल से दिसम्बर, 1996-97 की अवधि के दौरान देश वार निर्यात तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :

(मिलियन अमरीकी डालर में)

	देश	अप्रैल-दिसम्बर, 96-97 के दौरान निर्यात
1.	यू.के.	10.60
2.	आस्ट्रेलिया	5.98
3.	इटली	4.61
4.	यू.एस.ए.	3.58
5.	जर्मनी	2.66
6.	दक्षिण अफ्रीका	2.22
7.	फ्रांस	1.35
8.	न्यूजीलैंड	1.24
9.	सऊदी अरब	0.73
10.	जापान	0.54
11.	अन्य	4.78
	जोड़	38.29

स्रोत : खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद

(ख) खेल की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं:

(i) अधिकांश खेल की वस्तुओं के उत्पादन का कार्य लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है; अतः ये मदें एकिजम नीति के तहत अधिप्रोत्साहनों के पात्र हैं।

(ii) खेल सामान उद्योग में प्रयुक्त किए जाने वाली कच्ची सामग्री जैसे नायलन की रस्सी एशवुड, बीचवुड, विलो क्लैफ्ट, पंख आदि के 10% यथा मूल्य की रियायती दर से आयात की अनुमति है।

(iii) विदेश में भारतीय खेल सामान का संवर्धन करने के लिए सरकार समय-समय पर व्यापार शिष्टमंडल प्रायोजित करती हैं।

(iv) सरकार खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद को विदेश में मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने सहित विकासात्मक क्रियाकलापों पर होने वाले व्यय को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए अनुदान देती है।

[अनुवाद]

क्वायर बोर्ड

126. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्वायर बोर्ड ने अपने उत्पादों के लिए कोई नई सवंर्धन योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) कॅयर बोर्ड अपने उत्पादों के लिए विभिन्न प्लान योजनाओं जैसे घरेलू बाजार विकास निर्यात संवर्धन, व्यापार सूचना प्रणाली, प्रशिक्षण, आधारभूत प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए सहायता महिला कॅयर योजना, भूरे फाइबर क्षेत्र को सहायता और अनुसंधान तथा विकास के अंतर्गत संवर्धनात्मक उपाय करता है।

कॅयर बोर्ड की प्लान योजनाओं का उद्देश्य कॅयर फाइबर के उत्पादन में पर्याप्त विकास करना, कॅयर फाइबर और कॅयर पिथ का प्रसंस्करण करके उन्हें मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में तैयार करने की सुविधा प्रदान करना, भारत तथा विदेश में कॅयर उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करना, कॅयर उद्योग में मौजूदा श्रमिकों के लिए बेहतर रोजगार तथा अतिरिक्त रोजगार सृजित करना एवं कॅयर उद्योग में सभी को अधिक आय के लिए सहयोग प्रदान करना है।

अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण, गुणवत्ता उन्नयन, उत्पाद में विविधता, नए उत्पाद का विकास और परिष्कृत उत्पादकता पर बल देना है जिसके परिणामस्वरूप इस उद्योग में लगे श्रमिकों की मजदूरी और जीवन स्तर में बढ़ोतरी होगी, कॅयर का उत्पादन करने वले राज्यों की अर्थव्यवस्था का विकास होगा तथा राष्ट्र की विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि होगी। कॅयर के लिए देश में विदेश दोनों में नए बाजारों का पता लगाने और इस प्राकृतिक फाइबर के लिए नए प्रयोगों और उपयोगों को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान प्रस्तावों में प्रशिक्षण एवं रोजगार, श्रमिकों को पूर्व रोजगार प्रदान करना, आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करना जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कॅयर बोर्ड की प्लान योजनाओं के लिए बजट आबंटन नीचे लिखे अनुसार है :

	(रु० लाखों में)
1993-94	570.00
1994-95	570.00
1995-96	690.00

कॉफी बोर्ड द्वारा केरल में कॉफी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

127. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी बोर्ड द्वारा केरल में काफी प्रसंस्करण इकाई चालू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या केरल सरकार ने ऐसी इकाई की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस इकाई की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने हेतु निधि

128. **श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम"** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में वस्त्र क्षेत्र के लिए एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके वितरण हेतु मानदंड को दर्शाते हुए ब्यौरा दें; और

(ग) इससे वस्त्र निर्यात को बढ़ाने में कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ग) वस्त्र उद्योग के तकनीकी उन्नयन के माध्यम से आधुनिकीकरण को सुकर बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इसका अभीष्ट उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग को निर्यात बाजार में और अधिक प्रतियोगी बनाने सहित इसके उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार करना है। इस योजना के ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

आयकर छापों के लिए असैनिक सशस्त्र बल

129. **श्री बृजभूषण तिवारी** :
कुंवर सर्वराज सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने आयकर छापों में उन्हें सहायता देने के लिए एक पृथक विशेष असैनिक सशस्त्र बल की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) आयकर छापों से संबंधित कार्य सौंपें गए अधिकारियों की जान-माल की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) तलाशी कार्यों

में लगे अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। चूंकि, कानून और व्यवस्था एक राज्य विषय है, अतः आयकर तलाशी दलों की सुरक्षा के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, तलाशी संबंधी कार्यों में लगे अधिकारियों की सुरक्षा और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए सभी निदेशालयों को पर्याप्त संख्या में प्रचलनात्मक वाहन और संचार उपस्कर उपलब्ध कराए गए हैं।

नारियल जटा उद्योग के लिए सहायता

130. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से केरल में नारियल जटा उद्योग के लिए सहायता प्राप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि नारियल जटा उद्योग संकट में हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) केरल सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक ऐसा प्रस्ताव केरल सरकार की एकीकृत कयर विकास परियोजना के तहत सहायता के लिए है। मंत्रालय में इस प्रस्ताव की जांच की गयी है और केरल की एकीकृत कयर विकास परियोजना के लिए 1.70 करोड़ रुपये जारी करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। केरल सरकार का दूसरा प्रस्ताव, केरल सरकार द्वारा स्वीकृत आपदा खरीद योजना के तहत कयर और कयर उत्पादों के स्टॉक के उत्पादन केन्द्रों से निपटान हेतु एकमुश्त दो करोड़ रुपये के विशेष अनुदान के लिए था। प्रस्ताव की जांच की गयी और यह पाया गया कि सरकार के पास ऐसी वित्तीय सहायता हेतु कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। तथापि कयर और कयर उत्पादों की आपदा खरीद हेतु अन्य लेखा शीर्षों से पुनर्विनियोजन द्वारा कॅयर बोर्ड के माध्यम से "कयर फेड" केरल को 80 लाख रुपये का ऋण जारी करने की स्वीकृति दी गई है।

केरल सरकार का एक अन्य प्रस्ताव (केरल कयर कामगार कल्याण निधि बोर्ड का अंशदान के तौर पर 50 लाख रुपये जारी करने के लिए था। सरकार द्वारा इस राशि को जारी करने हेतु पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

131. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री हाराधन राय :
श्री तरित बरण तोपदार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा स्वीकृत पुनर्जीवन योजना, वित्तीय संस्थानों और बैंकों आदि जैसे प्रोमोटरों द्वारा योजना के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण, प्रभावी नहीं हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सुधार करने और सरकारी क्षेत्र की बीमार कंपनियों के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि रुग्ण औद्योगिक कंपनियों को फिर से चालू करने के लिए उनके द्वारा स्वीकृत पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के दौरान, विभिन्न कारणों से प्रवर्तकों वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा पुनर्वास योजनाओं के उपबंधों का अनुपालन न करने के कुछ उदाहरण देखने में आए हैं।

(ख) बाइफर ने सूचित किया है कि निगरानी एजेंसियों को ये निदेश दिए गए हैं कि वे पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में प्रगति रिपोर्ट समय में भेजें ताकि जहां कहीं आवश्यक हो, बाइफर समय रहते उपचारात्मक उपाय प्रारम्भ कर सकें। यहां यह तभी उल्लेखनीय है कि स्वीकृत योजना के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल होने पर, बाइफर को यह अधिकार है कि वह रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 33 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई कर सकता है।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

132. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कम्प्यूटर, टेलेक्स, टेलिप्रिंटिंग आदि जैसे आधुनिक उपकरण लगाये हैं जो रोमन लिपि में हैं और इन्हें द्विभाषी बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके मंत्रालय द्वारा इन द्विभाषी उपकरणों का किस तरह उपयोग किया जायेगा

(ग) हिन्दी के प्रयोग को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाएगा;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने "क" क्षेत्र में, स्थित अपने कार्यालयों में जहां शतप्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाना है, हिन्दी के प्रयोग से छूट प्रदान की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस तरह की छूट दिए जाने के क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मंत्रालय के पदाधिकारियों को उनके दिन-प्रति-दिन के शासकीय कार्य में इन आधुनिक द्विभाषी उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाया जा सके।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फोटो परिचय पत्र

133. **श्री पंकज चौधरी :**
कुमारी उमा भारती :
जस्टिस गुमान मल लोढा :
श्री सुरेन्द्र यादव :
डॉ॰ महादीपक सिंह शाक्य :
प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अब तक राज्यवार कितने व्यक्तियों को फोटो परिचय पत्र जारी किए गये हैं;

(ख) फोटो परिचय पत्र जारी करने पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) सभी पात्र मतदाताओं को कब तक फोटो परिचय पत्र जारी किये जाने की संभावना है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने, अब तक, फोटो पहचान पत्रों की स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को लगभग 423 करोड़ रुपऐ की रकम दी है।

(ग) फोटो पहचान पत्रों को जारी करने की स्कीम एक जारी रहने वाली स्कीम है क्योंकि निर्वाचक नामावलियों में नामों को निरंतर जोड़ने हटाए जाने के कारण परिवर्तन होता रहता है। इसके अतिरिक्त, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अभी तक कोई निर्दिष्ट तारीख नियत नहीं की गई है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं को जिन्हें 31.1.97 तक त्रुटिरहित पहचान पत्र प्रदान किए गए

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऐसे मतदाता जिन्हें त्रुटिरहित पहचान पत्र प्रदान किए गए
1.	आंध्र प्रदेश	28128499
2.	अरुणाचल प्रदेश	351962
3.	असम	70088
4.	बिहार	15615368
5.	गोवा	478261
6.	गुजरात	22398434
7.	हरियाणा	9314815
8.	हिमाचल प्रदेश	2311377
9.*	जम्मू-कश्मीर	स्कीम कार्यान्वित नहीं की गई।
10.	कर्नाटक	1989011
11.	केरल	22487
12.	मध्य प्रदेश	22598928
13.	महाराष्ट्र	43637656
14.	मणिपुर	984820
15.	मेघालय	536304
16.**	मिजोरम	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य
18.	उड़ीसा	16585361
19.	पंजाब	10343295
20.	राजस्थान	16840654
21.	सिक्किम	196540
22.+	तमिलनाडु	शून्य
23.	त्रिपुरा	884671
24.	उत्तर प्रदेश	41248000
25.	पश्चिमी बंगाल	31439143
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	172000
27.	चंडीगढ़	268249
28.	दादरा और नागर हवेली	50220
29.	दमण और दीव	41414
30.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र	5257000
31.	लक्षद्वीप	29612
32.	पांडिचेरी	554286

* पहचान पत्र स्कीम कार्यान्वित नहीं की गई।

** राज्य सरकारों द्वारा विदेशी नागरिकों की बाबत प्राप्त की गई शिकायतों की अधिक संख्या होने के कारण मतदाताओं को पहचान पत्र जारी नहीं किए जा सके।

\+ तमिलनाडु में भी फोटो खींचना आरंभ हो गया है।

[अनुवाद]

कपास का निर्यात

134. **श्री एल. रमना :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाल डी में निर्यात के लिये कपास की कई लाख गांठों का कोटा जारी किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यातकों को इसके लिये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीददार नहीं मिल रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 चालू कपास मौसम के दौरान निर्यात के लिए 12.20 लाख गांठों का कोटा रिलीज किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों का कार्य निष्पादन

135. **डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आपके मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति दर्शाने वाली रिपोर्ट में यह कहा गया है कि लगभग 130 उद्यमों ने मुनाफा कमाया और 109 उद्यमों को या तो घाटा हुआ अथवा वे रुग्ण हो गये;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान इन उद्यमों द्वारा कुल कितना निवल मुनाफा कमाया गया है;

(घ) क्या सरकार यह महसूस करती है कि इन सरकारी उद्यमों के अच्छे भविष्य के लिये कोई ठोस दृष्टिकोण अपनाने और नीतियां बनाने की आवश्यकता है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा मुनाफा कमाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हाँ। लाभ और हानि का उद्यमवार विवरण, 19-7-1996 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1994-95 के खण्ड 1 के विवरण संख्या 7 (क) और 7 (ख) में दिया गया है।

(ग) केवल वर्ष 1994-95 तक की अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल मिलाकर 7217.41 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था।

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बेहतर भविष्य के लिए ठोस अवधारणा तथा रणनीति का विकास करने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए रणनीति का उल्लेख औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1991 तथा सरकार के सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में किया गया है।

(च) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए उठाए जाने वाले कदम प्रत्येक उद्यम के अनुसार अलग-अलग हैं। तथापि, उठाए गए कुछ कदमों में प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्यनिष्पादन समीक्षा हेतु आवधिक बैठकें करना, निदेशक मण्डल को और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करना, निदेशक मण्डल के प्रबन्धनों का व्यावसायीकरण करना, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के माध्यम से अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या में कमी करना तथा प्रोद्योगिकी समन्वयन इत्यादि शामिल हैं।

[हिन्दी]

न्यायालय में लंबित मामले

136. **श्री पवन दीवान :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय में कितने मामले निर्णय नहीं होने के कारण लंबित हैं;

(ख) उन मामलों का जो बीस, पन्द्रह, दस तथा पांच वर्षों से लंबित पड़े हैं अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मामलों के निर्णय में ऐसे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय में 1-7-1996 को लंबित मामलों के संख्या निम्नलिखित थी :

	ग्रहण किए गए मामले	नियमित मामले
लंबित मामलों की संख्या	9932	18,639
20 वर्ष और उससे अधिक	2	63
15 वर्ष और 20 वर्ष के बीच	30	1259
10 वर्ष और 15 वर्ष के बीच	225	3211
5 वर्ष और 10 वर्ष के बीच	1223	5291

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय में मामलों का लंबित होना विभिन्न जटिल कारणों के फलस्वरूप और उच्चतम न्यायालय ने मामलों का शीघ्रता से निपटारा करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें मामलों का अधिक व्यावहारिक प्रवर्गीकरण तथा वर्गीकरण, न्यायपीठों का स्थिरीकरण, यथासंभव मामलों को सूचीबद्ध न किए जाने से बचना और यह सुनिश्चित करना और त्रुटिपूर्ण मामलों का संचयन न हो, और मामलों का त्वरित गति से सूचीकरण किया जाना सम्मिलित है।

[अनुवाद]

बैंकों का विलय हेतु अनुरोध

137. **लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी :**
डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के सात सहयोगी बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार से उनके आपस में विलय कर दिये जाने का अनुरोध किया है ताकि वे भारतीय स्टेट बैंक के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े बैंक के रूप में उभर सकें;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय स्टेट बैंक के सात अनुषंगी बैंकों के प्रबंधनों से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नौवीं योजना के दौरान उद्योगों की स्थापना

138. **श्री बुद्धसेन पटेल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विशेषकर मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में नौवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग स्थापित करने की किसी योजना को शामिल करने का विचार है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा किये जाने की संभावना है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग के तहत विकास केन्द्र योजना, जिसे वर्ष 1988 में प्रारंभ किया गया था, का निर्माण विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए किया गया है जो उद्योग को आकर्षित करेंगे। इस योजना के तहत सभी राज्य आते हैं तथा यह खासकर मध्य प्रदेश के लिए लागू नहीं होती है। उद्योग मंत्रालय ने इस योजना को 9वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

विकास केन्द्र योजना के तहत योजना आयोग द्वारा चयनित पिछड़े जिलों में स्थापित की जाने वाली विकास केन्द्र परियोजनाओं (i) दुर्ग जिले के बोरई, (ii) गुना जिले के घैनपूरा (iii) भिण्ड जिले के घिरोंगी (iv) धार जिले के खेड़ा, (v) रायपुर जिले के सिलतारा तथा (vi) रायसेन जिले के सतलापुर में अवस्थित हैं।

बहरहाल, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा न तो कोई ऐसा सर्वेक्षण आयोजित किया गया है और न किया जा रहा है।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थाओं के अल्पावधि ऋण

139. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) का प्रस्ताव वित्तीय संस्थाओं के अल्पावधि ऋणों की ब्याज दर और भुगतान तिथि सीमाओं को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वित्तीय संस्थाओं के अल्पावधि ऋण पर ब्याज दर और परिपक्वता अवधि सीमाओं को समाप्त करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सीमा शुल्क राजस्व की वसूली

140. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान अब तक सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से कितनी धनराशि वसूल की गयी है तथा इसमें से कितना राजस्व गत वर्ष के बकाये के रूप में वसूल किया गया है तथा वर्ष 1995-96 तथा 1994-95 में इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) मुकद्मेबाजी के कारण कितनी धनराशि फंसी हुई है; और

(ग) संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से आयात संबंधी कम मूल्य के बीजकों के कारण अनुमानतः कितनी धनराशि की हानि हुई तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार के कितने मामलों का पता चला है तथा इसमें कितनी शुल्क राशि अंतर्ग्रस्त है?

वित्त मंत्री (श्री. पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

141. **श्री वी. प्रदीप कुमार देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पहले 7 देशों के नाम क्या-क्या है जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संदर्भ में भारत के साथ सीधे साझेदार हैं;

(ख) उन देशों के नाम क्या-क्या हैं जिनकी पिछले 6 महीनों के दौरान भारत में निवेश करने के लिए रुचि बढ़ी है और जो भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने के इच्छुक हैं;

(ग) क्या भारत और जापान द्वारा एक दूसरे के साथ मजबूत आर्थिक संबंध स्थापित करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए टैरिफ दरों को कम करने, उनका विनियमन करने और देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक उदार बनाने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 1991 से 1996 तक की अवधि के दौरान सरकार द्वारा 7 प्रमुख देशों के लिए अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि इस प्रकार है:

देश का नाम	राशि (रुपये मिलियन में)
यू.एस.ए.	251945.31
यू.के.	52434.65
मॉरिशस	47968.70
जापान	43237.79
इस्राइल	41635.19
जर्मनी	37181.17
कोरिया (दक्षिण)	37166.81

(ख) पिछले 6 महीनों के दौरान भी उपर्युक्त इन देशों ने भारतीय निवेश वातावरण में अधिक रुचि दर्शायी है।

(ग) 1991 में जापान का निवेश स्तर 527.10 मिलियन रुपये था जिसमें तब से बढ़ोतरी हुई है और यह 1996 में 14882.49 मिलियन रुपये तक पहुँच गया है। इससे यह पता चलता है कि जापान भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को निरंतर सुदृढ़ बनाता रहा है।

(घ) और (ङ) सरकार का प्रयास भारतीय प्रशुल्क को विश्व स्तर के अनुकूल बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। इस प्रयोजन के लिए एक स्वतंत्र प्रशुल्क आयोग नियुक्त किया जा रहा है। सरकार निवेश नीति की निरंतर समीक्षा करती है ताकि इसे अधिक प्रतियोगी और निवेशक के अनुकूल बनाया जा सके।

दुग्ध उत्पादों का निर्यात

142. **श्री भक्त चरण दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से डेरी उत्पादों के निर्यात की व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यूजीलैंड डेरी बोर्ड के अध्यक्ष ने डेरी निर्यात बाजार में भारत के प्रवेश करने के संबंध में कतिपय टिप्पणियां की हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) स्वतंत्र अध्ययनों से पता चलता है कि भारत ने दूध उत्पादन में करीब-करीब आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। अधिक से अधिक 5 कि.ग्रा. के उपभोक्ता पैकों में ब्राण्डेड उत्पादों के रूप में निर्यात करने को छोड़कर इस समय दुग्ध-उत्पादों के निर्यात की अनुमति लाइसेंस के तहत दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की उपस्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से केवल अल्प मात्रा में दुग्ध उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) न्यूजीलैंड डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष सर ड्राइडेन स्प्रिंग द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में जनवरी, 1997 में कुछ प्रेस रिपोर्टें छपी थीं जिनमें उन्होंने कहा था कि "भारत में कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि भारत में दुग्ध उत्पादों के निर्यात की व्यापक संभावना है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अनेक कारणों से ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सतर्कता बरतना बुद्धिमानी होगी"।

(ङ) नीतिगत रूप से, आम खपत की मदों के निर्यात की अनुमति, घरेलू माँग को पूरा करने के बाद ही दी जाती है। इस प्रकार, जब भी दुग्ध-उत्पादों की बेशी होती है, तब निर्यातों की अनुमति दी जाती है।

राजस्थान के अफीम उत्पादक

143. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1994-95 से राजस्थान के झालावाड़ और दूसरे जिलों के अफीम उत्पादकों द्वारा ओला-वृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उठाए जा रहे नुकसान की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो अनुमानित नुकसान कितना हुआ है;

(ग) क्या झालावाड़ जिले के कुछ अफीम उत्पादकों विशेष रूप से छोटे किसानों के "पट्टे" रद्द कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) इस जिले के अफीम उत्पादकों के पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हाँ।

(ख) फसल वर्ष 1994-95 के दौरान राजस्थान में पोस्त की फसल को क्षति पहुंचने के कारण फसल वर्ष 1995-96 की लाइसेंसिंग नीति के तहत 48 ग्रामों में पोस्त की फसल को "आंशिक क्षति" पहुंचने की घोषणा की गई थी जबकि 79 ग्रामों में उक्त फसल को "भारी क्षति" पहुंचने की घोषणा की गई थी।

फसल वर्ष 1995-96 के दौरान भी राजस्थान राज्य में पोस्त की फसल को क्षति पहुँचने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं किन्तु सूचित की गई क्षति की मात्रा फसल वर्ष 1994-95 की तुलना में कम थी।

जहाँ तक फसल वर्ष 1996-97 का संबंध है, पोस्त की फसल अभी पकी नहीं है।

(ग) फसल वर्ष 1994-95 के दौरान, उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर झालावाड़ जिले में फसल वर्ष 1995-96 के दौरान 3487 किसानों के पट्टों का नवीकरण नहीं किया गया था क्योंकि उक्त किसान लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी उपज प्रस्तुत करने में विफल रहे।

लाइसेंस के लिए पात्रता निश्चित करते समय किसी किसान की जोत के आकार को मानदण्ड के रूप में नहीं लिया जाता। फसल वर्ष 1996-97 में केवल कम उपज के आधार पर ही पोस्त की खेती का कोई लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है।

(घ) जैसा कि ऊपर पैरा "ग" में उल्लेख किया गया है, झालावाड़ जिले में सम्बन्धित किसान, फसल वर्ष 1995-96 के सम्बन्ध में, यथास्थिति, 46 किलो ग्राम अथवा 30 किलो ग्राम/हैक्टेयर की निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी उपज न दे पाने के कारण अपने लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए। उक्त फसल वर्ष के लिए न्यूनतम अर्हकारी उपज 46 किलोग्राम/हैक्टेयर निर्धारित की गई थी जबकि उन ग्रामों के लिए 30 किलोग्राम (हैक्टेयर) की अपेक्षाकृत कम न्यूनतम अर्हकारी उपज निर्धारित की गई थी जिन्हें क्षतिग्रस्त घोषित किया गया था।

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अफीम लाइसेंस नीति के उपबंधों के बाहर लाइसेंस मंजूर करके कोई पुनर्वास नहीं किया जाता है क्योंकि इसके कारण अफीम के चोरी-छिपे गलत हाथों में पहुंचने की घटनाओं में वृद्धि होगी।

संबंधित राज्य सरकार द्वारा पौद्रिक प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, की जा सकती है।

मोतियों का निर्यात

144. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितने मूल्य के मोतियों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस उद्योग के विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए मोतियों का कुल मूल्य निम्नानुसार है:

(मूल्य मिलि. अमरीकी डालर में)

मद	93-94	94-95	95-96
मोती	3.73	4.95	5.45

स्त्रोत : डी.जी.सी.आई.एण्ड एस.

(ख) और (ग) मोतियों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यातकों के मोतियों (वास्तविक या सुसंस्कृत) के पोत-पर्यंत निःशुल्क मूल्य को 65% की दर से प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किए जाते हैं। सरकार ने मोतियों का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें ये शामिल हैं: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी कीमतों पर कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक्जिम नीति को अनुकूल बनाना तथा निर्यातकों को भारतीय आभूषणों के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों-सह-बिक्री में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी ऋण

145. **श्री बी.एल. शंकर :**
श्री सिद्धया कोटा :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार भारत पर विदेशी ऋण की बकाया राशि कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 1996 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशों से लिए गए विदेशी ऋण की राशि कितनी थी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि की अदायगी की गई और उस पर पृथक रूप से कितना ब्याज दिया गया है; और

(घ) सरकार ने देश पर विदेशी ऋण का बोझा कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) विदेशी ऋण बकाया के लिए अद्यतन अनुमान 31 मार्च, 1996 के लिए हैं। पिछले तीन वर्षों में बकाया ऋण निम्नानुसार था :

(मिलियन अमरीकी डालर)

31.3.94	31.3.95	31.3.96
92,695	99,008	92,199

कुल विदेशी ऋण को मूल देश द्वारा मात्रा में नहीं बताया जा सकता क्योंकि बहुपक्षीय ऋण जैसे संघटक हैं जो परिभाषा के अनुसार द्विपक्षीय नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, बांड धारिताओं का कई देशों में फैला हुआ निवेशक पार्श्वदृश्य हैं। एक्सचेंजों में व्यापार करने पर भी हस्तांतरित होते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मूलधन वापसी अदायगियों और ब्याज भुगतानों की कुल राशि निम्नानुसार है :

मिलियन अमरीकी डालर

	1993-94	1994-95	1995-96
मूल वापसी अदायगी	4783	6825	8065
ब्याज अदायगियां	3818	4099	4315
कुल ऋण सेवाएं	8601	10,924	12,378

(घ) सरकार द्वारा पालन की जा रही ऋण प्रबन्ध कार्यनीति की प्रमुख विशेषताओं में निर्यातों की उच्च वृद्धि दर को बनाए रखना, गैर-ऋण सृजक पूंजीगत अन्तःप्रवाहों को प्रोत्साहित करना तथा परिपक्वता ढांचे तथा वाणिज्यिक ऋण की कुल राशि को नियंत्रण में रखना शामिल है। परिणामस्वरूप, ऋण शोधन अनुपात 1990-91 में 35.25 प्रतिशत की उच्चता से कम होकर 1995-96 में 25.70 प्रतिशत तक पहुंच गया। सकल घरेलू उत्पाद पर ऋण का अनुपात भी 1991-92 में 41.00 प्रतिशत के उच्च बिन्दु से गिरकर 1995-96 में 28.7 प्रतिशत तक पहुंच गया।

[हिन्दी]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन

146. **श्री बृजभूषण तिवारी :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 77 को निरस्त करने के लिऐ कोई विधेयक लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में धारा 77 विद्यमान नहीं है। तथापि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 में कतिपय संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव निर्वाचन सुधार उन प्रस्तावों में है, जिन पर सरकार द्वारा राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की जा रही है।

[अनुवाद]

स्वर्ण आयात नीति का दुरुपयोग

147. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में नयी स्वर्ण आयात नीति के तहत बड़े पैमाने पर सोना लाया जा रहा है और यह सोना कूरियर के जरिये तस्करों के हाथों में पहुंच रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तस्करों द्वारा स्वर्ण आयात नीति के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) उदार स्वर्ण आयात नीति लागू किये जाने के बाद कालीकट विमानपत्तन से अब तक कितनी मात्रा में/कितने मूल्य का स्वर्ण आयात किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ने सोना लाने की सीमा को 5 कि.ग्रा. से बढ़ाकर 10 कि. ग्रा. कर दिया है जिसे विदेश में छह महीने रहने के पश्चात और विदेशी मुद्रा में उचित शुल्क की अदायगी करने पर अनिवासी भारतीयों द्वारा लाया जा सकता है। शुल्क की अदायगी करने पर सोने की निकासी करने के बाद उसकी अनुवर्ती बिक्री अथवा अंतरण पर आयात नीति में अथवा किसी सीमा शुल्क अधिसूचना के अंतर्गत कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) 1.1.97 से 15.2.97 तक कालीकट विमानपत्तन के जरिए 640.55 करोड़ रुपये मूल्य का 12.80 टन सोना आयात किया गया था।

अनिगमित कंपनियां

148. **डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च ब्याज की दर पर जनता से धनराशि प्राप्त करने के लिए उन अनिगमित कंपनियों जिनमें साझेदारी फर्में तथा व्यक्ति समूह शामिल हैं, को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश जारी किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अधिनियम से कंपनियों और फर्मों की किस सीमा तक सहायता होने की संभावना है और इस अध्यादेश को कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) पता चला है कि विभिन्न वित्त कंपनियों और अनिगमित निकाय उन जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों को वापस करने में असफल रहे हैं जिन्हें आकर्षक प्रतिफल और प्रोत्साहन देने का प्रलोभन दिया गया था। ऐसी कंपनियों और अनिगमित निकायों के कार्यकलापों को और विनियमित करने के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में पुनः संशोधन करने के लिए दिनांक 9.1.97 को राष्ट्रपति ने भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1997 प्रख्यापित किया। संशोधन में, अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि 1 अप्रैल, 1997 से अनिगमित निकाय अपने संबंधियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से केवल अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए जमाराशियां स्वीकार कर सकते हैं परन्तु उनका उपयोग वे उधार देने अथवा कारोबार उद्देश्य के लिए नहीं कर सकते। नए प्रावधानों से सुदृढ़ वित्तीय कंपनियों के उभरने की आशा की जाती है जो जनता को बेहतर सेवा प्रदान कर सके।

इंडो-ब्रिटिश कोल फोरम

149. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ''इंडो-ब्रिटिश कोल फोरम'' की स्थापना की है;

(ख) यदि हाँ, तो कब और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है; और

(ग) भारत-ब्रिटेन व्यापार को बढ़ाने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ। ''इंडो-ब्रिटिश कोल फोरम'' की स्थापना के लिए 11 जनवरी, 1997 को भारत तथा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस कोल फोरम (कोयला मंच) की स्थापना का व्यापक उद्देश्य दोनों देशों के कोयला से संबंधित उद्योगों के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों तथा परस्पर हितों के लिए उत्पादक सहभागिता के निर्माण के माध्यम से सहयोग की संभावना को विस्तृत करना है।

(ग) सरकार का निरंतर प्रयास है कि सभी देशों, जिसमें यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है, के साथ संबंधों को सुधारा जाए। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से निम्नलिखित कदम शामिल हैं : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेना, व्यापारिक शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान को बढ़ाना, वाणिज्यिक संस्थाओं को अपेक्षित सूचना की आपूर्ति तथा सभी संभावित सुविधाएं प्रदान करना, बल दिए जाने वाले मदों तथा भारत-ब्रिटेन सहभागिता संबंधी प्रोन्नत क्रियाकलापों में वृद्धि करना।

संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजी

150. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जनवरी, 1997 से कतिपय समूह के उद्योगों के संयुक्त उद्यमों के मामले में विदेशी पूंजी निवेश संबंधी शर्तों में और रियायत दी गई है और खाद्य प्रसंस्करण तथा मनोरंजन के इलेक्ट्रानिक यंत्रों पर 51 प्रतिशत तक की विदेशी भागीदारी के मामले में स्वतः ही अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो नव वर्ष की पूर्व संध्या पर घोषित मुख्य आर्थिक सुधार क्या हैं; और

(ग) इस बारे में उद्योगों की प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकार ने तारीख 17-1-97 के प्रेस नोट संख्या 2(1997 की श्रृंखला) के तहत विदेशी इक्विटी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन हेतु उद्योगों की सूची में हाल में विस्तार किया है। विदेशी इक्विटी की 51% तक भागीदारी के लिए स्वतः अनुमोदन करने हेतु अनुबंध-3 में 16 और उद्योगों को शामिल किया गया है। 9 उद्योगों की एक अन्य सूची जारी की गई है जिनमें 74% तक विदेशी इक्विटी की भागीदारी के लिए स्वतः अनुमोदन दिया जा सकता है। तथापि, स्वतः अनुमोदन योजना के अधीन इलैक्ट्रानिक मनोरंजन उद्योग शामिल नहीं है।

सरकार ने तारीख 17.1.97 के प्रेस नोट संख्या 3(1997 की श्रृंखला) के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं।

लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार

151. **श्री भक्त चरण दास**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान भारत का लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार में दोगुनी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने हाल ही में ट्रिनिडाड तथा टोबेगो के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो जिन-जिन क्षेत्रों में यह द्विपक्षीय समझौता किया गया है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समझौते से लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) लैटिन अमरीकी देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 1991-92 में 1159.04 करोड़ रुपये था जो वर्ष 1995-96 में बढ़कर 3137.23 करोड़ रुपये हो गया। जिसके परिणामतः चार वर्षों में 170% वृद्धि दर्ज की गई। भारत-लैटिन अमरीकी व्यापार के पांच वर्ष के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	कुल व्यापार
1991-92	304.41	854.63	(-)550.22	1159.04
1992-93	479.44	915.84	(-)436.40	1395.28
1993-94	757.58	1001.04	(-)234.46	1758.62
1994-95	1125.48	2449.73	(-)1324.25	3575.21
1995-96	1260.12	1877.11	(-)616.99	3137.23

(ग) से (ङ) भारत और ट्रिनीडाड एंव टोबेगो के मध्य व्यापार करार पर हस्ताक्षर 24 जनवरी, 1997 को ट्रिनिडाड एवं टोबेगो के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के समय किए गए थे। हस्ताक्षरित करार सामान्य स्वरूप का था जिसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य व्यापार और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करना तथा नीतिगत समर्थन प्रदान करना है।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

152. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे न्यायिक आयोग स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे आयोगों को राज्य स्तर पर भी स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना किए जाने के संबंध में सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी उपक्रमों के लिए मास्टर प्लान

153. **श्री बी.एल. शंकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार देश में रुग्ण सरकारी उपक्रमों की संख्या कितनी थी और इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सरकारी उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए "मास्टर प्लान" का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी उपक्रमों के पुनरुद्धार संबंधी मास्टर प्लान के कब तक प्रभावी होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सरकारी उद्यमों के लिए बनाई गई कार्यनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) विश्वव्यापी स्तर पर अग्रणी बनने की क्षमता रखने वाले उद्यम "भेल" को विनिवेश प्राप्तियों में से निवेश निधि तक अपनी पहुंच बनाने की अनुमति देना, जिससे कि यह अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्द्धात्मक वित्तीय और ऋण पैकेजों की पेशकश कर सके;

(2) प्रौद्योगिकी, आधुनिक प्रबंधन तकनीकों तथा विपणन क्षमता के नियोजन द्वारा उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता तथा जैव्यता को बढ़ाने हेतु उनकी एक या अधिक इकाइयों के लिए संयुक्त उद्यमों का गठन किया जाना;

(3) टर्न अराउण्ड योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु अनुमोदित पुनरुद्धार स्कीमों के अनुसार निधियों का निवेश करने के लिए 10% विनिवेश आय में से आवर्ती निधि का सृजन करना।

ऊपर दिए गए उल्लेख के संदर्भ में, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनरुद्धार और पुनर्संरचना एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

दिनांक 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बोर्ड को केन्द्र और राज्यों से सरकारी क्षेत्र के 190 उपक्रमों के बारे में संदर्भ प्राप्त हुए थे जिसमें से बोर्ड द्वारा 145 (केन्द्र सरकार के 61 और राज्य सरकार के 64 उपक्रम) को पंजीकृत किया गया था। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में अंतर्ग्रस्त राशि निम्नानुसार है :

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	निवल मूल्य (करोड़ रुपए में)	संचित हानियां (करोड़ रुपए में)
केन्द्रीय (61)	(-)4165.51	(-)3296.59
राज्य सरकार के (84)	(-)1572.00	(-)12095.45
145	(-)5737.51	(-)15392.04

आबिद हुसैन समिति

154. **श्री बृज भूषण तिवारी :**
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री प्रमोद महाजन :
श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आबिद हुसैन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई है;

(घ) किन-किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लघु औद्योगिक एककों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हाँ।

(ख) समिति की प्रमुख सिफारिशें लघु उद्योगों के लिए आरक्षण नीति, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निवेश सीमा में वृद्धि करने, लघु उद्योग के उन्नयन की प्रणाली समूहों पर ध्यान केन्द्रित करने, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता की पुनर्संरचना, एकीकृत सहायता सेवाओं, लघु उद्यमों में प्रौद्योगिकी विकास के लिए सहायता

समूहों में आधारभूत विकास तथा संस्थागत और वैधानिक नवीनीकरण से संबंधित है।

(ग) से (ङ) सरकार समिति की विभिन्न सिफारिशों की जांच कर रही है। हाल ही में, सरकार ने लघु क्षेत्र के लिए संयंत्र तथा मशीनों के लिए निवेश सीमा की 3 करोड़ रु0 तक बढ़ाने तथा अत्यन्त छोटे क्षेत्र के लिए 5 लाख रु0 से बढ़ाकर 25 लाख रु0 करने का निर्णय लिया है जो कि आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों में से एक है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

155. **श्री बुद्धसेन पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने उद्यमियों को ऋण दिये गये हैं तथा उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कितने उद्यमी हैं;

(ख) ऐसे शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति कितने हैं जिनको ऋण देने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा सिफारिश की गई है लेकिन उनको ऋण की स्वीकृति नहीं दी गई है इसके क्या कारण हैं तथा उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में इन लोगों को ऋण देने में कोई विलम्ब न हो, क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई) के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों सहित मध्य प्रदेश में बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं संवितरित ऋणों का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है। लेकिन, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि बैंकों द्वारा ऋणों की मंजूरी और संवितरण एक सतत प्रक्रिया है। मंजूरी पूर्व औपचारिकताएं पूरी न करने, शाखाओं में आवेदनों को स्पांसर करने आदि जैसे विभिन्न कारणों से आवेदन लंबित रहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अंतर्गत, बैंकों को 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले आवेदनों को एक पखवाड़े के अन्दर और 25,000/- रुपए से अधिक के ऋण आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर निपटाना होता है। ऋणों की मंजूरी और संवितरण संबंधी देरी की समस्याओं को हल करने के लिए बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि बड़ी अनियमितताओं के कारणों की जाचं बैंकों के जिला-स्तरीय समन्वयकों को करनी चाहिए। ये रपोर्टें समीक्षा और उचित स्तरों पर कार्रवाई को सिफारिश करने के लिए जिला पी.एम.आर.वाई. समिति तथा कृतक बल समिति को प्रस्तुत की जानी होती हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य में पी एम आर वाई के अंतर्गत कार्यनिष्पादन

(लाख रुपयों में)

कार्यक्रम वर्ष	लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल मंजूर ऋण		कुल संवितरित ऋण		कुल मंजूर ऋण में से अ0जा0/अ0ज0जा0 को मंजूर ऋण		कुल संवितरित राशि में से अ0जा0/अ0ज0 जा0 को मंजूर ऋण		कुल मंजूर राशि में से अ.पि. वर्ग को मंजूर ऋण		कुल संवितरित राशि में से अ.पि. वर्ग को संवितरित राशि	
			सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1993-94	2710	5919	2654	1877.36	1765	1107.66	482	298.66	138	83.39	393	269.20	229	108.24
1994-95	20000	39018	19839	12361.27	10796	6206.07	2644	1366.58	1307	675.00	3279	1854.75	1975	1083.40
1995-96	27050	58001	28082	18516.62	17071	10241.09	4617	2860.12	2633	1338.27	5950	3629.48	3048	1767.36
1996-97 (सित0 1996 तक)	27050	13459	2293	1501.60	524	311.03	266	151.66	74	39.18	220	149.43	64	95.57

अंधाधुंध उदारीकरण

156. **श्री वी.के. गढ़वी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंधाधुंध ढंग से किए गए उदारीकरण से देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का देश में किस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को रोकने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) औद्योगिक विकास का सीधा संपर्क विद्युत दूरसंचार, सड़कों, रेलवे, तेल, पतन आदि जैसी आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता से है। अतः सरकार बजट में विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों के जरिये प्राथमिकता के आधार पर इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश आकर्षित करने के लिए वचनबद्ध है जिससे घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार के निवेशकों के लिए इस क्षेत्र में निवेश और अधिक आकर्षक बन सकेगा।

सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में 12% की वार्षिक वृद्धि बनाए रखने तथा 7% की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध है। इसके लिए भारी मात्रा में पूंजी तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। घरेलू बचत दर तथा निवेश की अपेक्षित दर के बीच 5% से 6% तक के अनुमानित अंतर को समाप्त करने के लिए भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आवश्यकता है ताकि लक्षित वृद्धि दर प्राप्त हो सके। 10 बिलियन अमरीकी डालर का वार्षिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आवश्यकता और उसका समावेश करने की क्षमता व्यापक रूप से स्वीकार की जा रही है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की पुनर्संरचना की गई है ताकि निर्णय शीघ्र लिए जा सकें और उनमें पारदर्शिता लाई जा सके।

उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आर्षित करने के लिए अंधाधुंध रूप से उदारीकरण नहीं किया जा रहा है।

करेंसी नोट

157. **श्री राम नाईक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि 100 रुपये का नया नोट 500 रुपये के नोट से भिन्न है;

(ख) क्या सरकार इस बात की आवश्यकता से भी अवगत है कि एक अशिक्षित व्यक्ति के लिए उन दोनों नोटों में अंतर स्पष्ट करने के लिए उनका रंग चौड़ाई, आकार और महात्मा गांधी के चित्र को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस समस्या पर पुनः विचार करने और यह सुनिश्चित करने का है ताकि अनपढ़ व्यक्ति गुमराह न हों; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हाँ।

(ख) नए नोटों का डिजाइन तैयार करते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाओं का खोला जाना

158. **श्री डी.पी. यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में, विशेषकर सम्भल में राष्ट्रीय बैंकों की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या बैंकों की वर्तमान संख्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा राज्य में विशेषकर सम्भल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाओं को खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मोटरवाहन-दुर्घटना दावे

159. **श्री संदीपान थोरात** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 1997 के *द फाइनेंशियल एक्सप्रेस* में "सी जैस कम्पेनसेशन फारमूला फार मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह समाचार मोटर दुर्घटनाओं में मृत्यु से सबन्धित तीसरे पक्ष के दावों के निपटान के सम्बन्ध में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत संरचित मुआवजा फार्मूला के निरूपण से सम्बन्धित है। इसमें यह भी बताया गया है कि यह फार्मूला केवल एक अन्तरिम व्यवस्था है।

(ग) समय-समय पर यथा-संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में समाविष्ट मौजूदा संरचित मुआवजा सारिणी में कुछ विसंगतियां ध्यान में आई थीं और सरकार इन विसंगतियों में सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेगी।

लालमटिया खान में कल्याण बोर्ड

160. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार लालमटिया कोयला खान (बिहार) के लिए बिहार सरकार को 70 करोड़ रुपऐ की रायल्टी देती है। लेकिन इस रायल्टी का 10 प्रतिशत जिसे गोन्डा जिले में कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च किया जाना चाहिए, उस पर खर्च नहीं किया जा रहा है क्योंकि धनबाद जिले की कोयला खानों के लिए गठित कल्याण बोर्ड की तरह वहां कोई कल्याण बोर्ड नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा वहां ऐसा बोर्ड गठित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.) की लालमटिया कोयला खान के लिए बिहार सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान रायल्टी की राशि का निम्न रूप में भुगतान किया गया है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	रायल्टी की राशि
1993-94	10.73
1994-95	23.29
1995-96	45.61
1996-97 (जनवरी, 97 तक)	34.37

राज्य सरकार द्वारा रायल्टी के रूप में एकत्रित की गई राशि का उपयोग उक्त के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुसार किया जाता है। अतः कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पास गोंडा जिले में कल्याण संबंधी क्रियाकलापों पर राजमहल कोयला के लिए एकत्रित की गई रायल्टी राशि का प्रतिशतता के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

को.इं.लि. के पास देश के प्रत्येक कोयले के उत्पादन करने वाले जिले के लिए कल्याण बोर्डों को स्थापित किए जाने हेतु कोई पद्धति विद्यमान नहीं है। किन्तु ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पास अपना स्वंय का कल्याण बोर्ड, जिसमें प्रबंधन के तथा केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जोकि कंपनी की समग्र रूप में कल्याण संबंधी क्रियाकलापों की देखरेख कर सकें।

सड़क दुर्घटनाओं के लंबित दावे

161. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटना संबंधी कितने दावे नेशनल इन्श्यारेंस कम्पनी लिमिटेड के पास लंबित हैं, इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) वर्षवार प्रस्तुत किए गए और निपटाये गए लंबित दावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार इन दावों पर मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे मामलों के त्वरित निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रोजिन पर उत्पाद शुल्क

162. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 11.9.96 की अधिसूचना संख्या 28/96 द्वारा लघु कुटीर इकाइयों को राहत पहुंचाने के लिए बिना बिजली का उपयोग करके इकाइयों द्वारा उत्पादित रोजिन पर उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि ये इकाइयां अभी भी उत्पाद शुल्क नेट के अंतर्गत रहेंगी, क्योंकि रोजिन प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसी प्रक्रिया से प्राप्त होने वाली तारपीन तेल (12 से 13 प्रतिशत) को अधिसूचना में शायद असावधानी से शामिल नहीं किया गया है;

(ग) क्या इस तथ्य को सरकार के ध्यान में लाया गया है और यह अनुरोध किया गया है कि उक्त अधिसूचना में उपयुक्त संशोधन किया जाये ताकि बिना बिजली का उपयोग किये रोजिन का उत्पादन कर रही बड़ी संख्या में कुटीर इकाइयों को वांछित राहत प्रदान की जा सके; और

(घ) बिना बिजली के चलने वाली कुटीर औद्योगिक इकाइयों को राहत पहुंचाने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) सरकार को बिजली की सहायता के बिना निर्मित और रोजिन के साथ असिंवित तारपीन तेल पर उत्पाद शुल्क से छूट देने के लिए अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभिवेदनों पर वर्ष 1997-98 के बजट प्रस्तावों के अंग के रूप में विचार किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखायें खोलने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश

163. **डॉ॰ अरुण कुमार शर्मा :**
डॉ॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग एक वर्ष पूर्व सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रति 12,000 व्यक्तियों के लिए सम्पूर्ण देश में अपनी शाखायें खोलने के दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन दिशानिर्देशों को जारी करने के पश्चात केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, और कारपोरेशन बैंक की कितनी शाखायें असम में खोली गई हैं,

(ग) क्या असम की बैंक कर्मचारी समिति, जातियतावादी युवा छात्र परिषद आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्य जैसे असम में जहां वर्ष 1969 में किये गये बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है, बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार न किए जाने के कारण, आन्दोलन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की 1985-90 की शाखा लाइसेंसीकरण नीति का उद्देश्य, ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में 17000 की जनसंख्या (1981 की जनगणना) पर एक बैंक कार्यालय स्थापित करने के साथ-साथ बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में स्थान के विस्तृत अंतर को दूर करना था ताकि 10 कि.मी. की दूरी पर एक ग्रामीण शाखा उपलब्ध हो सके। मार्च 1996 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, देश में प्रति बैंक कार्यालय पर औसत जनसंख्या 14,800 है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उड़ीसा को ऋण

164. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान उड़ीसा का विशेषकर कालाहांड़ी जिले को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु कितने आवेदनों को मंजूरी दी गयी;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत उनमें से कितने आवेदनों पर ऋण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या मंजूरी दिये गये आवेदनों में से कुछ आवेदनों पर ऋण देने से इंकार कर दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन आवेदनों पर कब तक ऋण प्रदान कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1996-97 के दौरान, दिसम्बर, 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अंतर्गत मंजूर और संवितरित ऋण निम्नानुसार थे:

(रु० लाख में)

अवधि	मंजूर आवेदन		संवितरित आवेदन	
	सं०	राशि	सं०	राशि
दिसम्बर, 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार	1771	1283.06	844	380.53

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि आंकड़ा सूचना प्रणाली से जिला-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऐसा कोई विशिष्ट मामला उनकी जानकारी में नहीं आया है जिसमें ऋण मंजूर किया गया परन्तु संवितरण नहीं किया गया।

[हिन्दी]

इलाहाबाद बैंक के कर्मचारियों की विधवाओं के लिए नई पेंशन योजना

165. **श्री दिनेश चन्द्र यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद बैंक ने नई पेंशन योजना लागू की है और अपने कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन देना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो नई पेंशन योजना के अंतर्गत 1989 से 1990 तक की अवधि में सेवा निवृत हुए बैंक कर्मचारियों की आश्रित विधवाओं को पेंशन न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) गत छः माह के दौरान इस संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों की ओर से इलाहाबाद बैंक की विशेष रूप से फैजाबाद, सुल्तानपुर और कानपुर स्थित शाखाओं के प्राधिकारियों को शाखावार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) अब तक इन आवेदन पत्रों को स्वीकृत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मुक्त लाइसेंस नीति

166. **डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री छीतुभाई गामीत :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने चीनी उद्योग के लिए मुक्त लाइसेंस व्यवस्था का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नयी चीनी परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या मानदंड तय किये गये हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने भी यह महसूस किया है कि 1700 टी. सी.डी. का वर्तमान स्तर अधिक खर्चीला है ओर इससे कीमतें बढ़ती हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस नीति का विरोध किया है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (छ) वर्तमान में अनिवार्य लाइसेन्सीकरण के अन्तर्गत 14 उद्योग हैं। सरकार ने अनिवार्य लाइसेन्सीकरण के अन्तर्गत उद्योगों के लाइसेन्सीकरण की पुनरीक्षा आरम्भ की है। चीनी उद्योग इन उद्योगों में से एक है। इस संबंध में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, सरकार ने हाल ही में चीनी उद्योग के लिये औद्योगिक लाइसेन्स के आवेदनों पर विचार करने हेतु मार्गनिर्देशन जारी किये हैं, ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं। सरकार द्वारा जारी किये गये नये मार्गनिर्देशनों के विरुद्ध भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने, नये चीनी एकक तथा विद्यमान चीनी एकक के बीच की दूरी, जिसे 25 कि.मी. घटा कर 15 कि. मी. कर दिया है, के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई है।

विवरण

भारत सरकार
उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

प्रेस नोट सं० 1 (1997 श्रृंखला)

विषय : चीनी उद्योग के लिये औद्योगिक लाइसेन्स हेतु आवेदनों पर विचार करने के लिये मार्ग निर्देशक।

भारत सरकार ने इस मंत्रालय के दिनांक 8.11.91 के प्रेस नोट सं० 16 (1991) द्वारा नये चीनी मिलों के लाइसेंसीकरण तथा विद्यमान चीनी मिलों के विस्तार के लिये जारी किये गये मार्गनिर्देशनों की पुनरीक्षा की है। विगत वर्षों में हुए आर्थिक उदारीकरण, सरल तथा पारदर्शी प्रक्रिया आरम्भ करने की आवश्यकता तथा प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के फलस्वरूप चीनी उद्योग में व्यापार परिदृश्य में हुये परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विद्यमान मार्गनिर्देशों में संशोधन की आवश्यकता हुई, उपर्युक्त प्रैस नोट के प्रतिस्थापन में सरकार ने अब निम्नलिखित संशोधित मार्गनिर्देश तैयार किये हैं :

(क) नई चीनी फैक्ट्रियों को 2500 टन प्रतिदिन गन्ना पिरोने की न्यूनतम किफायती क्षमता के लिये लाइसेन्स जारी रखा जायेगा। ऐसी क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

(ख) अधिक क्षमता, आधुनिक प्रौद्योगिक तथा एकीकृत मिश्रित निर्माण लागत वाले उत्पादों का विकास तथा विद्युत सह उत्पादन वाले प्रस्तावों को लाइसेन्स देने में प्राथमिकता दी जायेगी।

(ग) आवेदनों पर विचार करने के लिये एक राजस्व जिला को इकाई के रूप में माना जायेगा। किसी यूनिट के प्रचालन के लिये एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने के मामले में, अन्य बातों के बराबर रहते हुये, पहले प्राप्त आवेदन को प्राथमिकता दी जायेगी।

(घ) नई चीनी फैक्ट्रियों के लिये लाइसेन्स इस शर्त पर जारी किया जायेगा कि प्रस्तावित नई चीनी फैक्ट्री तथा विद्यमान/पहले ही लाइसेन्सशुदा चीनी फैक्ट्री के बीच दूरी 15 कि.मी. से कम नहीं होनी चाहिये।

(ङ) नये चीनी एककों को लाइसेन्स देने के लिए मूल-भूत मापदण्ड गन्ने की उपलब्धता या गन्ने के विकास की सम्भावना या दोनों ही होंगे।

(च) अन्य बातों के सामान्य रहते हुये प्रोबर्स सहकारी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों को लाइसेन्स देने में वरीयता दी जायेगी, तथापि, ऐसी सहकारी समितियों को जारी औद्योगिक लाइसेन्स अन्य किसी हस्ती को अन्ततिरत नहीं किया जा सकता।

(छ) विद्यमान फैक्ट्रियों के विस्तार के लिये सभी आवेदन स्वतः अनुमोदित होंगे।

(ज) नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिये तथा विद्यमान एककों के विस्तार के लिये औद्योगिक लाइसेन्स प्रदान करने हेतु आवेदन निर्धारित फीस 2500 रु० के साथ फार्म एल में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक सहायता सचिवालय को प्रस्तुत किये जाने चाहिये। लाइसेन्स प्रदान करने के लिये प्राप्त आवेदकों को एस.आई.ए. द्वारा खाद्य विभाग तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों के लिये भेजा जायेगा। यदि, टिप्पणियां मंगाने के एक माह के भीतर या तो खाद्य विभाग या सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तब यह समझा जायेगा कि उनके पास प्रस्तुत करने की कोई टिप्पणी नहीं है, तत्पश्चात् लाइसेन्स समिति औद्योगिक लाइसेन्स के लिये आवेदन पर विचार करेगी तथा यथोचित सिफारिशें करेगी।

(2) प्रक्रिया तथा मार्गनिर्देशन, जैसे कि ऊपर दिये गये हैं, सभी उद्यमियों के सूचनार्थ तथा मार्गनिर्देशन के लिये उनके ध्यान में लाये जाते हैं।

ह0/-
(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फाइल सं0 10(20)/96-एल.पी. नई दिल्ली 10 जनवरी, 1997
उपर्युक्त प्रैस नोट के तथ्यों को
विस्तृत रूप से प्रचारित करने के
लिये प्रैस आसूचना ब्यूरो को प्रेषित।
प्रेस सूचना अधिकारी,
प्रेस आसूचना ब्यूरो
नई दिल्ली

विनिवेश आयोग

167. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश आयोग ने विनिवेश के लिए कोई पारदर्शी प्रणाली अथवा तंत्र बनाया है जैसा कि चालू वर्ष के बजट में कहा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितना विनिवेश हुआ है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) विनिवेश आयोग ने अपनी रिपोर्ट 20.2.1997 को प्रस्तुत कर दी है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

मंत्रियों का परिचय

प्रधानमंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्रिमंडल के निम्नलिखित दो सदस्यों का आपसे तथा आपके माध्यम से सदस्यों से परिचय करवाना चाहूंगा।

प्रो. सैफुद्दीन सोज - पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री।

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार - वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री।

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण इत्यादि

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1328/97]

(ख) (एक) टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1329/97]

(3) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1330/97]

(5) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1331/97]

(6) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत पेटेन्ट डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1332/97]

(7) (एक) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1332/97]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अन्तर्गत अधिसूचना, इत्यादि

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अन्तर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1996 जो 19 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 799 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1334/97]

(2) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 1996 जो 23 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 581 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1335/97]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत लागत लेखापरीक्षा (प्रतिवेदन) नियम, 1996 जो 5 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 511 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1336/97]

(4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 583 (अ) जो 23 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी

तथा जिसके द्वारा 26 नवम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या 10/96 सेवा कर में कतिपय संशोधन किये गये हैं की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1337/97]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

सा.का.नि. 576 (अ) और सा.का.नि. 577 (अ) जो 19 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा निर्यात बाध्यता को पूरा करने या निर्यात बाध्यता में कमी के नियमितीकरण के लिये अवधि का विस्तार किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1338/97]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 465 (अ) जो 9 अक्टूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 26 दिसम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या 38/95-सी.शु. का शुद्धि पत्र है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 556 (अ) जो 5 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय त्रिवेन्द्रम को और त्रिवेन्द्रम से शुल्क अदा किये बिना खनिज तेल उत्पादों की अन्तर भाण्डागारण ढुलाई की मंजूरी देना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1996 जो 26 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1339/97]

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 1996 जो 26 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 900(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1996 जो 26 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 901(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1997 जो 22 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 56(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1340/97]

(8) (एक) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1341/97]

(9) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1342/97]

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, इत्यादि

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया

लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1343/97]

(3) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1344/97]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 21 नवम्बर, 1996 को सभा को सूचित करने के पश्चात पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दस विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) आय-कर (संशोधन) विधेयक 1996
(2) विनियोग (संख्यक 4) विधेयक, 1996
(3) उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1996
(4) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 1996
(5) पंचायत-उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1996
(6) भारतीय संविदा (संशोधन) विधेयक, 1996
(7) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक, 1996
(8) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 1996
(9) शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 1996
(10) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1996।

(दो) मैं, ग्यारहवीं लोक सभा के तीसरे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1996 की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित प्रति भी सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

रेल सम्बन्धी स्थायी समिति

चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं रेल मंत्रालय की मांगों 1996-97 के बारे में रेल सम्बन्धी स्थायी समिति (1996-97) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.3½ बजे

[अनुवाद]

समिति के लिए निर्वाचन

सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ :

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4(3) (ग) और सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4(2) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाये गयें नियमों के अध्यधीन, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4(3) (ग) और सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4(2) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूँ कि सोमवार, 24 फरवरी, 1997 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।

3. दिनांक 26.2.97 को प्रश्न काल के तत्काल पश्चात वर्ष 1997-98 के लिए रेल बजट का प्रस्तुतीकरण।

4. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना :

   (क) निक्षेपागार, संबंधित विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997

   (ख) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1997

   (ग) औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रम का अन्तरण और निरसन) अध्यादेश, 1997

5. वर्ष 1997-98 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा।

6. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :

   (क) वर्ष 1997-98 के लिए लेखानुदान मांगें (रेल)

   (ख) वर्ष 1994-95 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल)

7. दिनांक 28.2.97 को सांय 5.00 बजे वर्ष 1997-98 के लिए सामान्य बजट का प्रस्तुतीकरण।

8. वित्त विधेयक, 1997 का पुरःस्थापन।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाएं :

1. पश्चिम बंगाल में और अधिक डाकघर तथा तारघर खोलकर डाक सेवा का सुधार करना।

2. बंगलादेश के साथ (दोनों देशों के बीच) रेल और सड़क दोनों हितार्थ सम्पर्क फिर से शुरू करने के लिए वार्ता।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जायें :

1. आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि।

2. कोयला उद्योग का निजीकरण।

श्री पी.सी. थामस (मुक्तुपुजा) : आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जायें :

1. प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में आयी सहसा गिरावट के कारण देश की अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों पर आया गंभीर संकट।

2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को शामिल किया जाये :

"अव्यवहारिक गेंहू खरीद नीति पर चर्चा"

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : कृपया निम्नलिखित लोक महत्व के विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शमिल किया जाये :

1. हिमाचल प्रदेश के लिए भारत सरकार की ओर से कोई पैकेज प्रोग्राम अभी तक नहीं दिया गया है। जिस तरह से अन्य राज्यों के विकास में पैसे देने की घोषणा की गई, कृपया हिमाचल में भी इसे शुरू किया जाये।

2. हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइन बिछाने के लिए भारत सरकार की ओर से कोई योजना निश्चितरूप से तैयार नहीं की गई और जो मांग हिमाचल प्रदेश के सांसदों की सरकार से रही है, उस पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। वे कार्य आरम्भ किये जायें।

[अनुवाद]

श्री डाराधन राय (आसनसोल) : आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :

1. आसनसोल में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज करना।

2. एस.टी.डी. के स्थान पर लोकल डायलिंग प्रणाली द्वारा पानागढ़ के उपभोक्ताओं से सम्पर्क करने हेतु बढ़ाकर/चितरंजन के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कदम उठाना।

[अनुवाद]

प्रो॰ अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित सुझावों को सम्मिलित करने का संसदीय कार्य मंत्री से मेरा अनुरोध है :

1. बिहार को उन्नत बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों से सहयोग लेने से उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

2. बिहार में बूढ़ी गंडक नदी के विरौली घाट पर 99 नम्बर की सड़क पर पुल बन जाने से दरभंगा से पटना की दूरी 50 कि.मी. हो जायेगी और लगभग 3 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

अपराह्न 12.09 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उर्वरक मूल्य नीति

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ :

फास्फेटिक और पोटासिक (पी.आर.के.) उर्वरकों के मूल्य, वितरण और संचलन को 25 अगस्त, 1992 से विनियंत्रित किया गया था। इससे इन उर्वरकों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई। इस मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कुछ कम करने के लिए भारत सरकार किसानों को इन विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री करने पर रियायत देने की एक योजना कार्यान्वित कर रही है। यह योजना आरम्भ में रबी 1992-93 (1.10.92 से) में कार्यान्वित की गई और तब से यह जारी रखी गई है।

यूरिया ही एक ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है और पूरे देश में इसे 3320/- रुपऐ प्रति टन के समान मूल्य पर बेचा जाता है। पोटासिक तथा फास्फेटिक उर्वरकों के विनियंत्रण के परिणामस्वरूप उनकी खपत में कमी आई जबकि यूरिया के संबंध में खपत में वृद्धि जारी रही और इसके परिणामस्वरूप उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन हुआ है। एन.पी.के.का अनुपात 1991-92 के दौरान 5.9 : 2.4 : 1 था जो अधिक होकर 1995-96 के दौरान 8.5 : 2.5 : 1 हो गया।

भारत सरकार ने एन.पी.के. के बिगड़ते हुए अनुपात में सुधार करने के प्रथम उपाय के रूप में 6 जुलाई, 1996 से पी. तथा के. उर्वरकों पर रियायत में काफी वृद्धि की घोषणा की। स्वदेशी डाई-अमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.) पर रियायत की दर 1,000/- रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3,000/- रुपये प्रति टन कर दी गई। आयातित डी.ए.पी. पर भी 1500/- रुपए प्रति टन की रियायत दी गई ताकि इसके बिक्री मूल्य को स्वदेशी डी.ए.पी. के समान लाया जा सके। इसी प्रकार, म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी) पर रियायत, 1,000/- रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 1500/- रुपए प्रति टन कर दी गई। सिंगल सुपर फास्फेट (एस.एस.पी.) पर भी रियायत की दर 340/- रुपये से बढ़ाकर 500/- रुपये प्रति टन कर दी गई है। मिश्रणों पर रियायत की दरों में आनुपातिक वृद्धि की गई।

एन.पी.के. पोषकों के प्रयोग में विद्यमान असंतुलन को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 1997-98 के दौरान फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर रियायतों में और अधिक वृद्धि की जाए और निधियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को यूरिया के मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि करके पूरा किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप डी.ए.पी. के लिए रियायत में वृद्धि 750 रुपए प्रति टन, एस.एस.पी. के लिए 100 रुपए, एम.ओ.पी. के लिए 500 रुपए होगी और अन्य मिश्रणों के संबंध में आनुपातिक वृद्धि होगी।

संशोधित रियायतें 1 अप्रैल, 1997 से लागू होंगी और यूरिया के मूल्य में वृद्धि 21 फरवरी, 1997 से प्रभावी होगी।

कुछ अन्य उपायों पर भी इस दृष्टि से विचार किया जा रहा है कि कम खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरकों की खपत को बढ़ाया जाए। यह निर्णय लिया गया है कि जम्मू तथा कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्यों के कुछ भागों आदि में विनियंत्रित फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों की रियायती दरों पर बुलाई की जाए।

यह प्रत्याशित है कि इन उपायों से यूरिया की खपत के साथ-साथ फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के वर्धित उपयोग को कुछ हद तक बढ़ावा मिलेगा और एन.पी.के. का अनुपात अनुकूलतम स्तर तक आ पाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम धान कुटाई उद्योग (विनियमन) निरसन विधेयक, 1996 पर विचार करेंगे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, हमने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस किसलिए ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, यह शून्य काल है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आज का दिन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक का दिन है। इसलिए शुक्रवार के दिन कोई, शून्य काल नहीं होता।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : कई महत्वपूर्ण बातें हैं। मैंने बोफोर्स के मुद्दे पर भी नोटिस दिया है। हम चाहते हैं कि बोफार्स संबधी कागजात यहां प्रस्तुत किए जाएं। इसका लम्बा इतिहास है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने मूल्य वृद्धि के बारे में नोटिस दिया है। *.....(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : हम सारे कागजात चाहते हैं। हम केवल सारे कागजात चाहते हैं और कुछ नहीं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम चाहते हैं कि सभी कागजात सभा पटल पर रखे जाएं।

श्री बसुदेव आचार्य : हम सभी कागजात चाहते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : संसदीय समिति लगभग 10 वर्ष पहले गठित की गई थी जिसने यह साबित कर दिया था *....(व्यवधान)*

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : हम ऐसी किसी चीज को, जो वर्गीकृत दस्तावेज न हो, उस दस्तावेज के स्थान पर, जो सरकार के पास है, तब तक नहीं रख सकते, जब तक इसे सभा पटल पर न रखा गया हो *...(व्यवधान)* किसी को राजनैतिक दृष्टि से बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।*...(व्यवधान)* प्रत्येक विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और सरकार को मंगवाए गए दस्तावेज के बारे में एक तर्कसंगत निर्णय पर पहुंचना चाहिए। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इसकी अंतिम बात का पता लगाए कि पैसा कहां गया है, बस हम और कुछ नहीं चाहते। यह सरकार के हाथ में है। अलग-अलग विचारों को स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं है। यह लगभग सरकार की ही जिम्मेवारी है। *...(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : 10 वर्ष पूर्व एक समिति गठित की गई थी।

श्री पी. आर. दासमुंशी : जो भी दस्तावेज उन्होंने स्वीस कोर्ट से मंगवाए हैं *...(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि सदन में सभी कागजात रखे जाएं। हम यह भी चाहते हैं कि संसदीय समिति ने कार्यवाही को उनके विचारों के साथ सभा के समक्ष रखा जाए। *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राय, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री मुखर्जी क्या हो रहा है ?

कुमारी ममता बनर्जी : सरकार को सभी कागजात रखने चाहिए।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या अब आप बोलेंगे ?

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : सरकार को सभी कागजात रखने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी (शाहबाद) : इस पर सदन में पूरी बहस होनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: रुपया किसने लिया है ?*....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मेहता, कृपया बैठ जाइए।

यदि हम हर रोज कानून और प्रक्रिया तोड़ते रहे तो हम संसद का काम कैसे चलाएंगे ? शुक्रवार होने की वजह से आज गैर सरकारी सदस्यों का दिन है। हम गैर-सरकारी सदस्यों के लिए शून्य काल की बात नहीं कर सकते।

श्री बसुदेव आचार्य : कल सदन स्थगित हो गया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, यह सत्र तीन महीने का है। आपको बहुत समय मिलेगा। अगर आप इस प्रश्न को सोमवार को उठाते हैं, तो मुझे आपको अनुमति देने में खुशी होगी। मंत्री महोदय।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या यह नोटिस सोमवार के लिए वैध होगा ?

अध्यक्ष महोदय : हाँ। आज का नोटिस सोमवार के लिए वैध होगा। मंत्री महोदय, कृपया शुरू कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : हम सोमवार को भी स्थगित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री रमाकान्त डी. खलप, क्या आप वक्तव्य दे रहे हैं ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : मैं विधयेक प्रस्तुत करूंगा। *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको विधेयक प्रस्तुत नहीं करना है। आपको विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, अपने सहयोगियों और अपने पार्टी सदस्यों की तरफ से, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोफोर्स का मामला शून्य काल में न उठाया जाए और हम यही चाहते हैं कि सरकार सदन में अपनी सरकारी घोषणा प्रस्तुत करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए। हाँ, मंत्री महोदय।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है और अपनी विनिर्णय दे दिया है। श्री चटर्जी, अब मैं आपकी बात सिर्फ सोमवार को सुनूंगा, आज नहीं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.18 बजे

धान कुटाई उद्योग (विनियमन) निरसन विधेयक*

[अनुवाद]

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.00 बजे

[श्री नीतिश कुमार *पीठासीन हुए*]

महोदय, धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 उस समय बनाया गया था जब देश में कमी थी और यह इच्छा की गई थी कि धान-कुटाई उद्योग को विनियमित किया जाए जिससे देश में चावल की पर्याप्त आपूर्ति हो सके और साथ ही आधुनिक उपकरण लगाए जा सकें।

वर्ष 1958 से अब तक यह उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। वर्ष 1958 में इस देश में शायद ही कोई चावल धान कुटाई की मिल थी पर आज देश के विभिन्न भागों में इसकी संख्या 34,000 से भी अधिक हो गई है इनमें से अधिकांश मिलें आधुनिक हैं जिससे चावल का उत्पादन बढ़ा है।

हमने अपनी अर्थव्यवस्था को अब उदारीकृत कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप यह महसूस किया गया है कि अब धान कुटाई उद्योग को विनियमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यह आशा की जाती है कि जो लोग धान कुटाई की मिलें लगाना चाहते हैं वे बिना किसी रुकावट के लगा सकते हैं और इस पर विधेयक को जो धान कुटाई उद्योग के विकास में एक बड़ी रुकावट रही है, समाप्त ही कर दिया जाना चाहिए। इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने का ही यही मात्र उद्देश्य है। मुझे विश्वास है कि इस सभा के सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अब समय आ गया है कि इस समय प्रचलित अधिनियम को रद्द कर दिया जाए। इसलिए, मैं सभा से इस अधिनियम को रद्द करने के लिए सहमत होने का अनुरोध करता हूँ। यह एक बहुत ही छोटा विधयेक है और मैं समझता हूँ कि इस विधेयक पर अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958, का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री महबूब जहेदी (कटवा) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 को रिपील करने वाले विधेयक पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह रिपील करने वाला बिल बहुत उचित समय पर सामने आया है। हम उत्पादन के मामले में बहुत आगे बढ़ गए हैं, अभी माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट सुना है जिसमें बताया गया है कि 34000 से बढ़कर 94000 मिल कर अब तैयार हो गए हैं। लेकिन अभी स्टेटमेंट ऑफ औबजेक्ट्स एंड रीजन्स में यहां पर यह बताया गया है कि धान के कुल उत्पादन के 65 प्रतिशत भाग की यदि मिलिंग की जाए तो उसमें और भी ज्यादा राइस मिलों की जरूरत होगी और राइस मिलों को लगाने का काम हम नहीं कर सकेंगे।

दूसरी बात यह है कि मॉडरनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है और मॉडरनाइजेशन और भी होना चाहिए। लेकिन सरकार को इस ओर भी ख्याल करना है कि जहां उत्पादन हो रहा है, वहीं राइस मिल में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अनईवन डेवलपमेंट हो रहे हैं। जहां ज्यादा से ज्यादा धान का उत्पादन हो रहा है, वहीं आप देखिए कि पूरे हिन्दुस्तान में राइस मिल बहुत कम बन रही हैं। राइस मिलों का मॉडरनाइजेशन होना चाहिए। लेकिन इसमें तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि मॉडरनाइजेशन के पीछे मॉडरनाइजेशन करने वाले ज्यादा पैसे वाले आदमी हैं, वे

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खंड 2, दिनांक 21.2.92 में प्रकाशित।

भी मॉडरनाइजेशन कर सकते हैं मगर ऐसी भी राइस मिले हैं जो प्रोडक्शन में पीछे हैं, उनके पास मशीनरी भी बहुत कम है और उनको मॉडरनाइज करने में बहुत पैसे लगते हैं।

पैसों की व्यवस्था के बारे में भी सरकार को ख्याल करना है। इसके विकास के बारे में केन्द्रीय सरकार को ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार, दोनों को राइस-मिल्स के मॉड्रनाइजेशन के बारे में देखना होगा। यदि ऐसा नहीं होगा, तो इस दिशा में कोई विकास नहीं होगा और ये मिलें यहीं ठहर जायेंगी।

महोदय, मॉडरनाइजेशन के साथ-साथ सरकार को और भी बहुत सी बातों का ख्याल रखना है। धान की प्रोसैस में ब्रान निकलता है, जिससे ब्रान ऑयल बनता है। मॉड्रनाइजशन से किसानों को ब्रान मिल जाए, तो गरीब किसानों को ब्रान को बेच कर आमदनी हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख कर ज्यादा से ज्यादा मिलों को मॉड्रनाइज किया जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ, मॉड्रनाइज ऐसी जगहों पर न किया जाए, जिसमें छोटी-छोटी हस्क मिलें मुसीबत में पड़ जायें। हस्क मिलें पूरे हिन्दुस्तान में हैं और उनकी तादाद ज्यादा है। हस्क मिलें पुराने ढंग से चल रही हैं। मैं चाहता हूँ कि उनमें रबर-सील लगा कर मॉड्रनाइज किया जाए। अगर इनको मॉड्रनाइज नहीं किया जाएगा, तो मुश्किल होगी। कारण यह कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा हस्क मिलें हैं और वहां जो धान से चावल तैयार करते हैं, उसमें ब्रान भी चला जाता है। ब्रान में आयरन होता है। यदि आप इन मिलों में रबर-सील लगा देंगे, तो गरीब किसानों को लाभ होगा और उनको ब्रान मिल जाने से नफा हो सकता है।

इसलिए मैं इस बिल के रिपील करने का समर्थन करता हूँ। जो पाबन्दियां लगी हुई हैं, उनको आप उठा रहे हैं। जहां पर अनइवन विकास है, प्रौसेसिंग सिस्टम कमजोर है, इन क्षेत्रों के विकास के लिए आपको ज्यादा ख्याल करना है, सरकार की तरफ से पूरी मदद देनी है। इतना कह कर, अपनी बात समाप्त करते हुए, मैं इस बिल के रिपील करने में समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय : इस बिल का समय पहले से निर्धारित नहीं है। इस बिल पर विचार करने के लिए समय एक घन्टा रखा जा सकता है।

श्री सुनील खान (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, मंत्री जी द्वारा राइस मिल इन्डस्ट्री (रेग्युलेशन) एक्ट, 1958 को रिपील करने के लिए बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

पहले जो अपने पैसे से मिल लगता था उसमें जहां पर जितनी जरूरत थी, वहां यह नहीं हो सकता था। इसलिए मिनिस्टर साहब इसे रिपील करना चाहते हैं। हम भी इसका समर्थन करते हैं। 65 परसेंट से ज्यादा पैडी की पैदावार होती है लेकिन उसकी डिहस्किंग के लिए मिल नहीं रहती। इसके लिए 1958 में एक्ट बना था। इसको रिपील करने से हम इसका ज्यादा से ज्यादा माडर्नाइजेशन कर सकते हैं और राइस मिलें लगा सकते हैं। इस कानून के द्वारा किसान और मजदूर पैडी डीहस्त कराएंगे और अधिक मात्रा में चावल बनाएंगे। इसके माडर्नाइजेशन की इसलिए जरूरत थी क्यों कि हम जानते थे कि एक किलो चावल में से करीब 50 ग्राम ब्रान निकल जाता था और वह बेकार हो जाता था। इससे ब्रान ऑयल भी बन सकता है। इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। और हास्क से अणु भी बन सकते हैं जो कोल्डस्टोरेज में लगता है और दूसरे अन्य काम भी हो सकते हैं। आप इस तरफ भी ध्यान दें। मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ।

मैं इस विषय में और भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे ग्राम में हस्किंग मिल के लिए लाइसेंस नहीं मिलता था। पहले यह नियम था कि पांच किलोमीटर के अन्दर दूसरी हस्किंग मिल नहीं लग सकती थी। अब इस बिल के द्वारा ऐसी मिलें लगाने में आसानी होगी। बेरोजगार और बेकार लोगों के लिए फाइनेंसियल कारपोरेशन द्वारा लोन देने से और ज्यादा मिलें लग सकती हैं और बेकार लोग भी स्वनिर्भर हो सकते हैं।

अपराह्न 12.32 बजे

[श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन हुईं*]

पश्चिम बंगाल में एक ही साल में 2-3 किस्म की धान की पैदावार होती है। इसलिए उसे हस्किंग की जरूरत पड़ती है। प्रत्येक एक-आधे किलोमीटर पर ऐसी मिलों को लगाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप इस बिल को रिपील करना चाहते हैं। इन मिलों के माडर्नाइजेशन के लिए और राइस मिल लगाने के लिए बेरोजगार नौजवानों को फाइनेशंल कार्पोरेशन से लोन मिलेगा। वह लोन लेकर ऐसी मिलें लगा सकते हैं। फाइनेंशल कार्पोरेशन को इस काम के लिए मदद देने की जरूरत है। मैं इस बिल का स्वागत और समर्थन करता हूँ। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार उपस्थित नहीं हैं। शायद श्री नीतीश कुमार को पता नहीं होगा कि वह अपना वक्तव्य इतनी जल्दी पूरा कर लेंगे। श्री राघवन।

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर) : मैं तो इस विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। यह विधेयक बिल्कुल ठी समय पर लाया गया है। अब चावल मिलों के लिए किसी विनियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि उसका तो विकास किया जाना है। मैं हार्दिक रूप से इस विधेयक का समर्थन

[श्री वी. वी. राघवन]

करता हूँ और सभा से निवेदन करता हूँ कि वह इसे यथासंभव शीघ्र स्वीकार करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदया, सरकार के माध्यम से जो विधेयक आया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। पहले राइस मिल खोलने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी जिससे लोगों को काफी व्यवधान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

पूरे देश में अभी तक 40 माडर्न मिलें खोली गयी थीं। हमारे देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर किसान धान की खेती करते हैं और हमारे पास जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार पिछले सालों में किसानों द्वारा काफी मात्रा में चावल का उत्पादन बढ़ाया गया है। इससे जुड़े लोगों को आकर्षित करने के लिय आज नई मिलों के खोले जाने की आवश्यकता है। सरकार ने अपनी समझदारी से इस उद्योग को फ्री करने का काम किया है। इससे फायदा होगा और किसान अधिक से अधिक चावल उपजाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। मैं समझता हूँ कि न केवल सरकार द्वारा बल्कि मिलों द्वारा भी किसानों को सुविधायें दिया जाना आवश्यक है। सरकार इसी उद्देश्य से यह योजना और नियम बना रही है, इसमें सरकार की अच्छी मंशा दिखती है। इसमें धान का उत्पादन करने वाली किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना शामिल है। सारे देश में न केवल बिहार बल्कि बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां धान का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। इन क्षेत्रों में किसानों को जो सुविधायें मुहैया होनी चाहिये, वे पूरी तरह से नहीं मिल पा रही हैं। इसलिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे ओर वहां किसानों को अधिक से अधिक मदद दे जहां सिंचाई के अभाव में धान का पटाव ठीक से नहीं हो पाता है, वहां केन्द्र सरकार राज्य सरकार को पूरा समर्थन दे और जितनी मदद की आवश्यकता हो, वह दे। इससे किसान भी बहुत अधिक मात्रा में धान का उत्पादन करेगा और उनका उत्साहवर्धन होगा।

सभापति महोदया, धान का उत्पादन बढ़ाने के लिये खाद की भी जरूरत होती है जो किसानों को समय पर मिल ही नहीं पाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि धान उत्पादन करने वाले प्रदेशों में खाद पर्याप्त मात्रा में और सही दामों पर उलब्ध कराने की व्यवस्था करे। अभी तो खाद की कमी है और ब्लैक मार्केटिंग होती है जिससे गरीब किसान को बहुत असुविधा होती है। इसलिये सरकार को ऐसी पालिसी बनानी चाहिये कि गरीब किसान को समय पर खाद मिल सके और जिसके परिणामस्वरूप ज्यादा मात्रा में चावल का उत्पादन हो। हमारे यहां पुरानी व्यवस्था रही है जिसकी वजह से किसानों को चावल निकालने में बहुत दिक्कत होती है। पहले से एक पंरपरागत तरीका रहा है जिसमें घर-घर में ओखली में मूसल से कूट-कूट कर धान निकालने का काम करते हैं। उसना और आखा दो तरह के चावल होते हैं। हमारे खेत-खलिहानों में उत्पादन करने वाले जो किसान-मजदूर हैं, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब लाइसेंस खत्म हो रहा है और इस तरह से जो मिलें बिहार में और पूरे देश के पैमाने पर खुलेंगी तो किसान को चावल निकालने में जो ज्यादा मेहनत लगती है, उनकी मेहनत बचेगी और अधिक से अधिक अच्छे ढंग से चावल का उत्पादन वे कर सकेंगे। सरकार यह जो बिल लाई है, इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर देश में मिलें खुलेंगी और बेरोजगारी दूर होगी। एक मिल खुलने की वजह से उसमें कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसलिए कई मायनों में यह बिल स्वागत योग्य है। मशीन के माध्यम से जो भूसी बनेगी, कई औद्योगिक चीजों में भूसी का उपयोग होता है। पशु-आहार में उसका उपयोग हो सकेगा और कई तरह से लाभ होंगे। यह बिल स्वागत योग्य है, इसलिए मैं इस बिल का भरपूर स्वागत करते हुए सरकार को पूरी बधाई देना चाहता हूँ इस निवेदन के साथ कि धान का उत्पादन करने वले जो किसान-मजदूर हैं, उनको और प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग दें ताकि खेत और खलिहान में पूरे देश के पैमाने पर जो किसान लगे हुए हैं, उनका उत्साहवर्धन हो सके और अधिक के अधिक धान और चावल का उत्पादन वे कर सकें तथा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदया, धान कुटाई उद्योग (विनियमन) निरसन विधेयक, 1996, जिस पर सदन में चर्चा हो रही है, का मैं समर्थन करता हूँ।....*(व्यवधान)* पूरा नालन्दा धान का राइस बाउल है। हमारे यहां बाल भी है और चावल भी है।....*(व्यवधान)* वहां सब चीजें होती है। मैं इस बिल का स्वागत करना चाहता हूँ।

सभापति महोदया, मुझे कुछ बातों पर आश्चर्य होता है। इतना बढ़िया बिल सरकार लाई है, लेकिन इस बिल के पक्ष में ढंग से अपनी बात भी मंत्री महोदय नहीं रख पाए। इस बिल को दिलीप कुमार राय जी को रखना था। पता नहीं वह कहां हैं, किस कारण से उपस्थित नहीं हैं? मंत्रिमंडल में तो होंगे ही अगर नहीं होते तो अखबारों से मालूम हो जाता। लेकिन उनके कार्यकाल की जो उपलब्धि हो सकती थी, इस उपलब्धि के वक्त भी यह यहां गैर-मौजूद हैं और उनकी तरफ से विधि मंत्री ने इस बिल को पेश किया है। वैसे तो यह पुराना कानून है और उसको रिपील कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि विधि मंत्री को इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। "पढ़े फारसी और बेचे तेल" - कानून पढ़कर इस बिल का क्या मर्म है, क्या राज है, क्या रहस्य है, वह नहीं समझ पाए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : विधि मंत्री उत्तर देंगे

श्री राम कृपाल यादव : मैं बताऊं कि विधि मंत्री कानून के ज्ञाता तो हैं, किसान भी हैं और इनको जानकारी है।... *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : वह पता चल गया। किसान होते तो इस पर एक अच्छी तकरीर करते। इसके बारे में आज से नहीं, एक जमाने से किसानों की ओर से मांग हो रही है। किसान संगठनों की ओर से मांग हो रही है, चाहे वह किसी पार्टी से संबंधित हों या न हों। राम कृपाल जी बोल रहे हैं। आपके और हमारे नेता श्री वी.पी. सिंह जी रहे हैं। वह भी इसकी एक जमाने से मांग करते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब गेंहू का आयात हो रहा था तो हम लोग उसके विरोध में बंदरगाह पर सत्याग्रह करने के लिए गए थे। खैर, उसकी चर्चा करने से अब क्या फायदा, अब आप उसको आयात करने जा रहे हैं। पहले उसका विरोध करने गए थे और अब आयात करने जा रहे हैं। उस मामले की कसौटी पर आपको क्या कसा जाए।

खुद कभी-कभी हैरानी और परेशानी होती है और अफसोस भी होता है। यह इतना अच्छा विधेयक है और इसकी मांग सब तरफ से होती रही है। किसान संगठनों की तरफ से और जिनकी कृषि में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी है, उनकी तरफ से भी मांग होती रही है। जब भी कृषि मंत्रालय पर बहस हुई है, तभी इस सदन में एक नहीं, अनेक माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की है। जब से स्टैंडिग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर बनी है उसमें भी इस पर चर्चा होती रही है कि इसको तो हटाया जाना चाहिए। और जब इस बिल को एक्ट को आप रिपील कर रहे हैं। तो इस बिल पर जरा ढंग से चर्चा करते, इतने खुश्क ढंग से आप खड़े हुए और ऑब्जेक्शंस और रीजन्स में जो बात थी उसी का एक-एक जुमला आपने पढ़ दिया। आप अपनी उपलब्धियों का भी बखान नहीं कर पा रहे हैं। जब कि प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं कि वह एक विनम्र किसान हैं। जब विनम्र किसान के समय में अगर यह आ रहा है तो आप कैसे विनम्र वकील हैं कि आप इसकी वकालत भी सही ढंग से नहीं कर पाये। मुझे इसका आश्चर्य और परेशानी हुई कि सरकार कैसे चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार है ही नहीं।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदया, माननीय सदस्य बिल पर बोल रहे हैं या पोलिटीकल भाषण कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी इसके विषय पर कोई विशेष जानकारी नहीं है। यह बिना बहस के पास करने लायक विधेयक है।

श्री नीतीश कुमार : मैं बिल पर ही बोल रहा हूँ। हाँ, बिल बिना बहस के पास करने लायक है इसलिए तो इस पर और ज्यादा बहस करके इसके बारे में सदन के माध्यम से जानकारी देनी चाहिए। देश को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। यह बिना बहस के पास होना चाहिए और इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर अच्छी चीज है तो इसकी प्रशंसा तो होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि बिना बहस के पास होना चाहिए और हम कह रहे हैं कि इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अब जबकि मैं प्रशंसा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो आप कह रहे हैं कि मैं पोलिटीकल भाषण दे रहा हूँ। आप कैसी सरकार हैं, आप न तो अपनी वकालत कर पा रहे हैं और अगर कोई आपका समर्थन करना चाहता है तो उसको कहते हैं कि यह बिना बहस के ही पास कराया जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई सरकार है। यह आपकी गवर्नमेंट नहीं है, नॉन-गवर्नमेंट है। मेरा कहना यह है कि यह विधेयक एक अच्छा कदम है, लेकिन सरकार की कोई तैयारी नहीं है कि वह इस विधेयक के बारे में कुछ बोले। कितना अन्याय हो रहा है। एक साधारण बात है कि गांव में किसान अनाज पैदा करता है और उसको उसका लाभ नहीं मिलता है और इस प्रकार इसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट रहने के कारण अगर किसान कुछ करना चाहते हैं तो वह नहीं कर पाते हैं। धान को चावल में बदलकर जो काम करना चाहते थे, उसमें कई प्रकार की बंदिशें लगी हुई थी। जब भी उसका कोई अधिकारी जाता है मुकद्मा दर्ज कर सकता है तो तरह-तरह की परेशानियां होती थी। वैल्यू एडीशन नहीं हो पा रहा था। वैल्यू एडीशन जो किसान के उत्पाद में होना चाहिए और उसको उसका लाभ मिलना चाहिए लेकिन वह लाभ उसको नहीं मिल रहा था। अगर इस तरह का कोई एक्ट नहीं रहेगा जब रिपील हो जायेगा तो इससे उसको लाभ मिलेगा वैल्यू एडीशन होगा और उनके उत्पाद की कीमतें भी बढेंगी और उनका मुनाफा भी बढ़ेगा और किसानों को लाभ होगा। यदि इस तरह इस माने में इसकी जरूरत थी और यह बिल लाया गया है लेकिन जब इस मौके पर लाया गया है और यह सरकार जब कोई काम कर रही है तो वह उसके बारे में ठीक ढंग से नहीं बता पा रहे हैं। आज ही हम लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा है। अब किस तरह से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या इनका फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ महकमा काम करता है। अभी गेहूं की थोड़ी कम उपज हुई तो गेहूं का आयात कर रहे हैं उससे किसानों की कमर टूटेगी, वह तो अलग विषय है। अभी जो चावल की चर्चा चल रही है, वैल्यू एडीशन की बात है, जिसकी चर्चा श्री राम कृपाल यादव जी ने की, उन्होनें 'उसना' चावल की चर्चा की। आपने आज के अखबार में पढ़ा होगा कि उसकी पेटेंटिंग किसी दूसरे देश की कम्पनी ने बाहर के मुल्क में करा ली है। वे क्या जाने 'उसना' चावल का हाल। हमारे यहां दक्षिण भारत, पूर्वी भारत के लोग इसको खाते हैं। हमारे यहां पटना के पश्चिम में देखेंगे तो लोग 'अरवा' चावल खाते हैं और उसके आगे जायेंगे तो 'उसना' चावल खाते हैं। यानी धान को उबालकर, सुखाकर जब उसको कूटा जाता है तो उससे 'उसना' चावल निकलता है, उस चावल के पेटेंट के बारे में अखबार में लिखा है। आप जो अच्छा काम कर रहे हैं तो जरा किसान को बचाइये। राइस मिलिंग को अपने रेगुलेशन से फ्री कर दिया, अब कोई भी आदमी अपना काम कर सकता है। वैल्यू एड कर सकता है। यह काम करेगा। लेकिन इसके बाद जो दूसरी बंदिशें आपकी

[श्री नीतीश कुमार]

आ रही हैं। मंत्री जी ने चिड़चा की चर्चा कर दी, तो मैं कहना चाहता हूं कि वह 'चिवड़ा' का भी है और 'उसना' का भी है। आपने अच्छा काम किया लेकिन यह क्या हो रहा है। यह केलॉग कम्पनी अमरीका की है, वह यह कॉर्न फ्लेक्स तो बेच रही थी, अब सुना है कि विदेशी कम्पनी यहां धान का चिवड़ा बनाकर बेचेगी।

आप सोचिए कि क्या अमरीका के किसी आदमी ने धान का चिड़वा खाया है। हमारे देश में कुछ लोग दही को योगहार्ट कहकर बेच रहे हैं। जबकि एक जमाने से वह दही था, आज योगहर्ट हो गया। अब उसके पेटेन्टिग की बात हो रही है। चूंकि यह बिल चावल से संबंधित है, इसलिए हम सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे क्योंकि सरकार सोई रहती है, सरकार को कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है या जान-बूझकर सब कुछ होने दे रही है। एक तरफ देश के दरवाजे और खिड़कियां विदेशों की बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोल दिए गये हैं, कन्ज्यूमर सेक्टर में सब लोग चले आ रहे हैं, जिससे देश का नुकसान ही नुकसान है क्योंकि यहां से मुनाफा कमाकर वे पैसा अपने देशों में ले जाएंगे। चूंकि चावल के चिड़वे की पेटेन्टिंग कुछ विदेशी कम्पनियां दूसरे देशों में करवा रही हैं, इसलिए हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जहां आप इस बिल के माध्यम से एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, जिसकी हम तारीफ करते हैं लेकिन एक तरफ जहां इससे हमारे किसानों को फायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ से पेटेन्टिंग की बात हुई है, समाचार पत्रों में उसका जिक्र आया है, हम भारत सरकार से जानना चाहते हैं कि वस्तुस्थिति क्या है। यह सरकार देश के किसानों के हितों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाएगी? बाहर जिस तरह से पेटेन्टिंग की बात हो रही है, क्या सरकार उसका विरोध करती है? इन चीजों की पेटेन्टिंग न हो पाए, इस दिशा में क्या सरकार कुछ कारगर कदम उठाएगी? इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश के लोगों को क्या सरकार आश्वस्त करेगी?

अगर घर में कोई भात बनाकर खायेगा या होटलों में बॉयल्ड राइस बिकेगा, उस पर अगर पेटेन्टिंग लग जाएगी तो पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाए। हो सकता है कि जो स्थिति पैदा हो रही है, अगर हम अपने घर में चावल का भात बनाकर खायें, उबाल कर खायें, अगर उसकी बाहर पेटेन्टिगं हो चुकी है, तो उसका क्या फाल-आउट होगा - इस बारे में, हम सरकार से जानना चाहेंगे।

आज जब एक अच्छा काम हो रहा है, उसके साथ-साथ हम चाहेंगे कि इस संबंध में जानकारी सरकार की तरफ से दी जाए तो बेहतर होगा - क्या सरकार की तरफ से इसके लिए तैयारी की गई है या नहीं। सदन में एग्रीकल्चर मिनिस्टर मौजूद नहीं है। पेटेन्ट लॉ के बारे में यहां पहले चर्चा हुई थी, हम जानना चाहते हैं कि सरकार इस बारे में क्या करना चहती है। हम मुनासिब समझते हैं कि इस समय ऐसे सवाल को आपके सामने रखा जाए ताकि उसका प्रत्युत्तर सरकार की तरफ से आ सके, सरकार अपनी तरफ से रेस्पौंस दे सके।

इन शब्दों के साथ, जहां हम सरकार द्वारा लाए गए बिल का समर्थन करते हैं, वहीं सभापति जी हम आपका संरक्षण चाहेंगे कि जिन मुद्दों को हमने यहां उठाया है, चूंकि चावल से संबंधित यह विधेयक है, आप किसानों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हो रही हैं, उन पर सरकार की तरफ से स्थिति साफ हो जाए, यही हमारी दरख्वास्त है। इसी के साथ, मैं समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इसे पेश करने में इतना विलम्ब क्यों किया गया है। इस अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव दो या तीन वर्ष पहले किया गया था। समाचार पत्र से मुझे पता चला है कि इस सम्बन्ध में निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा 1995 में लिया गया था। 1995 में मंत्रिमंडल ने धान कुटाई-उद्योग अधिनियम 1995 को स्वीकृति प्रदान की थी।

अतः, इसे बहुत पहले सभा के समक्ष जाना चाहिए था। यह विधेयक है भी 1996 का। मैंने इस प्रक्रिया के प्रति अपनी चिन्ता पहले ही अभिव्यक्त कर दी थी कि किस तरह से यह विधेयक बनाया गया इस पर विचार किया गया और सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वास्तव में, इस पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। अगर आवश्यकता पड़े तो सभा की बैठक लम्बे समय तक भी बुलाई जा सकती है। लम्बे समय का अर्थ दिन के घंटे नहीं, बल्कि दिन माने जाऐं। यह तो निरर्थक है क्योंकि 1995 में ही मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृति दे दी थी पहले इसका प्रारूप तैयार किया गया फिर विधेयक 1996 के आरम्भ में तैयार किया गया। अब 1997 में हम इस पर विचार कर रहे हैं।

शुरू में इस विधेयक को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य यह देखना था कि धान कुटाई उद्योग का विकास अव्यवस्थित ढंग से न हो और साथ ही उसका आधुनिकीकरण भी हो। अब वास्तविकता यह है कि यदि चावल मिलों में आधुनिक उपकरण नहीं लगाए जाते हैं तो यह राष्ट्र के लिए नुकसानदायक होगा।

जापान में धान से चावल की प्राप्ति की दर 82 प्रतिशत से भी अधिक है। यदि हम मिल में 100 कि.ग्रा. धान डालें तो हमें 82 कि.ग्रा. चावल प्राप्त होते हैं। परन्तु भारत में पुरानी मिलों में यह दर 64-65 किलो था और उससे भी पुरानी मिलों में यह 40 कि.ग्रा. से भी कम था। इसीलिए इस आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। इस अधिनियम का भी, जिसे हम आज निरस्त करने जा रहे हैं। मख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण अव्यवस्थित विकास नहीं तथा उद्योग का वैज्ञानिक तरीके से विकास करना था।

इस समय देश में धान कुटाई की क्षमता अनुमानतः 184.2 मिलियन टन प्रति वर्ष है और उसकी क्षमता, लगभग 53.2 प्रतिशत

को उपयोग में लाया जा रहा है। अतः, सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है। बहुत सी मिलें अपनी सम्पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर रही हैं। जैसा कि श्री नीतीश कुमार ने पहले भी कहा है। मैं मंत्री महोदय से तुरन्त इस विषय में तुरन्त उत्तर की अपेक्षा नहीं करता क्योंकि उनके पास विधि न्याय, और कम्पनी कार्य विभाग हैं। हो सकता है कि उनके पास इस सम्बन्ध में जानकारी हो फिर भी हो सकता है कि उन्हें एफ.सी.आई. मिलों के कार्यकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी न हो।

भारतीय खाद्य निगम के पास बहुत-सी आधुनिक और महंगी मिलें थी। भारतीय खाद्य निगम ने 1968 से 1977 के बीच 25 आधुनिक चावल मिलें स्थापित की। नौ वर्ष के अन्तराल में 25 आधुनिक चावल मिलें लगाई गई और उनमें से एक मेरे चुनाव क्षेत्र में विश्वप्रसिद्ध हीराकुंड बांध परियोजना के निकट पहाड़ी की ढलान पर बनाई गई। बांध परियोजना पूरी हो गई है। अतः वहाँ आयकर क्षेत्र काफी बढ़ गया और स्वभावतः पैदावार, भी बढ़ गई है। इसी पहलू को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय खाद्य निगम ने हीराकुण्ड में एक अति आधुनिक चावल मिल लगाई। परन्तु इस मिल ने मुश्किल से कार्य किया। उन्हें नुकसान हुआ और उन्होंने इसे निजी लोगों को बेच दिया। उन लोगों ने इससे लाभ कमाया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से एक भी मिल अब भारतीय खाद्य निगम के नियत्रंण में नहीं है। उन्होनें 13 चावल मिलों को बेच दिया है। नुकसान के क्या कारण थे जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः इन चावल मिलों को बेचना पड़ा।

अपराह्न 1.00 बजे

मंत्री महोदय, द्वारा सभा में दिए गए उत्तर के अनुसार, यह मिले की आवश्यकतानुसार कुटाई वाला धान उपलब्ध न होने के कारण हुआ विशेषकर आन्ध प्रदेश और तमिलनाडु में। मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूँ कि धान की आवश्यक मात्रा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई जबकि निजी हाथों में जाने के बाद धान की प्राप्ति होने लगी और ये मिलें फलने-फूलने लगीं। ऐसा एफ.सी.आई. के संयत्रीं और मशीनों के पुराने हो जाने तथा निजी मिल मालिकों की चावल मिलों के आधुनिक होने के कारण हुआ। भारतीय खाद्य निगम की मिलों के असफल होने के कारण बताए गए हैं — पुराने संयत्र और मशीनें तथा बिजली की कटौती। परन्तु अपने देश में तो हम यह जानते ही हैं कि कुप्रबन्धन और लगन की कमी के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्रायः फलते-फूलते नहीं। दूसरी ओर इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है।

शुरू में मैंने कहा था कि इस विधेयक का विरोध करने के लिए कोई कारण नहीं है। हर जगह पर बहुत सी मिलें हैं। मिलों की कुटाई क्षमता अधिक है परन्तु क्षमता का उपयोग कम है। हमें किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपने उत्पाद का स्वयं ही संसाधन कर अपनी इच्छानुसार चावल का विपणन करें। इससे फसल उत्पादकों को लाभ प्राप्त होगा। इस उपाय से सीधे किसानों को लाभ प्राप्त होगा क्योंकि बिचौलिये और निजी मिल मालिकों से बचा जा सकेगा। निःसन्देह, यह शत-प्रतिशत नहीं हो सकेगा, परन्तु कुछ क्षेत्रों में कुछ सीमा तक तो यह हो ही सकता है।

मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें। यह बड़ी आधुनिक मिलों का प्रश्न नहीं है। स्वभावतः वह धनी व्यापारियों का कार्य-क्षेत्र है। यह छोटे मिल-मालिकों का प्रश्न है। कुछ प्रभावशाली उत्पादक भी छोटे क्षेत्रों में भागीदारी के आधार पर छोटी मिलें स्थापित करने का प्रयत्न कर सकते हैं। उन्हें प्रोत्साहन देना होगा। इसके लिए एक योजना भी तैयार की गई थी।

सभापति महोदय : श्री पाणिग्रही जी, बस करें। अब एक बज गया है। क्या आप अगले दो मिनट में अपना वक्तव्य पूरा कर लेंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं, पाँच मिनट में समाप्त कर लूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है, पांच मिनट में समाप्त कर लें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इस 'हुलर' योजना से कृषक वर्ग अधिक लाभान्वित होगा। विद्यमान चावल मिलों को आधुनिक बनाने के लिए एक राजसहायता योजना भी आरम्भ की गई थी। इसकी वर्तमान स्थिति मुझे पता नहीं है। मैं, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें, कि इन 'हुलरों' को आधुनिक बनाया जाए। अन्यथा चावल की प्राप्ति बहुत कम होगी। टूटे चावलों की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसके कारण हानि होगी। यदि प्राप्ति-दर कम होगी, तो यह राष्ट्रीय नुकसान होगा।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान एक कहावत बहुत प्रसिद्ध थी। कुटी खाओ, काटी पिन्हों और महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक इस स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी इसी आर्थिक दर्शन के समर्थक थे। साथ ही ब्रिटिश शासन को इससे गहरा धक्का पहुंचा। अंग्रेज व्यापारी बुनकर भारत में व्यापार करने के इरादे से आए और उन्होंने यहां ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना की। उन्होंने यहां के सारे व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया।

इसी कारण, गांधीजी ने कहा कि हमें समस्त विदेशी माल, विदेशी कपड़े आदि का बहिष्कार करना चाहिए और मिलों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सब पर इस बात के लिए जोर डाला कि वे हाथ से कूटे चावल का इस्तेमाल करें क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवसथा में इसकी मुख्य भूमिका थी। निःसन्देह, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाथ से कूटने की प्रथा तब लुप्त प्रायः हो गई थी। इसके स्थान पर, छोटे किसानों सहित सभी भूसा निकालने वाली मशीनें लगाने लगे हैं। वही हाल बुनाई का है। इसीलिए गांधी जी ने कहा ''कुटी खाओ कटी पिन्हो''। इसका

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

अर्थ है, अपना कपड़ा खुद बुनो। इसी कारण विदेशों से बकिंघम पैलेस लंदन से आने वाले कपड़े को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जला दिया गया। हमें शब्दों के जाल में नहीं फंसना चाहिए, अपितु आज की स्थिति को उसमें निहित भावना को समझना चाहिए।

गांधीवाद, गांधी का आर्थिक दर्शन तथा गांधी की अर्थनीति कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते। समय के किसी भी दौर में इसकी प्रांसगिकता बनी रहेगी विशेष रूप से जब देश में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि गांधी दर्शन की अर्धनीति आज भी अत्यधिक प्रासंगिक बने हुए हैं।

खरीद के विषय में दो शब्द कह कर मैं अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। यह वह क्षेत्र है जिसमें व्यापारी उत्पादकों का बहुत शोषण करते हैं। भारतीय खाद्य निगम उड़ीसा सहित अनेक राज्यों में एकमात्र खरीददार एजेंट है। परन्तु भारतीय खाद्य निगम विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकों से सीधे खाद्यान्नों और धान इत्यादि की खरीद नहीं करता। इसके स्थान पर वे पुनः चावल मिल-मालिकों को अपना उप-एजेंट बना लेते हैं। कम-से-कम भारतीय खाद्य निगम में कुछ ऐसे बिचौलिए होने चाहिए जो उत्पादकों से सीधे खरीद करें।

मूल्य वृद्धि की जांच करने और मजबूरन बिक्री न हो इसे सुनिश्चित करने में यह काफी सहायक होगा। दूरवर्ती क्षेत्रों में जहां अच्छी संचार सुविधाएं नहीं हैं, अच्छी सड़क संचार सुविधाएं नहीं हैं वहां मजबूरन बिक्री करवाने की शिकायतें मिलती हैं। भारतीय खाद्य निगम का मजबूरन बिक्री तथा किसानों पर किए जाने वाले शोषण को रोकना होगा। अतः भारतीय खाद्य निगम को इस तरह से व्यवहार करना होगा कि उसे उत्पादकों तथा कृषकों का हितैषी समझा जाए। आज स्थिति यह नहीं है। वसूली मूल्य तथा बेचे जाने वाले मूल्य में काफी अन्तर है। धान को प्रति क्विंटल के हिसाब से एक निश्चित मूल्य पर खरीदा जाता है, तत्पश्चात यह प्रसंस्करण प्रणाली से गुजरता है। फिर इसे पीसा जाता है और वाहनों द्वारा आपूर्ति के लिए विभिन्न केन्द्रों पर ले जाया जाता है। जब तक यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा निर्धन लोगों तक पहुंचता है, इसका मूल्य लगभग दुगुना हो जाता है। मूल्य इतना अधिक नहीं होना चाहिए। अतः सीधा कृषकों से धान की खरीद का उदारतापूर्वक प्रावधान होना चाहिए। ताकि उन्हें अधिक मूल्य मिल सके।

दूसरा, धान की कुटाई करने वाले भी होते हैं, वे इसे कूटते हैं और ले जाते हैं। उनकी अपनी मिलें हैं और वे धान की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त एजेन्ट होते हैं। ने वसूली नहीं करते हैं और वे उत्पादकों द्वारा चावल की खरीद को बढ़ावा नहीं देते हैं। वे उसे अपनी मिलों में ले जाते हैं, उसे कूटते हैं और उन्हें कूटने का मूल्य मिलता है, और दो बार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का भी मूल्य मिलता है। यह सब हो रहा है। अतः एक ओर यह धान कूटने वाले हैं और दूसरी ओर खाद्यान्न की खरीद करने वाले भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त एजेन्ट हैं।

इसलिए वे चावल की खरीद को बढ़ावा नहीं देते हैं। लेकिन वे धान पर जोर देते है। ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल इन सब पहलुओं पर ध्यान देते हुए अब हम इसे रद्द कर रहे हैं और बिना किसी लाइसेंस और कहीं से किसी नियंत्रण के बिना अधिक मिलें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम इस पर ध्यान नहीं देते और उत्पादों द्वारा केवल चावल के रूप में वसूली के लिए पर्याप्त प्रावधान देते हैं तो शोषण होगा और यह शोषण बढ़ता जायेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसमें कोई विवाद नहीं है लेकिन जिन मुद्दों का मैंने उल्लेख किया है, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उन्हें कृषक समुदाय के हित में कोई हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।

अपराह्न 1.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.20 बजे

मध्याह्न् भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.20 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री पी.सी. चाको *पीठासीन* हुए]

धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) निरसन विधेयक - *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम धान कुटाई उद्योग (विनियमन) निरसन विधेयक, 1996 पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं। श्री अनंत गंगाराम गीते।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति जी, धान कुटाई उद्योग (विनियमन) निरसन विधेयक, 1996 का मैं समर्थन करता हूं। इस विधेयक से कई सालों पुरानी किसानों की मांग पूरी होने जा रही है। मैं महाराष्ट्र के कोंकण प्रान्त से चुन कर आया हूं। पूरा प्रान्त जहां पर चावल की खेती होती है वहां प्रमुख मिलें

चावल की हैं। कई सालों से छोटे-छोटे किसानों की यह मांग थी कि वहां चावल मिलें खोली जाएं। हमने राइस मिलें खोलने के लिए जो नियम बनाए थे, उसमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पारम्परिक पद्धति के अनुसार धान से चावल बनता है। इससे बहुत भारी नुकसान किसानों को होता है और चावल की अच्छी क्वालिटी नहीं बन पाती है। धान कुटाई के उद्योग में जो नए-नए उद्योग लगाना चाहता है, इस विधेयक के द्वारा उनके लिए रास्ता खोला गया है। इससे किसानों को भारी राशि लाभ मिलने वाला है। धान से चावल बनाने की जो पारम्परिक पद्धति है, इसके माध्यम से 60 परसेंट चावल नहीं मिलता है। अब नई तकनीक अपनायी जाने वाली है और नए उपकरणों का उपयोग होने जा रहा है। इससे इसकी उत्पादकता में बढ़ोतरी होने वाली है। 40 परसेंट चावल का जो नुकसान हो रहा है, वह 40 से 15 परसेंट हो जाएगा। अब हमें 80-85 परसेंट चावल मिलेगा। इसका एक लाभ तो यह होगा और दूसरा लाभ यह होगा कि चावल की अच्छी क्वालिटी मिलेगी। राइस मिलें न होने के कारण किसानों को बहुत नुकसान होता था। पूरे ताल्लुका जिस को तहसील कहते हैं, वहां शायद एक राइस मिल होती है। किसान राइस मिल तक पहुंच नहीं पाता। वे अपने घर का अनाज बाजार में नहीं बेच सकते लेकिन आज इस विधेयक के जरिये नई मिलें खुलने से उनको लाभ होगा। नये उद्योगों को अच्छा मौका मिलने वाला है। इससे अच्छे दर्जे का चावल भी बाजार में आ जायेगा। यदि घर के पास चावल मिल होगी तो किसान को अपना अनाज ले जाने में आसानी होगी और बाजार तक भी ले जा सकेगा। इससे उसको अपनी फसल का अच्छा दाम भी मिल सकेगा। हमारे देश में और विशेषकर हमारे महाराष्ट्र के कोंकण और विदर्भ क्षेत्र में चावल की अच्छी खेती होती है, इस विधेयक के द्वारा उनको अच्छा लाभ मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, यह धान कुटाई उद्योग (विनिमय) विधेयक 1958 का बना हुआ है जिसे 1996 में लाकर निरसन किया जा रहा है। इस विधेयक के लाये जाने से सारे देश के किसान इसकी तारीफ करेंगे क्योंकि जिस चीज की उन्हें आवश्यकता थी, वह इस विधेयक के जरिये प्राप्त हो जायेगी। जब इस देश में इस चीज के बारे में विकास नहीं हुआ था तो गरीब किसान चावल की उपज को निकालने के लिये मूसल का प्रयोग किया करता था। इससे धान का नुकसान भी काफी होता था और जब विकास हुआ तो हलर मशीन आई। जो बड़े किसान थे, वे अपने घर में ही दो-चार सौ क्विंटल चावल निकालने के लिये इसका इस्तेमाल कर लिया करते थे। जो चावल तैयार होता था, वह अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था और हम मार खाते रहते थे। उसके बाद 1958 में यह विधेयक अधिनियमित करने के बाद व्यापक उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया। आप कहते हैं कि 1970 में यह शून्य था जो 1996 में बढ़कर 34163 तक पहुंच गया। इसका कितना विकास हुआ? इतना विकास होने के बाद इसका निरसन कर रहे हैं, यह अच्छी बात है और मैं इसका स्वागत करता हूँ।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब किसानों को इससे लाभ मिलेगा और साथ ही मिल मालिकों को भी फायदा मिलेगा। चावल निकालने के बाद जो कण निकलते हैं, वे भी 400 रुपये क्विंटल के भाव बिकते हैं और जिनसे खाने का तेल पैदा किया जाता है। तीसरी बात यह है कि चावल अधिक मात्रा में पैदा करना होगा क्योंकि जब मिल अधिक खुलेगी तो उसके लिये उत्पादन भी चाहिये। इसके लिये मैं उद्योग मंत्री और विधि मंत्री जी का ध्यान इस बात के लिये खींचना चाहता हूँ।

उद्योग मंत्री और कृषि मंत्री दोनों का आपस में सहयोग हो, जिससे इन मिलों को अच्छे ढंग से हम चला सकते हैं। अगर हम उत्पादन बढ़ाएंगे तभी हम मिल को ठीक ढंग से चला सकते हैं। आज हमारी जमीन को उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी है लेकिन वहां पानी नहीं है। यह किसका काम है? कृषि से संबंधित विभाग के लिए जरूरी है कि उद्योग को सही रूप से चलाने के लिए कृषि को उन्नत करना होगा और अधिक से अधिक कृषि में पैदावार जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक हम इसको सफल नहीं बना सकते हैं। एक बात हमने देखी कि देहातों में चावल निकालने की मशीनों में लोहे की जगह अब रबर लगाया गया है। उससे हमें लगा कि अब जो चावल निकल रहा है, उसके मुकाबले पहले हम कितने नुकसान में थे। 10-15 रुपये उस चावल की कीमत ऐसे ही मिल जाती है। साथ ही साथ उसका वजन भी ज्यादा होता है। पहले उसमें से कुछ हिस्सा कंट-छंट जाता था। वह पूरा का पूरा हिस्सा अब रहता है।

जो बिल मंत्री जी लाए हैं, यह मौजूदा समय में लाए हैं और यह बहुत जरूरी है। आज देश में धान की पैदावार लोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं और उन्नत किस्म के बीच मिल रहे हैं। इससे कृषि में भी हम बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इसका समर्थन करता हूँ।

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले कानून मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने किसानों के हित में और देश के हित में एक बहुत ही ऐतिहासिक बिल सदन के समक्ष पेश किया है।

मान्यवर, पिछली बार हमने इसी सदन में यह मांग की थी कि यह कितना बड़ा अन्याय है हमारे देश के किसानों के साथ कि जब उदारीकरण की नीति बड़े व्यापक पैमाने पर उद्योग-धंधों के क्षेत्र में लागू की जा रही है, ऐसे मौकों पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों

[श्री बृजभूषण तिवारी]

से संबंधित अगर कोई धान की कुटाई की मिल लगाना चाहे तो उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी हो जाता था और उस लाइसेंस को लेने में कितना भ्रष्टाचार था, कितना अन्याय था, वह सभी जानते हैं। इसीलिए हम बराबर इस बात की मांग करते रहे हैं कि कम से कम किसानों को इस प्रकार के कानूनी दांव-पेंच से और कंट्रोल नियमों से मुक्त कर देना चाहिए क्योंकि इससे एक तो चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और किसानों को भी प्रेरणा मिलेगी। उसी के साथ हम यह भी अर्ज करना चाहते हैं कि इसकी तकनीक में भी उत्तरोत्तर विकास होना चाहिए।

यूरोप के देशों में ऐसी छोटी-छोटी कुटाई की मशीनें हैं, जो मोबाइल हैं। छोटी-छोटी गाड़ियों में जाकर मोहल्ले-मोहल्ले में पैसा लेकर वे धान की कुटाई कर देते हैं। इससे बहुत लोगों को रोजगार भी मिलता है। इस प्रकार से जो कानून लाया गया है, यह किसानों के तथा देश के हित में है और अब तक जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को समाप्त करने का यह काम है। इसलिए मैं इस विधेयक का तहे-दिल से समर्थन करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मैं इस विधयेक का समर्थन करती हूं लेकिन दो-चार प्रश्न जो मेरे मन में हैं, उनके बारे में जानना चाहती हूं। खाद्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं जिनको इसका जवाब देना चाहिए था।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय खाना खा रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं नहीं जानती कि वे खाना खा रहे हैं। मैं नहीं जानती कि वे कहां हैं.....*(व्यवधान)*

विधि मंत्री इस विधेयक पर की जा रही चर्चा का जवाब देने जा रहे हैं। मेरे विचार में यह बेहतर होता यदि खाद्य मंत्री इस चर्चा का उत्तर देते...*(व्यवधान)* इस विधेयक पर चर्चा का जवाब आपके द्वारा दिए जाने में कोई नुकसान नहीं है। ऐसी कोई संवैधानिक रुकावट नहीं है। लेकिन फूड मिनिस्टर को इसके लिये यहां पर रहना चाहिए था और बात को इतने साधारण ढंग से नहीं लेना चाहिए था।

[हिन्दी]

सर, यह बात ठीक है कि मेरा अनुभव कम है। लेकिन मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना, हर एक ने इसका स्वागत किया है, यह अच्छी बात है। लेकिन मेरे इसमें दो-तीन प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं।

प्रथम तो यह है कि अगर राइस मिल से आप कंट्रोल उठा लेते हैं, डीलाइसेंसिंग कर लेते हैं तो इससे धनवान किसानों को ही फायदा होगा। इसका फायदा गरीब किसानों को भी हो सकता है अगर आप कोआपरेटिव के माध्यम से उनको मदद करें। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने कोआपरेटिव मूवमेंट के द्वारा उन्हें मदद दी है। गुजरात में भी कोआपरेटिव मूवमेंट के द्वारा उन्हें बहुत मदद मिली है। एक मिल का मॉडर्नाइजेशन करने में बहुत रुपया लगता है। अगर एक छोटे से मिल की भी सोचें तो कम से कम 25 लाख रुपये लगेंगे। तो एक गरीब किसान कैसे 25 लाख रुपये की सोच सकता है। इससे बड़ी मदद लेंगे जिनके पास कालाधन है। अगर आप कोआपरेटिव मूवमेंट मजबूत नहीं बनायेंगे तो यह नहीं हो सकता है। कोआपरेटिव मूवमेंट हमारे देश में पीछे जा रहा है। आप कोआपरेटिव मूवमेंट के द्वारा किसानों को एकजुट करिये। अगर पंचायत राज के मुताबिक सरकार के द्वारा को मॉनीटरिंग सिस्टम बनाये तो आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अगर आप यह नहीं करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से गरीब किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह बात सच है कि राइस मिल हमारे देश में बहुत कम हैं और इसके लिए सरकार को कोआपरेटिव के द्वारा काम कर सकती है। सरकार को गरीब किसानों को बैंकों के द्वारा ऋण चार परसेंट इंटरेस्ट पर दिलाना चाहिए। गरीब किसानों में आज बेरोजगारी बढ़ रही है, आप इस तरह उनकी मदद कर सकते हैं सबको नौकरी तो मिल नहीं सकती है लेकिन अगर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनको मदद मिल तो सौ आदमी एक साथ जुटकर कुछ काम कर सकते हैं।

मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि सरकार का एक मॉनीटरिंग प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि इसका मिसयूज न हो सके। अगर आप डीलाइसेंसिंग करते हैं तो जिसके पास कालाधन है वह इसका फायदा लेगा, लेकिन आप जिनके लिए करेंगे उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा।

आज हमारे देश में मंहगाई बहुत बढ़ रही है। राशन सिस्टम आज केन्द्र सरकार के पास नहीं है, वह राज्य सरकार के पास है। आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देखिये चावल, चीनी, गेंहू कुछ नहीं मिलता है। आप लोग कहते हैं कि बिलो पावर्टी लाइन के लोगों के लिए लाल कार्ड बनेगा, पीला कार्ड बनेगा, हरा कार्ड बनेगा। आप कैसा डिस्क्रीमिनेशन करने जा रहे है, मुझे मालूम नहीं है।....*(व्यवधान)*

खाद्य प्रंसस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : क्या आपके पास राशन कार्ड है?

कुमारी ममता बनर्जी : हाँ, मेरे पास राशन कार्ड है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री पी.सी. चाको) : हमारे पास बहुत सीमित समय है। कृपया प्रश्नों का उत्तर नहीं दीजिए। कृपया समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रही हूँ, लेकिन वे सुन नहीं रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात कहिए। वे सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राज्य सरकार के हाथ में है लेकिन आज जो सिचुएशन है, राशन में कोई चीज नहीं मिलती है। सरकार ने डिसीजन लिया था कि 26 जनवरी से जो गरीबी की रेखा से नीचे 35 प्रतिशत लोग हैं, उनके लिये नये कार्ड बनेंगे और उसके बाद आप उन्हें आधे दामों पर दो-दो किलो चावल देंगे। लेकिन आप देखिये किस-किस राज्य सरकार ने इसको इम्पलीमेंट किया है, हमारी स्टेट ने नहीं किया है और पता नहीं किस-किस राज्य सरकार ने इसको इम्पलीमेंट किया है। अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट को किसी पॉलिसी को कामयाब करना है तो आपको उसकी मॉनीटरिंग करना जरूरी है। जब पैसा मिलता है तो वह क्यों नहीं होता है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमें उस मामले पर चर्चा के लिए बाद में समय मिलेगा। कृपया इस विधेयक पर चर्चा कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं, इस विधेयक पर ही चर्चा करने जा रही हूँ। यह इस विधेयक से ही संबंधित है।

सभापति महोदय : नहीं।

कुमारी ममता बनर्जी : जी, हाँ। यह बात इस विधेयक से संबंधित है।

सभापति महोदय : सार्वजनिक वितरण प्रणाल एक भिन्न बात है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : राइस इसी में आता है। आज लागों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत चावल नहीं मिलता, गेहूं नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। इस बिल के जरिए आप जो नई व्यवस्था करने जा रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि गरीब लोगों के कार्ड कैसे बनेंगे, उसका कोई जिक्र इसमें नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात नहीं कीजिए। वितरण के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आपको केवल धान की कुटाई के बारे में चर्चा करनी है। क्या आपने अपनी बात समाप्त कर ली है।

[हिन्दी]

कुमारी ममती बनर्जी : मुझे इस बिल पर ज्यादा नहीं बोलना है लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि जो व्यवस्था आप इस बिल के जरिए करने जा रहे हैं, उसका किसी तरह से मिसयूज नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट उसकी मॉनीटरिंग करे, को-आपरेटिव मूवमेंट से इसे जोड़ दे जिससे हमारे किसानों को सही मायने में चावल की सही कीमत मिल सके, फायदा मिल सके। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति जी, मैं धान कुटाई उद्योग (विनियमन) निरसन विधेयक का समर्थन करता हूँ और चूंकि कम समय में अपनी बात समाप्त करने का मुझे निर्देश मिला है, इसलिए ज्यादा न कहते हुए इतना अवश्य कहूंगा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस बिल के संबंध में यहां जो विचार व्यक्त किए, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। इस विधेयक के जरिए जो सबसे अच्छी बात होने जा रही है, वह यह कि पहले हमारे गांव में धान कुटाई में काफी समय बर्बाद होता था, ढेंकी के जरिए गांवों में औरतें दिन-रात मेहनत करके, धान की कुटाई करके चावल निकालती थीं। इस बिल के पास होने के बाद, जब देश में चावल मिलों का प्रसार होगा, चावल मिलें बढ़ेगीं तो उससे चावल कुटाई में लगने वाला काफी समय बचेगा, श्रम-शक्ति बचेगी। इस बिल के पास होने के बाद जहां देश में चावल मिलें बढ़ेगी, वहीं लोगों को उनके जरिए रोजगार भी मिलेगा।

हमारे देश में अधिकांश लोग चावल खाते हैं। चावल की कुटाई का काम जब पहले गांवों में या छोटी-छोटी मिलों में होता था तो उसमें 40 प्रतिशत तक चावल टूट जाता था, जिसे 'खुदी' कहा जाता था। उस 'खुदी' को खाने के लिए हमारे देश में गरीब लोग मजबूर होते थे, वे खुदी खाते थे। एक लाभ चावल मिलें बढ़ने से यह होगा कि अब चावल बहुत नगण्य मात्रा में टूटेगा, खुदी की मात्रा कम होगी जिससे लोगों को खुदी खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा - यह इस विधेयक की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

यद्यपि मैं इस विधेयक पर कुछ और भी बोलना चाहता था लेकिन समयाभाव के कारण इसका समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ और विधेयक को सदन में लाने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : धन्यवाद, चर्चा समाप्त होती है। अब विधि मंत्री जवाब देंगे।

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : अन्त में, मैं सभी सदस्यों को आभार व्यक्त करता हूं जिन्होनें तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन किया है।

श्री नीतीश कुमार जी द्वारा विशेष रूप से कुछ मुद्दे उठाए गए हैं जो कि इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय मेरे द्वारा तैयारी न करने जैसे मुद्दे उठाकर मेरे खिलाफ काफी कुछ कहा। हमारे विद्वान सदस्य श्री नीतीश कुमार के वक्तव्य से मुझे दुख हुआ है। और वैसे मैंने इस विधेयक में जो कुछ कहा है अथवा इस विधेयक के जो मूल उद्देश्य सभा के समक्ष रखे गए हैं उसके बारे में उनका वक्तव्य सुनने को मैं बहुत उत्सुक था।

महोदय, इसलिए मैंने स्थायी समिति की रिपोर्ट पढ़ी इसके सभापति मेरे मित्र श्री नीतीश कुमार थे और मैंने इस पूरी रिपोर्ट पर जिसमें लगभग 23 पृष्ठ हैं एक घंटे का समय लगाया है मैंने देखा कि माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार ने उस भारी रिपोर्ट में भी किसी अन्य पहलू का हवाला नहीं दिया जिसका मैंने इस विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए सभा को अनुरोध करते समय उल्लेख नहीं किया है।

वास्तव में, इस रिपोर्ट में आधे भाग में एक पुराने अधिनियम अर्थात 1958 विनियमन की प्रति शामिल है। उसके पश्चात् वास्तव में केवल एक पैराग्राफ को ही उद्धरित किया जा सकता है। यह पैराग्राफ 19 है और यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं यह पैराग्राफ पढ़ूंगा :

> "समिति यह नोट करती है कि सरकार ने धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (आर.एम.आई. अधिनियम) को निरस्त करने के उद्देश्य से धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) निरसन विधेयक, 1995 प्रस्तुत किया है। समिति यह नोट करती है कि धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 को मूलतः धान की पर्याप्त आपूर्ति तथा सभी धान मिलों का आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए धान मिलों की स्थापना को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था।"

वास्तव मैं, आरम्भ में अपनी टिप्पणी में मैंने यही कहा था:

> "सरकार ने समिति को सूचित किया कि आधुनिक धान मिलों की सख्या कई गुना बढ़ गई है। और विधान के अनुसार आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई अनिवार्यता लागू करने की आवश्यकता नहीं है चूंकि अब वाणिज्यिक धान मिल मालिक अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादन को प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने के लाभ जानते हैं। इसके साथ-साथ वर्तमान में आपूर्ति के लिए उपलब्ध धान की मात्रा देश में मांग से कहीं अधिक है। समिति ने यह भी नोट करती है कि 1958 में बने धान कुटाई-उद्योग अधिनियम को हाथ में कुटाई करने वाले उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु लागू किया गया था जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता था। समिति को यह सूचित किया गया कि ग्रामीण विद्युतीकरण के कारण हाथ से कुटाई करने वाले उद्योगों का स्थान आधुनिक धान मिलों ने ले लिया है। और यह उद्योग वास्तव में समाप्त हो रहे हैं और देश में इनकी संख्या न के बराबर है।"

रिपोर्ट में उन्होंने यही कहा था। मैंने भी यही कहा है। 1958 अधिनियम तब लागू किया गया था जब हम परमिट राज के दौर से गुजर रहे थे और सब कुछ नियंत्रण में था। यदि किसी साधारण से व्यक्ति को अपने गांव में कुटाई का धंधा आरंभ करना होता था तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता था। यह और कुछ नहीं, शोषण था। वास्तव में इस विधेयक का निरसर करके सभी प्रकार के नियत्रंणों को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। जो कि धान उद्योग जैसे साधारण उद्योग पर लगाए गए हैं। कृषकों को उदारीकरण की खुली हवा में सास लेने दें। वास्तव में हम सब उदारीकरण के रास्ते पर चल रहे है और इन दिनों 1958 विनियमन जैसे अधिनियम को जारी रखना लोगों की स्वतंत्रता के साथ अन्याय रखना होगा। इसलिए, इस विधेयक का एक उद्देश्य है।

माननीय सदस्य ने पेटेंट विधेयक का भी उल्लेख किया है। मैं नहीं जानता कि यह इस विशेष पहलू के अन्तर्गत कैसे आ गया है। माननीय कुमारी ममता बनर्जी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बारे में पूछा है। ठीक है। जब मूलतः 1958 अधिनियम लागू किया गया था, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भुला दिया गया था। वह दिन थे जब हम इस देश में काफी धान का उत्पादन कर रहे थे। आज हमारे पास अतिरिक्त मात्रा है। अतः कृषकों द्वारा उत्पादित धान न केवल दिल्ली बल्कि इस देश में कोने-कोने तक पहुंचे। जब हम सभी विनियमनों से निपट रहे हैं तो अब कोई कैसे सरकार को निगरानी के लिए कह सकता है। यदि वे सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं तो उन्हें यह कदम उठाने से किसने रोका है?

यदि एक बार नियंत्रण हटा लिया जाता है तो अब हमारे पूरे देश में उद्योग स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों की भिन्न-भिन्न समस्याएं हैं। उन्हें किसी परमिट अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति अथवा लोगों का समूह अथवा सहकारी उद्यम कोई उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो वे ऐसा करके उद्योग शुरू कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को वास्तव में सहकारिता पर बल देना चाहिए और हम सभी लोग काम भी कर सकते हैं।

श्री सैयद मसूदुल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : हमें नकली सहकारी संस्थाओं को भी नियंत्रित करना होगा।

श्री रमाकांत डी. खलप : यह पूर्णतया एक भिन्न बात है। चाहे वह नकली सहकारी संस्था हो या असली, हम उस पर अभी विचार नहीं कर रहे हैं। इसका समाधान किया जा सकता है। इसके लिए एक भिन्न तंत्र है।

अब, इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण विचार बदल गया है और उस समय विद्यमान हाथ से कुटाई करने वाले उद्योगों की अत्यंत आवश्यकता थी। इसके बारे में महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आवाज उठाई थी और श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही द्वारा उठाये गए मुद्दों में से एक महत्वपूर्ण मुद्दा यही था। लेकिन अब समय बदल गया है। हम इन बातों को चालीस वर्ष पीछे छोड़ आये हैं। अब देश के हर भाग में विद्युत उपलब्ध है और हाथ से कुटाई करने वाले उद्योग बेकार हो चुके हैं। अतः, पुरानी बातों से हमें कोई फायदा नहीं है। हमें उस उज्जवल भविष्य की ओर देखना चाहिए जिधर हम अपने देश को ले जा रहे हैं और हमारी यह प्रगति देश के हित में होगी।

यह विधेयक काफी पहले ही पारित हो जाना चाहिए था। काफी समय पश्चात इसे आज लाया जा रहा है। मैं एक बार पुनः सदस्यों को धन्यवाद देते हुए उन्हें उन सदस्यों के साथ जिन्होंने इसका विरोध किया है – यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसानों, आम जनता और इस सभा के सदस्यों को किसी समस्या का सामाना नहीं करना पड़ेगा।

इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से, इस विधेयक पर विचार करने तथा इसे पारित करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : ये तो अच्छे वकील हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार भी संतुष्ट हैं इसलिए यह अच्छा है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : ये तो अच्छे वकील हैं। ये कोई केस नहीं हारेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3, –

"1996" **के स्थान पर** "1997" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (2)

(श्री रमाकांत डी खलप)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, यथासंशोधित रूप में, विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"सैंतालीसवां" **के स्थान पर** "अड़तालीसवां" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (1)

(श्री रमाकांत डी. खलप)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री रमाकांत डी. खलप : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक, यथासंशोधित रूप में पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, इन्होंने एक चीज की सफाई नहीं दी है कि कन्सर्ड मिनिस्टर में क्यों नहीं आये और उनकी जगह इन्हें क्यों मूव करना पड़ा।

श्री रमाकांत डी. खलप : उनकी वैडिंग ऐनीवर्सरी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नीतीश कुमार जी, कारण बड़ा ठोस है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इनको मिनिस्ट्री का चार्ज भी मिल जायेगा।....*(व्यवधान)* इसमें कोई हर्ज नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ऐसे अवसर पर आप किसी को भी माफ कर सकते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथासंशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.53 बजे

[अनुवाद]

नाविक भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक 1996*

राज्य सभा द्वारा यथापारित

सभापति महोदय : अब, हम मद् संख्या 11 को लेंगे। श्री जी. वेंकटरामन टिंडिवनाम नाविक भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, 1996 पर विचार करने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि नाविक भविष्य-निधि अधिनियम, 1966, में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

आपकी अनुमति से, मैं नाविक भविष्य-निधि (संशोधन) विधेयक, 1966 पर विचार करने तथा अनुमोदन का प्रस्ताव पेश करते हुए कुछ शब्द कहना चाहूंगा। नाविक भविष्य-निधि अधिनियम, 1966 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि न्यासी बोर्ड भविष्य-निधि का प्रबन्ध करेगा। अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (3) के उपबन्धों के अनुसार सरकार ने नौवहन महानिदेशक की न्यासी बोर्ड का सभापति नियुक्त किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत नाविक भविष्य-निधि आयुक्त इसके मुख्य कार्यकारी हैं।

नाविक भविष्य-निधि अधिनियम, 1966 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में समय-समय पर कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, धारा 4 के अंतर्गत संगठन के लेखाओं के परिचालन के लिए मात्र एक ही बैंक का नाम-निर्दिष्ट किया गया है। धारा 7 के तहत अधिकतम वेतनमान का उपबंध किया गया है, धारा 8 आदि के अंतर्गत अंशदान की निर्धारित दर दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक पोत नौवहन अधिकारी संगठन यह मांग करते रहे हैं कि उन्हें इस अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाए जिससे कि भविष्य निधि योजना उन पर लागू हो सके। संशोधन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(एक) चालक दल के कतिपय अन्य वर्ग जैसे मास्टर नौ-परिवाहक आफिसर या अभियांत्रिक आफिसर आदि को नाविक (धारा-2) (ख) में संशोधन की परिभाषा के अंतर्गत लाना;

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, खंड 2, दिनांक 21.2.97 में प्रकाशित।

(दो) भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त किसी भी अनुमोदित बैंक में निधि जमा करने की स्वीकृति देना (धारा-4(3) में संशोधन);

(तीन) नाविक भविष्य-निधि कार्यालय में अधिकारियों के रोजगार को सुचारुबद्ध करना (धारा 7(2) और (4) में संशोधन);

(चार) अंशदान की राशि 10 प्रतिशत या ऐसी उच्चदर पर निर्धारित करना जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए (धारा 8 में संशोधन);

(पांच) नियोक्ताओं द्वारा भुगतान की अदायगी न करने पर और अधिक जुर्माने का उपबंध करना (धारा 15(3) और 16(1) में संशोधन)।

इन स्थितियों में मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि नाविक भविष्य-निधि अधिनियम, 1966 में संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री टी. गोविन्दन (केसरगोड़ा) : सभापति महोदय, मैं अपनी दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। नाविकों को मिलने वाली सेवा तथा आर्थिक दशाओं में सुधार की दृष्टि से यह विधान लाया गया है।

हमारे देश में नौवहन उद्योग एक अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह रोजगार की दृष्टि से भी एक बहुत ही क्षमतावान उद्योग है। काफी समय से प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अतः मेरी मांग है कि अधिकतर लोगों को सर्टिफिकेट प्रशिक्षण दिया जाए।

अब नौवहन उद्योग रुग्ण हो गया है क्योंकि इसका विस्तार नहीं हो पाया। यदि हमारी नौवहन कम्पनियों का विस्तार किया जाए तो और अधिक नाविकों को रोजगार दिया जा सकता है। भारतीय नौवहन निगम विस्तार के पक्ष में नहीं है। वे ज्यादा नौवहन नहीं खरीद रहे हैं।

वाणिज्यिक पोत परिवहन के कर्मचारियों को भी नाविक भविष्य-निधि अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाए।

ब्याज की दर में वृद्धि का सुझाव की प्रशंसनीय है। सरकार भारत में, विशेषकर केरल में शिपयार्ड को विकसित करने की दिशा में उदासीन है। कोचीन शिपयार्ड को जहाज के निर्माण या मरम्मत हेतु कोई आर्डर नहीं दिया गया। उपेक्षा की इस नीति में बदलाव लाया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री सामी वी. अलागिरी (शिवकाशी) : सभापति महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सरल विधान का मैं समर्थन करता हूँ और इसे बिना विवाद के पारित किया जा सकता है। परन्तु मैं माननीय मंत्री को एक परामर्श देना चाहता हूँ। मैं माननीय मंत्री का ध्यान ग्रामीण-नौका नाविकों की स्थिति को ओर लाना चाहता हूँ। हमारे देश के समुद्रीतटीय क्षेत्रों में हजारों ग्रामीण-नौका नाविक हैं। उन्हें भविष्य निधि सुविधा प्राप्त नहीं है और उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। उन्हें सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह उनकी दशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इस संशोधन विधेयक में उनके लाभार्थ कुछ प्रावधान करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय : चर्चा समाप्त होती है। मंत्री महोदय अब उत्तर दे सकते हैं। मंत्री महोदय विस्तृत स्पष्टीकरण और उत्तर दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय को एक लंबा भाषण देने के लिए आधे घंटे का समय देता हूँ।

श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे आधे घण्ट का समय दिया। परन्तु इस विधेयक के लिए आधे घंटे की आवश्यकता नहीं है। मैं सभा का समय व्यर्थ नहीं होने दे सकता।

श्री नीतीश कुमार : आप आवश्यक समय ले सकते हैं।

श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन : इस विषय पर उत्तर के लिए इतना समय आवश्यक नहीं है।

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाने और साथ ही प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन के सम्बन्ध में कुछ परामर्श दिए गए हैं; मैं यह कहना चाहूंगा कि सुधारों पर विचार किया जा रहा है और मैं प्रशिक्षण संस्थान के सुधार सम्बन्धी परामर्श पर विचार करूंगा।

जहां तक भारतीय नौवहन निगम के विस्तार का सम्बन्ध है, हमने वित्त मंत्री महोदय को पत्र लिखा है और हम उनसे उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। उनसे उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् विस्तार किया जाएगा।

अपराह्न 3.00 बजे

प्रतिशत की दर के सम्बन्ध में माननीय सदस्य के परामर्श पर भी विचार किया जाएगा।

माननीय सदस्य ने कोचीन शीपिंग यार्ड के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां की हैं जिनके सम्बन्ध में मै यह कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कहने क लिए ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कि मैं इस अनुरोध को ठुकरा सकूं। परन्तु एक मात्र समस्या वित्त पोषण की है। जहाँ तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है, वित्त पोषण ही एक मात्र समस्या है जो कि व्यापक रूप से सामने आ रही है। यदि वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो तो मैं कुछ अच्छा कार्य कर पाऊंगा।

श्री सामी वी. अलागिरी के ग्रामीण नौकाओं और भविष्य निधि इत्यादि के बारे में परामर्शों के सम्बन्ध में, मैं कह सकता हूँ कि उन्हें एक संघ का गठन करना होगा और फिर उन्हें सरकार के पास आना होगा। तभी इस पर विचार किया जाएगा।

इन परिस्थितियों में, मैं अनुरोध करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, सभा जानना चाहती है कि यह संशोधन आवश्यक क्यों हो गए हैं? मात्र कुछ वक्ता होने के कारण आप केवल उन्हीं मुद्दों तक सीमित मत रहिए। आप कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए सभा कारणों को जानना चाहती है।

श्री नीतीश कुमार : आप एक विस्तृत वक्तव्य दें।

श्री टिंडीवनाम जी. बैंकटरामन : श्रीमान्, यह अधिनियम और बातों के साथ साथ यह उपबन्ध करता है कि न्यासी बोर्ड भविष्य निधि का प्रबन्ध करेगा। अधिनियम की धारा (5) की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार सरकार द्वारा नौवहन के महानिदेशक को न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि आयुक्त प्रमुख कार्यकारी हैं।

इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में, समय-समय पर कुछ कठिनाइयों को महसूस किया गया है जैसे कि धारा 4 के अन्तर्गत संगठन के खातों के प्रचालन के लिए मात्र एक बैंक का नाम निर्देशन किया गया है, धारा 7 में वेतनमानों की अधिकतम सीमा को नहीं दिया गया, धारा 8 में अंशदान की नियत दर दर्शायी गयी है और जुर्माने की राशि और कारावास की अवधि धारा 16 में दर्शायी गई है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक पोत-परिवहन अधिकारी संघ यह मांग कर रहा है कि इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र में उनको भी शामिल किया जाए जिससे कि भविष्य निधि योजना उन पर भी लागू हो सके। वर्तमान अधिनियम में नाविक की परिभाषा में संशोधन करना आवश्यक है जिससे कि वाणिज्यिक पोत-परिवहन अधिकारियों को भी उसमें शामिल किया जा सके।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वाणिज्यिक पोत-परिवहन अधिकारी संघ यह मांग कर रहा है कि उनको भी भविष्य निधि योजना में शामिल किया जाए। धारा 2 (ठ) में 'नाविक' की परिभाषा का उपबंध है जिसका यहां पर पुनः उल्लेख किया जा रहा है :

> "नाविक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 के अधीन एक पोत के चालकदल के एक सदस्य के रूप में कार्यरत या नियोजित है परन्तु इसमें मास्टर, नौ-परिवाहक आफिसर या अभियांत्रिक आफिसर, रेडिया आफिसर, चिकित्सा आफिसर, कल्याण आफिसर पोतनीस, विद्युततंत्री, परिचारिका, संगीतज्ञ, पायलट शिक्षु या डैक नावित सम्मिलित नहीं हैं;"

अब यह प्रस्ताव है कि इसमें मास्टर, नौ-परिवहन आफिसर या अभियांत्रिक आफिसर, रेडिया आफिसर, चिकित्सा आफिसर, पोतनीस, विद्युततंत्री और प्रशिक्षु भी सम्मिलित किए जायेंगे। कल्याण आफिसर, परिचारिका, संगीतज्ञ, पायलट या डैक नावित को सम्मिलित करने का प्रस्ताव नहीं है। इन अधिकारियों को सम्मिलित नहीं किए जाने का मुख्य औचित्य आधार यह है कि वे पोत के चालक दल के भाग नहीं हैं और इस प्रकार यह उचित नहीं होगा कि उनको भविष्य निधि लाभ के लिए नाविक की परिभाषा के अधीन सम्मिलित किया जाए।

वर्तमान अधिनियम की धारा 4 में उपबन्ध है कि इस निधि के अन्तर्गत प्राप्त सारा धन केवल भारतीय स्टेट बैंक में जमा कराया जाये। इस अधिनियम को वर्ष 1966 में अधिनियमित किया गया था और उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इस प्रकार अब यह प्रस्ताव है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों (सरकार द्वारा अनुमोदित बैंक) को शामिल किया जाये। इससे नाविकों को ज्यादा बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी।

तद्नुसार, अधिनियम की धारा 4 में "भारतीय स्टेट बैंक" शब्दों के स्थान पर "अनुमोदित बैंक" प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस बात के लिए स्पष्टीकरण देने कि "अनुमोदित बैंकों" से अभिप्रेत है, भारतीय स्टेट बैंक की अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के अधीन एक गठित एक समनुषंगी बैंक या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित एक तत्सम्बन्धी बैंक या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और

अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित एक तत्सम्बन्धी बैंक है, इसके लिए भी प्रस्ताव है।

इस समय अधिनियम की धारा 7(1) नाविक भविष्य निधि आयुक्त को नियुक्त करने की केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है।

अधिनियम की धारा 7 (2) में उपबंध है कि केन्द्र सरकार कार्य भार और अन्य अधिकारियों जिसका अधिकतम मासिक वेतन रुपये 600/- से ज्यादा न हो के आधार पर और अधिक नाविक भविष्य निधि उप आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। पिछले वर्षों में वेतन मात्र रु. 600/- की सीमा को पहले ही पार कर चुके हैं और इनका भविष्य में संशोधन होना है। इस,लेए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में वेतनमानों के उल्लेख को हटाने का प्रस्ताव है।

इस अधिनियम का मूल आशय केवल केन्द्र सरकार द्वारा आयुक्त, नाविक भविष्य निधि और उपायुक्त, नाविक भविष्य निधि की नियुक्ति का उपबंध करना है और अन्य अधिकारीगण बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अधिनियम की धारा 7 (3) में अन्य अधिकारियों जैसे लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी की बोर्ड द्वारा नियुक्ति का भी उपबंध है। इसलिए अधिनियम की धारा 7 (2) में से 'अन्य अधिकारीगण' शब्दों को हटाने का भी प्रस्ताव है क्योंकि अधिनियम की धारा 7(3) में इन्हें पहले ही शामिल किया जा चुका है।

अधिनियम की धारा 8 में समय-समय पर नियोजक द्वारा अंशदान की दर का भुगतान किए जाने का उपबंध है। इस योजना में 31 मार्च, 1968 तक छः प्रतिशत अंशदान की दर का प्रावधान है और इसके पश्चात् 31 दिसम्बर, 1977 तक आठ प्रतिशत अंशदान की दर का प्रावधान है। बोर्ड के न्यासियों द्वारा समय-समय पर अशंदान की दर नियत की जाती है और अशंदान की दर के निर्धारण में मार्गदर्शक घटक कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन श्रम मंत्रालय द्वारा नियत अंशदान की दर होती है। इस समय अंशदान की दर दस प्रतिशत है। क्योंकि अंशदान की प्रतिशत सीमा स्थिर नहीं रहती है, इसलिए 1.1.1978 से प्रभावी रूप में भुगतान किए गए भत्तों के दस प्रतिशत से अंशदान की दर कम न हो इसका उपबंध करने के लिए इस धारा में संशोधन का प्रस्ताव है। जिससे कि आवश्यकता पर आधारित समय-समय पर जारी किए जाने वाले प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन अंशदान की दर को नियत किया जा सके और इसका संशोधन करने की आवश्यकता भविष्य में न पड़े।

अधिनियम की धारा 16 (1) में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति भविष्य निधि के अंतर्गत की जाने वाली किसी अदायगी को टालने की नीयत से गलत विवरण या गलत प्रतिनिधित्व करता है तो उसे 6 महीने का कारावास या जुर्माना, जो कि 1000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह अधिनियम, 1966 में अधिनियमित किया गया था और वर्तमान संदर्भ में यह 1000 रुपए का जुर्माना उद्देश्यहीन हो गया है और निवारक के रूप में कार्य नहीं करता। इस योजना में जहाज मालिकों के अंशदान को सुनिश्चित करने तथा किसी अंशदान को न टालने के उद्देश्य से इस अधिनियम की धारा में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि कारावास की अवधि को एक वर्ष और अधिकतम देय जुर्माना राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये या दोनों किया जा सके।

नाविक भविष्य-निधि (संशोधन) विधेयक 22.12.95 को राज्यसभा में पुरःस्थापित किया गया और परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया। 17.1.96 को संसद भवन में स्थायी समिति की एक बैठक हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि यात्री जहाज, जो देश में विभिन्न मार्गों तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर आवागमन करते हैं, पर चलने वाले परिचारिकाओं और कल्याण अधिकारियों को भी नाविकों की परिभाषा के अंतर्गत रखा जाए। अतः इस विधेयक की धारा 2 (ग) के अंतर्गत परिचारिकाओं और कल्याण अधिकारियों को इसके दायरे में शामिल किए जाने पर विचार की आवश्यकता थी।

समिति ने उपर्युक्त मुद्दों को शामिल करते हुए 28.2.96 को राज्यसभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अब, नाविक भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, 1996 को विचार के लिए लिया जाना है और परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों को उसमें शामिल करके उसे इसी सत्र में पारित किया जाना है।

सभापति महोदय : श्री सामी वी. अलागिरी यह जानना चाहते हैं कि क्या कुछ और व्यक्तियों को 'नाविक' की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। श्री सामी अलागिरी आप स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करें कि आप इसमें किन्हें शामिल करना चाहते हैं।

श्री सामी वी. अलागिरी : महोदय, हमारे देश में हजारों मल्लाह हैं जो असंगठित श्रम के अंतर्गत आते हैं। उन्हें मछली पकड़ने वाले जहाजों के परिचालनों से जूझना पड़ता है। ये मल्लाह समुद्र में जाने के बाद दस से पंद्रह दिनों तक वापस नहीं आते उनके परिवार के लोग बेसब्री से उनका इंतजार करते रहते हैं। क्योंकि उनके लौटने का उन्हें पता नहीं होता। सरकार को, देश के इन मल्लाहों को संगठित कर उन्हें भविष्य-निधि की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। सरकार को उनका समर्थन करना चाहिए क्योंकि उनके जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन : मैं माननीय सदस्य के

सुझाव का स्वागत करता हूँ। लेकिन सर्वप्रथम मल्लाहों को एक अपना संगठन रखना चाहिए और तत्पश्चात अनुच्छेदों के साथ सरकार के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए जिससे कि इसको अनुमति दी जा सके।

श्री मधुकर सरपोतदार : धन्यवाद महोदया मैं नाविक कर्मचारियों हेतु उपबंध पर माननीय सदस्यों का भाषण ध्यान से सुन रहा था। मेरा प्रश्न यह है कि क्या विधेयक में इन उपबंधों को लागू करते समय नौवहन की कैंटीन में अस्थायी रूप से कार्यरत तथा विभिन्न श्रेणियों में ठेके के आधार पर कार्यरत बिजली मिस्त्रियों और प्लम्बरों की सेवा शर्तों पर विचार किया गया है। उन्हें हमेशा ही ठेके पर लिया जाता है। क्या यह सुविधा उन लोगों पर भी लागू होंगी? इनके अतिरिक्त, ऐसे अनेक कर्मचारी हैं जो माल चढ़ाने और उतारने हेतु समुद्र में जाते हैं। उन्हें समुद्र में काफी दूर की यात्रा करनी पड़ती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भविष्य-निधि के इस श्रेणी में ऐसे कर्मचारियों को भी रखा गया है तथा उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अनेक लोग समुद्र में 10 या 15 दिनों के लिए यात्रा करते हैं। ऐसी स्थिति में वे हमेशा खतरों से घिरे होते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सुविधा, आम कर्मचारियों के अतिरिक्त उस श्रेणियों के कर्मचारियों पर भी लागू होगी। विशेष रूप से मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या विधेयक में संशोधन लाने से पूर्व सरकार द्वारा स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री हमें स्थायी समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों विशेषकर इस श्रेणी के कर्मचारियो के बारे में की गई सिफारिशों के बारे में बतायेंगे।

श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एक देशी नाव हमारे दायरे के अंतर्गत नहीं आती है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दे का संबंध है तो मेरा कहना है कि संशोधनों को विधि विभाग और श्रम विभाग के पास भेजा गया है। उनका मत है कि संशोधनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए और किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। वे यात्रा तो करते हैं किंतु जहाज के चालक दल के दायरे में नहीं आते हैं। उन्होंने यह मुद्दा उठाया है इस संबंध में कानूनी मुद्दों पर उन्होंने कहा कि वे इसके हकदार नहीं है। यही कारण है कि संशोधन लाया गया है।

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : मेरा सुझाव है कि सभा को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया जाए।

सभापति महोदय : नहीं। हम लोग यहां गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आप अपने स्थान पर बैठ जाऐं। श्री सुव्रता मुखर्जी आपको स्थायी समिति के बारे में कोई संदेह है?

श्री सुव्रता मुखर्जी (रायगंज) : नहीं।

सभापति महोदय : श्री पी. नामग्याल, आपको कोई संदेह है?

श्री पी. नामग्याल : मुझे कोई संदेह नहीं है।

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार, आपका संदेह क्या है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यहां दो-तीन बातें कही गई हैं, उनका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया। यहां कहा गया है कि सी-मैन कौन-कौन हो सकता है, उसका जवाब संतोषजनक नहीं आया। जिसके बारे में सर्पोतदार जी ने पूछा कि जो अंदर जाते हैं, ट्रेंड लेबर हैं, उनकी जिंदगी का भी महत्व है। किस बात को लेकर विधि मंत्रालय ने ऐतजराज किया, जिसकी उन्होंने चर्चा की। उसको आप सिद्धांतरूप में स्वीकार करते हैं या नहीं। मान लीजिए नहीं करेंगे तो क्या होगा। अभी इस पर बहस हो रही है, पूरे सदस्य नहीं हैं। वे लोग भी नहीं है जिनको इसका सामना करना पड़ता है। यह बिल दूसरे दिन आता तो और भी सदस्य व्यक्तिगत आधार पर चर्चा कर सकते थे। आज शुक्रवार है, कई सदस्य चले गए हैं। हम लोग भी इससे संतुष्ट नहीं हैं, जबकि हमारा कोस्टल एरिया से वास्ता नहीं है। लेकिन जो बातें सदन के अंदर आई हैं कि समुंद्री जहाज में कोई जाएगा, जितने भी लोग होंगे, सबकी जिंदगी का महत्व है। उनके परिवार वाले इंतजार करते हैं और दुआ करते हैं कि वे कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। लेकिन इसके लिए कोई सुरक्षा या संरक्षण है या नहीं, उसके लिए कोई पी.एफ. वगैरह का इंतजाम है या नहीं? ऐसे ही असंगठित क्षेत्र के लोग समुद्र में जाते हैं, उनके जीवन के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि कोई एसोसिएशन उन्होंने नहीं बनाई, न ही कोई उधर से कुछ आया है इसलिए इस पर विचार नहीं किया, यह ऐसा जवाब नहीं है जिसको संतोषजनक कहा जा सके।

अगर कोई नोटिस की बात है, तो सरकार को खुद सोचना चाहिए कि अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर के लोगों के बारे में सरकार की दृष्टि क्या है। इस विधेयक में इन लोगों को शामिल करने के बारे में सिद्धांत रूप में सरकार की क्या सोच है? सरकार को इस बारे में प्रकाश डालना चाहिए। यह नहीं कि रिटन-रिप्लाई मिल गया और उसको आपने पढ़ दिया। आप हम लोगों को एन्लाइटन करें, लेकिन आपने यही प्रियेयर्ड स्पीच पढ़ दी। आप उस क्षेत्र से आते हैं, आप अपने अनुभव के बारे में बतायें। हम लोग आप के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, क्या आप अपने जवाब से संतुष्ट हैं? वहां के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान हम लोगों को नहीं है। लेकिन जो

बातें यहां पर आई हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम लोग जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर के लोगों के बारे में सरकार क्या सोच रही है? दूसरी बात, जो लोग सेलर के साथ समुद्र में जाते हैं, उन लोगों को क्या आप सिद्धान्त रूप में सुरक्षा देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुमारी ममता बनर्जी को कुछ संदेह है। वह इस उत्तर के पश्चात अपने संदेह जाहिर कर सकती हैं।

श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दों से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मूल अधिनियम कुछ ऐसा कहा गया है। हम मूल अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। मूल अधिनियम में उप-खंड (1) है। उसमें, नाविक की परिभाषा की गई है। मैं उधृत करता हूँ :

> "नाविक से, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम के अध्यधीन जहाज के चालक दल के एक सदस्य के रूप में कार्यरत अथवा नियुक्त, कर्मचारी तात्पर्य है किंतु इसमें मास्टर आदि शामिल नहीं है।"

उन्होंने इन श्रेणियों को स्पष्ट किया है।

श्री नीतीश कुमार : क्या आप नाविक की परिभाषा बदलना चाहते हैं? नाविक की एक परिभाषा है। आप अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। क्या आप परिभाषा,बदलना चाहते हैं या नाविक की परिभाषा में संशोधन लाना चाहते हैं। यही प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ।

श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन : मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : यदि यह विधेयक के दायरे में नहीं आता तो मंत्री इसका जवाब नहीं दे सकते। यदि यह विधेयक के दायरे के अधीन है ता वह इसका उत्तर देंगे।.....*(व्यवधान)*

श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन : मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने दें।

अधिनियम में संशोधन किया गया है। अब हम मूल अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। इस संबंध में अधिनियम विद्यमान हैं। आप जिस श्रेणी का उल्लेख कर रहे हैं वे मूल अधिनियम में नहीं हैं। यही कारण है कि मैं इसका उल्लेख कर रहा हूँ। उप-खंड (1) के अनुसार :

> "नाविक से, वाणिज्यिक पोत परिवहन-अधिनियम के अध्यधीन जहाज के चालक दल के एक सदस्य के रूप में कार्यरत अथवा नियुक्त कर्मचारी से तात्पर्य है किंतु इसमें मास्टर आदि शामिल नहीं है।"

उसमें भी वे कतिपय लोगों को चालकदल से हटाना चाहते हैं। अतः मूल अधिनियम विद्यमान है। अब, आप यह सभी सुझाव दे रहे हैं। आप यह सभी मुझे बता सकते हैं और उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन मैं इसे इस संशोधन में शामिल नहीं कर सकता। क्योंकि मूल अधिनियम विद्यमान है। आप अब जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं वह मूल अधिनियम में नहीं है। अतः, आप जो भी कुछ कह रहे हैं उन पर भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं किया जा सकता है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, माननीय मंत्री जी की बातों से संतुष्ट नहीं है क्योंकि इसमें लाखों नाविक शामिल हैं।

सभापति महोदय : आज जितना चाहें प्रश्न पूछ सकती हैं। लेकिन आप यह न कहें कि मंत्री जी का उत्तर संतोषप्रद नहीं है। उन्होंने विस्तार से उत्तर दिया है। आप प्रश्न करें मंत्री उनका उत्तर देंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ठेकेदारों के तहत लाखों नाविक कार्यरत हैं। इसमें अनेक ऐसे नाविक हैं जो असंगठित क्षेत्र से आते हैं। मैं इसके बारे में जानती हूँ। विशेषकर, कलकत्ता में एक समुद्री केंद्र है। मैं इस संबंध में जानती हूँ। पूरे देश में कुछ समुद्री क्षेत्र हैं। जब कभी भी लोग एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में जाते हैं तो उनके बीच संसार का अभाव होता है। कभी-कभी जहाज का पता न चलने पर चालक दल के परिवार के सदस्य इस सूचना का इंतजार करते रहते हैं कि उनका क्या हुआ। आप एक संशोधन ला सकते हैं। यह ठीक है लेकिन आप मानवीय आधार पर स्वतः निर्णय नहीं ले सकते हैं? क्या आप यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि एक बोर्ड का गठन किया जाए जो कम से कम परिवार के सदस्यों को सूचना दे सके। उन्हें ठेकेदार के तहत और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों के बारे में परिभाषित करना चाहिए। वे भी इस देश के नागरिक हैं कभी-कभी उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। एक वर्ष में उन्हें तीन महीने रोजगार मिलता है और नौ महीने वे खाली रहते हैं। अतः, कृपया आप इस मामले को ध्यान से देखें। यदि आप लिखित में संशोधन की सूचना देते हैं तो अब आप इसे बदल नहीं सकते। लेकिन सभा को आप इस बारे में आश्वस्त कर सकते हैं। कुछ स्वतः वक्तव्य दिया जाना चाहिए, सरकार द्वारा कुछ स्वतः वक्तव्य देते हुए यह कहना चाहिए कि वह लोगों का जीवन बचाने के लिए मानवीय आधार पर ऐसा कर रही है।

सभापति महोदय : मंत्री जी, सभी प्रश्न पूछ लिए जाने के बाद आप जवाब दे सकते हैं।

हाँ, श्री पी.आर. दासमुंशी।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदय, मैंने खंड पर माननीय मंत्री जी का जवाब और स्पष्टीकरण सुना।

अब संयुक्त मोर्चा सरकार के सम्पूर्ण दृष्टिकोण और उनकी नीतियों के प्रति वचनबद्धता से एक बात साफ जाहिर है कि यह सब चीज़े केवल संसद के बाहर तक सीमित हैं....*(व्यवधान)* मैं उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। गरीबों, दलितों और पीड़ित मानवता आदि के लिए उनकी सम्पूर्ण सहानुभूति संसद के बाहर तक सीमित है।

महोदय, पिछले पन्द्रह वर्षों के दौरान भारत की आन्तरिक जल प्रणाली में, भारतीय सीमा के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी केवल जलयान ही नहीं चलते अपितु बड़े-बड़े मालवाहक जहाज और मत्स्य-वाहक पोत भी चलते हैं। मुझे नहीं पता कि सरकार ने इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए कोई सर्वेक्षण किया है या नहीं, चूंकि जो जलयान चलते हैं उनमें तीन चौथाई किराये पर लिए होते हैं या ठेके पर मजदूरों के पास होते हैं, जिनकी सरकार परिसंघ अथवा कम्पनी की ओर से कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती।

माननीय मंत्री जी ने अपनी परिभाषा में भी नाविक की परिभाषा से 'मालिकों' को बाहर रखा है वह सभी लोग जो बड़े-बड़े पोतो में भी जाते हैं उन्हें भी नाविक की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

यह सब देखते हुए क्या आपको लगता है कि आप जो संशोधन प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह व्यापक है? क्या इससे जन-सामान्य की आवश्यकताएँ पूरी हो सकेंगी। यदि नहीं तो आप इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। सरकारी नीति के अनुसरण में एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार किया जाना चाहिए। आप इसे खण्ड रूप में क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

वर्तमान संशोधन संभवतः वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने वाले नाविकों के सन्दर्भ में लागू किया गया है। अगर ऐसा है तो सरकारी विभागों के अन्तर्गत काम करने वाले नाविकों की बहुत सी ऐसी श्रेणियाँ हैं जो ऐसी अनेक कम्पनियों में काम करते हैं जो व्यापारी बेड़ा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते।

जब इतने बहुसंख्यक लोग अपनी नौकरियों में असुरक्षित हैं तो इन खण्डशः संशोधनों को प्रस्तुत करने का औचित्य ही क्या है? यह प्रथम मुद्दा है।

दूसरी बात यह है कि कुछ लोग सरकारी जल-यानों में तो काम कर रहे हैं परन्तु आने-जाने के आधार पर नहीं। उनके पास सी.डी.सी. नहीं हैं परन्तु वह जल-यान में ही काम करते हैं और कई बार समुद्र में भी काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके बारे में क्या विचार कर रहे हैं?

तीसरी एक और श्रेणी उन जल नाविकों की भी है जो भारतीय भाप-जलयान अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। कुछ और भी पंजीकरण अधिनियम हैं। नाविक की कार्य-स्थिति तो एक जैसी है चाहे वह अधिनियम के अन्तर्गत किसी बड़े पोत ने कार्य कर रहे हों अथवा किसी सरकारी विभाग के अधीन आने वाले पंजीकृत जलयान में। अगर ऐसा है तो सरकार इस श्रेणी के अन्तर्गत काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक सामान्य विधान क्यों नहीं बनाती (जो समुद्र में काम करते हैं और जो जल-यान में काम करते हैं)।

चौथे, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम में सब लोग अस्थायी नियुक्तियों के इकरारनामे के आधार पर काम करते हैं। अतः सेवा काल के दौरान काफी समय वे अपने काम से अलग रहते हैं। कुछ समय के लिए वे जहाज में नौकरी पर होते हैं.. ...*(व्यवधान)*

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सभी श्रेणी के लोग एक ही विधान के अन्तर्गत नहीं लाए जा सकते ताकि सभी को लाभ हो सके।

श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन : जो कुछ सदस्यों ने कहा है मुझे उससे पूरी सहानुभूति है। मैं यह विधेयक पेश करते हुए अमानवीय दृष्टिकोण नहीं अपना रहा हूँ। नाविकों के भविष्य-निधि खातों में कुछ विसंगतियां आ गई हैं। यह अधिनियम 1966 में पारित हुआ था। विसंगितियों को दूर करने के लिए हमने कुछ संशोधन किए हैं तथा यह कार्य संशोधन द्वारा ही किया जा सकता था। परन्तु मेरे सहयोगियों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उन पर मैं भविष्य में अवश्य विचार करूंगा .....*(व्यवधान)*

मैंने उनके विचार ध्यानपूर्वक सुने हैं। परन्तु वह इन सबको विधेयक में समाविष्ट नहीं कर सकता। यह विधेयक तो पहले ही मौजूद था। परन्तु उसमें कुछ विसंगतियां पैदा हो गई थी। अतः उन त्रुटियों को दूर करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इन सब सुझावों को भविष्य में विधान बनाते समय ध्यान में रखा जाएगा। सब सदस्य यह कृपया नोट करें कि इस विधेयक को राज्य सभा ने पारित कर दिया है। अतः इस पर इतनी ही चर्चा पर्याप्त है।

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय, मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है।

श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन : मैंने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा। यह आश्वासन है। इस पर विचार किया जाएगा।

सभापति महोदय : अब साढ़े तीन बजने वाले हैं। यह नाविक भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक है। जो मुद्दे इस विधेयक में शामिल है उन्हीं में बनाए जाने वाले विधान के लिए काम आएंगे। मंत्री जी ने इन्हें नोट कर लिया है। खैर, चर्चा बहुत अच्छी रही। मैं सभी माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद करता हूँ।

अब हम विधेयक के प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा पारित नाविक भविष्य संशोधन विधेयक, 1996 पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड-2 से खण्ड-7 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-7 विधेयक में जोड़ दिये गए।"

खण्ड : एक

संशोधन प्रस्तुत हुआ :

पृष्ठ एक पंक्ति चार

1996 के स्थान पर 1997 प्रतिस्थापित करें (2)

(श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड एक संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-एक संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन प्रस्तुत हुआ :

पृष्ठ 1, पंक्ति एक

47 के स्थान पर 48 प्रतिस्थापित करें (1)

(श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक यथासंशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महादेय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति मंडोदय : अब साढ़े तीन बज गए हैं। अब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक प्रस्तुत किये जाएं।

श्री सलाउद्दीन ओवेसी	-	अनुपस्थित
श्रीमती भावना चिखलिया	-	अनुपस्थित
कुमारी उमा भारती	-	अनुपस्थित
श्रीमती सुमित्रा महाजन	-	अनुपस्थित
श्री अशोक कुमार प्रधान	-	अनुपस्थित
श्री मंगल राम प्रेमी	-	अनुपस्थित
श्री जी.एम. बनातवाला	-	अनुपस्थित

... (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मंडोदय, हमें यह विवरण गिनिज़ विश्व रिकार्ड में शामिल करने के लिए भेजना चाहिए।

सभापति मंडोदय : क्रम संख्यांक 14, श्री सनत मेहता।

अपराह्न 3.31 बजे

[अनुवाद]

भारतीय श्रम विधेयक

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रम संबंधी विधियों को कम जटिल बनाने के लिए उन्हें सरलीकृत करने, युक्तिसंगत बनाने तथा समेकित और संशोधन करने वाले विधेयक ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके तथा कार्यान्वित और प्रवर्तित किया जा सके, को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति मंडोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्रम संबंधी विधियों को कम जटिल बनाने के लिए, उन्हें सरलीकृत करने, युक्तिसंगत बनाने तथा समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके तथा कार्यान्वित और प्रवर्तित किया जा सके, को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सनत मेहता : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खंड 2 दिनांक 21.2.97 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.32 बजे

[अनुवाद]

मद्य निषेध विधेयक*

डॉ॰ गिरिजा व्यास (उदयपुर) : मंडोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि पूर्ण मद्य निषेध और तत्सम्बन्धी बातों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति मंडोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूर्ण मद्य निषेध और तत्सम्बन्धी बातों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ॰ गिरिजा व्यास : श्रीमान, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न् 3.33 बजे

[अनुवाद]

विधवाओं की रक्षा और कल्याण विधेयक*

श्री सुव्रता मुखर्जी (राजगंज) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधवाओं के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति मंडोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधवाओं के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुव्रता मुखर्जी : श्रीमान्, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक*–*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभा श्री बसु देव आचार्य द्वारा पुरःस्थापित प्रस्ताव पर आगे विचार करने सम्बन्धी मद संख्या 20 पर विचार करेगी। इस पर चर्चा के लिए आबंटित समय दो घंटे है। हमने एक घण्टा, दो मिनट पहले ही ले लिया है। इसलिए, अब बचा हुआ समय मात्र 58 मिनट है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस पर चर्चा के लिए कृपया समय बढ़ाइए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : श्रीमान, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है, इसलिए कृपया समय बढ़ाइए।

सभापति महोदय : केवल चार वक्ता ही हैं। इनके भाषण के पश्चात् अगर आवश्यक हुआ तो हम देखेंगे। कुमारी ममता बनर्जी, आप को चर्चा में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। कृपया इसके बारे में चिंतित मत होइए। श्री मनोरंजन भक्त बोल रहे थे। श्री भक्त।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह): सभापति महोदय, श्रीमान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को जगाने हेतु इस विधेयक को सभा के समक्ष लाने के लिए मैं मेरे मित्र श्री बसुदेव आचार्य का कृतज्ञ हूँ।

जैसा कि आप जानते हैं, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जातियों तथा विभिन्न राज्यों के लोग निवास करते हैं। परन्तु एक समाज के रूप में रहना द्वीप समूह की संस्कृति रही है। और इसे "छोटे-भारत" के रूप में इसे जाना जाता है। जैसा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसे नाम दिया था।

एक द्वीप समूह की यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि देश के इस भाग में कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं। अस्पृश्यता की भावना वहां नहीं है।

[हिन्दी]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : क्योंकि बी.जे.पी. वहां नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : बी.जे.पी. वहां पर है, अभी तक वह वैसी गतिविधियाँ वहां पर आरम्भ नहीं कर पायी है, जैसा कि वह यहां पर कर रही है। इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं की ओर पूरा ध्यान दिया जाये; और इसके लिए सरकार उचित कार्रवाई करे।

मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि जब "शक्ति का हस्तांतरण" सम्बन्धी कागजात इंग्लैण्ड से भारत आये, तो किसी कारणवश, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के साथ अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह का उल्लेख नहीं किया गया। जिन्नाह महोदय की भी बहुत ज्यादा मांग थी कि यह क्षेत्र, न तो ऐतिहासिक दृष्टि से और न ही भौगोलिक दृष्टि से भारत का हिस्सा रहा है, इसलिए इसे पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की मांग करते समय, वह अपना यह तर्क दे रहे थे कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध स्थापन के लिए इन दोनों के बीच एक जल मार्ग होना चाहिए। परन्तु लार्ड माउण्टबेटन, भारत के तत्कालीन नेता और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता दबाव डाल रहे थे और कह रहे थे कि यह क्षेत्र भारत का है और यह भारतीय संघ की भूमि है और इस लिए इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। इसके पश्चात ही, भारत को "शक्ति का हस्तांतरण" सम्बन्धी कागजातों में इसे जोड़ा गया।

संविधान सभा में "रियासतों के मुख्य आयोग" के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। एक प्रारूप-समिति बनाई गई थी और उसमें बहुत ही जाने-माने व्यक्ति थे। श्री बी. पट्टाभि सीतारमैय्या अध्यक्ष थे। श्री ए.एन गोपाल स्वामी अय्यंगार, देशबंधु गुप्ता, एम. सन्तानम, सी.एम. पूनाखा, मुकुन्द बिहारी लाल भार्गव सदस्य थे। इन सब लोगों ने संघ शासित क्षेत्रों अथवा छोटे क्षेत्रों तथा उनके भविष्य की प्रशासनिक प्रणालियों इत्यादि के बारे में चर्चा की थी।

चर्चा के समय, श्री गोपालस्वामी अय्यंगार ने कहा था – वे कहते हैं कि ये छोटी रियासतें हैं — कि इन सभी छोटी रियासतों की अपनी एक विधान मंडल होनी चाहिए। गृहमंत्री महोदय, "विधान मण्डल" शब्द को नोट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था, इनमें से प्रत्येक रियासत का एक विधान मण्डल होना चाहिए। निःसंदेह इसके साथ ही, अन्य अंग जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका भी आऐ हैं। उन्होंने इन सभी बातों की विस्तार से चर्चा भी की है। परन्तु उन्होंने स्पष्ट रूप से अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों की चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि यह कैदियों की बस्ती थी; यह अत्यधिक पिछड़े इलाके हैं और उनमें विकास, शांति और प्रगति के लिए यह इलाके केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में रहने चाहिए। इस क्षेत्र के लोगों के लिए कल्याण सम्बन्धी कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। उन्हें समय समय पर ऐसे प्रशासनिक उपाय भी करने चाहिए जो इन क्षेत्रों के लिए उन्हें आवश्यक हो।

श्रीमान, संघ राज्य क्षेत्र" शीर्षक के अन्तर्गत संविधान का अनुच्छेद 239 प्रथम अनुसूची के भाग 'ग' के राज्य" शीर्षक के

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खंड 2 दिनांक 21.2.97 में प्रकाशित।

[श्री मनोरंजन भक्त]

स्थान पर संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम प्रतिस्थापित किया गया। यह अनुच्छेद संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा एक नए अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

अनुच्छेद 239 (i) में उपबंध है कि –

"संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधन सहित, जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है।"

यह भी जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति संलग्न राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में एक राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करें। ऐसे मामलों में, राज्यपाल के अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से राज्य जहाँ पर उसे मूल रूप से राज्यपाल नियुक्त किया गया हो, के मंत्री-परिषद के परामर्श और सहायता के बिना करना चाहिए।

श्रीमान्, अनुच्छेद 239 संसद को हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोआ, दमन और द्वीप और पॉण्डिचेरी के संघ राज्यों के लिए एक विधान मंडल और मंत्री परिषद के गठन की शक्ति प्रदान करता है। हमें यह समझना होगा कि शुरूआत में इनमें से अधिकतर संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य क्षेत्रीय परिषदें थी। उनके पास परामर्शदात्री समिति थी परन्तु बाद में सरकार ने लोकप्रिय मांग को मान लिया। जिसके द्वारा वे लोगों को उनके पूरे लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करना चाहते थे।

इन द्वीप समूहों को भाग VIII में संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सम्मिलित किए जाने के पश्चात भाग IX में, जिसमें प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में सम्मिलित राज्य क्षेत्रों के लिए उपबंध किए गए हैं, में से संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा 'अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों' को हटा दिया गया था। इस प्रकार, उन सभी राज्य क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, वर्तमान संघ राज्य क्षेत्रों को प्रथम अनुसूची में शामिल कर लिया गया है।

अब मैं वह बात कहना चाहूंगा जो एक जाने-माने कम्युनिस्ट नेता श्री वसुदेवन नायर ने सरकारी राज्यक्षेत्रों अधिनियम पर चर्चा के दौरान 4 मई, 1963 को कहीं थी, मैं उद्धृत करता हूँ।

"लक्षद्वीप और मिनीकॉय द्वीपसमूहों के सम्बन्ध में, आज भी इन बदकिस्मत लोगों को मताधिकार नहीं मिला हुआ है। वे भी इसी देश के नागरिक हैं। मैं नहीं जानता कि क्यों हम उन्हें इस देश के दूसरे दर्जे के नागरिक मान रहे हैं"

इस देश के "दूसरे दर्जे के नागरिक" इन शब्दों को नोट किया जाये।

"मैं चाहूंगा कि इन राज्य क्षेत्रों, जिनको संकट में छोड़ दिया गया है और जो इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आते हैं, के विकास की ओर सरकार उचित ध्यान दें। यह सामान्य बातें हैं जिन्हें मैं विधेयक के मूलपाठ में जाने से पहले कहना चाहता हूँ।"

ऐसे सभी वाद विवादों के दौरान जो संघ राज्य क्षेत्र सरकार अथवा राष्ट्रीय राजधानी संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली अधिनियम पर हुई, उनमें सदस्यों की चाहे वे किसी भी दल के थे, यह सर्वसम्मत राय थी कि देश के सभी नागरिकों के साथ एकसमान व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके बीच किसी प्रकार का अन्तर नहीं किया जाना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों के लोगों को भारत का राष्ट्रपति चुनने का अधिकार नहीं है जबकि अन्य राज्यों के लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। उन्हें अपनी नियति और भविष्य के निर्धारण का अधिकार है। परन्तु जहां तक अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या इसके जैसे अन्य संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है यहाँ के लोगों को दूसरे दर्जे के नागरिक समझा जाता है।

मैं पूर्णतः सहमत हूँ और मेरा भी यह विचार है कि केन्द्रीय सरकार इन संघ राज्यों के विकास के लिए धन प्रदान कर रही है लेकिन हम सब जानते हैं कि इस धन को किस तरह से खर्च किया जा रहा है, किस तरह का विकास हो रहा है और एक व्यक्ति के प्रशासन में किस तरह से इस धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक व्यक्ति ही सब कुछ है। वह कुछ भी कर सकता है, किये हुये कार्य को बिगाड़ सकता है, यहां तक कि सभा की कार्यवाही को भी। इसलिए हम यह कहते हैं कि प्रतिनिधि सरकार का होना आवश्यक है। जब देश ने लोकतंत्रात्मक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया है तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि छोटे-छोटे संघ राज्यों की माँगो की उपेक्षा की जाए। उनकी संख्या कम हो सकती है लेकिन उनको उन अधिकारों से वंचित नहीं रखना चाहिए जिनका देश के अन्य भागों में रह रहे उनके भाई-बहन लाभ उठा रहे हैं।

मैं सभा को यह याद दिलाना चाहूंगा कि विश्व में 40 द्वीपीय देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के भी सदस्य हैं। अतः यह सत्य है कि जनसंख्या इसके रास्ते में नहीं आ सकती है।

मैं प्राक्कलन समिति की सिफारिशों का भी उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि :

"समिति ने पाया कि संघ शासित क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में है जो विविध इतिहास, भूवैज्ञानिक स्थिति, आकार और वहां के लोगों के आर्थिक विकास और उनके संविधानिक और प्रशासनिक गठन के संबंध में बिल्कुल भिन्न है।

समिति ने यह भी पाया है कि प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र

के लिए विभिन्न आधार हैं। तथापि सभी संघ शासित क्षेत्रों में एक बात समान है वह है पूर्ण प्रतिनिधित्व और उत्तरदायी सरकार का अभाव।

इस तथ्य के बावजूद कि पांडेचेरी में प्रशासनिक गठन अधिक लोकप्रिय आधार पर किया गया है। और भविष्य में दिल्ली के समान किए जाने की संभावना है, संघ शासित क्षेत्र श्रेणी की दृष्टि से इस अर्थ में देश के अन्य भागों से भिन्न है कि इन संघ शासित क्षेत्रों के नाम नागरिक अपने मूल अधिकारों का उस रूप में पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाते जैसा कि उनके अन्य भाई देश के अन्य राज्यों में उपभोग कर रहे हैं।

समिति ने पाया कि ऐसी स्थिति के लिए एक अत्यंत विश्वसनीय तर्क है (I) इन संघ शासित क्षेत्रों में संभवतः कम जनसंख्या का होना जो तार्किक दृष्टि से एक पूर्ण रूपेण विधान मंडल और मंत्रि-परिषद के गठन के लिए न्यायोचित नहीं है। (II) सभी संघ शासित क्षेत्रों के लिए कोई समान प्रणाली नहीं अपनाई जा सकी है। इन तर्कों के प्रभावी होने के कारण समिति ने संघ शासित क्षेत्रों की सामान्य जनसंख्या के रूप में टिप्पणीकर्ताओं द्वारा किए गए मूल प्रश्न को नजर अन्दाज नहीं कर सकती।

प्रश्न यह है कि इन संघ शासित क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों के लिय यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके यहां इन संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन को चलाने के लिए प्रभावी तंत्र है, निश्चिति सांवैधानिक तंत्र क्यों नहीं है।''

अपराह्न 3.50 बजे

[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन हुए*]

वह सर्वदलीय समिति थी और इसने सर्वसम्मति से भारत सरकार को सिफारिश की थी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य के लोगों को लोकतंत्रात्मक तथा संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। दुर्भाग्यवश, ऐसा प्रतीत होता है कि या तो सरकार के पास इन सिफारिशों पर विचार करने तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का समय नहीं है अथवा वे जानबूझ कर अन्जान बने रहना चाहते हैं।

मैं एक बात को फिर दोहराना चाहूंगा जबकि नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर जैसे कुछ राज्यों में हिंसात्मक गतिविधियां चल रही हैं और लोग हथियारों को इस्तेमाल कर रहे हैं हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि ऐसी घटनायें क्यों हो रही हैं। वे लोग विद्रोह क्यों कर रहे हैं और वे हथियारों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक है। यदि शान्ति प्रिय लोग अपने दुखों को दूर करवाने के लिए सरकार के पास आते हैं और आप समय पर कार्यवाही नहीं करते हैं तो बगावत की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यही लोग हथियार प्रयोग कर सकते हैं जिससे सरकार की सम्पत्ति को नुकसान होगा। उस समय यदि आप आकर यह कहते हैं ''कि कृपया आमने-सामने बैठकर विचार-विमर्श कीजिए।'' तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। यही एक अच्छा समय है जबकि अंडमान-निकोबार संघ-राज्य क्षेत्र के शान्तिप्रिय लोगों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा सकता है। संघ राज्य क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक नया मुद्दा नहीं है। उन्होंने बार-बार अनुरोध किया है। वे वर्षो से यह मांग करते आ रहे हैं। पिछले 20-25 वर्षों से यह भारत सरकार से यह मांग करते आ रहे हैं। जब कभी उच्चपदाधिकारी द्वीप समूहों का दौरा करते हैं, जब कभी चर्चा होती है, वे आश्वासन देते हैं कि मामले पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक उच्चपदाधिकारी जो इस द्वीपसमूह का दौरा करता है उसके दिमाग में एक ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि ''जब पूरे देश में समान प्रणाली है तो यहां पर यह प्रणाली भिन्न क्यों है?'' वे स्थानीय लोगों को आश्वासन देते हैं कि वे इस संबंध में कुछ करेंगे। लेकिन कुछ नहीं होता है और हमेशा की तरह समय बीतता जाता है। लोग दिन-प्रति दिन और निराश होते जा रहे हैं और इसका कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं देता।

मैं वास्तव में श्री आचार्य का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। आज द्वीपसमूह के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जबकि पूरी सभा का एक ही मत है, मैं नहीं समझता कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लोगों को इस अधिकार से वंचित रखने का सरकार के पास कोई कारण है।

मैं एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू पर भी सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। संविधान का अनुच्छेद 240 कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों में अच्छी संचालन व्यवस्था और विकास का प्रबंध करना केन्द्र सरकार का कार्य है। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या वे संचालन व्यवस्था से प्रसन्न तथा संतुष्ट हैं; यदि वह यह समझते हैं कि उन्होंने द्वीप समूहों को अच्छी संचालन व्यवस्था प्रदान की है और उन क्षेत्रों में बिना किसी व्यवधान के विकास हुआ है। वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करना होगा।

गृह मंत्री ने की गई कार्यवाही की रिपोर्ट में कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पचांयती राज संस्था लागू हो जाने के बाद लोगों के हाथों में अधिक अधिकार आ जायेंगे।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अब अंडमान और निकोबार में पंचायती राज और नगर-पालिका कार्य कर रही हैं। लगभग डेढ़ वर्ष पहले चुनाव हुए थे। आज पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् और निगम परिषद् जैसी सस्थाएं निराश हैं। यह निराशा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि नियम ऐसे हैं कि आप उन्हें अधिकार देना चाहते हैं लेकिन अधिकार नहीं

[श्री मनोरंजन भक्त]

दिया जाता है। यदि पंचायती राज संस्थाएं कोई पत्र जारी करना चाहती हैं तो ऐसा नहीं कर सकती हैं। वे एक कर्मचारी भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। पंचायतें कार्य को कार्यान्वित करने के लिए एक श्रमिक भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। नियुक्ति पत्र प्रशासन के मुख्य सचिव द्वारा जारी किया जाता है। क्या यह विकेन्द्रीकरण की प्रणाली है? क्या यह अधिकार देने की प्रणाली है? यह केन्द्रीकरण है....*(व्यवधान)*

श्री चित्त बसु (बारासट) : क्या वहां अधिकार भी हैं?

श्री मनोरंजन भक्त : नहीं, वहां ऐसा नहीं है। उन्होंने उल्लेख किया है, 'यथा विनिर्दिष्ट' और यहां से निर्देश नहीं दिए गए हैं। कोई निर्देश नहीं आए हैं। सभी विनियम तथा नियम 'यथा विनिर्दिष्ट' दिए गए हैं। निर्देश प्रशासन द्वारा दिए जाएंगे लेकिन निर्देश नहीं आए हैं। अतः, कार्य नहीं हो रहा है। प्रशासन कहता है कि वे कुछ नहीं कर सकते हैं और उन्हें सभी कागजात स्वीकृति के लिए भेजने होंगे। तो इस संवैधानिक संशोधन का क्या अर्थ है जब तक कि स्थानीय निकायों को उपयुक्त शक्तियाँ प्रदान नहीं की जाती।

इसी तरह उन्होंने एक वर्ष पूर्व प्रशासन को धन प्रदान करने के लिए एक वित्त आयोग की नियुक्ति की थी। दुर्भाग्यवश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वित्त आयोग दिल्ली में बैठा हुआ है। हो सकता है एक अथवा दो बार वह वहां गए होंगे, लेकिन उनका मुख्य कार्यालय यहीं है। निश्चय ही, वह यह कह सकते हैं कि कुछ अन्य संघ राज्य क्षेत्र भी उनके अधिकार क्षेत्र में हैं और इसलिए उन्होंने दिल्ली में मुख्यालय बनाया है। लेकिन मेरा एक ही मुद्दा है कि यदि वित्त आयोग अन्तिरम रिपोर्ट देने में इतना समय लेता है तो कार्य कैसे होगा? निर्वाचित प्रतिनिधि निराश हैं। लोग पूछ रहे हैं....

[हिन्दी]

आप लोगों को इतने जोर-शोर से चुनाव जीतकर दिया । फिर भी आप लोग कुछ काम नहीं करते। जब हम उन लोगों को बताते हैं कि हमने आपका जो काम करना है, उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता तो तब हम कहां से करेंगे। लेकिन आम जनता इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है।

[अनुवाद]

संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यान रखना केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है। केन्द्र सरकार को संघ राज्य क्षेत्रों की अफसलता के संबंध में जवाब देना होगा। वे अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। संघ राज्य क्षेत्रों में घटित सभी बातों के लिए वे जवाबदेह होंगे। जब संघ राज्य क्षेत्रों में किसी तरह की समस्या होती है तो केन्द्र सरकार वक्तव्य जारी कर देती है। मैं इस संबंध में केन्द्र सरकार की स्थिति समझ सकता हूँ.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने केवल 25 मिनट लिए हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : यह विधेयक अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के संबंध में है।

सभापति महोदय : मैं समझ सकता हूँ लेकिन यहां अनेक माननीय सदस्य हैं जो आपके निर्वाचन क्षेत्र में रुचि रखते हैं। मेरा विचार है, आपको उन्हें भी अवसर देना चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त : आप एक प्रिय व्यक्ति हैं।

सभापति महोदय : मैं आपसे केवल अनुरोध कर सकता हूँ। आपने पहले ही 25 मिनट ले लिए हैं। श्री मनोरंजन जी, कम से कम आठ माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। इस विधेयक पर चर्चा को 4 बजकर 22 मिनट पर समाप्त करना है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय आवंटित किया गया था।

कुमारी ममता बनर्जी : समय बढ़ाया जा सकता है।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री मनोरंजन भक्त : सभापति महोदय, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रति आपका रवैया बहुत सहानुभूति पूर्ण है। मुझे खुशी है कि आपने मेरे अनुरोध पर विचार किया है।

महोदय, यहां प्रश्न यह है कि राज्य सरकार के असफल होने पर केन्द्र सरकार अपना वक्तव्य देता है कि यह उनकी जिम्मेवारी नहीं है लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों की असफलता के मामले में किसे जिम्मेवार ठहराया जाएगा? केन्द्र सरकार को यह कहना चाहिए कि वह कुछ नहीं कर सकते और यह उनकी असफलता है। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि संघ राज्य क्षेत्रों में अच्छी सरकारें असफल हो गयी हैं। इससे पहले, प्रदेश परिषद हुआ करती थी। वह परिषद् उन विषयों पर चर्चा करती थी जो राज्य सूची के अन्तर्गत आते हैं और जो विषय समवर्ती सूची में दिए गए हैं। लेकिन, अनौपचारिक रूप से उस प्रदेश परिषद् को रद्द कर दिया गया। ऐसा करने से, आपने कौन से नए अवसर उत्पन्न किए। आपने कोई नए अवसर सृजित नहीं किए हैं। अब, आपके पास पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद जैसी संस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त, आपके पास कुछ नहीं है। यहीं निर्वाचित प्रतिनिधियों की कोई बात नहीं मानी जाती है।

सभापति महोदय : वहाँ जिला परिषदें हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : वहाँ जिला परिषदें हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि दूसरे बड़े राज्यों में विधान-मंडल क्यों बनाए गए हैं? आपने यह प्रणाली बनाई है। आपने ही नीति सम्बन्धी निर्णय लिए हैं जब आप लोगों को सर्वाधिक महत्व देते हैं तो नीतियां भी लोगों द्वारा चुनित प्रतिनिधियों के माध्यम से तैयार की जानी चाहिए। इसीलिए मेरा मत है कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो यह अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक नये दौर की शुरूआत होगी।

महोदय, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में अधिकतर विभाग तदर्थ आधार पर ही कार्य कर रहे हैं। उन्हें इस रूप में क्यों चलना चाहिए? श्रेणी 'क' श्रेणी 'ख' कर्मचारियों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग करता है। वह चुने हुए व्यक्तियों के नाम स्थानीय प्रशासन को भेज देता है फिर स्थानीय प्रशासन अभ्यर्थियों को नौकरी के पत्र भेजते हैं। विशेषकर विशिष्ट क्षेत्रों में बहुत से अभ्यार्थी नौकरी करने नहीं आते। अतः संघ लोक सेवा आयोग को फिर नए सिरे से भर्ती करनी पड़ती है। इन परिस्थितियों में हम बार-बार सरकार से निवेदन करते रहे हैं कि वे इन पदों के लिए द्वीपसमूह के अन्दर ही विज्ञापन दें। यहाँ भी बहुत से योग्य व्यक्ति हैं जिन्हें सरकार की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। एक चयनबोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। चयनबोर्ड इन योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है। जो वहां रह कर नौकरी कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि योग्यता को कम किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर संघ लोक सेवा आयोग की विचार विमर्श किया जाना चाहिए। यदि संघ लोक सेवा आयोग इनमें कोई छूट न देना चाहता हो तो मंत्रिमंडल इसे कर सकता है। तत्पश्चात्, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट में यह व्यवस्था थी परन्तु सरकार ने इससे इन्कार कर दिया। सदन इस प्रश्न पर निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम है। अधिकतर पद तदर्थ आधार पर भरे जाते हैं। कुछ लोग तो 20 वर्षों से तदर्थ आधार पर कार्य कर रह हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन कैसे चल सकता है?

महोदय, बेरोजगारी की समस्या विकट होती जा रही है। प्रशासन ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बनाया है।

जब तक यह नहीं होता, तब तक युवा पीढ़ी क्या करेगी? यदि हम उनके रोजगार के लिए उचित अवसर पैदा करके उन्हें यथोचित रोजगार नहीं देते तो वह राष्ट्र-निर्माण में अपना योगदान कैसे देंगे?

चिकित्सा अधिकारी भी ऐसे दूर-दराज के क्षेत्रों में इसी प्रकार समस्या से जूझते हैं, वहां सुविधाएँ बहुत कम हैं। कुछ क्षेत्रों में तो उन्हें न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं। ये चिकित्सक वहां पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए भी न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। केन्द्रीय सरकार को उनके साथ कोई सहानुभूति क्यों नहीं है? जब न्यायालय के निर्णय के आधार पर इन चिकित्सकों को नियमित नियुक्ति दे दी जाती है तो उन्हें उचित सवंर्ग नहीं दिया जाता। वे आज भी संवर्ग-विहीन हैं, यद्यपि उस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का संवर्ग विद्यमान था और उसी सवंर्ग से चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी।

जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले सत्र के दौरान मैंने संघ राज्य क्षेत्र की विकास गतिविधियों की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। सभी विकास गतिविधियाँ ठप्प पड़ गई हैं। वहां न तो रेत मिलती है, न पत्थर और न ही सड़कें बन पाती हैं। जल-प्रदाय सम्बन्धी कई योजनाएं बहुत समय से लम्बित पड़ी है। ऐसा क्यों हैं?

अब पर्यावरण अधिकारियों से, पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। इसके पश्चात् रेत और पत्थर की आवश्यकता पड़ती है। इनके बिना तो कोई कार्य नहीं हो सकता। यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित हो तो यह केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह इस विशिष्ट समस्या को उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाए ताकि समस्या का शीघ्र निपटारा किया जा सके। उच्चतम न्यायालय से इस मामले का निपटारा करवाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। फिर, वन तथा पर्यावरण मंत्रालय अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन को यह सलाह देता है कि वह न्यायालय में जाए। अब चूंकि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र है, उन्हें हमारे विरुद्ध न्यायालय में जाने को कहा गया है। यह कैसा पक्षपात है?

जहां तक मुख्य भूमि का सम्बंध है, मैं समझ सकता हूँ कि वहां बहुत सी नदियां हैं और रेत भी उपलब्ध है। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पत्थरों की बहुत सी खदानें हैं और चारों ओर समुद्र है। इसी कारण सभी क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था।

सौभाग्य से, पर्यावरण और वन मंत्री अपने मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के साथ पोर्ट ब्लेयर गए थे और अब उन्हें लोगों की सभी समस्याओं की जानकारी हो गई है। उन्होंने एक साल के लिए रेत एकत्रित करने की अनुमति दे दी है। परन्तु उसके लिए भी काफी शर्तें रखी गई हैं और पता नहीं एक ट्रक रेत निकालने में कितना समय लगेगा। पत्थर एकत्रित करने के लिए भी यहीं शर्तें हैं।

मैं यह सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सीमाएं म्यानमार थाईलैंड, मलेशिया और इण्डोनेशिया से जुड़ी हैं। अतः इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में होने के कारण केन्द्र सरकार को सभी पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए था।

[श्री मनोरंजन भक्त]

महोदय, मैं अद्यतम सुरक्षा स्थिति का भी उल्लेख करना चाहूंगा।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे यह विकल्प उठाना पड़ा है परन्तु मैं मजबूर हूँ। बहुत से अनधिकृत शिकारी घुसपैठ कर रहे हैं। प्रत्येक महीने उनकी नावों को पकड़ा जा रहा है। म्यानमार के 119 लोगों को अभी हाल ही में वापस भेजा गया है। एक भी साल ऐसा नहीं बीता जब बहुत से विदेशी शिकारियों को नहीं पकड़ा गया हो। उनमें से कुछ तो बच कर निकल गए और कुछ भाग गए।

सभापति महोदय : श्री मनोरंजन भक्त, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप कितना समय लेंगे? पिछले सत्र में आपने 10 मिनट तक बोला था और अब आपने 40 मिनट खर्च कर दिए हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय मैं शीघ्रातिशीघ्र अपनी बात पूरा करने का प्रयास करूंगा।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात जल्दी समाप्त करें क्योंकि श्री चित्त बसु को एक बैठक में जाना है और वह भी बोलना चाहते हैं। उन्हें अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के कल्याण में बहुत रुचि है। अतः उन्हें भी बोलने का अवसर दें।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, जल्दी से जल्दी अपना भाषण पूरा करने का प्रयत्न करूंगा।

महोदय, मैं हमेशा एक अनुशासित सदस्य रहा हूँ जैसा कि आप जानते ही हैं ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब वहां की जनसंख्या कितनी है।

श्री मनोरंजन भक्त : अब लगभग 3.5 लाख होगी। जनसंख्या अनुपात भी देखा जाए तो सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? वह तो एक राज्य है। उनकी जनसंख्या तीन लाख है जो यहां पर जनसंख्या से कम है। इसलिए वह प्रश्न ही नहीं उठता।

सभापति महोदय : वहां कितने जिले हैं?

श्री मनोरंजन भक्त : वहां दो जिले हैं - अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह दस डिग्री चैनल द्वारा विभक्त हैं।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन में केन्द्र की मुख्य भूमिका होती है। आज भी योजनाओं पर खर्चा करने के लिए योजनाओं पर चर्चा के पश्चात उन प्रस्तावें को हमें पुनः केन्द्र को भेजना पड़ता है और फिर यह उन पर निर्भर करता है कि वह उसे स्वीकृति प्रदान करें अथवा अस्वीकार करें। इसमें छः महीने से एक साल भी लग सकता है। कभी-कभी तो उस वर्ष का बजट समाप्त हो जाता है। इसके लिए कोई विशेष तिथि आदि निर्धारित नहीं है।

इसी तरह, जब हम किसी मंत्रालय के पास जाते हैं उनकी प्रथम प्रतिक्रिया यही होती आप गृह-मंत्रालय जाएं। गृह-मंत्रालय ही सब कुछ करेगा। गृह-मंत्रालय क्या कर रहा है? संघ राज्य क्षेत्रों की अनुदान की मांगों को पारित करवाने के लिए वह मंत्रालय सभी अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों से प्राप्त आंकड़ों को समेकित कर लेता है और संसद में प्रस्तुत करके इसे पारित करवा लेता है। इसीलिए, आप केवल यह कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय एक संयोजक मंत्रालय है। अन्य मंत्रालय - जो उत्तरदायी है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, उन्हें राज्य क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखना होगा और ऐसा अपने-अपने क्षेत्रों में करना होगा।

महोदय, अब आप प्रशासन की शक्तियों को ही लें। आप समझ सकते हैं कि यह कैसे चल रहा है। दिल्ली प्रशासन को तो एक अलग किस्म की शक्ति प्राप्त है। जबकि पांडिचेरी के प्रशासक को अलग किस्म की शक्ति प्राप्त है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन को अलग किस्म की शक्ति मिली होती। ऐसा क्यों है? अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह मुख्य भूमि से 2,000 कि. मी की दूरी पर स्थित है, दिल्ली से यह 2,500 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अतः, प्रशासकों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। यदि आप दिल्ली के प्रशासकों को कम शक्तियां भी देते हैं तो यहां चल सकता क्योंकि मंत्रालय कुछ ही दूरी पर स्थित है। यही कारण है कि इस तरह की दलील मेरी समझ में नहीं आती। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के प्रशासक को पांडिचेरी और इन क्षेत्रों के प्रशासकों जो मुख्य भूमि में स्थित है, की तुलना में कम शक्तियां क्यों दी गई हैं।

अतः, इस संबंध में कुछ तर्कसंगत पहल की जानी चाहिए। उन्हें हमेशा के लिए इसका फैसला करना होगा। यह सम्भव नहीं है कि हम हर दिन यहां आकर यह मांग करें कि 'हमें यह दो और वह दो।' इसके पश्चात् क्या होता है? केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रदेश के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे हर्ष है कि श्री मोहम्मद मकबूल डार, जो गृह राज्य मंत्री हैं, यहां उपस्थिति हैं।

पोर्ट ब्लेयर में आग लगने की एक भारी दुर्घटना घटी थी। बाजार का एक भाग, जो कि मुख्य कारोबार का केन्द्र था, पूरी तरह जल कर भष्ट हो गया था। इससे करीब 500 लोग प्रभावित हुए थे। करीब 49 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। आग के शिकार व्यक्तियों का अपना कुछ भी नहीं बचा। अंडमान प्रशासन उप-राज्यपाल और अधिकारियों ने प्रशासनिक कार्य किया, यह मैं खुलकर कहता हूँ।

मैंने इस संबंध में गृह मंत्री जी से बातचीत की थी। मैंने गृह

राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय के अधिकारियों से भी इस संबंध में बातचीत की थी। गृह राज्य मंत्री श्री मोहम्मद मकबूल डार ने अधिकारियों के एक दल के साथ इस द्वीप समूह का दौरा किया था। उन्होंने खुद देखा कि वहां क्या हुआ था। मुझे गृह मंत्रालय और अधिकारियों की वफादारी पर कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही, इसका कुल परिणाम वही निकला जो मैं कहना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री राहत कोष से कोई सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसके लिए एक रुपया भी नहीं दिया गया। उस घटना में जिन लोगों के घर बर्बाद हो गये थे जिन दुकानदारों की दुकानें जल गई थी उनके पुनर्वासन के लिए नगर परिषद नई दुकानें बना रही हैं। जो बेघर हो गए उन्हें तब तक के लिए सरकारी आवास उपलब्ध कराया गया है जब तक कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती। लेकिन वे मकान मालिक हैं जिनका घर बर्बाद हो गया, जिन्होंने अपने आय के श्रोत खो दिये हैं, उनके लिए गृह मंत्रालय या अन्य किसी प्राधिकरण ने कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया।

जब, 1974 में इसे बाजार के दूसरे भाग में ऐसी ही आग लगने की घटना हुई थी तब सरकार ने मकान के निर्माण के लिए मकान मालिकों को कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराया था। सरकार ने कम ब्याज दर पर उन दुकानदारों को, जिनका सबकुछ बर्बाद हो गया था, कार्य पूंजी उपलब्ध करायी थी। ऐसा क्यों ? क्या हुआ ? पहले की भांति ही इस बार भी वैसा क्यों नहीं किया गया ? यह मेरी समझ में नहीं आता। इसके पीछे क्या कारण है मेरी समझ में नहीं आता।

मुझसे यह कहा गया था कि नहीं, उन्हें बैंक द्वारा सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। मैंने बैंक से लोगों से जब पूछताछ की तब उन्होंने बताया कि इस पर 17 से 18 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। आग के शिकार व्यक्तियों ने अपना सब कुछ खो दिया है। क्या उन्हें सहायता देने का यही तरीका है ? साथ ही यह ऋण उन्हें तभी उपलब्ध कराया जाता जब वे अपनी भूमि गिरवी पर रखते हैं। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की समस्त भूमि सरकार की है। यदि मैं अपने अधिकारों का हस्तांतरण भी करना चाहूं तो भी मुझे इसके लिए सरकार के पास आवेदन करना होगा। यदि सरकार मुझे इसकी अनुमति देगी तभी मैं वैसा कर सकता हूं। ऐसी स्थिति में इसके पीछे क्या तर्क हैं ? यह मेरी समझ में नहीं आता। वे मकानों के निर्माण और कार्य पूंजी हेतु सहायता क्यों नहीं देते ? पहले ऐसा किया गया है। ऐसा उदाहरण विद्यमान है। अतः मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अपने उत्तरदायित्व को समझें और उसे निभाएं।

सभापति महोदय : श्री मनोरंजन भक्त आप 55 मिनट बोल चुके हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूं। मैं समझता हूं कि कुछ अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका देना चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं वही कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मेरे विचार से अब आपको अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

महोदय, यही कारण है कि अंत में आपको और सरकार को बताना चाहता हूं कि समय कम है हमें इससे उत्पन्न होने वाली स्थिति को समझना चाहिए और फिर जब आप यह महसूस करते हैं कि इस विधेयक को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों, जिसके वे हकदार हैं, उपलब्ध न कराये जाने का कोई कारण नहीं। जब आप यह महसूस करते हैं कि वहां के लोगों का विकास न होने का कोई कारण नहीं है और उन्हें अपने अवसरंचनात्मक विकास, परिवहन और संचार, शिक्षा के लिए हमेशा दिल्ली की ओर नहीं देखना चाहिए उन्हें कल्याणकारी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र से कोई सबक नहीं सीखा है। यदि वे बंगाल की खाड़ी में एक और समस्या पैदा करना चाहते हैं तो निःसन्देह, सरकार को वैसा करने से कोई नहीं रोक सकता।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : हमारा अनुकरण न करें।

श्री मनोरंजन भक्त : हम आपका अनुकरण नहीं करते। हम उन लोगों के पद्चिन्हों पर चलते हैं जो पोर्ट ब्लेयर के केन्द्रीय जेल में थे। आज भी यदि कोई व्यक्ति अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की यात्रा करता है तो वह देखेगा की वह वही स्थान है जहां नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। मुझे उम्मीद थी कि केन्द्रीय सरकार उस क्षेत्र में जहाँ की भूमि उन्होंने जापान के साम्राट से छीना था। और जहां उन्होंने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था, कुछ बड़ी परियोजनायें स्थापित करेंगी। तत्पश्चात कर्नल लोकनाथन वहां का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया था, जो कि देश के उस भाग के पहले भारतीय मुख्य आयुक्त थे।

इसलिए, जब कोई सेल्यूलर जेल की लाल ईटों को देखता है तो वह पाएगा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और वे सभी जिन्होंने फांसी का तख्ता, जेल देखा है, कितनी यातनायें भोगी हैं। शायद हम उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। हम नहीं समझ सकते। यही कारण है कि मैं इस सभा से और सरकार से विधेयक को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। हमें इसे सर्वसम्मति से पारित कर इस सभा में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारासट) : सभापति महोदय, निर्धारित समय से कुछ पूर्व मुझे बुलाने के लिए मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आज अपराह्न 5.00 बजे मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेना है।

[श्री चित्त बसु]

इस सभा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उन माननीय सदस्यों को सुनने का मौका मिला जिन्होंने केन्द्र शासित प्रदेश के स्थान पर एक राज्य विधान मंडल की अविलम्ब आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। हमने इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता श्री बसुदेव आचार्य से पहले ही इस संबंध में दिये गए तर्कों को सुना है। उन महत्वपूर्ण और लम्बे भाषणों को सुनने के पश्चात् मैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी एक लम्बा भाषण नहीं दे सकता।

महोदय, हमारे देश में संसदीय लोकतत्र हेतु कतिपय मानदंड हैं जो देश के संविधान में उल्लिखित हैं। मैंने 'देश का संविधान' का उल्लेख इसी तथ्य को देखते हुए किया कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह देश के संविधान के भाग आठ के अध्यधीन संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया है और देश के संविधान के भाग-आठ और संघ राज्य क्षेत्रों के संविधान के अनुच्छेद 239, अनुच्छेद, 239क, और अनुच्छेद 240 द्वारा शासित किया जाता है।

अभी भी वह जोश वहां विद्यमान है और संविधान सभा द्वारा इस संविधान को पंजीकृत किए जाने से लेकर अनेक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कम से कम हमारे पास नए अनुभव विद्यमान हैं और उस आधार पर हमें संघ राज्य क्षेत्र की समस्या को एक सम्पूर्णता के रूप में देखना चाहिए। मेरे विचार में अब वह समय आ गया है जब संघ राज्य के प्रशासन की दृष्टि से संविधान में व्यापक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं अपने विचार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। जहां तक भारतीय लोकतंत्र का संबंध है तो हम मुख्य रूप से चार मानंदडों को स्वीकार करते हैं।

पहला, इस देश के प्रत्येक नागरिक को निर्वाचित करने और निर्वाचित होने का अधिकार है। मुझे आपको निर्वाचित करने का अधिकार है और आपके द्वारा मुझे निर्वाचित होने का भी अधिकार है। यह लोकतंत्र का मूलभूत सिंद्धात है।

दूसरे, इस देश के नागरिक होने के नाते, मुझे देश तथा संघ क्षेत्र के भाषण में निर्णय लेने सम्बन्धी प्रक्रिया में योगदान करने का पूरा हक है। अतः दोनों तरह से 2.70 लाख भारतीय नागरिकों को, जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, भारतीय नागरिकता के मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

तीसरे, आज के समय की मांग है, शक्ति का विकेन्द्रीकरण। शक्तियों के केन्द्रीयकरण के दिन अब बीत चुके हैं। आज से 50 या 60 वर्ष पूर्व हमारे संविधान-निर्माताओं ने भारतीय उप-महाद्वीप और विश्व की स्थितियों के विषय में बहुत अलग ढंग से विचार किया। आज वह परिस्थितियां सर्वथा भिन्न हैं। आज शक्ति के केन्द्रीकरण की कोई सम्भावना नहीं है। वक्त की एक ही मांग है - विकेन्द्रीकरण। केवल यही आजकल का एकमात्र विषय नहीं है, और भी बहुत से प्रश्न हैं।

चौथी बात सुविधाविहीन तथा अधिकारविहीन लोगों को शक्ति सम्पन्न बनाना है।

चार मौलिक मापदण्ड हैं। चुनने और चुने जाने का अधिकार, योगदान करने और शासन करने का अधिकार, शक्ति प्राप्त करने का अधिकार और विकेन्द्रीकृत संघ को चलाने का अधिकार। इन चार मामलों में, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय सदस्य मुझसे पूर्णतया सहमत होंगे।

चूंकि यह संविधान सभा और लोकतंत्र सभा का उद्देश्य है, अतः मैं हृदय से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। यदि हम इस उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं, तो हम संसद और संविधान की अवमानना करते हैं। किसी को भी हमारे संविधान की आत्मा का निरादर करने का अधिकार नहीं है—जो चुनना और चुने जाने का अधिकार और भागीदारी और शासन में भागीदारी करने का अधिकार है।

यह मूल सिद्धांत है और यहाँ चुन कर आए हुए प्रत्येक सदस्य को मतदाताओं की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। दुर्भाग्य से अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को यह सुविधा नहीं मिली है।

महोदय, मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पंचायती राज शुरू किया जा चुका है। सोने पर सुहागा तो यह है कि पंचायत तो है परन्तु उसके पास कोई शक्तियां नहीं हैं। पंचायत तो एक चपरासी तक भी नियुक्त नहीं कर सकती, उस गांव की सड़क का निर्माण करवाने की भी शक्ति नहीं हैं। यह कैसी पंचायत है? मैं गृह राज्य मंत्री को यह कहना चाहता हूँ कि उन्हें हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 73 का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। पंचायत को सही अर्थों में पंचायत होना चाहिए। पंचायत को कोई स्वैच्छिक या केन्द्रीयकृत विषय नहीं बनाया जाना चाहिए और यह संविधान के लिए एक अपराध होगा।

महोदय, जब वहां पर पंचायतीराज है तो वहां बड़ी अर्थव्यवस्था और विधान मंडल बनाने में सरकार के सामने क्या समस्या है? इसलिए अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह के सदस्य के अनुभवों को सुनकर मेरे सपने और भी भंग हो गए हैं। अनुमान समिति ने इसकी सिफारिश की है। उन्हें भी यही सिफारिश करनी चाहिए, चूंकि मैं भी तो यही सिफारिश कर रहा हूँ। अतः अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए अधिक लोकतंत्र की मांग करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अण्डमान और निकोबार के लिए राज्य की स्थिति की मांग करते हुए, मैं सरकार का ध्यान अण्डमान और निकोबार के लोगों की कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

सबसे पहले मैं यहां के मूलनिवासियों के समाप्त-प्रायः होने की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। मुझे बहुत लम्बे उद्धरण देने हैं। मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा।

सभापति महोदय : मैं एक क्षण के लिए आपको रोकना चाहूंगा। आज के इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए 4.32 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। यदि सदस्य चाहें तो इसे 6.00 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि मंत्री जी इसका उत्तर आज देंगे या नहीं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, वह इसके लिए तैयार नहीं है।

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी) : महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूँ। मैं संघ राज्य क्षेत्र से हूँ।

सभापति महोदय : मंत्री जी, क्या आप आज ही उत्तर देंगे या नहीं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): महोदय, मैं सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करता हूँ। जैसा वह कहें मैं वैसा करने को तैयार हूँ।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हमें समय बढ़ा देना होगा।

सभापति महोदय : बहस का समय 6.00 बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री चित्त बसु : महोदय, वहां के मूल निवासियों के लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। यह दर्शाने वाले मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के मूल निवासी अब लुप्त हो रहे हैं। बहुत कम शेष बचे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इन मूल निवासियों को पढ़ाने लिखाने और सभ्य बनाने में और उनकी अच्छी देखभाल में रुचि लेनी चाहिए। उन्हें विलुप्त मत होने दें।

दूसरे, मुझे इस बात की बहुत आंशका है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां अण्डमान को एक मुक्त पत्तन बनाना चाहती हैं जो लगभग हौंग-कौंग का विकल्प जो दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े पत्तनों का विकल्प बन सके। यह अण्डमान और निकोबार के पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह पर्यावरणीय खतरा नहीं है बल्कि और भी बहुत कुछ है। मैं पर्यावरण विशेषज्ञ नहीं हूँ। बहु-राष्ट्रीय निगम भी इसे कर-मुक्त व्यापार केन्द्र बनाने में रुचि रखते हैं। महोदय वे ठीक कह रहे हैं अण्डमान एक सामरिक महत्व का क्षेत्र है, जहां बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं मिलती हैं। वहां थाईलैंड, वियतनाम, इन्डोनेशिया अन्य सीमाएं मिलती हैं। वहां पर तो शक्तियों का खेल हो रहा है। हम पश्चिमी अर्धव्यास के पूंजीवादियों के सामरिक षड्यन्त्रों को नहीं भूल सकते।

अतः मैं अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के विकास का समर्थक हूँ। परन्तु यह विकास अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए भारतीय सुरक्षा चक्र में विदेशी सामरिक हितों के रक्षार्थ नहीं। अन्यथा, इससे भारतीय सुरक्षा के खतरे बढ़ेंगे।

वानिकी, समुद्री-जीवों और जैव-विविधता के संदर्भ में अण्डमान और निकोबार की सम्भावनाएं अच्छी हैं। आज का संसार इस जैव-विविधता के पीछे हाथ धो कर पड़ा हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में और विशेषकर अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में यह जैविक-विविधता बहुत अधिक है। आजकल जीन्स का बहुत महत्व है। इसलिए भारत सरकार को लाभ कमाने के लिए अण्डमान की भूमि, अण्डमान के पर्यावरण के इस प्रकार के शोषण से सजग रहना चाहिए, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी बन सकती है। यदि हम इन चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं तो इसके लिए अधिक लोकतांत्रिक मूल्यों की आवश्यकता है और लोगों द्वारा क्षेत्र के शासन और विकास गतिविधियों में भाग लेने की अधिक सम्भावनाएं जुटानी होंगी। इससे खतरे कम होंगे और क्षमताओं का उपयोग हो सकेगा। मुझे आशा है कि सरकार ने यदि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को अभी तक राज्य का दर्जा देने सम्बन्धी प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया है, तो अब इस पर विचार करेगी। सरकार को तुरन्त इसे राज्य का दर्जा प्रदान करना चाहिए ताकि अण्डमान और निकोबार के लोग स्वंय को संजोकर रख सकें। राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दे सकें और राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें।

मेरा आखिरी मुद्दा है यह वर्ष नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म शताब्दी वर्ष है। मैं आपको विनम्रतापूर्वक याद दिलाना चाहूंगा कि जब नेता जी सुभाषचन्द्र बोस अण्डमान और निकोबार की भूमि पर उतरे, तो उन्होंने स्वतंत्रता का झंडा फहराया था और उन्होंने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को शहीद और स्वराजद्वीप का नाम दिया था। मुझे आशा है कि यदि संभव हो, तो हमारे देश के उस महान देशभक्त, लोकतांत्रिक तथा नेता के प्रति आदर व्यक्त कर उसकी इच्छाओं के अनुरूप अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह का नाम बदल कर शहीद और स्वराज द्वीप रख दिया जाए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं श्री आचार्य द्वारा पेश किए गए "संघ राज्य और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह विधेयक 1996" का हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ।

श्री मनोरंजन भक्त ने ठीक ही कहा है कि चाहे अण्डमान

[कुमारी ममता बनर्जी]

और निकोबार एक छोटी सी जगह है परन्तु है बहुत सुन्दर। भौगोलिक रूप से यह लम्बा चौड़ा है और यहां की जनसंख्या लगभग 3.5 लाख है मैंने स्वयं अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह का दौरा किया है और मैंने अपनी आंखों से स्वयं इस क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं का दिग्दर्शन किया है। बाहर के लोग तो केवल सैर करने के लिए ही यहां आते हैं। यह सुन्दर है और क्षमता से परिपूर्ण है। इस क्षेत्र के लोग लम्बे समय से राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं।

महोदय, इस विधेयक पर बोलने से पूर्व मैं अपने देश के सपूत नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को याद करना चाहती हूँ। हम सबको याद है कि वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली प्रान्तीय सरकार बनाई थी। यह स्वतंत्रता से पूर्व और उनके द्वारा भारत छोड़ने से पूर्व प्रान्तीय सरकार का मुख्यालय था। यह आजाद हिन्द फौज का भी मुख्यालय था। इसीलिए उन्होंने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को शहीद द्वीप या स्वराज द्वीप का नाम दिया था।

अतः यह बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इस वर्ष हमारा राष्ट्र नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी मना रहा है और सरकार उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रही है। जब नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने स्वयं प्रान्तीय स्वतन्त्र सरकार को उस विशिष्ट स्थान पर घोषित किया और जब हम स्वतन्त्रता आन्दोलन की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो क्यों न हम अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को इस विधेयक के माध्यम से राज्य का दर्जा प्रदान करें? इसमें बुराई ही क्या है? अब अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। मैं यह नहीं कर रही हूँ कि केन्द्रीय सरकार अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैं अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों का दौरा कर चुकी हूँ और जिन जगहों पर मैं रुकी थी वहां का रख-रखाव भी देख चुकी हूँ। रख-रखाव वास्तव में बहुत अच्छा है। खराब नहीं है परन्तु एक लोकतांत्रिक देश और व्यवस्था में, लोगों का प्रतिनिधित्व और लोगों की भागीदारी की चिन्ता का विषय है और इसीलिए पिछली बार जब वहां पंचायत और नगर निगम के चुनाव हुए थे मैं वहां गयी थी। यह पहला मौका था जब वे पंचायतों और नगर निगमों के सदस्यों के रूप में चुने गए थे। परन्तु यदि एक पंचायत के सदस्य को एक मजदूर मात्र को भी नियुक्त करने का अधिकार नहीं है तो वह कार्य कैसे करेंगे यदि वह कुछ कार्य करना चाहें तो भी वह कार्य कैसे करेंगे। प्रत्येक राज्य में केन्द्र सरकार सीधे पंचायत के द्वारा धन दे रही है। यह संघ राज्य क्षेत्र है परन्तु क्या आप कह सकते हैं कि धन पंचायत राज तक नहीं पहुंचना चाहिए। तब इस संसद में इस विधेयक में एक और संशोधन होना चाहिए। कुछ भेदभाव हो सकता है। आप लोगों के अधिकार, उनके लोकतांत्रिक अधिकार, आर्थिक अधिकार रोजगार के अधिकार और मूलभूत अधिकारों से कैसे वंचित कर सकते हैं। हम उनको इन अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। हमें अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य का दर्जा देने की घोषणा करनी चाहिए। मैं पहले कह चुकी कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने पहले वहां प्रादेशिक सरकार का गठन किया था। इसी कारणवश, मैं सुभाषचन्द्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि इस वर्ष इसे राज्य का दर्जा देने की घोषणा करें। यह पहला मौका नहीं है कि हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। 1991 में आश्वासन दिया गया था। जब दिल्ली ने राज्य के दर्जे की मांग की थी उस समय भी आश्वासन दिया गया था। प्राक्कलन समिति ने इस पर कई बार चर्चा की है। पांडिचेरी, गोआ, दमन और दीव और अन्य छोटे राज्यों तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की "सात बहनें" राज्यों को भी वचन दिया गया था। पांडिचेरी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें राज्य का दर्जा मिलने के बावजूद पूरी शक्ति नहीं दी गई।

श्री एम.ओ.एच. फारूख : हमारे यहां विधान मण्डल है परन्तु हमें पूरी शक्तियां नहीं मिली हैं। हमें राज्य का दर्जा नहीं मिला है परन्तु हमें विधानमण्डल मिल चुका है।

कुमारी ममता बनर्जी : यह क्या हो रहा है?

सभापति महोदय : संघ राज्य क्षेत्रों में, उन्हें शक्तियां मिल चुकी हैं।

श्री एम.ओ.एच. फारूख : संघ राज्य क्षेत्रों में, कई भिन्नताएं हैं। एक संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल के साथ है और एक संघ राज्य क्षेत्र के पास विधान-मण्डल नहीं है। एक संघ राज्य क्षेत्र है जहां पर केवल प्रशासक है। संघ राज्य क्षेत्रों को भी पूरी शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। यह भेदभाव है जो ये लोग कर रहे हैं। विधान मण्डल देते समय, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को सारी शक्तियां दी जानी चाहिए। यह हमारी प्रार्थना है।

सभापति महोदय : पाण्डिचेरी की क्या स्थिति है।

श्री एम.ओ.एच. फारूख : पाण्डिचेरी में कुछ शक्तियां उप-राज्यपाल के पास हैं और विधान सभा के पास बहुत अधिक शक्तियां नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कार्यालयों में, वस्तुतः हमारे पास शक्तियां नहीं होती है। सेवा सम्बन्धी मामलों में उप-राज्यपाल प्राधिकारी है। क्या यह लोकतंत्र है? हम इसके लिए मांग कर रहे हैं। मेरी मित्र कुमारी ममता बनर्जी की प्रार्थना है कि उनके पास एक विधान मण्डल होना चाहिए। मेरी प्रार्थना उससे ज्यादा है। उनके पास पूरा विधान मण्डल एक राज्य की सारी शक्तियों के साथ होना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ जो पाण्डिचेरी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है। एक राज्य और दूसरे

राज्य में न केवल विधान मण्डल बल्कि इसी समय शक्तियों के मामले में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर से, मैं केवल पाण्डिचेरी और अण्डमान निकोबार के बारे में ही प्रार्थना नहीं कर रही हूँ अपितु अन्य राज्यों के लिए भी यदि वहां कुछ भेदभाव और भिन्नता हो उनके लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ।

यह सही है कि कुछ लोग जनसंख्या के बारे में अपनी आवाज उठा रहे हैं। परन्तु हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि कुछ मारीशस और मालद्वीप जैसे देश हमारे मित्र देश हैं उनकी कितनी जनसंख्या है। क्या आप लोगों की शक्ति की तुलना जनसंख्या से करते हैं या क्या आप लोगों की शक्ति की तुलना लोगों के प्राधिकार और उनके अधिकारों से करते हैं। इस प्रकार, जनसंख्या का कोई मानदण्ड नहीं है। ऐसा मैं सोचती हूँ। आप द्वीप समूह द्वारा घेरे गए क्षेत्र विशेषकर समुद्र-अंचल क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। यह बहुत ही महंगा है। रेत तक नहीं ला सकते हैं।

सभापति महोदय : ममता जी, क्या मैं एक मिनट के लिए बोल सकता हूँ।

माननीय सदस्यों, सभा में सभापति तालिका के कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं हैं। मुझे किसी अत्यावश्यक कार्य हेतु जाना है। इसलिए यदि मुझे सभा की अनुमति मिले, तो मैं बाकी समय के लिए श्री.ए.सी.जोस को सभापतित्व के लिए कह सकता हूँ। यदि मुझे सभा की अनुमति मिले, मैं ऐसा करूंगा। यदि नहीं, मुझे ही सभापतित्व निभाना होगा। क्या ऐसा हो सकता है।

कई माननीय सदस्य : जी, हाँ।

सभापति महोदय : मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कुमारी ममता बनर्जी, आप अपना भाषण जारी रखिए।

अपराह्न 4.48 बजे

[श्री ए.सी.जोस *पीठासीन हुए*]

कुमारी ममता बनर्जी : इस सरकार की तरह हमारे कार्यवाहक सभापति को यह देखना चाहिए कि यह विधेयक आज ही पारित हो - जैसाकि नेताजी सुभाष बोस ने उस समय घोषणा की थी।

भौगोलिक क्षेत्र एक अत्यधिक बड़ा क्षेत्र है। जैसा कि मैं पहले कह चुकी, यह एक अत्यधिक महंगा क्षेत्र है। उन्हें रेत भी कलकत्ता से या अन्य स्थानों से मंगवानी पड़ती है। यह बहुत महंगा है। वहां सड़क संचार सुविधा नहीं है। वहां रेल संचार भी नहीं है क्योंकि यह एक समुद्र अंचल है। वहां उद्योग नहीं है इस प्रकार वहां पर रोजगार के अवसर नहीं हैं। ग्रामीण और समतल क्षेत्र बहुत कम है। भोजन के लिए भी लोगों को जहाजों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि जहाज बाहर से आते हैं। वे सभी सामान और अन्य चीजों को ढोते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि यह बेहतर होगा कि लोग जिम्मेदारी उठाएं। लोगों के प्रतिनिधि लोगों की तकलीफों को उचित ढंग से दूर करने के उपाय करें। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में, हमें अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के लोगों पर यह छाप नहीं छोड़नी चाहिए कि वे दूसरे दर्जे के नागरिकों के समान हैं। उन्हें राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार है। उन्हें राज्य सभा सदस्यों को भी चुनने का अधिकार है। वे ऐसा क्यों नहीं करें। यह मेरा माननीय मंत्री से विनम्र परामर्श है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस समस्या पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें जिससे कि लोग भविष्य में पीड़ित न हों।

महोदय एक कहावत है कि एक दिन के लिए शेर बनना बेहतर है सारी जिन्दगी भेड़ रहने के बजाय। आज हम जो कुछ भी कह रहे हैं, हम अपने दिल से कह रहे हैं। एक भोजन एक आदमी को सुपाच्य हो सकता है परन्तु यही दूसरों के लिए सुपाच्य नहीं हो सकता।

परन्तु जहां तक इस विधेयक को पारित किए जाने का सम्बन्ध है हर कोई सोचता है कि यह हर किसी को सुपाच्य है।

इसलिए यह मेरी माननीय मंत्री से विनम्र विनती है कि कृपया इस विधेयक को स्वीकार करें और इसे पारित करें क्योंकि किसी के सोचने में न कोई भेदभाव है और न ही कोई भिन्नता है क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है।

महोदय, मैं यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक कहावत है "मृत्यु के बाद डाक्टर आता है"। हमारे देश में कुछ ऐसे इलाके है जहां लोग अपने अधिकारों से वंचित है क्योंकि वहां पर उत्पीड़न जारी है। इसी कारणवश कभी उत्तराखण्ड में, कभी झारखण्ड में, कभी जम्मू और कश्मीर में, कभी पंजाब में, कभी दार्जिलिंग मेरे राज्य में हम देखते हैं कि लोग मांग करते हैं कि उन्हें पूरे राज्य का दर्जा चाहिए। परन्तु मेरे विचार से अण्डमान और निकोबार एक अलग भाग है और इसी कारण हम इसका पूरा समर्थन करते हैं।

परन्तु इसी के साथ में माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह देखें कि आज त्रिपुरा में क्या हो रहा है - सामूहिक हत्याएं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सात बहनों वाले राज्यों में क्या हो रहा है? वहां पर अत्यधिक कठिन परिस्थिति है उग्रवाद के कारण। किसी भी समय वहां पर किसी भी प्रकार की भयानक दुर्घटना हो सकती है। श्री चित्त बसु ने भी इसके बारे में कहा है और इसके बारे में श्री मनोरंजन भक्त ने भी कहा है। वहां इण्डोनेयिशन सीमा है, वहां बर्मा की सीमा है मैं इसे जानता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमा है। मिजोरम और नागालैण्ड के साथ भी, विदेशी सीमाएं हैं। इसलिए. हमें सुरक्षा समस्याओं, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सुरक्षाओं पर भी ध्यान देना होगा।

[कुमारी ममता बनर्जी]

इसलिए मेरे विचार से यह बेहतर होगा कि राज्य के लोगों को राज्य का दर्जा सौंप दें और अण्डमान और निकोबार राज्य विधान मण्डल को सभी प्रकार की शक्तियाँ सौंप दें जिससे कि वे ऐसा न महसूस करें कि उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की उपेक्षा की जा रही है।

इन शब्दों के साथ, सभापति महोदय मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि जैसा कि आपका नाम 'जोस' है, मेरे विचार से आपकी ओर से पीठासीन पद से भी इसमें कुछ 'जोश' होगा।

सभापति महोदय : जी हाँ जरूर।

कुमारी ममता बनर्जी : सभी आज प्रतीक्षा कर रहे हैं यह देखने के लिए कि इस विधेयक को पारित होने के बाद क्या एक नए युग की शुरूआत होगी। लोग इसे जानें। कम से कम, यदि कोई अच्छा परामर्श आता है तो हमारा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण नहीं है तो हमें विभाजित करें। हम इस मुद्दे पर एकजुट हैं।

इसलिए मैं एक बार फिर देश की बेहतरी और लोगों की बेहतरी के लिए इस विधेयक को पारित किए जाने का अनुरोध करना चाहूंगी। क्योंकि सरकार जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री बसुदेव आचार्य द्वारा लाए गए विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। केवल इतना ही नहीं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ क्योंकि उन्होनें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दलित लोगों का चिरकालीन इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु यह व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया है।

मैं समझता हूँ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह वासियों के लिए यह एक ऐतिहासिक एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन है। हम सब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सामाजिक-आर्थिक एंव राजनीतिक परिस्थितियों से परिचित हैं।

हमारे सहयोगी, श्री मनोरंजन भक्त ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति के बारे में विस्तार से बताया क्योंकि वह उनकी समस्याओं से भली-भांति परिचित हैं। हमारे एक और वरिष्ठ मित्र तथा नेता, श्री चित्त बसु ने भी इस विधेयक के अनेक पक्षों से अवगत कराया।

महोदय हमें इस पर गर्व है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र के नागरिक हैं। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोग अपने अधिकार से वंचित हैं। उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार सही मायनों में नहीं मिले हैं। उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है। उन्हें अपनी विधान सभा चुनने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें अभी तक अपना भाग्य संवारने हेतु अपनी सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। वहां कुछ पंचायतें और नगरपालिकाएं अवश्य हैं, पर वे किसी काम की नहीं हैं। हमें उन्हें यह अधिकार देने चाहिएं। हमें इस विधेयक पर एकमत से समर्थन करना चाहिए जिससे कि वे अपनी सरकार बना सकें, अपना प्रतिनिधि चुन सकें, अपनी विधान सभा बना सकें और सैकड़ों साल से चली आ रही अपनी समस्यायें सुलझा सकें।

अंडमान और निकोबार के लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। हमारे कुछ मित्रों ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की भूमिका का उल्लेख किया है। हम इस वर्ष नेताजी की जन्मशताब्दी और आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमें यह विधेयक पारित करना चाहिए जिससे कि ये लोग अपनी विधान सभा चुनकर अपना भाग्य सवांर सकें।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आर्थिक रूप से इतना पिछड़ा है कि वहां कोई विकास नहीं हुआ है। इस द्वीप समूह की आर्थिक उन्नति, विकास और खुशहाली के लिए कोई भी सकारात्मक और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि ये द्वीप समूह संसाधनों से परिपूर्ण हैं तथा दलित लोगों के उत्थान की सारी सम्भावनाओं से भरे हैं फिर भी मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि दलित लोगों के उत्थान तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आर्थिक उन्नति के लिए या विकास के लिए कोई भी सकारात्मक और प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। इन द्वीप समूहों में बहुत से आदिम लोग हैं। परन्तु उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज की सभ्यता के इस युग में भी वे गहन अन्धकार में जी रहे हैं। अंडमान और निकोबार के लोग देश की मुख्य धारा से कट गए हैं। उन्हें आज की सभ्यता से नहीं जोड़ा गया है। वे गरीबी की रेखा के नीचे और अज्ञानता के अन्धकार में जी रहे हैं। इसलिए, इस विधेयक को पारित करना हमारा सर्वप्रथम कर्त्तव्य बनता है जिससे कि वे अपनी सरकार बना सकें और आगे आएं तथा अपने लोगों का उत्थान कर सकें। उन्हें वर्षों से अन्धकार में रखा गया है।

कुछ लोग तथा कुछ संस्थाएं आदिम लोगों को देश की मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु सरकार की ओर से उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ने के कोई प्रभावी उपाय नहीं किए गए। दिल्ली में बैठकर अंडमान और निकोबार के लोगों का कल्याण करना सरकार के लिए संभव नहीं है।

इस स्थिति मे, मैं समझता हूँ कि हमें इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करना चाहिए। हालांकि इसमें राजनीतिक मतभेद हैं पर इन मतभेदों के बावजूद और दलगत राजनीतिक से ऊपर उठकर हमें एकमत से इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए जिससे कि यह विधेयक सर्वसम्मत रूप से पारित हो सके और हम अंडमान और निकोबार वासियों जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से

लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रहे हैं, को कुछ लोकतांत्रिक अधिकार दे सकें।

मैं पुनः इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूँ कि सभी सदस्यों से इस विधेयक को सर्वसम्मत रूप से पारित करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया, बिहार) : महोदय, मैं अपने वरिष्ठ साथी, माननीय वसुदेव आचार्य जी द्वारा पेश किए गए बिल जिसमें अंडमान और निकोबाद द्वीप समूह के लोगों की जनवादी आंकाक्षा है कि वहां एक निर्वाचित विधान सभा का गठन हो, का तहे दिल से समर्थन करता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

मुझे कुछ दिन पहले सौभाग्य प्राप्त हुआ, शहीदों की इस धरती को नमन करने मैं गया था। ऐसे मौके पर जब शहीदों की इस धरती पर पहुँचा तो हमारी आजादी के उन दीवानों को साम्राज्यवादी सल्तनत की ओर से जो यातनाएं दी गई थी, उस त्याग की धरती, यातना की धरती और शहीदों का जो वह स्मारक है, उस पर हमने पुष्पांजलि की। वहां के लोगों की शिष्टता, उनकी सज्जनता और अतिथि प्रेम अत्यन्त ही प्रशंसनीय है। लेकिन झुरमुट की ओट में चहकने वाले पक्षियों के स्वर सर्वदा हर्षगान नहीं हुआ करते। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के नागरिक शान्त हैं, सज्जन हैं, शिष्ट हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जाये कि उनकी आकांक्षा आजादी के पचासवें साल तक कुचली जाती रहे।

हम चाहे देश के किसी भी कोने के नागरिक हों, मैं बिहार के बेगूसराय जिले से आता हूँ और मुझे गौरव है कि हमारे जिले के भी कतिपय स्वतंत्रता सेनानियों ने कालापानी की सजा वहां की यातना भोगी थी। हमें गौरव होगा कि आजादी के इस पचासवें वर्ष में जिस दिन हम 15 अगस्त को राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे, हम चाहते हैं कि अभी माननीय राज्य मंत्री महोदय आज इस सदन में अंडमान निकोबार के लिए एक राज्य और उसकी विधान सभा के चुनाव की घोषणा करे और 15 अगस्त को उसका उद्घाटन इस देश के प्रधानमंत्री अंडमान निकोबार जाकर करें, तभी सही और सार्थक प्रयास होगा।

हम पिछड़ेपन के लिए आंसू रोज बहाते हैं, विकास की योजनाएं हम बनाते रहते हैं। जो भारत का नागरिक उस धरती पर जायेगा, वहां हमारे जो पदाधिकारी कार्य करते हैं, वे घर लौटने के लिए तरसते रहते हैं कि मेरे पिता का निधन हो रहा है, बूढ़ी मां बेटे के लिए कराह रही है, लेकिन नदी मार्ग से जाने में समय लगता है। वहां प्रतिदिन विमान यात्रा की भी सुविधा नहीं है। मुझे कहा गया है कि पहले इसकी व्यवस्था थी, रोज हवाई-जहाज आते थे, लेकिन ऐसी कौन सी कठिनाई हो गई, अंडमान निकोबार के लोगों से क्या गुनाह हुआ कि वहां कार्यरत कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिए प्रतिदिन जो विमान यात्रा की सुविधा थी, वह भी समाप्त कर दी गई ?

जिन कठिनाइयों के बारे में, जिन दुश्वारियों के बारे में वहां के हमारे साथी माननीय सांसद ने बातें की है। उनके साथ वहां भ्रमण करने का हमें मौका मिला था। पोर्टब्लेयर से मायाबंदर जाने का जो कठिन रास्ता है, एक-दो दिन में हम लोगों को जिन कठिनाइयों का वहां एहसास हुआ, आप अंदाजा कर सकते हैं कि प्रतिदिन पोर्टब्लेयर से समुद्र लांघकर जो हमारे नागरिक आते-जाते है, सुबह से उस किनारे पर बैठे रहते हैं कि काश अब उस पार हम जाएंगे। वहां उनके बच्चे आंखे लगाए रहते है कि हमारे पिताजी, हमारी माँ, हमारे चाचा कुछ कमाकर लाएंगें, संध्या होने को आती हैं, लेकिन वे लौटकर नहीं आते हैं, चूंकि कोई साधन नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि राज्य की घोषणा के पूर्व चूंकि बजट आ रहा है, अंडमान निकोबार में सड़क निर्माण के लिए और जहां-जहां पुल बनाने का प्रस्ताव आया है, उन तमाम स्थानों पर जो कठिन मार्ग हैं, वहां पुल के निर्माण की घोषणा आज इस सदन में माननीय मंत्री महोदय करेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं।

अधिकारों का जो प्रत्यायोजन होना चाहिए, वह प्रत्यायोजन की शक्ति केन्द्र सरकार में केन्द्रित है। अधिक शक्ति जहां केन्द्रित होती है, वहां भ्रष्टाचार पनपता है। हमने वहां जाकर देखा कि अगर कोई छोटा सा मकान किसी को बनाना है तो आप बालू निकालने की इजजात नहीं देंगे, समुद्र वहां हैं, उसका बालू वहां है, कंकड़-पत्थर वहां है और इस जनवादी देश में ऐसे तानाशाह बैठे हुए हैं, इस लोकतंत्र की नौकरशाही में तानाशाही रवैया है कि वहां के नागरिकों को समुद्र के किनारे से बालू निकालने की इजाजत नहीं है, पत्थर निकालने की इजाजत नहीं है। इस प्रतिबंध को पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। माननीय सदस्य ने जिस अग्निकांड की चर्चा की, मैं भी वहां गया था। लोगों के मकान जल गए हैं, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं। उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनका कौन-सा कसूर है, यह तो प्राकृतिक प्रकोप है। उनको समुचित राहत देने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से भी व्यवस्था की जा सकती है। अभी तक उन लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था नहीं की गई। मैं चाहता हूँ वहां के लोगों की शिष्टता को देखकर, उनकी सज्जनता को देखकर, उनके अतिथि प्रेम को देखकर और सबसे बढ़कर उनके राष्ट्र प्रेम को देखकर हमें उनके विकास के लिए आगे आना चाहिए।

हम आज महान क्रांतिकारी नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, राजाजी की पंचासवी सालगिरह मना रहे हैं तो इस अवसर पर उस क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता और वहां पर विधान सभा का गठन नहीं होता तो हम उस क्षेत्र को देश की मुख्य धारा से अलग करते

[श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह]

काम करेंगे। हमें उनको इसके लिए विवश नहीं करनी चाहिए कि वे अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की राह छोड़कर आंदोलन के रास्ते पर चलें।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि यह बड़ा ही मौजू समय है हमारे उन शहीदों के प्रति जिन्हें –

'वनिता की ममता न हुई,
सुत का न मुझे कभी छोह हुआ,
ख्याति, सुयश, सम्मान विभव का
त्योंहि कभी न मोह हुआ।
जिस छोर चला जब मैं
लगती फिर किस को देरी।।'

ऐसे शहीदों की धरती है, उसको नमन करने के लिए चलना चाहिए और अंडमान तथा निकोबार को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। अभी 15 अगस्त आ रहा है वहां झंडा फहराएं और विधान सभा चुनाव की घोषणा करें। हमारे साथी को यह मौका न दें कि वे इस बिल को वापस लें। लाचारी की सरकार चली गई, यह सरकार गम्भीरी सरकार है और जवाबदेह सरकार है। इसलिए हमारे साथी को बिल वापस लेने के लिए विवश नहीं करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : धन्यवाद, आप सब जानते हैं कि हमारे पास समय कब है। श्री इन्नान मोल्लाह।

श्री इन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, मैं श्री आचार्य द्वारा लाए गए विधेयक का समर्थन करता हूँ जिसे सभी वक्ताओं ने पहले ही समर्थन दिया है।

जैसा कि सबने कहा है – मैं भी इस बात में उनके साथ हूँ कि स्वतन्त्रता की इस पचासवीं वर्षगांठ में और नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के शताब्दी वर्ष में यह सदन एकमत से अपने देश के सुदूरवर्ती क्षेत्र को भारतीय गणतन्त्र के एक पूर्ण राज्य के रूप में स्वीकार करता है।

हमारे मित्रों ने पहले ही इस संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में जो तर्क दिये हैं मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। मैं इन सभी तर्कों का समर्थन करता हूँ। ये सभी तर्क काफी मजबूत हैं और सरकार का उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि प्रस्ताव है, इस वर्ष 15 अगस्त को नए राज्य की स्थापना हो जानी चाहिए और इस बात का निर्णय आज सदन में ही होना चाहिए।

मैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। विगत अनेक वर्षों से मैं मांग करता आ रहा हूँ कि इस संघ राज्य क्षेत्र की समस्याओं की चर्चा अलग से की जानी चाहिए क्योंकि इसके साथ अनाथ जैसा व्यवहार किया जाता है। हर राज्य की समस्याओं की चर्चा राज्य की विधान सभा में की जानी है, परन्तु चूंकि संघ राज्य क्षेत्र अनाथ है, उनकी समस्याओं की चर्चा करने लिए कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं। उनका शासन दिल्ली से होता है परन्तु दिल्ली वहां तो नहीं होती है। कोई नहीं जानता कि कौन शासन कर रहा है। वहां सब तरह की समस्याएं हैं। संघ राज्य क्षेत्र में 'हृदयहीन' शासन लागू है। उन्हें हर कार्य हेतु दिल्ली आना पड़ता है लेकिन उन तक कुछ नहीं पहुंचता।

विशेषकर अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह जैसे स्थान पर जो, एक दूर-दराज क्षेत्र है और जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अलग-थलग है, वहां लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। हर समय वहां खाद्यान्नों, दवाइयों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी रहती है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि वहां लोग प्रत्येक दिन एक आवश्यकता अथवा दूसरी आवश्यकता के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भागते रहते हैं।

मैं श्री भक्त ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कार्मिकों की नियुक्ति के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। संघ राज्य क्षेत्र सवंर्ग में दिल्ली से व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि दिल्ली में बेहतर सुविधाएं तथा बेहतर शिक्षा है। संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग में 80 से 90 प्रतिशत कार्मिक दिल्ली से लिए जाते हैं। नियुक्ति के पश्चात उनकी वहां नियुक्ति कर दी जाती है और उनमें वहां कर्त्तव्यभार संभालने के दूसरे ही दिन, वे संबंधित मंत्रालय के साथ मुख्य भूमि में स्थानांतरण के लिए मामला उठाना प्रारम्भ कर देते हैं। यद्यपि शरीरिक रूप से कुछ दिन वे वहां रहते हैं उनका दिमाग और दिल वहां नहीं होता।

दूसरे आप जानते हैं कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में प्रशासन का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है। इसका कारण यह है कि उनके लिए जो भी आवंटन किया जाता है, उसका एक भाग भी उन तक नहीं पहुंचता। यह यहीं व्यय हो जाता है। इसे नोयड़ा अथवा किसी अन्य स्थान में व्यय कर दिया जाता है। जिनको वहां काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है, वे उन लोगों को लूट रहे हैं। इन लोगों को नौकरशाही द्वारा निर्दयता पूर्वक लूटा जा रहा है। हर तीसरे माह, मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां नियमित रूप से सम्पर्क में रहता हूँ और मैंने वहां की दशा देखी है। इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि वहां क्या होता है। हम चाहते हैं कि अण्डमान को राज्य का पूरा दर्जा दिया जाये और निकोबार को छठी अनुसूची के अन्तर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दिया जाये।

निकोबार का कोई न्यायालय नहीं है। निकोबार से पोर्टब्लेयर आने में लगभग 15 दिन का समय लगता है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो

उसे वैसा करने के लिए 15 दिन की यात्रा करनी पड़ती है। एक गरीब व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? पोर्ट ब्लेयर में वह कहां ठहरेगा? उसके हितों की देखभाल कौन करेगा? एक सभ्य देश के लोग इस प्रणाली में रह रहे हैं। यदि ये लोग विद्रोह करते हैं, तो आप यह कह कर उन पर दोष लगायेंगे कि वे विद्रोह कर रहे हैं। हम सभी सुविधाओं के साथ रह रहे हैं और हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो आधुनिक सभ्य जीवन की किन्हीं सुविधाओं के बिना दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं।

इसके अतिरिक्त वहां कोई उद्योग नहीं है। हालांकि द्वीप समूह क्षेत्र में पांच लाख टन मछली पकड़ने की क्षमता है। लेकिन इसमें शोषण किस हद तक है? यह केवल 4300 टन है। इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी है।

महोदय, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह एक लघु भारत है। कुल जनसंख्या का 17 प्रतिशत पुराने अण्डमानी लोगों के वंशज हैं; लगभग 20 प्रतिशत तमिल भाषी हैं; 20 प्रतिशत बंगाली भाषी हैं; 10 प्रतिशत मलयालम भाषी हैं; 8 प्रतिशत तेलुगू भाषी हैं और 3-4 प्रतिशत सिख हैं। अतः यह एक लघु भारत की तरह है। हिन्दी वहां बोली जाती है। सभी हिन्दी जानते हैं और यही वहां काम-काज की भाषा है। यह एक बहुत सुन्दर तथा समरस स्थान है। लेकिन उनके पास अपनी पसन्द की सरकार रहने का अधिकार नहीं है। ऐसा लम्बे समय तक नहीं चल सकता। अतः हमें मांग करते हैं कि इस विधेयक की ससंद के इस सत्र में पारित किया जाये।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसे आज पारित किया जाये।

श्री इन्नान मोल्लाह : हो सकता है कि यह आज संभव न हो और आज इसे पारित भी किया जा सकता है। यदि कुछ बनाना आवश्यक है, तो सरकार वैसा कर सकती है। लेकिन अण्डमान को हमारी स्वतन्त्रता के इस 50वें वर्ष में राज्य का दर्जा अवश्य दिया जाना चाहिए।

मैं कुछ समस्याओं का उल्लेख कर रहा था। जब कभी हम सरकार का ध्यान.....

सभापति महोदय : श्री मोल्लाह, यदि आप कुछ बताना चाहते हैं, तो आपको....

श्री इन्नान मोल्लाह : मैं केवल इन संघ राज्य क्षेत्रों की कुछ समस्याओं का उल्लेख कर रहा था। वहां वन आधारित अथवा समुद्र आधारित उद्योग होने चाहिए। काफी संभावनाएं हैं, लेकिन वहां कोई उचित नियोजन नहीं है। उचित निवेश नहीं है जो कोई उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

दूसरे नियमितकरण की समस्या है। काफी संख्या में लोग आकर वहां बस गये हैं। उन्होंने कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन उनके कब्जे को नियमित नहीं किया गया है। मेरे विचार से इस भूमि के वर्ष 1978 से पूर्व के कब्जाधारियों के कब्जे को नियमित नहीं किया गया है।

कोई सरकार नहीं है। अतः, उनको नियमित कौन करेगा? वहां पंचायत शक्तिहीन हैं। उपराज्यपाल एक निरकुंश शासक की तरह शासन कर रहा है। वह जो चाहे कर सकते हैं। भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि काला पानी शासन अभी भी चल रहा है। विगत पंचायत चुनाव में कुछ महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। इसके परिणामस्वरूप, उनके पतियों को दूरदराज के द्वीपसमूहों में भेजा गया। मैने इसके बारे में प्रधानमंत्री को लिखा और उनसे एक टिप्पण भेजने का अनुरोध किया था। लेकिन ब्रिटिश दिनों की तरह उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में भेज दिया गया।

500 द्वीप समूह में से लगभग 20-30 द्वीप समूह पर ही लोग रह रहे हैं।

सभापति महोदय : क्या आपने 'काला पानी' देखा है।

श्री इन्नान मोल्लाह : हर तीसरे माह में वहां जाता हूँ, यद्यपि मुझे काला पानी की सजा नहीं मिली है।

सभापति महोदय : मैं फिल्म काला पानी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो मलयालम में बनाई गयी थी।

श्री इन्नान मोल्लाह : नहीं, मैंने नहीं देखी है।

सभापति महोदय : इसका हिन्दी संस्करण भी है। आपको इसे देखना चाहिए।

श्री इन्नान मोल्लाह : मैं सभापति के निर्णय का पालन करूंगा। काफी बड़ी संख्या में भूमिहीन लोग भी हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, उस फिल्म को संसद सदस्यों को दिखाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : यह एक बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री इन्नान मोल्लाह : यदि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय मावलंकर हाल में इसके एक शो की व्यवस्था कर सके तो, सभी इसे देख सकते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : पूर्व में ससंद सदस्यों को फिल्म शो दिखाने की प्रथा थी।

सभापति महोदय : यह बहुत अच्छा सुझाव है क्योंकि वह फिल्म अंडमान सागर के बारे में बताती है।

श्री इन्नान मोल्लाह : यह बहुत अच्छा सुझाव है। मेरे विचार से सूचना और प्रसारण मंत्रालय इससे सहमत होगा।

सभापति महोदय : गृह मंत्री महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्री को सभा की भावनाओं से अवगत करा दें।

श्री इन्नान मोल्लाह : भूमिहीनता एक दूसरी बड़ी समस्या है। परंतु हमें यह नहीं पता कि इसका निपटारा कौन करेगा। मैं तो इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

इस द्वीप में पेयजल की भारी समस्या है। पेयजल की आपूर्ति के लिए दूसरे बांध का निर्माण काफी दिनों से लंबित पड़ा है। प्रसिद्ध कहावत है :

'सर्वत्र पानी है परन्तु पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है' अंडमान द्वीप में पूरी तरह लागू होती है। इसकी किसी को भी चिंता नहीं है।

पहले वहां अन्तरद्वीपीय हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध थी परन्तु अब उसे समाप्त कर दिया गया है यदि कोई हृदय रोगी समुद्र से होकर जाए तो उसे वहां तक पहुँचने में चार-पांच दिन लगेंगे। वह कैसे जीवित रह सकता है ? मेरा सुझाव है कि यह अन्तर द्वीपीय हैलीकॉप्टर सेवा तत्काल शुरू की जानी चाहिए। कम से कम दिन में एक बार एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक इस प्रकार की सेवा शुरू की जानी चाहिए ताकि जनता इसका लाभ उठा सके।

वहां ठेकेदारी प्रथा प्रचलन में है और ठेकेदार लुटेरे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वहां वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और ठेकेदार द्वीप को लूट रहे हैं। प्रतिदिन टनों इमारती लकड़ी अंडमान द्वीप से आ रही है।

श्री मनोरंजन भक्त : इमारती लकड़ी का कार्य ठेकेदार नहीं करते हैं। यह कार्य वन विभाग द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार किया जाता है। ठेकेदार दूसरा कार्य कर रहे हैं हमने उसका भी विरोध किया है हमारा यह कहना है कि यह कार्य भी विभाग द्वारा कराया जाना चाहिए।

श्री इन्नान मोल्लाह : परन्तु उसके साथ-साथ वहां अवैध शिकार भी हो रहा है। वनों की कटाई हो रही है।

श्री मनोरंजन भक्त : वहां यह सब कुछ हो रहा है। अवैध शिकार करने वाले विदेशी हैं।

श्री इन्नान मोल्लाह : हाल ही में अवैध शराब की बिक्री से एक और समस्या पैदा हो गई है। वहां पुलिस का व्यवहार तो अकल्पनीय है। हमें रोजाना शिकायतें मिलती हैं कि वहां ऐसा हो रहा है।

दूसरी समस्या राशन की दुकानों के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों से संबंधित है। इन वस्तुओं के मूल्य मुख्य मूल्य से अधिक हैं। यदि इन वस्तुओं के मूल्यों में परिवहन लागत को जोड़ दिया जाए तो गरीब लोग इन्हें कैसे खरीद सकते हैं ?

इन द्वीपों की जनता काफी लम्बे समय से मध्य और उत्तरी अंडमान के लिए पृथक जिले बनाने की मांग कर रही है। मैं सरकार का इस संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ग्रेट निकोबार के निकट कैम्पबैस खाड़ी है। वहां कोई भी सीधी जलपोत सुविधा नहीं है। कैम्पबैल खाड़ी तक सीधी जलपोत सुविधा आवश्यक है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

मायाबंदर में बन्दरगाह बनाने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है।

श्री मनोरंजन भक्त : वहाँ बन्दरगार है, परन्तु पोत समुद्र के किनारे तक नहीं आ पा रहा है।

श्री इन्नान मोल्लाह : इस समस्या की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इन द्वीपों के अधिकांश क्षेत्रों में ग्रामीण पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है इसलिए इस समस्या की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इन द्वीपों में बिजली की नियमित सप्लाई के लिए वहां एक परमाणु विद्युत केन्द्र बनाया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार समाप्त किया जाना चाहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भोलीभाली और ईमानदार जनता भ्रष्ट प्रशासन से परेशान है। यदि अंडमान और निकोबार की जनता को अपने प्रशासक चुनने का अधिकार दे दिया जाए तो ये सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। यदि उनके प्रतिनिधि शासन करेंगे तो उनकी सरकार बनेगी जो उनकी समस्याओं को समझेगी।

मैं मांग करता हूँ कि यह विधेयक आज ही पारित किया जाए तथा एक नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जाए। इसका उद्घाटन आगामी अगस्त में होना चाहिए। हमारी यही मांग है और मैं आशा करता हूँ कि सभापति की हैसियत से आप भी सभा की इच्छा का समर्थन करेंगे।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के सभी पहलुओं का समर्थन करता हूँ जिसके अन्तर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के लिए पृथक विधान मंडल बनाने की व्यवस्था की गई है। पूर्व विद्वान वक्ताओं ने इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार व्यक्त किए हैं। इस सभा में इन द्वीपों के स्थाई प्रतिनिधि मेरे मित्र श्री मनोरंजन भक्त इस विधेयक के सभी पहलुओं पर बड़ी कुशलता से बोले हैं। उन्होंने बड़ी कुशलता से इन मांगों को सभा में प्रस्तुत किया है ?

श्री इन्नान मोल्लाह : वह दिल्ली में अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के प्रतिनिधि हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : इससे पूर्व, श्री आचार्य ने अपने विधेयक पर बोलते हुए इस मांग को न्यायसंगत बताया था।

संघ राज्य क्षेत्र, राज्य का दर्जा देने आदि सम्बन्धी संविधान के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय नौ नियमित राज्य थे। उस समय राज्यों की चार श्रेणियां थीं। ये भाग 'क' भाग 'ख' तथा भाग 'ग' राज्य थे। इन्हें 'क' श्रेणी 'ख' श्रेणी और 'ग' श्रेणी का राज्य भी कहा जाता था।

भाग 'क' में नौ राज्य थे। भाग 'ख' में 'हैदराबाद, जम्मू-कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्ण पंजाब थे। भाग 'ग' में पांच राज्य थे अर्थात् अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार और कुर्ग। भाग 'घ' एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थे। भविष्य के लिए यह प्रावधान किया गया था कि यदि आवश्यकता हुई और नया संघ राज्य क्षेत्र बना तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भाग 'घ' में शामिल कर लिया जाएगा।

समय बीतने के साथ-साथ इस व्यवस्था में नाटकीय परिवर्तन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से पृथक राज्यों की मांग की जा रही है। उसके लिए सीमा आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। मेरे विचार से फज़ल अली के सभापतित्व में इस आयोग का गठन किया गया और सरदार के. एम. पाणिकर तथा डॉ० हृदय नाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। ये बड़े विद्वान व्यक्ति थे और इनका विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव था। उनकी सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं तथा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तथा पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई और नई व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य और संघ शासित क्षेत्र अस्तित्व में आए।

जैसा कि आप जानते हैं असम पहले इसे संयुक्त असम, कहा जाता था - का विभाजन हुआ। अब असम के अतिरिक्त छह और राज्य हैं। हम उन्हें सात बहनें कहते हैं। त्रिपुरा पहले ही अलग राज्य था। संघ शासित क्षेत्रों के अंतर्गत दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, गोआ, दमन और दीव, पाण्डिचेरी तथा चण्डीगढ़ हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है। यह परिवर्तनकारी स्थिति है। हम केवल एक मुद्दे पर नहीं अटके रह सकते हैं। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, दिल्ली को राज्य का दर्जा विधान सभा मिल गई है। ऐसा ही गोवा के साथ और पाण्डिचेरी के बारे में यह अभी अधर में हैं। यहां पर हमारे पास पाण्डिचेरी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री एम.ओ.एच. फारूक हैं। वह हमारे अच्छे मित्र हैं। पाण्डिचेरी में सरकार, विधान सभा और मंत्री सब कुछ हैं।

सभापति महोदय : श्री एम.ओ.एच. स्वंय भी पाण्डिचेरी के मुख्य मंत्री थे!

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : वह मेरे तथा अपनी दशा का व्याख्यान करेंगे। मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ।

महोदय, कई परिवर्तन हुए हैं। जब विभिन्न राज्यों से विधान सभा की यह मांग पहली बार आयी थी। सरकार की ओर से आपत्तियां आई थी। उन्होंने यह कहते हुए सभी प्रकार की अपत्तियाँ की थी। जनसंख्या कम है, क्षेत्र कम है, यह आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है, आदि आदि। यह चिरपरिचित बहाने थे, इसके बावजूद 10 लाख की आबादी वाले अरूणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। मैं यह कह रहा हूँ कि जनसंख्या एकमात्र दिशा-निर्देशक तथ्य नहीं होना चाहिए। इस पक्ष पर विचार करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की कुछ विलक्षणताएं हैं। यह बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थिति है।

बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थिति इन द्वीप समूहों को द्वितीय शताब्दी में एक रोमन भूगोल-वेता ने सौभाग्शाली द्वीप समूह कहा था। विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तुओं और वनस्पतियों से सजे वंदनवार-सुन्दर उष्णकटिबंधीय, फूल, बगीचे, अनेक प्रकार की प्रजातियों के पक्षी, स्तनधारी जंतु, रेंगने वाले जीव-जन्तु और अन्य इसी तरह के जीव-जन्तु इस जगह को पृथ्वी पर जीता-जागता संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। वह वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, पक्षी विज्ञानी, समुद्रीय विशेषज्ञों और प्रकृति प्रेमियों के लिए वास्तव में एक स्वर्ग रहा है। यहां के कुछ निवासी संसार में सबसे पुरानी जनजातीय समुदायों के हैं और उनकी पुरानी चीजें पुरापाषाण युग की मानी जाती हैं।

1971 में इन द्वीप समूहों की जनसंख्या 1.15 लाख थी और अब यह लगभग 3.5 लाख है। जहां तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का सम्बन्ध है जनसंख्या का मार्गदर्शक तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। रक्षा की दृष्टि से भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक विशेष स्थान है। हमें बिना जाने इन लोगों के बारे में कोई धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। वे बहुत साधारण लोग हैं। उनकी मांगे सीमित हैं। यदि फिर भी हम उनकी मांगें स्वीकार नहीं करते हैं तो यह स्वस्थ्य प्रवृति नहीं है। हमें किसी विद्रोह का इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हर जातीय के लिए एक तीर्थस्थल है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को देश निकाला किया गया था।

स्वतंत्रता सेनानी जो ब्रिटिश राज्य के खिलाफ क्रूरता से लड़ रहे थे उन्हें इस स्थान में देश-निकाला किया जाता था और उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती थी। आज यह सेल्युलर जेल तीर्थस्थल है। इसीलिए भारत सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व यह ठीक ही निर्णय लिया

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस स्थल की यात्रा करने के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। जहाज आदि जैसी सुविधायें जिनकी अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं थी की कमी के कारण, ये सब चीजें बीच में ही रोक दी गई हैं। इसके लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में असंतोष है। इसलिए मैं यह कह रहा था। इस तरह यह तीर्थ स्थल है।

जैसा मैंने आज भी कहा राज्य को ही क्यों लें ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या यहां से कम है और कई स्थानों पर इससे भी कम जनसंख्या वाले राज्य हैं।

जहां तक आर्थिक सक्षमता का सम्बन्ध है, यहाँ आर्थिक प्रगति की काफी सम्भावनाएं हैं तथा अत्यधिक संसाधन उपलब्ध हैं।

मैं उन लोगों के विचार से सहमत नहीं हूँ जो यह कहते हैं कि इसे पर्यटन के लिए नहीं खोला जाए। अब हमने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया है। और चीन ने भी अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया है। हांगकांग और सिंगापुर का उदाहरण लें। वहां की जनसंख्या क्या है? 30 से 40 वर्ष की अवधि में सिंगापुर ने काफी अधिक उन्नति की है। प्रगति और सभ्यता की दृष्टि से ये देश काफी अधिक विकसित हैं।

इस प्रकार पर्यटन को अधिक से अधिक विकसित किया जा सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पृथ्वी पर स्वर्ग हैं और यदि वहां समुचित सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जाती है तो लोग वहां की यात्रा करना चाहेंगे। दोनों को अनुरूप किया जा सकता है। वहां सुरक्षा के विशेष उपाय करके पर्यटन को विकसित किया जा सकता है। इस तरह से यह आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी होगा।

इस मामले पर प्राक्कलन समिति द्वारा विचार किया गया था और समिति ने स्पष्ट रूप से सिफारिश की थी कि वहां विधान सभा बनाई जाए और निर्वाचित सरकार की व्यवस्था की जाए। वास्तव में हमारी प्रणाली में यह प्रक्रिया है कि जब संसदीय समिति कतिपय सिफारिशें करती हैं तो सरकार को की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। यह हास्यास्पद है कि अभी सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

समिति ने सिफारिश की थी :

"समिति को राय में संघ शासित प्रदेशों के लोगों के लिए प्रतिनिधि प्रशासन से मना करने का कोई औचित्य नहीं है। समिति का यह दृढ़ निष्कर्ष है कि विद्यमान तंत्र बहुत ही अपर्याप्त है और संघ शासित प्रदेशों के लोगों की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। इसलिए, समिति चाहती है कि सरकार को संघ शासित प्रदेशों में रह रहे लोगों को शक्तियां देने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। स्पष्ट शब्दों में वे द्वीप समूह प्रदेशों के लिए पांडिचेरी की तरह पूर्ण विधान सभाएं चाहते हैं। समिति यह चेतावनी भी देती है कि इस मामले में कोई टाल-मटोल इन लोगों में अनिवार्य रूप से अलगाव की भावना पैदा करेगी जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को ही खतरा हो सकता है।

समिति ने संघ शासित प्रदेशों में स्थानीय निकायों को जिस रूप में भी वे हैं, सुदृढ़ करने और शक्ति देने के इरादे का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने इसे पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्वात्मक प्रशासन की मांग से मिलाने के खिलाफ सलाह दी है। इसलिए, समिति चाहती है कि संघ शासित प्रदेशों में विशेषकर द्वीपसमूहों में पूर्ण प्रतिनिधित्वात्मक संवैधानिक ढांचा प्रदान करने के प्रश्न को अलग से उठाया जाए।

सरकार का उत्तर यह है कि वहां पंचायत चुनाव कराए गए हैं और उन्हें विकास आदि सभी प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह कहा गया है। अदारदा: जो कुछ कहा गया है वह बताने का मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। किन्तु यह कैसा विरोधाभास है तथा यह कैसी हास्यास्पद बात है कि जब हमने श्री भक्त जी को यह कहते सुना कि संसद की एक प्रतिष्ठित समिति प्राक्कलन समिति, सरकार तथा अफसरशाही इस तर्क का बखान करने लगी कि हम इसे ध्यान में रखेंगे। यही कारण है जिनके फलस्वरूप हम इनसे सहमत नहीं हैं। किन्तु इसके साथ-साथ हम पंचायतों को शक्ति प्रदान करने के पक्ष में हैं। वे विकास के लिए कुछ भी कर सकती है; किन्तु, आज इन सब बातों के बावजूद हमने सुना कि वे यह नहीं.....*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): सरकार शक्तियां देना चाहती है.....*(व्यवधान)*

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं सोचता हूँ कि आपने श्री भक्त को सुना होगा....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद मकबूल डार : यह अधिसूचना है..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय आप अपने उत्तर में यह सब बता सकते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या हम अपने माननीय मित्र श्री भक्त, पर विश्वास न करें जिन्होंने बार-बार यह कहा है कि पंचायत एक चपरासी को नियुक्त नहीं कर सकती? उन्होंने ऐसा यहां कहा है....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद मकबूल डार : यह ही अधिसूचना है ....*(व्यवधान)*

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : यह हमारा दुर्भाग्य है .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया विवाद में न उलझें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मंत्री महोदय आप केन्द्रीय सरकार में नवागन्तुक हैं। यह हमारे लिए एक कमी है.....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद मकबूल डार : यह असहनीय है। मैं नहीं .....*(व्यवधान)*

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : आप नहीं सह सकते। प्रत्येक मंत्री का प्रथम कार्य सहना है....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद मकबूल डार : सभापति महोदय, मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूँ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उनसे बहस न करें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : सभापति महोदय, यदि वे नहीं सह सकते तो मैं उनकी मदद नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : आपने लगभग 20 मिनट लगा दिये हैं।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : मैं ऐसे हास्यास्पद शब्द सहन नहीं कर सकता.....*(व्यवधान)*

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या हास्यास्पद.....*(व्यवधान)* मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री अपनी स्थिति हास्यास्पद बना रहे हैं। मैं यह कर सकता हूँ? इन सब बातों के बावजूद मैंने कहा कि.... *(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : सरम की कोई बात नहीं है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपसे सहमत हूँ किन्तु दो और माननीय सदस्य इस पर बोलने वाले हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, यह वाद-विवाद आज समाप्त नहीं होगा और प्रत्येक स्थिति में इसे अगले सप्ताह तक ले जाना होगा....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कम से कम दो माननीय सदस्य आज इस पर बोल सकते हैं और उत्तर को टाला जा सकता है।

....*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि पंचायत को सभी शक्तियां दी गई हैं कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं? ....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद मकबूल डार : मैं समझता हूँ कि इस समय यह बताना मेरे लिए उचित नहीं है। मुझे अपने उत्तर में यह सब कहने दीजिए।.....*(व्यवधान)*

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : यह आपके लिए एक बुद्धिमत्तापूर्वक बात होगी। किन्तु आप देखें कि एक अनुभवी, एक अनुभवी सदस्य, जो कि करीब 25 वर्षों से उस क्षेत्र के लोगों से सम्बन्धित है ने कहा है कि कोई शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। मैंने समिति की सिफारिशों को तथा सरकार की प्रतिक्रिया को सामने रखा है। आप इसे व्यक्तिगत रूप से क्यों ले रहे हैं? यह बुरी बात है.....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद मकबूल डार : व्यक्तिगत नहीं। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : हमारी प्रणाली में यह ही एक कमी है। हम कुछ अन्य समझते हैं और कुछ अच्छा समझते हैं। अफसरशाही की धोखाधड़ी के कारण कभी-कभी यह नहीं हो पाता।

इस विधेयक में अंडमान और निकोबार के लिए एक पृथक विधेयक की मांग है और यह सर्वथा न्यायोचित है। अतः बिना समय व्यर्थ किए सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए तथा प्राक्कलन समिति की पूर्व सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिए। महोदय इसके साथ-साथ अन्य स्थानों जैसे पाण्डिचेरी, जहां कि हमारी विधान सभा है तथा जहां एक चुनी गई सरकार है पर उनके पास भी पर्याप्त शक्ति नहीं है। इस मामले में भी सहानुभूति पूर्वक सोचना चाहिए। भारत में प्रमुख कार्य राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान करना है। राष्ट्रीय एकता स्थानीय आकांक्षाओं, सीमा क्षेत्रों के विभिन्न भागों के लोगों की उचित और न्यायसंगत आकांक्षाओं आदि बातों के फलस्वरूप पूर्णतया प्राप्त की जा सकती है। इन बातों से बल प्राप्त होता है।

यह जगह राष्ट्रीय अखण्डता की प्रतीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राष्ट्रीय अखण्डता के प्रतीक हैं। यह राष्ट्रीय अखण्डता का प्रतीक है। जैसा कि मैंने कहा है, इस बात की प्रतीक्षा न करते हुए कि वहां कोई अप्रिय स्थिति पैदा हो अथवा आंतकवाद अपना घृणित सर उठाये, हमें वहां की जनता की उचित मांगों को समय पर मान लेना चाहिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय : आपको भी यह पता होना चाहिए कि हमारे पास समय की कमी है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मुझे हमेशा इसका पता रहता है। मैं एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय : श्री एम.ओ.एच. फारूख को बोलना है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मैं, अपने दल आर.एस.पी. की ओर से, हमारे माननीय मित्र श्री वसुदेव आचार्य द्वारा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंध में प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

महोदय, मैंने इस विधेयक की मुख्य बातें पढ़ी हैं और मैंने इस वाद-विवाद के दौरान कई महत्वपूर्ण भाषण भी सुने हैं। और मैं भी इस संवेदनशील मुद्दे की मुख्य बातों की सराहना करता हूँ। यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता के गत 50 वर्षों के दौरान अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की जनता की बढ़ती मांगों और आकांक्षाओं की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। आज, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उनकी समस्याएं भी अन्य बातों और जटिलताओं के साथ-साथ बढ़ती जा रही हैं। अतः वे अपने आपको उचित रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उनके पास अपने आपको व्यक्त करने अथवा जनादेश के माध्यम से अपना शासन चलाने के लिए कोइ उचित मंच नहीं है। आज, अपने आपको व्यक्त करने एवं अपना शासन स्वयं चलाने के लिए मंच की मांग, एक न्यायोचित मांग है। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

महोदय, आज कुछ नौकरशाहों के माध्यम से किसी क्षेत्र की जनता पर शासन चलाया जाना लोकतंत्र का कोई शुभ लक्षण नहीं है। हम आत्म निर्णय के अधिकार के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और हमें इस तथ्य की भी जानकारी है कि आत्म निर्णय का अधिकार लोकतांत्रिक ढांचे का मूलाधार है और यह भारतीय संघवाद का अति महत्वपूर्ण लक्षण है जैसा कि हमारे भारत के संविधान में निहित है। इसलिए, मैं समझता हूँ कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की जनता को आत्म निर्णय का अधिकार भले ही तुरन्त न मिल सके, परन्तु संवैधानिक शक्तियों सहित विधान सभा की उनकी मांग तुरन्त ही मानी जा सकती है।

महोदय, मैंने आज पहले ही कहा है कि भूगौलिक स्थिति और प्राकृतिक स्थिति के कारण ही अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की अपनी प्राकृतिक सुन्दरता है और सभ्यता के अपने प्राकृतिक संसाधन हैं। उनकी अपनी संस्कृति है। उनकी अपन गौरव है। लेकिन उनकी सुन्दरता, उनकी सभ्यता के प्राकृतिक संसाधन और उनके प्रकृति-प्रदत्त संसाधनों का समृद्धशाली व्यापारियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा दोहन किया जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के लोगों के भाग्य को ठेकेदारी राज्य की मनचाही इच्छाओं या अन्तर्राष्ट्रीय समृद्धशाली व्यापारियों की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के लोगों को प्रजातांत्रिक-ढांचा अर्थात् संवैधानिक शक्तियों सहित एक विधान सभा तुरंत स्वीकृत की जाना चाहिए। अब ऐसा किए जाने का समय आ गया है और इस मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए।

एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम किसी राज्य के अन्दर ही पृथक राज्य की मांगों के बारे में अवगत हैं, हम इन सब चीजों की बुराइयों के बारे में जानते हैं। हम इस तथ्य से भी परिचित हैं कि देश को छोटे टुकड़ों में विभक्त करने की प्रवृत्ति चल रही है। इतिहास से हमने पढ़ा है कि छोटे-छोटे राज्य उपयोगी सिद्ध नहीं हुए और संवैधानिक रूप से स्थायी नहीं होते।

हम इस तथ्य को भी जानते हैं कि भारतीय लोगों में भी छोटे-छोटे राज्यों जैसी मांगे बढ़ रही हैं। लेकिन किसी बड़े राज्य के अन्दर पृथक राज्य की लोगों की मांग एक है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों की उनके राज्य की मांग अलग बात है, इसलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों की राज्य की मांग पर समुचित और वैज्ञानिक दृष्टि से ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं इस बात के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि अब समय आ गया है जब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों की मांगों और आकांक्षाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें संवैधानिक शक्तियों वाली विधान सभा दी जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय : धन्यवाद, यह वास्तव में संक्षेप में था। श्री एम.ओ.एच. फारूख। कृपया ध्यान दें, एक और सदस्य को अभी बोलना है।

श्री एम.ओ.एच. फारूख (पांडिचेरी) : महोदय, मैं विधान मंडल और इसे मांगने के अधिकार के बारे में विस्तार से नहीं बोलने जा रहा हूँ वास्तव में, मैं इस विचार का समर्थन करता हूँ और मैं कुछ और नई बात कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस संघ शासित प्रदेश के अस्तित्व में आने के समय से ही इससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं पाण्डिचेरी से हूँ, मैं गोवा, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली से हाल ही जुड़ा हूँ — मैं त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से भी जुड़ा हूँ। हम बहुत पहले से ही भारत सरकार को कहते रहे हैं कि इसे पूरे राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन, आखिर में यह हुआ कि कुछ को ही राज्य का दर्जा दिया गया। अरूणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। मैं आपको बताता हूँ कि अंडमान की स्थिति तो और भी खराब है।

मेरा तर्क यह है कि यदि संविधान को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पूर्ण शक्तियां प्राप्त अपना विधान मंडल होने का अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिए और मैं इसी बात पर बल देना चाह रहा हूँ। उन्हें अपना विधान मंडल भी नहीं दिया गया। मेरे राज्य में विधान मंडल दिया गया है और हमसे इसका प्रयोग करने की अपेक्षा भी की जाती है। वहां मंत्रालय है, मुख्यमंत्री है, प्रशासक है लेकिन कुछ शक्तियां वापस ले ली गई हैं। क्यों ? क्यों ऐसा

भेदभाव किया गया है। लेकिन जहां तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सम्बन्ध है वहां विधान मंडल भी नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप वहां कब विधान मंडल देने के बारे में सोच रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि विधान मंडल देते समय हमें इसे कुछ और शक्तियां पूरी तरह देनी होंगी ताकि वे इनका सही प्रयोग कर सकें। वस्तुतः आप उन कठिनाइयों के बारे में नहीं जानते हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। वे सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोग हैं। मैं जानता हूँ कि मैं तीन कार्यकालों तक मुख्यमंत्री रहा हूँ। मुझे मालूम है कि हमें छोटे स्तर पर स्थानांतरणों के लिए भी यहां आना पड़ता था, हमें दिल्ली दौड़ना पड़ता था। यह स्थिति है। मंजूरी और तैनातियों के लिए भी हमें यहां आना पड़ता था। लेकिन काफी चीजें बदल गई हैं लेकिन कभी वे पूरी तरह से नहीं बदली हैं। यदि इस प्रकार की चीजें वहां हो रही हैं तो आप एक सुदूरवर्ती राज्य के विकास की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? कभी-कभी भारत सरकार के साथ पत्राचार में लगभग तीन से छः महीनों का समय लग सकता है। क्या किया जाना चाहिए? इन व्यावहारिक बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं आपको केवल कुछ मामले बता सकता हूँ।

सभापति महोदय, मैं संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए सहमत हूँ लेकिन उन्हें साथ ही पूरी विधायी शक्तियां भी दी जानी चाहिए जिसका वे प्रयोग कर सकें। अन्यथा, सरकार को हमें पृथ्वी और समुद्र के बीच लटकाने वाली स्थिति में नहीं डालना चाहिए। हम इसी बात पर जोर दे रहे हैं।

मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है, हम राज्य के लिए लड़ रहे हैं। विधानमंडल को शक्तियाँ दी गई हैं। जो भी शक्तियाँ हैं मंत्रालय उनके अनुसार ही काम चला रहा है। लेकिन विकास-कार्य कैसे चलेगा, मंत्रालय के बिना प्रशासन कैसे चल सकता है? अधिकारियों पर किसका नियंत्रण होगा?

पाण्डिचेरी की स्थिति यह है कि हमारे पास शक्तियां हैं लेकिन प्रशासकों पर नियंत्रण रखने के लिए हमारे पास शक्तियां नहीं हैं। मैं कह सकता हूँ कि नौकरशाही इसे देने को तैयार नहीं हैं। मुख्य प्रजातांत्रिक वाक्य यह है कि लोगों को चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासित किया जाता है। मैं यहां एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या चयनित लोगों को वहां शासन करने की शक्तियां दी जानी चाहिए? चयनित लोग ही प्रशासक हैं। उनका चयन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये वे ही लोग हैं जिन्हें शक्तियां दी जा रही हैं। जबकि चुनाव के जरिए आए लोगों को शक्तियां नहीं दी जाती हैं। चुने गए व्यक्तियों को चयनित लोगों के अधीन समझा जाता है। यही सब संघ शासित प्रदेशों में हो रहा है। जब आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विधानमंडल देंगे तो इस तरह की बात वहां नहीं होनी चाहिए।

महोदय, क्या संघ शासित प्रदेशों के लोग भारत के नागरिक नहीं होते? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हमें मतदान का अधिकार कहां है? मंत्री महोदय को बहस का उत्तर देते वक्त इस बात का उत्तर देना चाहिए। क्या आपने हमें भारत के राष्ट्रपति को चुनने की शक्ति प्रदान की है? पांडिचेरी में हमारी विधान सभा को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है। क्या यह सही है क्या हम भारत में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? कृपया इस सभा में यह घोषणा करें कि क्या हमें राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है या नहीं। जब हम पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि संघ राज्य क्षेत्र के सांसदों को ये अधिकार हैं और वह इसका प्रयोग कर रहे हैं। हाँ संघ राज्य क्षेत्र के सदस्यों को यह अधिकार है लेकिन विधान सभा के सदस्यों को क्यों नहीं। संख्या के अनुपात के आधार पर उन्हें ये अधिकार मिलने चाहिएं। लेकिन यह अधिकार भी नहीं दिया गया है। जोकि संविधान के आधार पर गलत है। मैं समय के अभाव के कारण इस विधेयक पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अन्य सभी सदस्य इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। मैं भी इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मेरा तर्क यही है कि जब आपने विधान मंडल दिया है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विधान मंडल को सभी अधिकार देने चाहिए क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र में सभी परेशानियों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। इस सभा में प० जवाहर लाल नेहरू ने एक बार कहा था कि बड़ी संख्या में लोगों द्वारा निरन्तर की जा रही मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोग विधान सभा के लिए लम्बे समय से मांग कर रहे हैं लेकिन भारत सरकार ने अभी भी इस मांग पर गौर नहीं किया है। क्या यह सही है? क्या आप संविधान को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। अतएव मेरा कहना है कि बिलम्ब मत कीजिए। जैसा किसी ने यहां उल्लेख किया है। अन्यथा विद्रोह हो सकते हैं लोगों की भावनाएं किसी भी क्षण भड़क सकती हैं। अतएव उस क्षेत्र के लोगों के विचार पर गौर किया जाना चाहिए और उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण किया जाना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि अंडमान और निकोबार द्वीप को विधान सभा स्वीकृत करते समय इन सब मानकों को ध्यान में रखें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : सभापति महोदय, इसे मेरा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कि मेरे पास भी यही विभाग था जो आज डार साहब के पास है – गृह राज्य मंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रभारी।

महोदय, रक्षा राज्य मंत्री की हैसियत से मुझे अंडमान निकोबार द्वीप का दौरा करने का अवसर मिला और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीपों में गया था। मुझे तत्कालीन रक्षा मंत्री

[श्री संतोष मोहन देव]

श्री आर.वेंकटरामन और श्री मनोरंजन भक्त के साथ अंडमान और निकोबार जाने का अवसर मिला था। अतः हमने समूचे अंडमान को देखा है।

महोदय, सच्चाई तो यह है कि अंडमान केन्द्र का उपनिवेश है। उपराज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है और वहां वह सर्वे-सर्वा होता है। मंत्री महोदय को इस बात से नाराज नहीं होना चाहिए। वहां पर नियुक्त पार्षद महज पार्षद हैं और उनके पास शायद ही कोई काम होता है। हमें शिकायतें मिला करती थी कि उपराज्यपाल क्यों भूतपूर्व सैन्य अधिकारी भेजा करते थे जो प्रशासनिक अधिकारियों और अन्यों को धमकाया करते थे।

आपके क्षेत्र केरल के एक मित्र जो उपराज्यपाल थे को भी यही अनुभव था। अतएव हमें पुरानी बातों में नहीं जाना चाहिए, आज स्थिति यह आ गई है कि हरेक राजनीतिक दल चाहें वह किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो, शक्तियों का विकेन्द्रीकरण की बात कर रहा है। किसी भी राजनीतिक दल का इन शक्तियों के विकेन्द्रीकरण को लेकर कोई मतभेद नहीं हैं इस परिदृश्य में, हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम इस विधेयक पर खुले दिमाग से विचार विमर्श कर सकते हैं। यह गृह मंत्री के विरुद्ध नहीं है और नहीं यह गृह राज्यमंत्री के विरुद्ध है। वह भी नियम-कानूनों से बंधे हैं। मुझे याद आता है कि जो सज्जन अभी बोल रहे थे, मेरे पास आया करते थे और मुझसे कहते थे कि उप राज्यपाल मेरी सुनते नहीं थे। वे मुख्यमंत्री थे लेकिन असल में कुछ नहीं थे। उप राज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां थीं। वे अधिकारियों को अपने पास बुलाकर यह करो वह मत करो का हुक्म दिया करते थे।

सभापति महोदय : श्री सन्तोष मोहन देव, अब छः बजे हैं। आप .अगली बार चर्चा जारी रखेंगे।

अब सभा सोमवार, 24 फरवरी, 1997 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 24 फरवरी, 1997/ 5 फाल्गुन, 1918 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।